




# हिन्दी निबन्ध-लेखन

हिन्दी निबन्ध-लेखन पर नवीनतम पुस्तक,  
नई शैली के अनेकानेक दृष्टिकोण निबन्धों-सहित

प्रो० विराज एम० ए०

।जपाल एण्ड सन्ज़, दिल्ली 

अनुसंधान संस्करण  
फरवरी, १९६३

मूल्य : <sup>५</sup>सर्वा-तीन रुपये

प्रकाशक :

राजपाल एण्ड सन्स  
पोस्ट बॉक्स १०६४, वि

●

कार्यालय व प्रेष :

जी०टी० रोड, शाहदरा,

●

विन्नी-केन्द्र :

करमोरी गेट, दिल्ली-

मुद्रक :

भारत कृषिपालक, शाहद



लेकर उसके विषय में कुछ न कुछ निगूँकर निबन्ध पूरा कर देना है और  
 की संख्या बढ़ानी है। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में  
 धारणा बनी हुई है कि माया जितनी कठिन और दुर्बोध होगी, उतनी ही  
 सामग्री जाएगी; और जिस निबन्ध को पढ़कर कुछ भी गिर-बीर पता न लें  
 सबसे धण्डा निबन्ध होगा। ऐसे निबन्धों से विद्यार्थी को जितना लाभ हो  
 है, कहना अनावश्यक है। इन भावों को निताने का समिन्नाय उन  
 लेखकों की योग्यता के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट करना कठोर नहीं है, अन्ति  
 में बल रही कुछ उन भ्रान्त प्रवृत्तियों की ओर संकेत करना भर है जो दिन  
 प्रगति में बाधा बनी हुई है।

इस पुस्तक में इन दोषों से बचने का प्रयत्न किया गया है। यह के-  
 गई है कि विद्यार्थी को कुछ बोझे-से तिष्ठे हुए निबन्ध देकर ही छुड़ी र-  
 जाए, अपितु उसे उस राह पर लगा दिया जाए जिसपर चलकर वह स्व-  
 रूप से निबन्ध लिखना सीख जाए। हमारा विश्वास है कि इस उद्देश्य  
 करने वाली पुस्तकें इस समय हिन्दी में कम ही हैं।

इस पुस्तक को परीक्षार्थियों की दृष्टि से भी उपयोगी बनाने का  
 किया गया है। कोई भी एक विषय कई अलग-अलग शीर्षकों से परीक्षा  
 जा सकता है। वे सम्भावित शीर्षक निबन्ध के अन्त में दिए गए हैं। इस  
 में आवश्यक अनुदेश दिए गए हैं कि इन निबन्धों में दी गई सामग्री को  
 सम्भावित निबन्धों के लिए किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है।  
 स्वयं निबन्ध लिखने के लिए विषय प्रत्येक सप्ठ के अन्त में दिए गए हैं।

यह पुस्तक इस धारा के साथ शिक्षकों और विद्यार्थियों के सम्मुख  
 की है कि वे इसे निबन्ध-लेखन सिखाने और सीखने में उपयोगी पाएँ।

## क्रम

निबन्ध-लेखन	६
निबन्ध किसे कहते हैं ?	६
निबन्ध के प्रकार	१२
निबन्ध की रूपरेखा	१५
भाषा और शैली का परिष्कार	१९
चर्चन-प्रधान निबन्ध	२१
दिवाली	२२
होली	२६
गणतन्त्र-दिवस	२६
चिड़ियाघर की सैर	३२
भासड़ा मंगल की यात्रा	३७
हिमालय पर विजय	४२
~श्रद्धांजलि	४४
विवरण-प्रधान निबन्ध	४७
जीवनचरितारमक	
शिवाजी	४९
राणा प्रताप	५३
महर्षि दयानन्द	५५
गुभाषचन्द्र बोस	५७

✓ महात्मा गांधी	६६
श्री बागडोर वैकट राम	७१

### समस्यामूलक

एशिया और अफ्रीका का आगमन	७६
पश्चिमी एशिया में जाति	८३
हमारे पड़ोसी देश	८६
भारत का स्वाधीनता-संग्राम	९७
भारत का परिवर्तन	१०१
बागडोर की समस्या	१०६
ब्रूबा की समस्या	११०
बलिन का उदभ्रम प्रश्न	११६
भारत की शांति-समस्या	१२०
भारतीय हृदि की समस्याएं	१२३
अूमि-सम्बन्धी मुद्दा	१२८
सामुदायिक विद्यालय योजनाएं	१३१
ग्राम-मुद्दा	१३३
भारत के प्रमुख उद्योग	१३६
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	१४३

### विवेचनात्मक निबन्ध

१४६

#### राजनीति, अर्थशास्त्र

प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली	१२०
प्रजातन्त्र और तानाशाही	१२३
समाजवाद और गांधीवाद	१२६
पंचशील	१६४
भूदान-यज्ञ	१६६

संयुक्त राष्ट्र-संघ	
शासमिक मुद्रा और भार-भाप-प्रणाली	१७८
अहकारिता-मान्दोलन	१८२

## शिक्षा, समाज

✓ उर्हीशिक्षा ✓	१८८
✓ भारत की शिक्षा-प्रणाली ✓	१९३
हमारी शिक्षा की समस्याएं ✓	१९८
बेसिक शिक्षा	२०२
✓ धर्म और राजनीति	२०७
शिक्षा में याना का महत्त्व	२१०
अस्पृश्यता-निवारण	२१३
मद्य-निषेध	२१८
परिवार-मायोजन	२२३
✓ विज्ञान वरदान है या भ्रमिशाप ?	२२८
धर्म और विज्ञान	२३३
देशभक्ति	२३८
नागरिकता	२४२
✓ समाचार-पत्र	२४५
छिनेप्य	२४८
✓ रेडियो	२५३
परमाणु-शक्ति	२५८
स्पुतनिक	२६३

## ✓ साहित्यिक

कला और जीवन	२६९
सादर्य और यमार्थ	२७४



बहुमन्दाद	२८०
प्रबन्धाद	२८१
सन्त कबीर	२८६
जायसी कीर जनका जयजय	२९१
श्रीगकार गुरदास	२९६
महाकवि गुलामीदास	३०१

## निबन्ध-लेखन

शिक्षा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग वह, जिसमें मनुष्य धारणीय पद-लिखकर उस ज्ञान को प्राप्त करता है, जो पहले से विद्वानों के मस्तिष्कों और ग्रन्थों में भरा हुआ है। इससे मनुष्य का मन विकसित होता है। वह वस्तुओं को और घटनाओं को अधिक अच्छी तरह समझने में समर्थ होता है और स्वयं सोचने तथा नये निष्कर्ष निकालने योग्य बनता है। शिक्षा का दूसरा भाग वह है, जिसमें पढ़-लिख चुकने के बाद मनुष्य अपने विचारों को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। इस प्रकार जब शिक्षित और विचारक लोग अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, तो उससे समाज के साहित्य-भण्डार की सौभाग्यवती है। अब तक का हमारा सारा साहित्य इस प्रकार के साहित्यकारों की देन का संबन्ध-मात्र है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि जहाँ शिक्षा का पहला भाग अर्थात् पहले से विद्यमान साहित्य का अध्ययन और रसास्वादन महत्त्वपूर्ण है, वहाँ शिक्षा का दूसरा भाग अर्थात् अध्ययन और विचार के यत्न पर नवीन साहित्य का सृजन कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है।

साहित्य के विविध रूप हैं: कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबन्ध, समालोचना इत्यादि। यहाँ हमारा सम्बन्ध केवल निबन्ध से है। निबन्ध किसे कहते हैं? निबन्ध कितने प्रकार के होते हैं? निबन्धों में क्या-क्या विशेषताएँ होनी चाहिए? और निबन्ध कैसे लिखे जा सकते हैं?—इन प्रश्नों पर विस्तार से विचार करना ही हमारा लक्ष्य है।

**निबन्ध किसे कहते हैं?**

निबन्ध का अर्थ है किसी विषय को लेकर लिखी गई छोटी-सी सुसंगत भाव-सम्पूर्ण गद्य-रचना। इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाएगा कि निबन्ध छोटा होना चाहिए; यह सुसंगत होना चाहिए, अर्थात् उसमें जो बात कही गई है, वह असम्बद्ध और बेतुकी न हो। वहीं की दूँट कही का रोड़ा लेकर बेमतलब का मान्यता

का कूनबा न ओड़ दिया गया हो। जो कुछ भी लिखा जाए, वह निबन्ध के विषय से अनिच्छित रूप से सम्बन्ध होना चाहिए। पहले कही गई बात का धारण बही जाने वाली बात के साथ भी सम्बन्ध ठीक-ठीक जुड़ जाना चाहिए पर्याप्त पूर्वपर विचारों का क्रम सम्बन्ध न होना चाहिए। परिभाषा में प्रगल्भी बात कही गई है कि निबन्ध भात्म-सम्पूर्ण होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि चाहे निबन्ध दो पृष्ठ का लिखा जाए, चाहे दस का, परन्तु वह अपने-आपमें पूरा दीख पड़ना चाहिए। पाठक को यह अनुभव होना चाहिए कि इस निबन्ध में कुछ छूट नहीं गया है; और न ही यह अनुभव होना चाहिए कि इस निबन्ध में कुछ एक-एक बीच में ही समाप्त हो गया है; कुछ और बात इसमें जोड़ी जाती तो अच्छा था। यदि निबन्ध बहुत छोटा लिखना प्रसिद्ध हो तो उस विषय से सम्बन्ध सभी बिंदुओं का संक्षेप में उल्लेख होना चाहिए। यदि निबन्ध के कलेवर को कुछ बढ़ा पाने की गुंजाइश हो, तो उन्हीं बिंदुओं का कुछ अधिक विस्तार किया जा सकता है। उन्हींके उदाहरण इत्यादि प्रस्तुत करके निबन्ध को लम्बा भी बनाया जा सकता है।

इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कुशल निबन्ध-लेखक किसी भी दिग्ग पर जितना बड़ा कहा जाए, उतना बड़ा निबन्ध लिख सकता है। यदि उसे पांच पृष्ठ का निबन्ध लिखने को कहा जाए, तो वह पांच पृष्ठ का निबन्ध लिख सकता है; किन्तु यदि उसे उती विषय पर तीन पृष्ठ का निबन्ध लिखने को कहा जाए, तो वह उस सामग्री को संक्षेप में तीन पृष्ठ में ही समेट देगा। इसके विपरीत यदि उसे षाठ पृष्ठ का निबन्ध लिखने को कहा जाए, तो वह उसी सामग्री को स्पष्टीकरण और उदाहरण देकर षाठ पृष्ठों में फैला देगा। किन्तु तीनों दशाओं में निबन्ध सुसंगत और भात्म-संपूर्ण रहना चाहिए। यदि षाठ पृष्ठ का निबन्ध सुसंगत और भात्म-संपूर्ण जान पड़ता हो और तीन पृष्ठ का निबन्ध वैसा न जान पड़ता हो, तो तीन पृष्ठ का निबन्ध निबन्ध नहीं कहा जाएगा। उदाहरण के लिए, जो निबन्ध षाठ पृष्ठ में लिखा हुआ है, उसके पहले तीन पृष्ठ फाड़कर प्रस्तुत कर दिए जाएं, तो निबन्ध नहीं बहे जा सकते। किन्तु यदि षाठ पृष्ठ के निबन्ध की सारी सामग्री संक्षेप तीन पृष्ठ में लिख दिया जाए, तो वह उतना ही अच्छा निबन्ध समझा जाएगा, जितना कि षाठ पृष्ठ का या पांच पृष्ठ का समाप्त जाता।

निबन्ध के सम्बंध में बहुत-सी प्राचीन परिभाषाओं को लेकर काफी विचार-विमर्श चलता है। पहले बहुत समय तक हिंदी में निबन्ध को 'प्रस्ताव' कहा जाता था। कुछ समय बाद लोगों ने अनुभव किया कि 'प्रस्ताव' शब्द विद्यालयों में लिखे जाने वाले निबंधों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, इसलिए 'निबंध' शब्द चुना गया। परंतु वस्तुतः जिन निबंधों का विवेचन हम इस पुस्तक में करने वाले हैं या विद्यालयों में या महाविद्यालयों में निबन्ध नाम से जो कुछ लिखना अभीष्ट होता है, उनको 'निबन्ध' न कहकर 'परिवन्ध' कहना अधिक उचित होगा। निबन्ध और परिवन्ध का अन्तर स्पष्ट करके समझ लेना उचित है।

अंग्रेजी में जिसे 'एस्से' कहा जाता है, उसे हिंदी में 'निबन्ध' कहते हैं। 'एस्से' मूलतः फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में 'एस्से' की जो परिभाषाएं की गई हैं, उन सबमें इस बात पर जोर दिया गया है कि 'एस्से सब प्रकार के बंधनों से मुक्त स्वच्छंद रचना है।' एस्से अर्थात् निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है और लेखक उस विषय के चाहे जिस पहलू को लेकर चाहे जितनी बड़ी रचना लिख सकता है। अंग्रेजी विचारकों के अनुसार एस्से का कोई परिणाम नियत नहीं किया जा सकता। वह दो पृष्ठ का भी हो सकता है और दो सौ पृष्ठ का भी। बल्कि कुछ विचारकों ने तो यहां तक कहा है कि 'निबंध अनियमित और असम्बद्ध रचना' को कहते हैं। यह रचना 'मन की स्वच्छन्द उड़ान का फल' होती है। जब इस विषय में अनेक पुरन्धर विचारों में सहमति है कि 'निबन्ध मन की उन्मुक्त उड़ान है; अस्त-व्यस्त विचारों का असम्बद्ध प्रकाशन है', तो हमें विरोध न करके उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि निबन्ध की यह परिभाषा गलत नहीं है। जब हम महान निबन्धकारों के निबन्धों को पढ़ते हैं तो यही प्रभाव पड़ता है कि किसी मौजी क्षण में उनके मन ने किसी एक दिशा में उड़ान ली और उन्होंने किसी भी विषय के एक पहलू को लेकर निबन्ध की रचना कर डाली। अंग्रेजी निबन्धकारों में बेकन, चार्ल्स लैम्ब इत्यादि के और हिन्दी में प्रतापनारायण मिश्र और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल इत्यादि के निबन्ध इस अन्तर्व्य की पुष्टि करते हैं।

तब इस दशा में क्या किया जाए? ऊपर अपनी परिभाषा में हमने बताया है कि निबन्ध 'छोटी, सुसंगत और आत्म-सम्पूर्ण रचना' को कहते हैं; और अन्य

विचारकों का मन है कि निबंध मन की स्वच्छन्द उड़ान के आधार पर लिखी  
 कियी भी असंगत और अस्पष्ट-अस्पष्ट रचना को बहा... भी निपट नहीं है। स्पष्ट है कि यह रिछनी बड़े-बड़े विचारकों द्वारा ही रचने  
 माया विद्यादियों द्वारा लिखे जाने वाले निबंधों पर लागू नहीं हो सकती।  
 लिए हमें विद्यादियों द्वारा लिखे जाने वाले निबंधों के निर्दुग्ग इसका  
 चाहिए, और यह है 'परिबन्ध'। यह परिबन्ध संघर्षों के 'कर्मोद्दीर्घन' इसका  
 पर्यायवाची है और परिबन्ध की परिभाषा में दो मत नहीं हो सकते। छोटी, दुर्ग  
 और धातु-सम्पूर्ण गद्य-रचना को ही परिबन्ध कहा जाएगा। विद्यादियों और  
 विद्यालयों में विद्यादियों में परिबन्ध लिखने की ही धारा की जाती है। किंतु  
 कितना बड़ा सिद्धा जाए, यह अलग-अलग कक्षाओं के लिए अलग-अलग कक्षाओं  
 द्वारा निबन्ध कर दिया जाता है। परंतु सुविधा के लिए इस पुस्तक में  
 निबंध शब्द का ही प्रयोग परिबन्ध के अर्थ में करेंगे।

### निबंध के प्रकार

निबंध चार प्रकार के माने जाते हैं : (१) वर्णनात्मक, (२) विवरणात्मक  
 (३) विचारात्मक और (४) भावात्मक। वर्णनात्मक निबंधों में वर्णन ही प्र  
 नता होती है। वस्तुओं और दृश्यों के वर्णन को घटनाओं के विवरण से अलग  
 समझना चाहिए। घटनाओं का विवरण विवरणात्मक निबंधों में होता है। वि  
 चारात्मक निबंधों में विचार होते हैं ; युक्ति-प्रत्युक्ति देकर उनके आधार पर  
 निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया जाता है। भावात्मक निबंधों में भाव  
 प्रधानता होती है। इनमें बुद्धि की अपेक्षा हृदय को अधिक प्रभावित करने  
 प्रयत्न किया जाता है।

हमने सुविधा के लिए निबंधों को (१) वर्णन-प्रधान, (२) विवरण-प्रधान  
 और (३) विवेचनात्मक—इन तीन भागों में बांट लिया है। वस्तुतः ऊर्ध्व  
 लिखे जाने वाले निबंधों में वर्णन और विवरण इस प्रकार मिले रहते हैं कि  
 वर्णनात्मक न कहकर वर्णन-प्रधान या विवरण-प्रधान कहना  
 विवेचनात्मक निबंधों में विवरण और विचार दोनों तत्त्व मिले-मिले

विवरण-प्रधान और विवेचनात्मक निबन्धों को समस्यामूलक, विद्या, समाज, धर्म-शास्त्र और साहित्य के आधार पर पृथक्-पृथक् खंडों में बाँट दिया है। यह केवल छात्रों की सुविधा के लिए किया गया है।

इस प्रकार यह देख लेने के बाद कि निबन्ध कितने प्रकार के होते हैं, हम इस विषय पर आते हैं कि अच्छे निबन्ध-लेखन के लिए किन-किन बातों की आवश्यकता होती है। अच्छा निबन्ध लिखना कठिन कार्य है। अच्छे निबन्ध को पढ़कर बस ही आनन्द अनुभव होना चाहिए, जैसा कि किसी कविता, कथा, कहानी या उपन्यास को पढ़कर होता है। निबन्ध की उत्कृष्टता के लिए दो वस्तुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एक तो वह सामग्री, जो कि निबन्ध में दी गई है, और दूसरे निबन्ध-लेखन की शैली। इस प्रकार सामग्री और शैली ही निबन्ध की आत्मा और शरीर हैं। सामग्री अच्छी और लेखन-शैली बढ़िया हो तो निबन्ध अवश्य ही अच्छा बनेगा। केवल उत्तम सामग्री या केवल उत्तम लेखन-शैली से निबन्ध-लेखन का काम नहीं चल सकता। जैसे आत्मा के बिना शरीर और शरीर के बिना आत्मा का कुछ मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार निबन्ध में भी सामग्री और शैली, दो में से एक के अभाव में निबन्ध निरक्षम समझा जाता है।

निबन्ध-लेखक को लिखना शुरू करने से पहले नियत विषय पर सामग्री का संवय करना चाहिए। यह सामग्री उस विषय से सम्बद्ध पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं आदि के अध्ययन से प्राप्त हो सकती है। अध्ययन के प्रतिरिक्त यदि उस विषय में कुछ अपना प्रत्यक्ष अनुभव भी हो, तो वह भी उस सामग्री में जोड़ दिया जाना चाहिए।

अध्ययन के प्रतिरिक्त जीवन और समाज का सूक्ष्म निरीक्षण भी सामग्री-संवय का श्रेष्ठ उपाय है। जिस लेखक की दृष्टि जितनी सूक्ष्म और सतर्क होगी वह जीवन को उतनी ही गहराई से देख पाएगा और उसे अपने लेख में प्रस्तुत कर सकेगा। निरीक्षण की शक्ति कुछ तो लोगों में जन्मजात होती है, किन्तु काफी हद तक इसे अभ्यास द्वारा विकसित भी किया जा सकता है। बार-बार वस्तुओं और घटनाओं को ध्यान से देखने, उनका विवरण लिखने और उनसे निष्कर्ष निकालने का अभ्यास करने से निरीक्षण-शक्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार सामग्री के संकलन



हीठा है। परन्तु सब लोग प्रतिभावाली नहीं होते। किन्तु अभ्यास द्वारा सब लोग बहुत निबन्ध-लेखक प्रबन्ध बन सकते हैं, क्योंकि निबन्ध-लेखन के लिए पैनी का विकास भी अभ्यास द्वारा किया जा सकता है।

### निबन्ध की रूपरेखा

निबन्ध को लिखना शुरू करने से पहले हमें उसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी उसके बाद उस रूपरेखा के आधार पर निबन्ध लिख पाना बहुत आसान मात्र का मुग हूर कार्य को योजनापूर्वक करने का है। यदि हमें होता है तो पहले उसका नक्शा तैयार करते हैं और फिर उस नक्शे न सड़ा कर देते हैं। मकान के निर्माण में जो महुरव नक्शे का में रूपरेखा का है। एकाएक यही निबन्ध लिखना शुरू तो निबन्ध ठीक नहीं बन पाएगा या उसमें बार-बार काट-छाट करेगा। कौन-सा बिन्दु पहले लिखा जाए और कौन-सा बाद शुरू करने से पहले तय हो जाना चाहिए। रूपरेखा द्वारा यह हो सकता है। रूपरेखा में काट-छाट और रद्दोबदल करना होता है।

भागों में बांटा जा सकता है—(१) भूमिका, (२) विषय-उपसंहार। विषय-प्रतिपादन का भाग ही सारे निबन्ध का और उपसंहार तुलना में बहुत छोटे होते हैं। परन्तु होता है, इसलिए भूमिका बहुत आकर्षक और सुनने पाठक निबन्ध को पढ़ना शुरू कर दे और पढ़ता ही उपसंहार निबन्ध का अन्त होता है, इसलिए वह भी प्रभावशाली होना चाहिए कि पाठक के मन पर एक गहरी

कहावत है, जिसका अर्थ है कि 'काम का आरम्भ अच्छा हुआ प्राधा समाप्त हो गया।' यह बात निबन्ध पर सबसे अधिक का आरम्भ ठीक हो जाए, तो फिर उसे समाप्त कर



वाक्य-रचना से बचना चाहिए। वाक्य यथासम्भव छोटे होने चाहिए।

भाषा को सुन्दर बनाने के लिए उसमें समरूपता भी होनी चाहिए। भाषा में अन्त तक भाषा में शब्दों का चयन और वाक्यों की रचना यथासम्भव एक जैसी हो रहनी चाहिए। यदि निबन्ध का प्रारम्भ संस्कृतनिष्ठ हिन्दी से हुआ हो, तो अन्त तक सारा निबन्ध संस्कृतनिष्ठ हिन्दी में ही लिखा जाना चाहिए। इसके विपरीत यदि भाषा प्रारम्भ से ही सरल और बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखी गई है, तो अन्त तक वैसी ही भाषा रहनी चाहिए। एक वाक्य में तो विलुप्त संस्कृत शब्दों का प्रयोग और दूसरे वाक्य में कठिन उर्दू शब्दों का प्रयोग इस बात को सूचित नहीं करता कि लेखक का संस्कृत और उर्दू दोनों पर अधिकार है, अपितु इस बात का परिचायक है कि उक्त दोनों में से किसीपर भी अधिकार नहीं है।

भाषा में अलंकारों का प्रयोग सदा से अच्छा समझा जाता रहा है। उपम रूपक, अनुप्रास, यमक आदि अर्थालंकारों और शब्दालंकारों के प्रयोग से भाषा में सौन्दर्य आ जाता है। इसी प्रकार लक्षणा और ध्वंजना शक्ति के प्रयोग से भाषा में जान आ जाती है। इसलिए जो लोग प्रतिभाशाली नहीं हैं, उन्हें मुहावरों की याद करके जहाँ-तहाँ निबन्ध में उनका समुचित प्रयोग करना चाहिए। किन्तु मुहावरों से भाषा को सजीव बनाने के प्रयत्न में मुहावरों की पुस्तक सामने रखकर निबन्ध लिखना भाषा में जान डालना नहीं, अपितु भाषा का गलत घोटना होगा। सब अलंकार और सब मुहावरों का प्रयोग बिलकुल स्वाभाविक प्रतीत होना चाहिए, यत्न करके ऊपर से थोड़ा हुआ न जान पड़ना चाहिए।

निबन्ध में अपने दृष्टव्य की पुष्टि के लिए किसी महापुरुष या महान लेखक के वाक्य भी उद्धृत किए जा सकते हैं। उनसे दृष्टव्य की प्रामाणिकता बढ़ जाती है। किन्तु सारे निबन्ध को उद्धरणों का पिटारा बना देना अनुचित है। निबन्ध में किसी विषय पर सारे संसार के विचार जानने की भांति नहीं की जाती, अर्थात् विचार जानने की भांति की जाती है। इसलिए उद्धरण बहुत धरि लेने चाहिए। यदि उद्धरण बिलकुल न हों, तो भी कोई हानि नहीं। उदाहरणों का है। निबन्ध में अपने किसी दृष्टव्य की पुष्टि के लिए

कोई छोटी-मोटी घटना उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है; किन्तु यह घटना बहुत छोटी होनी चाहिए, क्योंकि निबन्ध की परिभाषा में हम यह बातें चुके हैं कि निबन्ध का आकार लघु होता है और उसमें लम्बी कहानी या घटना के वर्णन के लिए स्थान नहीं होता।

वैसे तो साहित्य की सभी प्रकार की रचनाओं में लेखक के अपने व्यक्तित्व की छाप रहती है, किन्तु निबन्ध में यह छाप बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ती है और दिखाई पड़नी चाहिए। एक ही विषय को लेकर अनेक व्यक्ति निबन्ध लिख सकते हैं, किन्तु किन्हीं भी दो व्यक्तियों के लिखे हुए निबन्ध ठीक एक जैसे नहीं होंगे। उनमें सामग्री का, भाषा का और विषय-प्रतिपादन के ढंग का बहुत अन्तर होगा। यह अन्तर उनके अपने व्यक्तित्व के फलस्वरूप होगा। सामग्री तो अनेक बार सभी विषयों पर बहुत कुछ सीमित-सी हो सकती है, किन्तु भाषा और शैली के परिमाण की कोई सीमा नहीं है। इसलिए अपने निबन्ध में अपने व्यक्तित्व की छाप को गहरा और स्पष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि बारम्बार अभ्यास के द्वारा भाषा और शैली को परिमार्जित और परिष्कृत किया जाए। जिस निबन्ध की भाषा और शैली लेखक के व्यक्तित्व को जितना अधिक स्पष्ट कर सकेगी, वह उतना ही अधिक सफल समझा जाएगा।

## दिवाली

उत्सव की कानी छपेली रात में जगमगाती हुई दीपकों की पलिकाओं का प्रकाश में घुलती हुई रंग-बिरंगी घुमझुमिनी लोगों के मन में न समा सकने वाली भावना की प्रतीक है। प्रकाश का यह उत्सव बीसवीं शताब्दी के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इस दिन देश के गारे नगर और गांव निर्मल प्रकाश से आनंदित हो उठते हैं।

दिवाली को प्रकाश का पर्व कहना उचित ही होगा। काने संस्कार पर उत्सव प्रकाश की विजय का यह पर्व प्रतिक्रिया कातिक्रम की समावस्था के दिन इतनी घुमघाम से मनाया जाता है कि संभवतः होली को छोड़कर और कोई पर्व इतने उत्साह के साथ नहीं मनाया जाता।

दिवाली भारत का बहुत प्राचीन त्योहार है। वैसे तो इस पर्व का सम्बन्ध रामचन्द्रजी के चौदह वर्ष के वनवास के बाद भयोध्या सौतेले के साथ जोड़ दिया गया है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह त्योहार इस देश में उससे भी बहुत पहले से मनाया जाता रहा है। इसके मनाने के कई कारण हैं।

पहला कारण तो यह है कि भारत बिकाल से कृषि-प्रधान देश रहा है। इसी लिए यहां के दोनों बड़े-बड़े त्योहार, होली और दिवाली फसल के तैयार होने के समय मनाए जाते हैं। जब खेती फसल (रबी) पककर तैयार होती है, तब होली मनाई जाती है और जब सावनी फसल (खरीफ) तैयार होती है, तब दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। फसल घर आने की खुशी में किसान लोग फूले नहीं समाते और अपने मन के आनंद को भगवत दीप जलाकर प्रकट करते हैं।

दीपावली मनाए जाने का दूसरा कारण स्वास्थ्य के नियमों से संबद्ध है। बरसात के महीनों में मकान सील जाते हैं। सब ओर कीचड़ और गदगी फैल जाती है, मक्खी और मच्छर पैदा हो जाते हैं। अब वर्षा ऋतु की समाप्ति पर घरों और नगरों की नये सिरे से सफाई करना आवश्यक होता है। इसलिए दीपावली से पहले

घर साफ किए जाते हैं, मकानों में सफेदी की जाती है और रात के समय दीपक जलाए जाते हैं। इन दीपकों को इतनी बड़ी सख्या में जलाने को एक प्रयोजन यथा भी है कि रात में उड़नेवाले मच्छर आकषिप्त होकर दीपकों पर घाएं और जलक नष्ट हो जाएं, जिससे उनके कारण होने वाले रोग न हों।

दीपावली का सम्बन्ध रामचन्द्रजी की कहानी के साथ इतना गहरा जुड़ गया है कि सामान्यतया लोग यही समझते हैं कि दीपावली रामचन्द्रजी के अयोध्या वापस लौटने की सुषो में मनाई जाती है। रामचन्द्रजी मर्यादा-पुरुषोत्तम थे। अपरिगता की आशा का पालन करने के लिए राजपाट को तिलांजलि देकर वे चौदह वर्ष के वनवास के लिए निकल गए। वनवास में उन्होंने अनेक कष्ट सहे। अतः में लंका के अत्याचारी और दुष्ट राजा रावण का वध करके जब वे अयोध्या लौटे, तब अयोध्यावासियों का आनन्द से पागल हो उठना स्वाभाविक ही था। इस खुशी में उन्होंने उस रात ही के दीपक जलाए थे। पाप के ऊपर हुई पुण्य की उस विजय की याद को ताजा रखने के लिए तब से अब तक सारे देशवासी प्रतिवर्ष दीपावली का उत्सव मनाते आ रहे हैं।

दीपावली को लक्ष्मी-पूजा का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन व्यापारी लोग विशेष रूप से लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अपना नया वर्ष प्रारम्भ करते हैं; पुराने बहीखाने समाप्त करके नये बहीखाने खोलते हैं; इसके पीछे भी मुख्य कारण यही है कि प्राचीन काल में वर्षा ऋतु के चार महीनों में व्यापार लगभग बन्द ही रहता था। आर्जकल विमानों, मोटरों और रेलों के युग में भी वर्षा के महीनों में व्यापार मंदा रहता है; तब थोड़ों, सचबरो और बेलगाड़ियों के युग में व्यापार कैसा रहता होगा, इसकी कल्पना सरलता से की जा सकती है। इसलिए जब वर्षा समाप्त होती थी, तो व्यापारी लोग यह आशा करते थे कि अब नये सिरे से व्यापार चमकेगा और उनके घरों में लक्ष्मी का आगमन होगा। इसी आशा में वे लोग लक्ष्मी की पूजा करते थे।

आर्जकल दिवाली की घूमघाम दिवाली का वास्तविक दिन आने से कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। मकानों पर सफेदी कराई जाती है। दरवाजों, छिड़कियों और रोशनदानों पर रोगन कराया जाता है और घर को हर तरह से

## हाली

जैसे तो मनुष्य स्वभाव से ही उत्सव-प्रेमी है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है। भारतवर्ष के लोग कुछ अधिक उत्सव-प्रेमी हैं। जितने उत्सव भारत में मनाए जाते हैं, उतने चायद ही संसार के किसी अन्य देश में मनाए जाते हैं। और ये उत्सव भी विविध प्रकार के हैं और विविध ढंगों से मनाए जाते हैं। भारतीय उत्सवों में होली का एक अग्रणी ही अग्रणी स्थान है। इस उत्सव की अन्य किसी उत्सव के कोई बराबरी नहीं।

यह उत्सव फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस समय शं. शत्रु समाप्त होकर वसन्त का आगमन हो रहा होता है और लोगों के मन एक न मानन्द से भर उठते हैं। न केवल मनुष्य बल्कि वृषा-वनस्पतियाँ भी फूलों से इस प्रकार सज उठती हैं कि मानो फूली नहीं समा रहीं। रबी की फसल पककर तैयार होने को होती है।

भारत जैसे देश में, जहाँ कृषि ही लोगों की जीविका का मुख्य साधन रही फसल की तैयारी के अवसर पर उत्सव मनाना बिलकुल स्वाभाविक बात है। यह के दोनों बड़े उत्सव होती और दिवाली फसलों की तैयारी के अवसर पर ही मनाए जाते हैं। यह महीने परिधम करके और अघोरता से प्रतीक्षा करते रहने के बाद जब किसानों की धानो सुनहली फसल पककर तैयार सही दीखती है, तो उ मानन्दित हो उठना बहुत ही स्वाभाविक है और उनका यही मानन्द ही रंगीन पुहारों के रूप में तब और बिगर पड़ता है।

होली के साथ एक प्राचीन पौराणिक कथा का भी सम्बन्ध जुड़ गया है। वह कथा है कि एक समय हिरण्यकशिपु नाम का बड़ा पराक्रमी और धर्यापारी राजा था। वह धन-धान्यो भगवान जितना दानिदानी समझता था। उसने दानो में धोषणा करवा दी थी कि कोई भगवान को न पूजे। सब लोग उन्हीं के दान समझकर पूजे। सारी प्रजा डरकर हिरण्यकशिपु की ही पूजा करती थी। हिरण्यकशिपु का अर्थ है धन प्रदान ही भगवान का बड़ा पक्षी था।

वह सदा भगवान की ही पूजा करता था। हिरण्यकशिपु ने उसे बहुत डराया-धमकाया, उसे अनेक प्रकार के कष्ट दिए और अंत में मारने का भी प्रयत्न किया। वित्तु प्रह्लाद किसी प्रकार न मरा। कोई और उपाय न देखकर हिरण्यकशिपु ने अपनी बहिन होलिका से सहायता चाही।

होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि यदि वह भाग में धुस जाएगी, तो भी भाग उसका बालबाका न कर सकेगी। होलिका ने यह स्वीकार कर लिया कि वह प्रह्लाद को गोद में लेकर चिता में बैठ जाएगी, जिससे प्रह्लाद जलकर मरम हो जाए। जब वह प्रह्लाद को लेकर चिता में बैठी, तो भगवान की कृपा से प्रह्लाद तो सन्तुलित बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। होलिका के वरदान की यही शर्त थी कि यदि वह अवेसी भाग में बैठेगी, तभी उसपर भाग का असर नहीं होगा।

मह कथा सत्य हो या असत्य किन्तु इसका अर्थ केवल इतना ही है कि सत्ता में पाप और अत्याचार की पराजय होती है और न्याय और धर्म की विजय होती है। धर्म की इस विजय की स्मृति को ताजा रखने के लिए ही हर साल होली मनाई जाती है और लकड़ियों का एक ढेर लगाकर उसमें भाग लगा दी जाती है और यह समझा जाता है कि होलिका उसमें जलकर राख हो रही है।

होली मनाने की विधि प्रायः सभी जगह एक जैसी ही है। होली के दिन किसी चौराहे पर लकड़ियों का ढेर इकट्ठा किया जाता है। दिन में किसान लोग नई फसल के अनाज की बालियां तोड़कर लाते हैं। शाम के समय लकड़ियों में भाग लगाई जाती है। लोग इस भाग में अनाज की बाली को भूनते हैं और फिर उन्हें घर में ले जाकर कुछ खाते हैं और कुछ रख देते हैं। इसे पुष्प माना जाता है। उसके बाद रात में बड़ी देर तक मृत्यु-गीत इत्यादि होते रहते हैं। जैसे तो होली का यह मंगीत गांव-गांव में कई दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, परन्तु होली की रात को मह अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है। सारी रात लोग गाते-नाचते, मानन्द करते बिता देते हैं।

होली से अगले दिन धुलैडी होती है। लोग सवेरे से ही सफेद कपड़े पहनकर गुलाब, धवीर, रंगीन पानी और पिचकारियां लेकर निकल पड़ते हैं और जो भी

मिले जयके धुंध पर रंग मसते हैं मा रंगीन पानी छिड़कते हैं। एक-दूसरे मिलते हैं और प्रेम से एक-दूसरे का अभिनन्दन करते हैं।

शाबकम होली का रूप बहुत कुछ विकृत और बीमरस हो गया है। पर धानन्द और उल्लास का त्योहार था, पर अब बहुत कुछ जंगलीपन और का सा त्योहार बन जाता है। लोग रंग के बदले कीचड़, मिट्टी का तेल और स्याही आदि का प्रयोग करते हैं। उनका प्रयोजन स्वयं प्रसन्न होना और को प्रसन्न करना न होकर दूसरों को विद्वाना या बदना सेना अधिक होता है बार तो होली की धाड़ में काफ़ी मारपीट और हत्याएं तक हो जाती हैं।

होली का पर्व बहुत समय से उन्मुक्त धानन्द का पर्व माना जाता रहे इस दिन हिन्दू समाज के कठिन बंधन कुछ देर के लिए ढीले छोड़ दिए जाते इससे सब स्त्री-पुरुष बिना किसी रोक-टोक के एक-दूसरे पर रंग फेंक सकते हैं एक-दूसरे को रंग मस सकते हैं। परन्तु हमारे वर्तमान समाज की उच्छृंखल प्रवृत्तियों के कारण अब यह छूट भी बहुत कुछ समाप्त होती जा रही है।

बारह बजे तक रंग फेंकना चलता रहता है। लोगों की टोलियाँ बिरसे कपड़े पहने भूतों का सा वेश बनाए तरह-तरह के गीत गाती और नाचकों पर घूमती रहती हैं। सब राहों में और गांवों में नवजीवन का समुद्र सरंचित होता रहता है।

दोपहर होने के बाद रंग फेंकना बन्द हो जाता है। लोग स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं और मिठाई लेकर अपने दृष्ट मित्रों के घर जाते हैं। होली को प्रेम का त्योहार माना जाता है और समझा जाता है कि होली के विपुलनी सब क्षुत्ताएं भूना ही जाती हैं और फिर नये विदे से मित्रता सर्वा हो जाती है।

छपके के प्रवाह के साथ-साथ सभी प्रच्छी बातों के साथ कुछ न कुछ बुराई भी छूट जाती है। होली के साथ भी मही हाल हुआ है। शाबकम होली धानन्द और भय का पर्व अधिक बन गया है। पहले होली का रंग केवल एक ही दिग्गु शाबकम तो राहरी में बंधे घाट-बस दिन पहले से ही रंग फेंकने-  
-३ है, बिगने राहरी और गलियों में बमने हुए कपड़े बरसा हो

मय बना रहता है। पहले रंग परिचितों और मित्रों पर ही केवल ध्यान बढ़ाने के लिए फेंका जाता था, किन्तु अब अपरिचितों पर रंग उनको चिढ़ाने या उनके रुपये खराब करने के लिए फेंका जाता है। इस देश की कई जातियाँ होनी खेतना पसन्द नहीं करतीं, किन्तु कुछ ऊधमी लोग उनपर भी खबरदस्ती रंग डाल देते हैं, जिससे कई बार तो साम्प्रदायिक दंगे भी हो जाते हैं। इस प्रकार होली का रूप ही एकदम बदल जाता है। यह उत्सव ध्यान का न रहकर कष्ट का बन जाता है; और स्थिति तो यहाँ तक है कि बहुत-से भले लोग तो होली के उत्पात से घबराकर गृह धंधे ही घर से निकल जाते हैं और किसी पार्क या बगीचे में शान्ति से दिन बिताकर तीसरे पहर घर लौटते हैं।

होली के पवित्र पर्व पर परस्पर प्रेम बढ़ाने के बजाय ऐसा उच्छृंखल व्यवहार बहुत ही सज्जा की वस्तु है और निन्दनीय है। हमें इसका रूप कुछ न कुछ सुधारना चाहिए और इसको ऐसे रूप में मनाना चाहिए, जिससे हमें ध्यान धाने के साथ-साथ दूसरों को भी ध्यान देना आए। दूसरे लोगों के साथ हमारी मित्रता और प्रेम बढ़े; सभी होली मनाना सार्थक हो सकता है।

धन्य संभावित शीर्षक

१. कोई भारतीय त्योहार
२. उत्तरभारत का कोई त्योहार

## गणतंत्र-दिवस

भारत वर्ष सदा से उत्सवप्रिय देश रहा है। यहाँ की सभी जातियाँ अपने-अपने उत्सव मनाती हैं। हिन्दू दशहरा, दिवाली और होली मनाते हैं; मुसलमान ईद, बने-रात और मुहर्रम मनाते हैं; ईसाई क्रिसमस का पर्व अपने निराने ही ढंग से मनाते हैं। किन्तु स्वाधीनता पाने के बाद भारत में सब जातियों और सब वर्गों का



एक नया राष्ट्रीय पर्व बन गया है—गणतंत्र-दिवस। इसे सारे देशवासी बड़े आनन्द और उमंग से मनाते हैं।

गणतंत्र-दिवस भारत में २६ जनवरी को मनाया जाता है। सन् १९५० में दिन पहले-पहल स्वतन्त्र भारत का नया संविधान लागू किया गया था। उसी स्मृति में इस दिन सारे देश में आनन्द और उत्साह का प्रदर्शन किया जाता है। इसके स्वाधीन होने से पहले २६ जनवरी को स्वाधीनता-दिवस के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि सन् १९२१ में लाहौर कांग्रेस के अवसर पर देश को पूर्ण स्वाधीनता की शपथ २६ जनवरी को ही ली गई थी। २६ जनवरी को नया संविधान लागू करने के पीछे भी यही भावना काम कर रही थी कि स्वाधीनता-संग्राम के लम्बे समय में जो दिन 'स्वाधीनता-दिवस' नाम से मनाया जाता रहा, उसकी स्मृति को गणतन्त्र-दिवस के रूप में स्थायी बना दिया जाए।

यों तो गणतन्त्र-दिवस सारे देश में ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, पर देश की राजधानी दिल्ली में इसकी शोभा निरासी ही होती है। इन दिनों सब दरवाजे और गिज़ा-संस्थाओं में छुट्टी रहती है। सब बाजार बन्द रहते हैं और इंडिया गेट के मैदान में जल, स्थल और वायुसेना की टुकड़ियाँ राष्ट्रपति को सलामी देती हैं। इस समारोह को देखने के लिए न केवल सारी दिल्ली उमड़ पड़ती है, बल्कि हजारों लोग दूर-दूर के नगरों से भी आते हैं।

अभी सवेरा हो भी नहीं पाया, कि चार बजे में ही लोग इंडिया गेट की ओर चलने लगते हैं। कुछ मोटरों में, कुछ तांगों में और बहुत-से पैदल ही इस मैदान तक पहुंचते हैं। यहाँ पुलिस और सेना का अच्छा प्रबंध रहता है, जिससे अव्यवस्था न होने पाए। इतना विशाल बीच पड़ने वाला मैदान लोगों से खचाखच भर जाता है। फिर भी कितने ही लोग भीड़ के कारण इस मैदान तक पहुंच ही नहीं पाते। सालों लोग मैदान की ओर न आकर उस रास्ते के दोनों ओर खड़े होकर प्रतीक्षा करते रहते हैं, जहाँ से गणतन्त्र-दिवस के जलूम को गुजरना होता है। स्त्रियों और बच्चों को इस भीड़माह में अनुविधा भी होती है, परन्तु अपने उत्साह के कारण वे अनुविधा का तनिक भी ध्यान नहीं करने।

गणतंत्र मना भी बजे राष्ट्रपति अपनी सानसार बांधी में गवार होकर अभि-

वादन-मंच की ओर आते हैं। उनके आगे धीरे धीरे पीछे अपनी रंगीन पोशाक। . घुड़सवार अंगरक्षक होते हैं। अभिवादन-मंच के पास भारत सरकार के मंत्री, उच्च पदाधिकारी तथा अन्य प्रतिष्ठित लोग पहले ही आ चुके होते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं और उन्हें अभिवादन-मंच तक ले जाते हैं। इसी समय इकलौता तोपें गरजकर राष्ट्रपति को सलामी देती हैं। सैनिक-वाद्य बजने लगते हैं। राष्ट्रपति अपने भाषण में राष्ट्र को सन्देश देते हैं।

उसके बाद वीरता के कार्य करने वाले सैनिकों को उपाधिया एवं पारितोषिक दिए जाते हैं। फिर सैनिक टुकड़िया कवायद करती हुई राष्ट्रपति के सामने से गुजरती हैं और सलामी देती हैं। सैनिकों का यह जलूस बहुत लम्बा और ध्यानदार होता है। सैनिकों के प्रतिरिक्त इसमें तोपें, टैंक, विमानवेधो तोपें तथा अन्य सैनिक उपकरणों की गाड़ियां भी होती हैं। इस विद्याल जलूस को देखकर देश की सैन्य-शक्ति की एक अच्छी भांकी मिल जाती है।

सैनिकों के बाद घुड़सवार और ऊट-सवार सेनाएं भी अपनी अद्भुत और सुन्दर पोशाकों में आती हैं। बीच-बीच में सैनिक-वाद्य-दल बाजा बजाते हुए चलते हैं, जो देखने और सुनने, दोनों में ही भस्ते लगते हैं। जलूस में कुछ हाथी भी होते हैं, जिनसे जलूस की सोभा चौगुनी हो जाती है।

सैनिकों के प्रतिरिक्त नेशनल कैंडेंट कोर तथा लोक-सहायक सेना की टुकड़ियां भी पूरी सज्जक के साथ आती हैं। भूतपूर्व सैनिक डेरों पदक लगाए बड़े गवनों के साथ पौत्री मोटरगाड़ियों में बैठकर आते हैं। विद्यालयों के छात्र और छात्राएं भी सैनिकों की भांति कवायद करते हुए आते हैं और राष्ट्रपति को सलामी देने हैं।

देश की बेहत सैनिक शक्ति का प्रदर्शन ही जलूस में नहीं रहना, अपितु देश के विभिन्न राज्यों के जीवन की जीती-जागती भांक्तियां भी इसमें रहती हैं। प्रत्येक राज्य की ओर से वहाँ के जन-जीवन अथवा हाल में की जा रही प्रगति के सम्बन्ध में कोई न कोई भांकी अवश्य होती है। ये भांक्तियां इतनी मनोहारी और कला-पूर्ण होती हैं कि बस देखते ही बनती हैं।

सबसे अन्त में तुली मोटरों में बड़े मोहनतक आते हैं, जो अपने-अपने नृत्य की रंग-बिरंगी और रोचक बेचनूपाओं में आते और नाचते हुए गुजरते हैं। संक्षेप

में यह जपूरा देश की पकित, समृद्धि और कमा का प्रतीक होता है।

जपूस की समाप्ति पर बागुसेना के विमान झूठ बनाकर उड़ते हुए भा  
और नीचे झुककर राष्ट्रपति को समामी देते हुए भागे चले जाते हैं। उसके बाद  
इंडिया गेट पर समारोह समाप्त हो जाता है, किन्तु जपूस रात्र्यानी के प्रमुख मार्ग  
से गुजरता हुआ मानकिते तक पहुंचता है और वहां पहुंचकर समाप्त हो जाता  
है। इस घाठ मीन सम्ये मार्ग पर एक फूट-भर स्थान भी ऐसा नहीं होता जहां  
उत्सुक दर्शकों की भीड़ कई पकितियों में न बढ़ी हुई हो।

रात के समय सरकारी भवनो को विजली के बल्बों से सजाया जाता है जो  
दिल्ली और पुरानी दिल्ली में घातिशबाजी की जाती है, जो बहुत ही प्रारुपक  
हाती है। ऐसी प्रच्छी घातिशबाजी और किछी भवसर पर धायद ही कभी देखने में  
भाती हो। मीन बड़े बाव से इस घातिशबाजी को देखने के लिए एकत्र होते हैं।

इस प्रकार गणतन्त्र-दिवस का यह धूमधाम और धान्द से भरा समारोह  
समाप्त होता है। इसे देखकर सभी देशवासी अपने गौरव का अनुभव करते हैं,  
स्वाधीनता के मूल्य को पहचानते हैं और उसे प्रशुण्य बनाए रखने के लिए मन  
बुद्ध संकल्प करते हैं।

अन्य संभावित प्रीर्वक

१. हमारा राष्ट्रीय पर्व
२. राष्ट्रीय उत्सव

## चिड़ियाघर की सैर

बंते तो सभी सहरों में देखने लायक देनेदानेक बरगुए होते हैं, परगु  
ही चिड़ियाघर हो, तो उसकी तुनता मे और सभी दर्शनीय बरगुए प्रीकी  
ती है। मुझे चिड़ियाघर देखने का विशेष रूप से बाव है और सब तरह में भा

के लगभग सभी बड़े-बड़े चिड़ियाघरों को देख चुका हूँ। फिर भी इन्हें देख-देख-कर मेरा मन अभी भी भरा नहीं है।

बैसे तो चिड़ियाघर का अर्थ है, जहाँ चिड़ियां रखी गई हों, परन्तु चिड़ियाघरों में केवल अद्भुत पक्षी ही नहीं रखे जाते, अपितु वनों में विचरण करने वाले पशु, सर्प और नदियों में रहने वाले प्राणी भी रखे जाते हैं। इसलिए नाम से केवल चिड़ियों का घर होने पर भी चिड़ियाघर सभी विचित्र प्राणियों का संग्रहालय होता है।

अभी कुछ दिन पहले ही हम कई भिन्न भिन्न चिड़ियाघर देखने गए थे। चिड़ियाघर के अन्दर घुसते ही बाईं ओर एक छोटा-सा हीड़ बना हुआ था, जिसके ऊपर लोहे का जंगला लगा हुआ था। पानी के अन्दर नेवले जैसे कुछ प्राणी तैर रहे थे। ये ऊदबिलाव थे। यदि पानी में कोई भादमी पैसा या इकट्टी डालता था, तो ये टुकड़ी लगाकर उसे घट से निकाल लाते थे और हीड़ के अन्दर की ओर बने हुए एक छोटे-से आले में रख देते थे।

कुछ थोड़ा घोर भाग बढ़ने पर अन्दरों के कठपरे थे, जिनमें तरह-तरह के अन्दर बँठे हुए थे। इनमें से कुछ अन्दर तो बहुत बड़े-बड़े और बदनूरत थे। कुछ छोटे-छोटे और सुन्दर थे। कुछ लंगूर भी थे। लींग इन अन्दरों के सामने बने डाल रहे थे, जिन्हें वे बड़े चाव से खा रहे थे। बच्चों और अन्दरों में कुछ समानता थी, इसीलिए माता-पिता के रोकते-रोकते भी बच्चे अन्दरों को छेड़ देते थे और अन्दर में अन्दर भी उन्हें पुड़ियाँ दे रहे थे।

घोर भाग बढ़ने पर एक बहुत बड़ा बाड़ा दिखाई पड़ा। इस बाड़े के चारों ओर जानियां सभी हुई थीं और अन्दर हिरन थे। कुछ हिरन बँठे हुए जुगली कर रहे थे; कुछ इधर-उधर टहल रहे थे; कोई-कोई बाड़े के पास आकर दर्शकों के पास खड़े हो जाते थे। ये हिरन भी कई प्रकार के थे। कोई बारहसिंगा था, मो, कोई शीतल था। किसीके लींग लम्बे-लम्बे थे, तो किसीके छोटे-छोटे। एक जगह हिरनों के छोटे-छोटे बच्चे भी थे, जो दर्शकों को देखने ही कृपा से भरते हुए दूर भाग जाने थे।

भागे बाईं ओर को मुड़ने पर एक बड़ा-सा चौड़ा गड्ढा था, जिसके अन्दर दो-

तीन पेड़ भी गड़े थे। गड़ों की बीमारों ऊँची घोर भीषी लड़ी थी। इनके ऊपर गोड़े की कुकीनी सगाणों की बाह लगी हुई थी। गड़ों के अन्दर मसिकर देगा, तो तीन-चार मामू भोग में माल थे। भासुओं को इन तरह रसाने का यह प्रवण होने पतनी बार देगा था। दूगरे चिड़ियाघरों में मामू छोटे छोटे तिरहों या कड-घरों में रखे देते थे। किन्तु यहाँ तो ये मामू छूब गुने उछल-बूद कर रहे थे। कमी ये एह-नूररे से कुली लड़ने लगते और कमी पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे। लोग मामूओं के लिए मूंगफलियाँ फेंक रहे थे। मामू उन्हें दिखने समेत चवाकर खा पाते थे और ऐसी दृष्टि से ताकने लगते थे, जैसे घोर मांग रहे हों।

घोडा और घाने खाने पर छोटी-छोटी जालियों से बने हुए ऊबे-ऊबे कठ थे, जिनमें तरह-तरह के पत्ती चढ़चहा रहे थे। एक घोर एक सफेद मोर था। ऐ-मोर होने पहले कमी नहीं देसा था। लम्बी-लम्बी पूंछों वाले विभिन्न तोते थे मुन्दर कतूतर थे। कई छोटी-छोटी चिड़ियाँ थीं, ऐसी अँसीकि हमने पहले कमी नहीं देखी थीं। एक तिरहों में कोयल थी। एक में कुछ बूलबूलें थीं। एक में उल्लू बँठा हुआ था, जिसकी घालें दिन के प्रकाश के कारण झंकी-सी जा रही थीं।

बाईं घोर मुड़ने पर छोटे-छोटे कठपरे थे। इनमें से मांस की बदतू भा रही थी। इन कठघरों में भेड़िये, गीदड़ और लोमड़ियाँ थीं। भेड़िया देखने में मामूली कुत्तों से बहुत कुछ मिलता-जुलता था। गीदड़ देखने में ही बहुत डरपोक लगता था और लोमड़ी की खालकी उसके चेहरे पर ही लिखी-सी जान पड़ती थी।

उनसे थोड़ा-सा घाने एक छोटी-सी जगह को जालियों से घेर दिया गया था। उसके अंदर सफेद खरगोश रहे गए थे। ये खरगोश देखने में बहुत प्यारे मालूम होते थे। ये कमी बैठकर घास कुतरने लगते थे और कमी उछल-उछलकर इधर-उधर भागने लगते थे। इन खरगोशों के पास ही एक और जाली में सफेद चूहे रखे हुए थे, जिन्हें गिनी पिग भी कहते हैं। ये सफेद चूहे खरगोशों से भी अधिक मुन्दर और प्यारे जान पड़ते थे।

भव हमें मुड़कर थोड़ी दूर जाना पड़ा। यहा काफी बड़ी जगह को लड़े की 7-ऊँची सलाखों से घेर दिया गया था। अन्दर की जगह काफी बड़ी थी। उसमें मुरमुट भी थे और जहाँ-तहाँ छोटे-छोटे कूंड बने हुए थे, जिनमें पानी भर

हुमा था। यहां कौन-सा पशु रखा गया होगा, यह देखने के लिए अब हमने निगाह दौड़ाई तो देखा कि बांस के कुज की छाया में एक विशालकाय बाघ पड़ा हुआ सो रहा है। इससे पहले चिड़ियाघरों में मैंने बाघ कठघरों में ही बन्द देखे थे, परन्तु यहां तो यह ऐसा दृश्य था जैसे मैं जंगल में ही बाघ को देख रहा होऊँ। इतना अवश्य था कि लोहे के सीखचों की सुरक्षा होने से यहां भय नहीं लग रहा था। चारों ओर घूमकर देखा तो ओर दो-तीन बाघ उस बनावटी जंगल में विश्राम कर रहे थे। एक बाघ बंठा हुआ था और बड़े ध्यान से दूर एक ही दिशा में देख रहा था। हमने उस ओर निगाह दौड़ाई, तो पता चला कि बाघ की दृष्टि दूर एक हिरन पर थी, जो अपने बाड़े में टहल रहा था।

कुछ बाघ अपने कठघरों में बैठे थे। ये प्राणी कुछ ऐसे भयंकर होते हैं कि इनकी विजड़े में बन्द देखकर भी शरीर में एक सिहरन-सी दौड़ जाती है। जब कभी वे मुह फाड़ते, तो उनकी जीभ और लम्बे-लम्बे दांत देखकर विनोद भी होता है और कुछ भय भी लगता।

बाघों के पास ही सिंहों के विजड़े भी थे। सिंह कहने को ही पशुओं का राजा है, पर भयानकता और शक्ति में बाघ से उसकी कोई बराबरी नहीं है। किन्तु उसकी भावना अधिक प्रभावोत्पादक और तेजपूर्ण होती है। उसकी गर्दन के बाल उसकी शोभा को बढ़ाते हैं, जिनके कारण वह भयानक न लगकर सुन्दर अधिक लगता है। सिंह के पास ही सिंहनी भी बैठी थी। यह देखने में बाघिन की अपेक्षा निरिच्छत रूप से अधिक सुन्दर थी। इसके शरीर पर धारिया नहीं थीं, किन्तु जब वह हिलती-डुमती या खलती थी तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसका सारा शरीर रक्त का बना हुआ है। इतनी लचक कम प्राणियों में ही देखने को मिलती है।

इससे आगे के कठघरों में चीते थे। इन चीतों को न जाने क्या भुन थी कि वे एक रात के लिए भी शान्त नहीं बैठ रहे थे और लगातार अपने कठघरों में चक्कर लगाए जा रहे थे। इनके शरीर पर चित्तियां पड़ी हुई थीं, जिनके कारण इन्हें चीता कहा जाता है। किन्तु पेट के नीचे का भाग एकदम सफेद था। यहां कठघरों में देखने पर ये अत्यन्त सुन्दर प्राणी जान पड़ते थे। इनकी चुस्ती, कृतौं और लचक देखकर इनके शरीर पर हाथ फेरने की इच्छा होती थी, किन्तु हमें यह पता था कि

सुन्दर होने पर भी चीता कितना सतरनाक प्राणी होता है।

एक भोर कुछ दूर हटकर एक गड्ढे में एक बड़े-से भ्रजगर सांप को रखा गया था। इस गड्ढे के चारों ओर लोहे की सलाखें इस ढंग से भौर इतने पास-पास लगाई गई थीं कि उनमें से होकर भ्रजगर बाहर न निकल सके। हम जितनी देर खड़े रहे उतनी देर वह कुदली मारे बैठा रहा, इसलिए उसे चलते हुए देखने का भ्रानन्द हम न पा सके।

अब हम दाईं ओर मुड़कर कुछ दूर निकल गए। यहां हमने एक विचित्र पशु देखा। वह जमीन पर खड़ा-खड़ा एक ऊंचे वृक्ष की पत्तियां खा रहा था। उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी हुई थी। उसके सींग छोटे-छोटे थे, किन्तु गर्दन इतनी लम्बी थी कि इससे पहले हमने किसी प्राणी की न देखी थी। यह जिराफ था जो अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। इसकी गर्दन ऊंट से भी लम्बी और पतली थी। ऊंचाई की दृष्टि से ऊट इसके सामने बौना जान पड़ता था।

उससे भ्रमले बाड़े में कुछ गधे जैसे प्राणी घर रहे थे, किन्तु भ्रन्तर इतना था कि वे सफेद या काले नहीं थे, अपितु उनके शरीर पर कासी-कासी पट्टियों जैसी धारियां पड़ी हुई थीं। ये खेबरे थे। ये भी अफ्रीका में ही पाए जाते हैं और घोड़ों और गधों की तरह घासाहारी पशु हैं।

इसी कठार में भ्रमले बाड़े में कंगारू थे। कंगारू आस्ट्रेलिया का एक विचित्र ही पशु है। इसकी भ्रगती टांगें छोटी थीं और पिछली टांगें ऊंची-ऊंची थीं। सबसे मनोरंजक बात यह थी कि इसके पेट के नीचे एक थैली थी, जिसमें यह अपने बच्चे को रख लेता है। इस समय कोई बच्चा उसके पास नहीं था। इसलिए हम बच्चे को इस थैली में बैठे हुए न देख सके।

बिभटुल भ्रमल एक भौर हटकर गड्ढे के लिए बाड़ा बनाया गया था। यह गड्ढा हान ही में भ्रमल के जंगलों से पकड़कर लाया गया था, इसलिए बहुत उपश्रवी था। लोगों को देखते ही यह उन्मत्त हो उठता था और भागने-दौड़ने लगता था। ऐसा पशु प्रकृति में शायद और कोई नहीं है। इसकी घुस के ऊपर उठा हुआ सींग बहुत ही भ्रयावना मान पड़ता था। मोटी लान और परिपुष्ट शरीर को

२२. इसकी शक्ति का बहुत कुछ अनुमान हो जाता था।

धब हम लगभग सारा बिड़ियाघर घूम चुके थे। लौटते हुए एक और ऊंचे-ऊंचे पिंजड़े जैसे कमरे बने हुए थे। जब उनके पास जाकर देखा, तो मन्दर मादमी से भी ऊंचे-ऊंचे पक्षी चलते हुए दिखाई पड़े। पता चला कि यह शगुरमुंग है। सच-मुच ही यह पक्षी देखने में ऊंट से कम नहीं जान पड़ता था; इसलिए जिन्होंने इसे उत्पृथ्वी नाम दिया, उन्होंने ठीक ही किया। देखने में बिलकुल भोला-भाला और हानि-रहित यह पक्षी रेगिस्तान में घोड़े से अधिक तेज दौड़ सकता है और चोंच और टांग भी थोड़े से मादमी का भुत्ता बना सकता है।

धब बिड़ियाघर में देखने को और कुछ शेष नहीं था। मन में एक ही बात बार-बार उठती थी कि प्रकृति ने भी कँठे-कँठे विचित्र प्राणी समार में उत्पन्न किए हैं। बिड़ियाघर को देखकर हम लौट आए, किन्तु उन पशु-पक्षियों की छाप मेरे मन पर अब तक भी अमिट बनी हुई है।

## भाखड़ा नंगल की यात्रा

दुनिया के सबसे ऊंचे बाँध के रूप में भाखड़ा का नाम मैं बल्प दिन से सुन रहा था, इसलिए इसे देखने की इच्छा मन में तीव्र और तीव्रतर होती आ रही थी; किन्तु जाने का कोई गुयोग नहीं बन रहा था। एक दिन जब मैंने मुना कि हमारे कार्यालय के कार्यचारियों की धोर से एक दस भाखड़ा धोर नगल घूमने के लिए आ रहा है, तो मैंने भी बड़े उत्साह के साथ उस दल में घपना नाम निस्सबा दिया और इस प्रकार मेरी बहुत दिन से अधूरा इच्छा को पूरा होने का अवसर मिला।

कार्यक्रम यह था कि एक बस तीसरे चहूर तीन बजे हमारे कार्यालय पर आ जाएगी। सब लोग घपना सामान लेकर वहीं पहुँच जाएंगे। ठीक साढ़े तीन बजे बस रवाना हो जाएगी। पहली रात घग्गला में बिठाकर चतुर्थे दिन लाल की नंगल पहुँच जाएंगे। उस दिन लाल का बाँध देखेंगे और चतुर्थे दिन भाखड़ा जा-



कर बड़ी का शीप देवाकर शीगहर को खंडीगड पहुंच जायेंगे। रात खंडीगड में बिजाने के बाद घणने दिन दिल्ली बाग लौट जायेंगे।

जब सगमग गीने चार बजे बग अभी, उस समय आकाश में घन्घी घूर थी और बगी की कोई संभावना नहीं थीग पड़नी थी। यद्यपि बग उन्हीं रास्तों पर ले होगी हुई जा रही थी किन्तु मेरे हृम लोग प्रायः निया ही गुजरते हैं, परन्तु स गमय यात्रा की मनोरमा में होने के कारण वे रास्ते भी हमको कुछ नये-से कर रहे थे। घाघे पटे तक बग दिल्ली शहर की भीड़-भाड़ में ही चलती रही। जब शहर समाप्त हो गया और गडक के दोनों ओर दूर-दूर तक सुना मैदान दिखाई देने लगा, तो मन में एक नया ही आनन्द भर उठा।

सगमग दो घंटे के बाद जब हम पानीपत पहुंचे, तो आकाश में बादल घिर आए थे और हल्की-हल्की बूँदाबाँदी शुरू हो गई थी। हमारे बिस्तर मोटर की छत पर थे। गीते हो जाने के डर से उन्हें उतारकर हमने आदर हो रख लिया और मोटर फिर आगे बढ़ने लगी। जब हम अम्बाला पहुंचे, तब काफी रात हो चुकी थी। हमारे ठहरने का प्रबंध पहले से ही हो चुका था, किन्तु भोजन की व्यवस्था हमारे अपने साथ ही थी। भोजन बनाने के लिए हम रसोइये और सब आवश्यक सामान साथ ले चल रहे थे। भोजन बनते और साते रात के प्यारह बज गए। यात्रा के कारण हल्की-सी थकान अनुभव हो रही थी, जिसके कारण खूब मीठी नींद आई।

घणने दिन सवेरे उठकर थोड़ा-सा प्रातराज करके हम फिर बस में सवार हो गए और मंगल की ओर चल दिए। अम्बाला से खंडीगड लगभग ४०-४५ मील दूर है। वहाँ हमारी बस थोड़ी देर के लिए रुकी और हमने दूर-दूर तक कीं हुए इस नये बनते हुए शहर पर एक उड़ती-सी नजर डाली। खंडीगड पंजाब की राजधानी है और यह शहर अभी बनने की ही दशा में है। शहर नये नमूने पर बन रहा है।

रास्ते में एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान पड़ता है—गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब। हम सब इसे देखने गए। यह गुरुद्वारा एक ऊँची पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। किसी समय सिखों के दसवें गुरु गोविन्दसिंह यहाँ रहते थे और फर्रुखसियर आदि मुगल बादशाहों की फौजों से लोहा लिया करते थे। गुरुद्वारा एक छोटे-से दुर्ग के रूप में

बना हुआ है और ऐसी जगह पर है, जहाँ से भाने वाली सेना को मौलों दूर से ही देखा जा सकता है। यह गुटद्वारा सिख लोगों की दृष्टि में अत्यन्त पवित्र समझा जाता है। इसे केरागढ़ साहिब भी कहते हैं। इसका यह नाम इसलिए पड़ा है, क्योंकि गुरु तेगबहादुर का सिर इसी स्थान पर लाया गया था और यहीं उसकी अस्थितिकी की गई थी। गुटद्वारे में पुराने सिख बीरों के स्मारक के तीर पर कई अस्त्र-शस्त्र रखे हुए हैं। वहाँ के ग्रन्थी महोदय ने वे अस्त्र-शस्त्र हमें दिखाए और उनका संक्षेप में इतिहास भी बताया।

यह स्थान देखने में बहुत सुन्दर है। शिवालिक की पर्वतमाला इसके बिलकुल निकट से गुजर रही है और यह पहाड़ी भी उसीका अंग-सा मालूम होती है। दाईं ओर दूर ऊँची पहाड़ी पर नैनादेवी का मंदिर दिखाई पड़ रहा था, जो हिन्दुओं की दृष्टि में बहुत पवित्र माना जाता है।

जो बादल आकाश में रात पिरे थे, वे अब तक भी फटे नहीं थे। यद्यपि वर्षा नहीं हुई थी, फिर भी मौसम बहुत सुहावना हो उठा था और इन बादलों की छाया में शिवालिक की पर्वतमालाएं सावली-सी पड़कर और भी सुन्दर हो उठी थीं।

दोपहर का भोजन हमें गंगुवाल पहुँचकर करना था। गंगुवाल में नंगल नहर के किनारे एक अच्छा डाक-बंगला बना हुआ है। दोपहर का बिथाम हमने यहीं किया। जब तक भोजन तैयार हो, तब तक हम गंगुवाल का बिजलीघर देखने चलें गए। बाहर से देखने पर यह बिजलीघर मामूली-सा दीखता था। परन्तु जब अंदर पहुँचे तो आश्चर्य से अवाक ही रह जाना पड़ा। चारमंजिले मजान जितनी ऊँची-ऊँची दो बत्तियों पानी के ओर से आ रही थीं, जिनसे बिजली पैदा हो रही थी। बँते इतनी बड़ी-बड़ी मशीनें यहाँ लगाई गईं होती। और इनके चलाने और देख-भाल के लिए जो विविध प्रबंध किए गए हैं, उनको पुरा-पुरा न समझ पाने पर भी इतना आश्चर्य समझ में था गया कि यह सब कुछ बहुत ही बड़ा काम है। इनमें से एक-एक मशीन २४,००० बिल्लोपाट बिजली पैदा कर रही थी। यह बिजलीघर नंगल नहर पर बनाया गया है, जो अपने ढंग की भारत में नई नहर है।

गाम होने-होते हम मंदरा या पट्टे। नंगल में सतलुज नदी की रोकर

उपमें से मंगल नहर निकाली गई है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है, जिनके सारी सतलुज नदी के पानी को काबू में कर लिया गया है और उसे इच्छानुसार नहर में या नदी में छोड़ा जा सकता है। इन बांध की एक और बड़ी विशेषता यह है कि नदी की घोर जमीन के घाट पर ७० फुट की गहराई पर नदी के धार-धार एक गुरंग बनाई गई है। इन गुरंग में घाट की घोर पानी रिमना रहता है, जिनके बिजली के पंखों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, किन्तु इन रिमते हुए पानी से इन्जीनियर लोग यह अनुमान लगा लेते हैं कि बांध की रचना पर पानी या बिजली टबाय पड़ रहा है और, वही मरम्मत की तो आवश्यकता नहीं है।

मंगल छोटा-सा नहर है और यहाँ के मगमग सभी मकान सरकारी मकान हैं। यह सारी पक्की ही सरकारी है। जो लोग दिन में भासड़ा बांध पर काम करने जाते हैं, वे भी शाम को लौटकर यहीं वापस आ जाते हैं। सतलुज नदी के किनारे नये ढंग से बसा हुआ यह नहर बहुत ही प्यारा मालूम होता था। वैसे भी इन दिनों सब घोर बरछात ने हरियाली का मसमल बिछाया हुआ था, जो बादल घिरे होने के कारण गहरे हरे रंग का दिखाई पड़ता था। रात होते ही नदी पर बने हुए बांध पर तेज रोशनी वाली बिजली की बलियाँ जगमगाने लगीं, जिनके प्रतिबिम्ब नदी के पानी में बहुत ही सुन्दर दीखने लगे। नहर की घोर नदी का पानी प्रवाह के रूप में गिर रहा था, जिसके कारण ऊंची-ऊंची फुहारें उठ रही थीं और एक मारी-सी आवाज लगातार हो रही थी।

रात होते-होते अच्छी वर्षा होने लगी, किन्तु हम लोग खा-पीकर आराम से सो गए। अगले दिन भी बादल फटे नहीं थे, किन्तु वर्षा रुक गई थी। हम बस पर चढ़कर भासड़ा की ओर रवाना हुए। मंगल से भासड़ा कोई दस मील है। वहाँ रेल भी जाती है और मोटर भी जा सकती है। रास्ता सतलुज के किनारे-किनारे ही चला गया है। यह पहाड़ी स्थान है और यहाँ मोटर चलाने में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। जगह-जगह सूचना-पट्ट लगे हुए थे, जिनपर मोटर-चालकों को पहाड़ी सावधानी से चलाने के लिए चेतावनियाँ लिखी हुई थीं। अभी हम भासड़ा से र ही थे कि हमने सड़क से कुछ हटकर एक रबड़ का पट्टा चलता देखा। यह दो मशीनों की सहायता से घूम रहा था। पट्टे के ऊपर रेल और कंकड़ पड़े हुए

थे, जो पट्टा घूमने के साथ-साथ तेजी से एक ओर की चले जा रहे थे। पता चला कि यह पट्टा साढ़े चार मील दूर से इसी तरह रोड़ियां और रेत डोकर भाखड़ा के बांध तक पहुंचाता है। डुलाई का यह सुविधाजनक और जल्दी काम करने वाला साधन है। इसे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ।

भाखड़ा में सतलुज नदी दो तंग पहाड़ियों में से होकर बह रही थी। इंजीनियरों ने यह हिसाब लगाया कि यदि इस स्थान पर बांध बना दिया जाए, तो उससे अस्सी वर्गमील की भूमि तैयार हो जाएगी, जिसमें वर्षा का पानी भरकर जमा होता रहेगा और उसी पानी को सदियों और पणियों में साल-भर सिंचाई के काम में लाया जा सकेगा। इसी योजना को पूरा करने के लिए साढ़े सात सौ फुट ऊंचा यह बांध तैयार किया जा रहा है। बांध का अठ्ठाई सौ फुट हिस्सा तो नींव के रूप में जमीन के अन्दर है और पांच सौ फुट ऊंचा बांध जमीन के ऊपर है। अभी यह बांध पूरा नहीं बना था। चार सौ फुट ऊंचा बांध बनाना अभी शेष था। फिर भी जितना कुछ काम बहा हो रहा था, उसे देखकर आश्चर्य ही होता था कि इन ऊंची-नीची पहाड़ियों में इतना सारा निर्माण-कार्य कैसे हो रहा है! सारी नदी को बांधकर एक बहुत छोटे-से स्थान में से बांध के ऊपर से गिराया जा रहा था। नदी का यह प्रपात बहुत ही नयनाभिराम था। वहां के सन्दर्शकों ने बतलाया कि यहां दो बिजलीघर बनाए जाएंगे, जिनसे नब्बे हजार किलोवाट बिजली पैदा होगी।

हमने पहाड़ पर ऊपर चढ़कर बांध के दोनों ओर देखा। बांध के दूसरी ओर जो भूमि बनती है, वह इस समय यद्यपि बहुत छोटी थी, फिर भी बड़ी भली मालूम हो रही थी। हमें बताया गया कि इस समय यह भूमि कुल बारह वर्गमील की है। बांध पूरा बन जाने पर यह अस्सी वर्गमील हो जाएगी। हमने उस दृश्य की मन ही मन कल्पना की और इसमें सन्देह न रहा कि जब यह भूमि पूरी बन जाएगी, तो सचमुच ही दर्शनीय होगी।

काफी देर तक बांध और उसके आसपास की दूसरी रचनाओं को हम देखते रहे और सन्दर्शकों से बांध के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहे। दोपहर के लगभग हम वापस लौट पड़े।

दोपहर का भोजन हमने नंगल में किया और उसके बाद रवाना होकर चंडीगढ़

जसमें से नंगल नहर निकाली गई है। यहां पर एक बहुत बड़ा बांध बना है, जिससे सारी सतलुज नदी के पानी को काबू में कर लिया गया है और इच्छानुसार नहर में या नदी में छोड़ा जा सकता है। इस बांध की एक और विशेषता यह है कि नदी की घोर जमीन के अन्दर ७० फुट की गहराई पर न धार-धार एक सुरंग बनाई गई है। इस सुरंग में अन्दर की घोर पानी रिसता है, जिसे बिजली के पंपों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, किंतु इस रिसते पानी से इजीनियर लोग यह अनुमान लगा लेते हैं कि बांध की रचना पर का कितना दबाव पड़ रहा है और, कहीं मरम्मत की तो आवश्यकता नहीं।

नंगल छोटा-सा शहर है और यहां के लगभग सभी मकान सरकारी मालकी में हैं। यह सारी बस्ती ही सरकारी है। जो लोग दिन में भाखड़ा बांध पर काम कर जाते हैं, वे भी शाम को लौटकर यहीं वापस आ जाते हैं। सतलुज नदी के किनारे नये ढंग से बसा हुआ यह शहर बहुत ही प्यारा मालूम होता था। वैसे भी इन दिनों सब ओर बरसात ने हरियाली का मसमल बिछाया हुआ था, जो बादल घिरे होने के कारण गहरे हरे रंग का दिखाई पड़ता था। रात होते ही नदी पर बने हुए बांध पर तेज रोशनी वाली बिजली की बत्तियां जगमगाने लगीं, जिनके प्रतिबिम्ब नदी के पानी में बहुत ही सुन्दर दीखने लगे। नहर की घोर नदी का पानी प्रपात के रूप में गिर रहा था, जिसके कारण ऊंची-ऊंची फुहारें उठ रही थीं और एक भारी-सी आवाज सगातार हो रही थी।

रात होने-होते अच्छी वर्षा होने लगी, किन्तु हम लोग सा-धीकर धाराम से सो गए। अगले दिन भी बादल फटे नहीं थे, किन्तु वर्षा रुक गई थी। हम बग पर चढ़कर भाखड़ा की ओर रवाना हुए। मगल से भाखड़ा कोई दस मील है। वहाँ रेल भी जाती है और मोटर भी आ सकती है। रास्ता सतलुज के किनारे-किनारे ही चला गया है। यह पहाड़ी स्थान है और यहां मोटर चलाने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। जगह-जगह मूबना-पट्टे लगे हुए थे, जिनपर मोटर-वाहकों को गाड़ी सावधानी से चलाने के लिए चेतावनियां लिखी हुई थीं। हमें हम भाखड़ा से दूर ही थे कि हमने सड़क से कुछ दृष्टकर एक रबड़ का पट्टा चपता देखा। यह पट्टा मशीनों की मरामत से चूम रहा था। पट्टे के ऊपर रेल और रबड़ पड़े हुए

थे, जो पट्टा धूमने के साथ-साथ तेजी से एक ओर को चले जा रहे थे। पता चला कि यह पट्टा साढ़े चार मील दूर से इसी तरह रोड़ियां ओर रेत ढोकर भालडा के बांध तक पहुंचाता है। दुलाई का यह सुविधाजनक और जल्दी काम करने वाला साधन है। इसे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ।

भासड़ा में सतलुज नदी दो लंग पहाड़ियों में से होकर बह रही थी। इंजीनियरों ने यह हिसाब लगाया कि यदि इस स्थान पर बांध बना दिया जाए, तो उससे घस्सी वर्गमील की भील तैयार हो जाएगी, जिसमें वर्षा का पानी भरकर जमा होता रहेगा और उसी पानी को सदियों और वर्षियों में साल-भर सिंचाई के काम में लाया जा सकेगा। इसी योजना को पूरा करने के लिए साढ़े सात सौ फुट ऊंचा यह बांध तैयार किया जा रहा है। बांध का भटाई सौ फुट हिस्सा तो नींव के रूप में जमीन के अन्दर है और पांच सौ फुट ऊंचा बांध जमीन के ऊपर है। अभी यह बांध पूरा नहीं बना था। चार सौ फुट ऊंचा बांध बनाना अभी शेष था। फिर भी जितना कुछ काम वहा ही रहा था, उसे देखकर आश्चर्य ही होता था कि इन अंची-नीची पहाड़ियों में इतना सारा निर्माण-कार्य कैसे हो रहा है! सारी नदी को बांधकर एक बहुत छोटे-से स्थान में से बांध के ऊपर से गिराया जा रहा था। नदी का यह प्रपात बहुत ही नयनाभिराम था। वहां के सन्दर्शकों ने बताया कि यहां दो बिजलीघर बनाए जाएंगे, जिनसे नब्बे हजार किलोवाट बिजली पैदा होगी।

हमने पहाड़ पर ऊपर चढ़कर बांध के दोनों ओर देखा। बांध के दूसरी ओर जो भील बनती है, वह इस समय यद्यपि बहुत छोटी थी, फिर भी बड़ी मली मालूम हो रही थी। हमें बताया गया कि इस समय यह भील कुल बारह वर्ग-मील की है। बांध पूरा बन जाने पर यह घस्सी वर्गमील हो जाएगी। हमने उस दृश्य की मन ही मन कल्पना की और इसमें सन्देह न रहा कि जब यह भील पूरी बन जाएगी, तो सचमुच ही दर्शनीय होगी।

काफी देर तक बांध और उसके आसपास की दूसरी रचनाओं को हम देखते रहे और सन्दर्शकों से बांध के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहे। दोपहर के लगभग हम वापस लौट पड़े।

दोपहर का भोजन हमने नंगल में किया और उसके बाद खाना होकर पंडीगढ़

जा पहुंचे। रात बंदीगड़ में बिनाई। अगले दिन सबेरे उठकर घूम-फिरकर चं  
गड़ देखा। अगले बिगतुत बाहर में घूमना-फिरना भी आसान काम नहीं है।  
बारी सपियालय और उष्य ग्यापालय के भवन प्रभावोत्पादक प्रतीत हू  
बोपहर को हम बंदीगड़ से दिस्मी के लिए रवाना हो गए और शाम होते-  
दिस्मी पहुंच गए। ऐसा लगता है कि बादल हमारे दिस्मी पहुंचने की ही प्रती  
कर रहे थे। क्योंकि दिस्मी पहुंचते ही मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई।

अभ्य संभावित शीर्षक

१. कोई यात्रा
२. भारत के नये तीर्थ

## हिमालय पर विजय

रूपरेखा

हिमालय पर विजय के प्रयत्न बहुत पहले से चल रहे हैं। हिमालय के सर्वोच्च  
शिखर का नाम चोंगुलागामा है। इसपर चढ़ने की इच्छा साहसिक यात्रियों के मन  
में तभी से थी। जब से इस शिखर का पता चला था।

चोंगुलागामा का अर्थ है—पर्वतों की रानी। इसी शिखर को माउण्ट एवरेस्ट  
भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई २९,१४१ फुट है।

हिमालय का वर्णन। हिमालय की तराई, जिसमें धने जंगल हैं और तरह-  
तरह के वनस्पति रहते हैं। उसके ऊपर पर्वतीय शिखर, जहां सुन्दर नगर बसे हुए  
हैं और सबसे ऊपर हिमाच्छादित चोटियां, जिनपर बर्फ कभी समाप्त ही नहीं  
होती।

चोंगुलागामा पर अभियान के लिए तिब्बत और नेपाल की सीमा में से  
भावश्यक है। पहले-पहल १९२१ में तिब्बत सरकार ने चोंगुलागामा पर

जाने के लिए एक दल को अनुमति दी। इस दल का नेता कर्नल हावर्ड बरी था। यह दल १८,००० फुट की ऊंचाई तक गया। वहाँ आधार-शिविर बनाकर ये लोग ५००० फुट और ऊपर चढ़ सके। किन्तु वहाँ से इन्हें वापस लौटना पड़ा। १९२२ में त्रिगेडियर जनरल ब्रूम ने चोंगुलागामा पर चढ़ाई की, पर ब्रूम अधिक से अधिक २८,१०० फुट की ऊंचाई तक चढ़ सका और वापस लौट आया। दल के दो सदस्य ड्रिपू हरवाइन और लो-मैलौरी चोंगुलागामा पर चढ़ने गए, पर कभी वापस नहीं गीटे। १९३३, १९३५, १९३६ और १९३८ में भी कई यात्री-दल गए, किन्तु उनमें किसीको विशेष सफलता न मिली।

हिमालय पर चढ़ाई की कठिनाइयाँ। चोंगुलागामा पर चढ़ने के लिए पहले तो लगभग दो सौ मील का रास्ता तय करके पहाड़ की जड़ तक पहुँचना होता है। यह रास्ता भी बहुत थका देने वाला है। इन ऊँचे शिखरों पर सर्दों बहुत पड़ती है। यहाँ चढ़ने के लिए विशेष कपड़े बनाए जाते हैं जो गर्म, हवारोक और साप ही हल्के भी हों। हवा हल्की होने के कारण साँस फूलता है, थकान आती है और बज्रन उठाना कठिन हो जाता है। जो मिथलाता है और बज्रन घटने लगता है। जगह-जगह कच्ची बर्फ का सतरा रहता है, जिसके कारण यात्री गहरे गड्ढों में गिर सकते हैं, जो घोरपा कुली मामूली पहाड़ों पर डेढ़ मन बज्रन उठाकर चल सक्ते हैं, वे इस ऊँचाई पर दम सेर से अधिक बज्रन नहीं उठा सकते।

सन् १९५१ में ऐरिक शिप्टन ने नेपाल होकर चोंगुलागामा पर दक्षिण की ओर से चढ़ने के लिए एक नये मार्ग का पता लगाया। १९५२ में एक स्थिर यात्री-दल के दो सदस्य रेमण्ड सैम्यट और तेर्नाह्व मोरके २८,२०० फुट की ऊंचाई तक चढ़ सके।

१९५३ में कर्नल हट के नेतृत्व में एक दल गया, जिसे चोंगुलागामा को विजय करने में सफलता प्राप्त हुई। उस दल के दो सदस्य तेर्नाह्व मोरके और ऐडमण्ड हिलेरी २९ मई को इस शिखर के ऊपर पहुँच गए, कर्नल हट ने पुराने अनुभवों से फायदा उठाया था। यह दल इतना सामान लेकर चला था कि उसे उठाने के लिए १९२ कुत्ते लिए गए थे। प्राथमीजन के नये और हल्के यान बनाए गए थे और सबसे बड़कर इस दल के सदस्य दूढ़ संवरण के साथ आ रहे थे। तेर्नाह्व मोरके को



जान पर खेलकर भी चौगुलागामा पर पहुंचने के लिए बेचैन था।

२५ मई को दल के दो सदस्य बोडिलोन और ईवान्स को चढ़ाई के लिए भेजा गया, पर वे २८, २७० फुट की ऊंचाई तक पहुंचकर लौट पड़े। २७ मई को तेनसिंह और हिलेरी को भेजा गया। २८ मई को सारे दिन हवा चलती रही इसलिए ये दोनों तम्बू में पड़े रहे। २९ मई को इन्होंने चढ़ाई शुरू की। इनके यन्त्रों में भावसोजन गैस बहुत कम रह गई थी। इसके सहारे जाना और लौट पाना सम्भव नहीं था। तभी इन्हें पहले दिन बोडिलोन और ईवान्स द्वारा फेंके हुए दो भावसोजन-यन्त्र मिल गए, जिनसे इन्हें बड़ी सहायता मिली। कठोर परिश्रम करते हुए ये दोनों शिखर के ऊपर जा पहुंचे और वहां तेनसिंह ने भारत, नेपाल और इंग्लैंड के झंडे फहरा दिए और हिलेरी ने उसका फोटो खींच लिया।

मनुष्य की बुद्धि, साहस और संकल्प के सामने प्रकृति को हार माननी पड़ती है। साहसी लोगों का संसार में सम्मान होता है।

## प्रदर्शनी

### रुपरेखा

मैंने पहले भी अनेक प्रदर्शनियां देखी हैं। १९२५ में दिल्ली में हुई उद्योग-प्रदर्शनी तो बहुत ही सुन्दर थी। उसके बाद दिल्ली में ही रेल प्रदर्शनी हुई थी। १९२८ में दिल्ली में भारत के औद्योगिक विकास की एक प्रदर्शनी हुई, जिसमें सारे भारत की झलक दिखाई गई थी। यह प्रदर्शनी मुझे बहुत ही अच्छी लगी।

प्रदर्शनी में बिजली की रव-विरगी बतियों की ऐसी भरमार थी कि पागल पहुंचने ही प्रदर्शनी में घुमने से पहले ही ऐसा लगता जैसे दृष्टांत में या पढ़ने ही। दो बड़ी-बड़ी सर्किटों का प्रकाश प्रकाश में छोड़ा जाता था, जो कई चीजें लक दिखाई पड़ती थी।

प्रदर्शनी के भन्दर घुसने पर तो हम घबराकू ही रह गए। सब घोर खूब सजी हुई घोर प्रकाश से दमकती हुई दूकानें थीं। एक घोर किसी साइकिल कम्पनी का प्रदर्शन-कक्ष था, जहां एक नकली आदमी बैठा हुआ साइकिल चला रहा था। लोगों की सवारी के लिए भी कई साइकिलें बिजली से चलाई जाती थीं। कुछ घोर भागे बढ़ने पर चीनी मिट्टी के बर्तनों की दूकानें थीं। ऐसे सुन्दर चीनी मिट्टी के बर्तन हमने पहले कहीं नहीं देखे थे।

रेशमी कपड़ों की दूकानें भी बहुत सुन्दर थीं। एक जगह जूट से तैयार होने वाले रस्सों, दरियों और कालीनों का प्रदर्शन था। इसी प्रकार अनेक बड़ी-बड़ी कम्पनियों ने अपने अपने बनाए हुए सामान का प्रदर्शन किया हुआ था। इनके प्रतिरिक्त अलग-अलग राज्य-सरकारों ने अपने-अपने राज्य की विकास-योजनाओं का प्रदर्शन किया था। कहां-कहां नदियों पर बांध बंध रहे हैं, उनसे कितनी नहरें निकलेंगी, कितनी बिजली पैदा होगी, ये सब बातें नमूने बनाकर और चार्ट बनाकर दिखाई गई थीं। इसके प्रतिरिक्त कृषि के सुधार और शिक्षा के प्रसार के लिए बरते जा रहे उपायों का भी प्रदर्शन था। सभी राज्यों के प्रदर्शन-कक्ष बहुत सुन्दर बने हुए थे। राजस्थान के कक्ष के सामने तो एक पिजड़े में दो खेर के बच्चे भी रखे हुए थे।

रक्षा-मंत्रालय का प्रदर्शन-कक्ष अलग था, जिसमें तरह-तरह के हथियार और दूसरा सामान दिखाया गया था। पास ही दो-तीन छोटे-छोटे विमान भी थे और पानी में चलने वाली नौकाएं भी थीं। रेलवे-मंत्रालय की ओर से रेल और इजनों के अलग-अलग भागों का प्रदर्शन किया गया था। यह प्रदर्शनी इतनी बड़ी थी कि यदि सारी प्रदर्शनी को देखा जाता, तो २७ मील चलना पड़ता। इसलिए हम केवल मुख्य-मुख्य भागों को ही देख पाए।

प्रदर्शनी के भन्दर ही एक झील भी बनी हुई थी। इसके बीच में भासड़ा नगर के बाघ का नमूना बहुत बड़ा और सुन्दर बनाया गया था और झील में नौकाएं चलाने का भी प्रबन्ध था। हमने नौका पर भी सवारी की।

किंतु मुझे तो सबसे अधिक आनन्द उस भाग को देखकर आया, जिसमें तरह-तरह के मनोरंजक खेल थे। एक बड़ा ऊंचा गोल भूला था। जब उसमें हम बैठे तो बहुत ही आनन्द आया। जब भूला ऊपर जाता था तो सारी प्रदर्शनी एक दृष्टि में

दिगाई गइती थी, और जब भूना भीने उतरता था तो थोड़ा डर-मा लगता था। पर शीघ्र ही वह डर दूर हो गया। यहाँ भीर भी तरह-तरह के भूने थे। एक जगह धरती शक्ति प्राप्तमाने के लिए मसीन लगी हुई थी। लोग वहाँ घेने दे-देकर धरती शक्ति-परीक्षा कर रहे थे। जगह-जगह ऐसे कई खेत थे, जिनमें लोग निशाना लगाकर इनाम प्राप्त कर सकते थे। परन्तु मैंने किसीको इनाम पाने नहीं देता। एक जगह एक विषम सड़की थी, जिसके शरीर से भाग निकलती थी। वह एक कुर्ची पर बैठ जाती थी और उसके शरीर को मसाला छुमाने से मसाला जल उठती थी। एक भीर लकड़ी थी, जिसका सिर तो लकड़ी का था, पर बाकी शरीर साँप का था। वह आदमी की तरह बोलती थी। इसी प्रकार भीर भी अनेक विविध वस्तुएं देखकर हम धरत में बहुत थक गए और कुछ खाने बैठे।

यहाँ खाने-पीने की दुकानें तो बहुत बड़ी थीं, किंतु सामान बहुत मन्दा और महंगा था। हमने यह सोचा कि धरत कभी प्रदर्शनी देखने जाना ही हो, तो कम से कम खाने का सामान अपने साथ लेकर जाना चाहिए। जब प्रदर्शनी देखकर बाहर निकले, तो बस के धड़के पर लंबी कतार लगी हुई थी, किंतु शीघ्र ही कई बसें भा गईं और सारी कतार खत्म हो गई। हम भड़ से घर लौट आए।

भ्रम्यास के लिए कुछ प्रश्न

१. दशहरा
२. शिवरात्रि
३. संग्रहालय की सैर
४. हरिद्वार की यात्रा
५. भारत की राजधानी के दर्शन

## विवरण-प्रधान निबन्ध

(१) जीवनचरितात्मक (२) समस्यामूलक

विवरण-प्रधान नियम (१) जीवनचरितों या घटनाओं को लेकर या फिर (२) कुछ समस्याओं को लेकर भी लिखे जा सकते हैं।

जीवनचरित के रूप में लिखे गए निबंधों में व्यक्ति के जन्म, काल, स्थान आदि के साथ उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख भी रहना चाहिए। उसके जीवन में जो घटना जितनी अधिक महत्वपूर्ण रही हो, उतना वर्णन उतने ही अधिक विस्तार के साथ किया जाना चाहिए। परन्तु घटनाओं का क्रम महत्व के आधार पर बदलना ठीक नहीं है। वे तो कालक्रम से ही लिखी जानी चाहिए। जीवनवृत्त लिखने के अतिरिक्त यह भी बताना आवश्यक है कि वह व्यक्ति किसलिए प्रसिद्ध हुआ। उसने जीवन में अपना क्या लक्ष्य बनाया था, जिस तक पहुंचने के लिए उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी? उस व्यक्ति का जाति, समाज और देश पर क्या प्रभाव पड़ा? व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण सफलता या विशेषता का उल्लेख भूमिका वाले भाग में किया जा सकता है और समाज या जाति पर पड़े प्रभाव का उल्लेख उपसंहार वाले भाग में।

समस्यामूलक विवरण-प्रधान निबंधों में उस समस्या का पिछला इतिहास और वर्तमान स्वरूप—उस समस्या की पृष्ठभूमि, उसके वर्तमान रूप, उसके पक्ष-विपक्ष में लोगों के विचार और उसे हल करने के उपाय—लिख देना होता है। इस प्रकार के निबंधों में विवरण के साथ-साथ कुछ अंश विवेचन का भी आ जाता है, इसलिए इन्हें विवरणात्मक न कहकर विवरण-प्रधान कहा गया है।



एक-एक करके शिवाजी ने बहुत-से किलों पर कब्जा कर लिया था और अपना एक छोटा-मोटा राज्य भी खड़ा कर लिया था। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां नामक सेनापति को शिवाजी को दवाने के लिए भेजा। अफजल खां बड़ा अभिमानी और धूर्त सेनापति था। उसने शिवाजी के साथ संधि की चर्चा चलाकर उन्हें धोखे से कैद करना चाहा। यह तय हुआ था कि शिवाजी और अफजल खां एक तम्बू में मिलेंगे और यहां संधि की शर्तें तय कर लेंगे। शिवाजी सावधान थे और इस बात के लिए तैयार थे कि शत्रु उनके साथ धोखा कर सकता है। अफजल खां ने मिलते ही शिवाजी को बगल में दवाने की कोशिश की और जब वे कानू में न आए, तो उसने उनपर तलवार से वार किया। तलवार सिर पर लगी, पर शिवाजी ने सिर पर लोहे का शिरस्त्राण पहना हुआ था। उसके कारण वे बच गए। तब उन्होंने अफजल खां को पकड़ लिया और अपने-सों से उसका पेट चीर दिया। उसके बाद शिवाजी की सेना ने अफजल खां की सेना को सूट लिया और तम्बूओं में भ्रम लगा दी। बीजापुर की सेना में फिर कभी शिवाजी का सामना करने का दम न रहा।

शिवाजी की सफलता से दिल्ली का बादशाह औरंगजेब बहुत चिन्तित हुआ। उसने अपने मामा शाहस्ता खां को एक बड़ी फौज देकर शिवाजी को हराने के लिए भेजा। इस फौज के साथ जोधपुर के राजा जसवन्तसिंह भी थे। मुगलों की फौज बहुत बड़ी थी। उसने धीरे-धीरे भागे बढ़ते हुए शिवाजी के बहुत-से किलों पर कब्जा कर लिया। शिवाजी की राजधानी पूना थी। शाहस्ता खां ने पूना पर अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद शाहस्ता खां बेफिक्र हो गया और धाराम से पूना में रहने लगा। एक दिन रात के समय शिवाजी और उनके सिपाही एक बराल का स्वाग भरकर राह में घुस आए। आधी रात के समय जब सब सोए सो रहे थे, शिवाजी और उनके सैनिकों ने उस महल पर धावा बोल दिया जिसमें शाहस्ता खां रहता था। शाहस्ता खां बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग सका। उस रात की लड़ाई में हजारों मुगल सिपाही मारे गए। शाहस्ता खां की वापस लौट घाना पड़ा।

इसके बाद औरंगजेब ने अजपुर के राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध लड़ने भेजा। जयसिंह ने शिवाजी को समझाया कि इस समय औरंगजेब से लड़ने में कोई साम नहीं है। अच्छा यह हो कि आप भी औरंगजेब के सामन्त बनकर मुगल दर-

का? मैं था। बाद और फिर हम सब लोग मिलकर औरगढ़ पर दबाव डाल  
 शिवाजी तैयार हो गए। वे दिग्भी दए। परन्तु औरगढ़ ने उन्हें पाँच-हवा  
 सकार बनाया। शिवाजी ने इसे धाना धामान समझा और उन्होंने धी  
 को कुछ बट्ट बचन कह दिए। अगर उन्हें उनके महान में ही नजरबन्द कर  
 दना। उग समय शिवाजी ने एक खान खनी। उन्होंने धाने बहुत अधिक ब  
 होने की शरत सब और कंपवादी। कुछ दिन बाद उनके स्वस्थ होने की शरत  
 और स्वाय होने की गुणी में वे मिठाइयों के टोकरे धाने इष्ट मित्रों के पास नि  
 धाने मगे। धन में धाम के समय ऐसे ही मिठाई के टोकरों में बैठकर शिवाजी ध  
 पुत्र सम्भारी को साथ लेकर औरगढ़ की कंद से निकल मागे। कुछ दिन वे स  
 का बेघ बनाकर यात्रा करते रहे और धन में महाराष्ट्र में पहुँचकर उन्हें  
 मुगलों के विरुद्ध फिर सझाई छेड़ दी। यह सझाई फिर तब तक समाप्त नहीं हु  
 यब तक कि मराठों ने सारी दिल्ली पर ही कब्जा नहीं कर लिया।

धपना राज्य स्थापित करके शिवाजी ने बाकायदा धपना राज्याभिषेक  
 किया। कहा जाता है कि बहुत-से ब्राह्मण पण्डितों ने उनका अभिषेक कराने से  
 इन्कार कर दिया था, किन्तु धन में एक ब्राह्मण पण्डित ने उनका राज्याभिषेक  
 प्रत्याया और वे छत्रपति शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए।

शिवाजी बहुत धीर और साहसी थे, यह तो उनकी विजयों और सफलताओं  
 ही स्पष्ट है। परन्तु उनका सबसे अधिक महत्व हम कारण है कि उन्होंने भारत  
 एक नई युद्धकला का प्रारम्भ किया। शिवाजी से पहले राजपूत लोग यह सम-  
 रहे थे कि युद्ध में पीठ दिखाना कायरता की निशानी है, इसलिए चाहे धपना  
 बल कम और धनु का बल अधिक भी हो, तब भी युद्ध में लड़ते-लड़ते मर जाना  
 ही सबसे बड़ी वीरता है। परन्तु शिवाजी ने इस बात को समझ कि युद्ध का अंतिम  
 उद्देश्य विजय है; वीरता-प्रदर्शन धपने-धामे कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए धनु  
 को असावधान देखकर उसपर धाक्रमण करना चाहिए; किन्तु यदि धपनी शक्ति  
 उसकी धपेशा कम हो, तो युद्ध से पीछे हट जाना चाहिए और धाक्रमण का नया  
 अवसर खोजना चाहिए। यह धापामार युद्ध ही शिवाजी की सफलता का सबसे  
 बड़ा कारण था। मुगलों की सेना जब शिवाजी से युद्ध करने धसती थी, तो शिवाजी

की सेना कहीं दिखाई ही नहीं पड़ती थी। घोर फिर एकाएक रात के समय या किसी भी समय असावधान पाकर वह मुगलों पर हमला कर देती, रसद छूट लेती घोर फिर जैसे झाँधी की तरह भाई थी, वैसे ही चली जाती।

शिवाजी केवल वीर योद्धा ही नहीं थे, अपितु कुशल शासक भी थे। उन्होंने राग्याभिषेक के बाद अपने शासन का काम बड़ी कुशलता से चलाया, जिसके कारण उनकी मृत्यु के बाद भी मराठा साम्राज्य अधिकाधिक शक्तिशाली होता चला गया। यदि शासन घोर सगठन की बुद्धि उनमें न होती, तो उनकी सफलताएं उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई होतीं।

शिवाजी कला-प्रेमी और कला-पारखी भी थे। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि भूपण शिवाजी के छात्रम में ही रहते थे और शिवाजी ने उनका बहुत सम्मान किया था। भूपण की कविताओं को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर किए जाने वाले अत्याचारों का विरोध करने के लिए ही शिवाजी लड़ रहे थे। अपना निजी साम्राज्य बढ़ाने की उनकी इच्छा चाहे जितनी प्रबल रही हो, किन्तु मुगलों के विरोध से हिन्दू शक्ति को बलवान बनाया भी उनका बड़ा उद्देश्य था और इस उद्देश्य में उनकी सफलता मिली।

केवल वीरता और रण-कौशल के कारण शिवाजी की सफलता नहीं मिली, अपितु वे उच्च कोटि के कूटनीतिज्ञ भी थे। औरंगजेब उनके विरुद्ध जिन हिन्दू राजाओं को लड़ने के लिए भेजता था, उन्हें वे अज्ञत: अपनी घोर मिला लेते थे। उनके गुप्तचर दानु की हर गतिविधि का समाचार उन तक पहुँचाते थे। सारा महाराष्ट्र प्रदेश मुगलों के लिए परदेस था और महा के सभी निवासी प्रसन्नता से शिवाजी के लिए गुप्तचर का काम करने को उद्यत रहते थे।

साधारण परिवार में उत्पन्न होकर बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाले वीर योद्धा इतिहास में बहुत नहीं हुए। सिकन्दर, नेपोलियन और हिटलर के अतिरिक्त ऐसे सफल योद्धा कम ही हुए होंगे, जिनकी तुलना शिवाजी के साथ की जा सके। शिवाजी की सफलता का महत्व इसलिए घोर भी अधिक हो जाता है कि उन्होंने जिन शक्तियों से लोहा लिया वे कोई दुर्बल या पिछड़ी हुई सैनिक शक्तियाँ नहीं थीं, अपितु वे उस समय के संसार की सबसे बड़ी घोर उन्नत शक्तियाँ थीं। इती-



विद्यालय-पत्रिका का नाम प्राचीन इतिहास में स्वर्णाक्षरी से विद्या प्राप्त है।  
 राज्य सम्पत्ति शीर्षक

१. प्राचीन सिद्धांती
२. कोई इतिहास-पत्रिका थी

## राणा प्रताप

स्वाधीनता की बेरी पर अपना सर्वस्व निष्ठावर कर देने वालों और स्वाधीनता के लिए अग्रगण्य कष्ट सहने वाले वीरों में राणा प्रताप का नाम सबसे ऊपर लिखा जाने योग्य है। भारत के इतिहास में राणा प्रताप वीरता के प्रतीक मने जाते हैं। उन्होंने प्राचीन कष्ट सहकर श्री भवानी राजपूती धाम को बनाए रखा और हजार प्रसन्न होने पर भी वे इसे नहीं छोड़ें उन्होंने अकबर का सामन्त बन स्वीकार नहीं किया। स्वाधीनता के लिए किए गए बलिदानों ने उनके नाम सदा के लिए उज्वल कर दिया है।

राजस्थान में मेवाड़ एक छोटा-सा राज्य है। इसकी राजधानी चित्तौड़ में बनी सिंसोदिया वंश का राज्य था। इस वंश में पहले बड़े-बड़े वीर राजा जन्म चुके थे। राणा कुम्भा ने बड़ी-बड़ी विजयें प्राप्त करके चित्तौड़ में एक कीर्ति-स्तंभ बनवाया था। कुम्भा के बाद राणा स्यामसिंह ने भी अपनी वीरता की धार तक जमाई, किन्तु बाबर के साथ हुई सीकरी की लड़ाई में सांगा हार गये। सांगा के पुत्र उदयसिंह ने कोई विशेष उल्लेखनीय कार्य नहीं किया; किन्तु उदय के पुत्र राणा प्रताप में अपने दादा की वीरता फिर दिखाई पड़ी। उन दिनों दिल्ली पर अकबर का राज्य था। अकबर वीर, बुद्धिमान शासक था। उसने यह समझ लिया था कि यदि उसे भारत में ईजमाना है, तो हिन्दू राजाओं से अंत-विरोध करके उसका काम नहीं

सकता। इसलिए उसने हिन्दू राजाओं को अपना मित्र बनाने की हर संभव चेष्टा की; यहाँ तक कि उनके साथ विवाह-सम्बन्ध भी स्थापित किए। अकबर की इस नीति का परिणाम यह हुआ कि थोड़े समय में लगभग सभी हिन्दू राजा अकबर के मित्र बन गए, जिसका अर्थ था कि वे अकबर के अधीन हो गए।

परन्तु मेवाड़ के राणा अपने-आपको राजपूतों में सर्वश्रेष्ठ समझते थे, इसलिए उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करना या अपनी कन्याओं का विवाह मुगलों के साथ करना स्वीकार नहीं किया और प्राण रहते अपनी स्वाधीनता बनाए रखने का संकल्प किया।

किन्तु शक्तिशाली अकबर यह कैसे देख सकता था कि जब बाकी सारा राजस्थान बल या नीति से उसके वश में हो गया है, तब एक छोटा-सा मेवाड़ राज्य स्वतन्त्र रह जाए। इसलिए वह सदा मेवाड़ को हराने के लिए प्रयत्नशील रहता था। परन्तु मेवाड़ को हराना आसान काम नहीं था। मेवाड़ दिल्ली से दूर था और बीच का रास्ता सेनाओं के आवागमन के लिए बहुत भला नहीं था; और सबसे बड़ी बात यह कि मेवाड़ की प्रजा भी अपनी स्वाधीनता के लिए लड़-मरने को तैयार थी।

एक बार जयपुर के राजा मानसिंह का राणा प्रताप से कुछ वैमनस्य हो गया। मानसिंह का अकबर के दरबार में बहुत प्रभाव था। अकबर ने राणा प्रताप को हराने के लिए एक बड़ी सेना भेजी। राणा प्रताप ने हल्दीघाटी में इस सेना से मोर्चा लिया। राजपूतों ने युद्ध में अनुपम वीरता दिखाई, किन्तु इतनी बड़ी मुगल सेना के मुकाबले में वे जीत न सके। अधिकांश राजपूत सेना युद्ध में ही कट मरी। राणा प्रताप भी उस युद्ध में ही काम भ्राए होते, किन्तु भालावाड़ के नरेश मानसिंह ने उनको बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए और उनसे अनुरोध किया कि वे युद्धभेज से बाहर निकल जाएं, जिससे मेवाड़ की स्वाधीनता की लड़ाई को आगे भी जारी रख सकें।

राणा प्रताप का अपने छोटे भाई दत्तिसिंह से पहले कभी भगड़ा ही गया था, जिससे स्पष्ट होकर दत्तिसिंह अकबर के पास चला गया था। अब जब राणा प्रताप युद्धभेज से लौटने लगे तब दत्तिसिंह ने उन्हें देख लिया। उसने यह भी

देखा कि दो युवा नितारी राणा प्रताप का पीछा कर रहे हैं। उनके हृदय में प्रेम प्रणय उत्पन्न। उनके धारण मोहा उन युवा नितारियों के पीछे जान गया। इन युवाओं पर उनके उन दो नितारियों को मार जाना और राणा प्रताप की। इस विजयन के समय में दोनों अपनी पुरानी शत्रुता भूल गए और प्रेम में मिले। उनकी मध्य राणा प्रताप के सामर्थ्य को देखे के एक की मृत्यु हो गई। धर्म के राणा प्रताप को अपनी कोड़ा में लिया और वापस मोट घाया।

उनके बाद राणा प्रताप का घोर कठिनाइयों का जीवन शुरू हुआ। जिन्हें छोड़ देना पड़ा। वे पहाड़ों में रहे थे और समय समय पर युवाओं की को मृत्यु कर जाना काम बनाने थे। परन्तु बहुत बार उन्हें माने को रोटी का मिलनी थी। क्यों तक इन प्रकार मड़ने-मड़ने और कष्ट सहने-महने एक कहते हैं कि राणा प्रताप की भी हिम्मत टूट गई और उन्होंने अकबर के नाम का सदेश भेजा। अकबर के दरबार में पृथ्वीराज नाम का एक राजपूत कमिश्नर था। सदेश देताकर उसने अकबर से कहा कि यह कोई जानी सदेश मानुम हो है। वे राणा प्रताप के हस्ताक्षर नहीं हैं। पृथ्वीराज ने एक पत्र लिखकर राणा प्रताप को अपनी मड़ाई जारी रखने के लिए उत्साहित किया। राणा प्रताप में न साहाय और नया धैर्य था गया। उन्होंने फिर अपनी मड़ाई शुरू कर दी। अकबर मृत्यु से पहले वे मेवाड़-राज्य के काफी बड़े भाग को वापस जीत चुके थे।

मृत्यु के समय राणा प्रताप को इन बात का भय था कि उनका पुत्र अमरसिंह बीसा दुर्बल और धैर्यवान मोटा नहीं है, जैसे कि वे स्वयं थे; इसलिए नहीं बल मुझ बन्द करके अकबर का सामन्त बनना स्वीकार न कर ले। परन्तु राणा प्रताप के विश्वस्त सरदारों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि हमारे जीतजी ऐसा नहीं होगा। अमरसिंह मेवाड़ को स्वाधीन रखेगा। यह सुनकर राणा प्रताप को बहुत सतोष हुआ और उन्होंने बड़ी शक्ति के साथ इस संसार से प्रस्थान किया।

राणा प्रताप का जीवन दृढ़ता, वीरता, बलिदान, साहस और धैर्य की एक कहानी है। स्वाधीनता का ऐसा पुजारी हमारे देश के इतिहास में नामद हुआ हो। उन्हें मानुम था कि उनका विरोधी अकबर बहुत शक्तिशाली अनेक हिन्दू राजा उसके साथ मिल चुके हैं; उसका विरोध करके विजय

की भाषा नहीं है, फिर भी पराजित होकर अधीनता का जीवन बिताना, उन्होंने पसन्द नहीं किया। यदि वे चाहते तो घराबनी की सूखी पहाड़ियों में भटकने के बजाय भकबर से सन्धि करके सुख से महलों में निवास कर सकते थे। परन्तु सुख के लिए अपने भादर और सम्मान का बलिदान करना उन्हें न रुचा। उन्होंने यह समझ कि स्वाधीनता की सूखी रोटी गुलामी के हलवे से कहीं अच्छी है। यही कारण है कि मात्र इतिहास में राणा प्रताप का उल्लेख तो इतने विस्तार और सम्मान के साथ होता है, किन्तु जिन अनेक राजाओं ने युद्ध और कष्ट से बचने के लिए, सुख पाने के लिए भकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उनके नाम भी कोई नहीं जानता; और यदि कभी जान भी पाता है तो उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता।

राणा प्रताप स्वाधीनता के महान पुजारी और हमारे महान जातीय नेता थे। उनकी वीरता की कहानी चिरकाल तक दुबकों के हृदय में साहस और बल का संचार करती रहेगी।

#### अन्य सम्भावित शीर्षक

१. इतिहास-प्रसिद्ध कोई वीर
२. कोई स्वाधीनता का पुजारी

## महर्षि दयानन्द

यदि भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को ध्यान से पढ़ा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत में अंग्रेजों के पांव जब से जमे, तभी से भारत की स्वाधीनता की लड़ाई प्रारम्भ हो गई थी। राजनीतिक घटना-वक्रों में शासन-सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आती ध्वस्त होती गई, किन्तु देश के और जननेताओं ने विदेशी शक्ति के उत्थान को कभी अच्छा नहीं समझा

उसको उलाड़ फेंकने के लिए वे पहले दिन से ही प्रयत्न करते रहे। कई बार १८५ के विद्रोह को भारत की स्वाधीनता की पहली लड़ाई कहा जाता है, किन्तु वास्तुतः विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह की धारा तो १८५७ के बहुत पहले से ही में मुलग रही थी।

अग्रीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत की राजनीतिक, भाषिक और सामाजिक भ्रमण की चरम सीमा धा चुकी थी। शिशा का नितान्त अभाव था। विदेशों में खिजा जा रहा था। तीर्थ और मंदिर पालकों के गढ़ बने हुए थे। अस्तित्व के कारण जाति का एक बड़ा भाग निष्क्रिय और उदासीन पड़ा था। इस अवसर का लाभ उठाकर ईसाई प्रचारक और मुसलमान मौलवी हिन्दुओं को बड़ी तेजी से ईसाई और मुसलमान बनाते जा रहे थे। विघटन और ह्रास की प्रक्रिया पूरी तेजी पर थी।

ऐसे दिनों में महर्षि दयानन्द का जन्म सन् १८२४ में टंकारा नामक ग्राम में हुआ। टंकारा गुजरात में है। बचपन में दयानन्दजी का नाम मूलसंकर था। उनके पिता अम्बासंकर शैव ब्राह्मण थे और तत्कालीन ब्राह्मण-विचारों के अनुसार ही जीवन व्यतीत करते थे।

मूलसंकर के जीवन में पहली बड़ी घटना तब हुई, जब उनकी आयु केवल चौदह वर्ष की थी। शिवरात्रि के पर्व पर नियमानुसार वे उपवासपूर्वक रात्रि-जागरण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि मन्दिर में एक धुआ शिवलिंग के ऊपर चढ़कर इधर-उधर घूमकर पूजा में चढ़ाए हुए मिष्टान्न को खाने लगा। मूलसंकर को पढ़ाया गया था कि शिव भगवान सारे संसार के स्वामी हैं। उनकी इच्छा-मान से संसार का संहार हो सकता है और मन्दिर में स्थित शिवलिंग ही उन शिवजी का प्रतीक है। धुआ को इस प्रकार का उत्पात करते देखकर मूलसंकर के मन में यह बात आई कि यह परमेश्वर का शिवलिंग शिव कदापि नहीं हो सकता, और अर्थात् यह शिव है, तो इसमें कोई शक्ति नहीं है।

यह बड़ी मामूली-गी बात थी, किन्तु हमका महत्त्व इस कारण बहुत अधिक है कि यह उस समय की सामान्य विचारधारा के विरोध में थी और नई थी। सभी लोग भ्रातृ मूर्तपूजा करते थे और अंधविश्वासों में डूबे रहते थे।

मूर्ति भगवान नहीं है और मूर्ति की पूजा से कुछ लाभ नहीं होगा, इस बात को उन दिनों जोर देकर कहना भी हर किसीके घरा का न था ।

कुछ समय बाद मूलशंकर की बहिन की मृत्यु हो गई । फिर थोड़े दिन बाद पाचा की मृत्यु हो गई । मूलशंकर को वैराग्य हो गया और वे चुपचाप रात के समय घर से भाग खड़े हुए और साधु बन गए । एक बार उनके पिता उन्हें पकड़कर वापस ले आए । किन्तु वैरागी को बांधकर नहीं रखा जा सका । मूलशंकर फिर भाग गए और देश में दूर-दूर तक भ्रमण करते रहे । वे साधु हो गए और उनका नाम दयानन्द पड़ा । पहले उन्हें योग सीखने की बड़ी इच्छा थी । किसी सच्चे योगी गुरु की खोज में वे दूर-दूर तक घूमे, पर सभी जगह उन्हें डोंगी और धूर्त साधु ही दिखाई पड़े । अन्त में योग की ओर से निराश होकर १८६० में दयानन्द मथुरा पहुँचे और वहाँ दण्डी स्वामी विरजानन्द के पास रहकर उनसे वेद, व्याकरण इत्यादि सीखने लगे ।

विरजानन्दजी आँखों से संघे थे । देश में फैले हुए पालकों के कारण उन्हें बड़ी मनोवेदना होती थी । जब दयानन्द की शिक्षा समाप्त हुई, तो विरजानन्दजी ने उनसे अनुरोध किया कि दयानन्द, तुम देश में वैदिक-धर्म का प्रचार करो । वेदों और शास्त्रों का उद्धार करो और अज्ञान के अंधकार को मिटाओ ।

उस समय दयानन्द अकेले थे । न उनके पीछे परिवार का बल था, न किसी संस्था का । अनेके अपने बल पर देश में फैले हुए पालकों को दूर करने के साहस की भी प्रशंसा करनी होगी । उन दिनों हरिद्वार में कुम्भ मेला हो रहा था । वहाँ जाकर उन्होंने अपनी 'पालकदण्डिनी' पताका फहराई । पालकों का विरोध करने के लिए वे पालकों के गढ़ में ही जा पहुँचे । कुम्भ मेले में उन्हें विशेष सफलता न मिली, किन्तु धीरे-धीरे उनकी बात सुननेवाले लोगों की संख्या बढ़ती गई । दयानन्दजी शास्त्रों के अध्ये विद्वान  
 . . . . . पत्रितो को शास्त्रार्थ के लिए ललकारते थे । उस  
 उमाने में . . . . . में . . . . . गता था, उसको धारण सब जगह समजाती  
 थी ।

. . . . . गदसमझा जाता था । दयानन्दजी ने  
 . . . . . यदा दूर-दूर तक फैल गया ।

. . . . . सामाजिक सुधारों की मांग कर

रहे थे। बंगाल के राजा राममोहनराय ने सती-प्रथा के विरुद्ध सभे सम्मिलन करवाया और विधवा-विवाह के लिए आन्दोलन। हरिद्वार ने भी स्त्री-शिक्षा के लिए प्रयत्न किया। दयानन्दजी ने सर्वांगीण उन्नति की आचारविधा रखी। एक ओर उन्होंने अंध विश्वासों का विरोध किया, अंग्रेजों के मूर्खता का विरोध करने प्रमुख। उन्होंने अंग्रेजों का हटाने अर्थात् अंग्रेज-वृत्त का वेद मिटाने के लिए स्त्री-शिक्षा और विधवा-विवाह के लिए आन्दोलन किया। उन्होंने बुरा विरोध किया। सबसे अन्तिम के साथ-साथ अनेक प्रमाण यहाँ तक कि कई राजा भी उनके मत बन गए।

१८७५ में दयानन्दजी ने धर्मसमाज की स्थापना की। धर्मसमाज से ठीक ही समय में देश के लगभग सभी बड़े शहरों में शुरू हुए और स्थिति यहाँ तक हो गई कि धर्मसमाजों का नाम आने लगे और प्रगतिशील व्यक्ति सम्मिलित होने लगे। धर्मसमाज ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया। उत्तरभारत में स्त्री-शिक्षा के लिए आचार्य धर्मसमाज ने उठाई और पत्रों जैसे उद्देश्य-प्रधान प्रचार केवल धर्मसमाज के कारण ही हो सके। धर्मसमाज ने निवारण के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किया। बाद में कांग्रेस ने भी धर्मो को अपना लिया।

शुद्धि दयानन्द ने अपने विचारों और कार्यों द्वारा देश में आत्मगौरव जगाया। उन दिनों की शिक्षा पाने वाले लोग यूरोप की सम्मति से इतर हो रहे थे कि वे अपने देश के इतिहास और साहित्य को बहुत मूढ़ भी मानने लगे थे। ईसाइयों का प्रचार सामको का समर्पण पाकर दिन होता, बंद रहा था। दयानन्दजी ने वेदों और संस्कृत-साहित्य के अध्ययन पर लोगों के मन में यह भावना जगाई कि हमारे पूर्वज महान थे; हमारी संस्कृति और हमें किसीके भी सम्मुख झुकने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंश 'प्रकाश' में उन्होंने कहा कि एक ओर वैदिक संस्कृति की शोचनीय प्रथा

भी ऐसा वर्णन किया कि जिससे लोच घन्य प्रचारकों के बहुकावे में न आए ।

दयानन्द से पहले बहुत-से धर्म-संस्थापक हुए, परन्तु उनमें से अधिकांश लोग केवल प्रशिक्षित जनता को ही अपनी ओर आकृष्ट कर पाए । उदाहरण के लिए किसी समय जब बुद्ध ने एक नया धर्म चलाया, तो प्रारम्भ में केवल प्रशिक्षित जनता ही उनके धर्म में दीक्षित हुई । इसी प्रकार कबीरदास भी प्रशिक्षितों को ही अपना अनुयायी बना पाए । भारत में आने पर मुसलमान और ईसाई लोग भी केवल प्रशिक्षित और पिछड़े वर्गों को ही अपनी ओर खींच पाए । इसके विपरीत दयानन्दजी का सारा प्रभाव शिक्षित समाज पर पड़ा । उन्होंने शुरू में ही पौराणिक विद्वानों से टक्कर ली । शास्त्राचार्यों में उन्हें बार-बार परास्त किया, जिसके फलस्वरूप सुशिक्षित और समझदार लोगों में उनकी धाक बैठ गई । यह दयानन्दजी की अद्भुत विशेषता समझी जानी चाहिए ।

दयानन्दजी कान्तदर्शी थे । अपने समय को सांघकर वे भविष्य को देख सकते थे । स्वयं गुजराती होते हुए भी उन्होंने अपने ग्रन्थ 'सत्यार्थप्रकाश' की रचना हिन्दी में की । उस समय हिन्दी अभी निर्माण की दशा में ही थी, फिर भी जैसी हिन्दी उन्होंने लिखी है, वह अपने पांच सौ साल तक भी पुरानी नहीं पड़ेगी । उन्होंने कुछ पुस्तकें संस्कृत में भी लिखीं । 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' से उनकी विद्वता का अच्छा परिचय मिलता है । अपने समकालीन विदेशी विद्वानों से भी पत्र-व्यवहार द्वारा उन्होंने अच्छे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बना रखे थे ।

दयानन्द केवल समाजिक सुधारक ही नहीं थे । वे समझते थे कि देश के स्वाधीन हुए बिना समाज कभी सुधर नहीं सकता । इसलिए उन्होंने सत्यार्थप्रकाश में लिखा कि बुरे से बुरा स्वदेशी शासन अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से अच्छा है । वे राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयत्न कर रहे थे । किन्तु उस काम को पूरा कर पाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई ।

उनकी मृत्यु भी कुछ रहस्यमय ही हुई । दयानन्दजी ने नि स्वार्थ भाव से जिस सत्य का प्रचार किया था, उससे अनेक लोगों के स्वार्थों को चोट पहुंचती थी । इसलिए उनपर अनेक बार आक्रमण किए गए; कई ...  
करना तो दयानन्दजी जैसे जानते ही नहीं थे । कहा



लोगों ने पहायन्न करके उनके रसोइये द्वारा उन्हें दूध में विष दिलवा दिया। विष के प्रभाव से दयानन्दजी बीमार पड़ गए। बहुत दिन तक चिकित्सा होने के बाद अन्त में दिवाली के दिन उनका स्वर्गवास हुआ।

दयानन्दजी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उनकी निर्मयता और निःस्वायत्ता है। उन्होंने अपना कोई मठ या गद्दी स्थापित करने की चेष्टा नहीं की। उन्होंने अन्य पैगम्बरों की भाँति अपने-आपको ईश्वर का दूत बतलाने का यत्न नहीं किया। उन्होंने आर्यसमाज का एक बड़ा नियम यह बनाया कि सत्य को प्रह्न करने और असत्य को त्यागने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। उस समय के ग्न्धविद्वानों का उन्मूलन करने के लिए तर्क पर खोर देने की बड़ी भावश्यकता थी। दयानन्दजी को आधुनिक युग का प्रथम बुद्धिवादी भारतीय कहना चाहिए।

दयानन्दजी ने वेदों को हर क्षेत्र में अन्तिम प्रमाण माना था, किन्तु उनके विचार निरन्तर प्रगति कर रहे थे और यदि वे कुछ और वर्ष जीवित रहते, तो कोई आश्चर्य नहीं कि इस दिशा में भी उनके विचारों में कुछ परिवर्तन हो जाता। उनका स्वर्गवास पैंतालीस वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया। यदि वे कुछ समय और जीवित रहते होते तो देश और समाज की कहीं बड़ी सेवा कर पाते। अब भी वर्तमान भारत की स्थापना करनेवाले महापुरुषों में उनका स्थान अग्रगण्य है।

अन्य सम्भावित शीर्षक

१. कोई महान समाज-सुधारक
२. आर्यसमाज के प्रवर्तक

## सुभाषचन्द्र बोस

भारत की स्वाधीनता के लिए जितना बड़ा त्याग और जितना महान कार्य

२. सुभाषचन्द्र बोस ने किया, उनका सापेक्ष ही अन्य दिग्गी नेना ने किया ही।

उनमें देश-प्रेम की अदम्य ज्वाला भरी हुई थी और देश की स्वाधीनता के लिए वे किसी भी बलिदान को अधिक नहीं समझते थे। वीरता और आत्मबलिदान की पवित्र आधना के साथ-साथ उनमें आणव्य की सी नीति-निष्ठा भी थी और सिवाजी की भाति संगठन की क्षमता भी। अत्यन्त विषम परिस्थितियों में बहुत अल्प साधनों से जिनकी सफलता उन्होंने पाई, वह विस्मयजनक है।

सुभाष बाबू का जन्म एक सम्पन्न बंगाली परिवार में २३ जनवरी, १८९७ को हुआ था। उनके पिता कटक में वकालत करते थे। सुभाष मेधावी होने के साथ-साथ बचपन से ही बड़े स्वाभिमानी भी थे। जिन दिनों वे कलकत्ता के प्रेजीडेन्सी कालेज में पढ़ते थे उन दिनों एक अंग्रेज प्रोफेसर ने कक्षा में भारतीयों के लिए कुछ अपमानजनक बातें कही। इसपर सुभाष बाबू अपने को वद से न रख सके और उन्होंने उस प्रोफेसर को बुरी तरह फटकारा। अपने आवेश में उन्होंने अविद्य के परिणाम की तनिक भी चिन्ता नहीं की; और वह परिणाम यह था कि उन्हें कालेज से निकाल दिया गया।

१९१६ में बी० ए० की परीक्षा प्रथम वर्ग में उत्तीर्ण करके वे आई० सी० एस० की परीक्षा के लिए इंग्लैंड गए और उसमें भी पान के साथ उत्तीर्ण हुए। उन दिनों आई० सी० एस० परीक्षा पास करने वाले भारतीयों की संख्या बहुत कम होती थी और जो लोग इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते थे, वे सरकारी नौकरी करके अपने जीवन की धन्य समझते थे; क्योंकि ऐसी बड़ी नौकरी पाकर मनुष्य अपना जीवन सुख और धन से बिता सकता था।

छात्रावस्था में एक बार सुभाष बाबू को योग-साधना की भी धुन खवार हुई थी। वे घर छोड़कर निकल गए थे और योगियों की शोख में हिमालय के अनेक प्रदेशों में भ्रमण करते रहे थे। योगी तो शायद उन्हें नहीं मिले, किन्तु अपने देश को देख जाने का सुघषसर उन्हें प्रबल मिला और तभी से उनके मन में देश-प्रेम की भावना बहुत गहरी जम गई।

आई० सी० एस० परीक्षा पास करने के बाद भी सुभाष ने यह अनुभव किया कि विदेशी सरकार की नौकरी कर पाना उनके वद का नहीं है। नौकरी चाहे बड़ी हो चाहे छोटी, नौकरी ही है, और सुभाष बाबू उन लोगों में से थे जो नौकरी

करने के लिए काम नहीं लेते, बल्कि गोपियों और पीड़ितों को उनके धिने हुए अधिकार दिवाने के लिए व्यवहार लेते हैं। ऐसे लोग अपने मुर्कों को ठोकर मार-नर जानने-सूझने काति और गंघरं का मार्ग बनाने हैं, जहाँ प्रभाव और कष्ट के गिपाय और कुछ नहीं होता।

सुभाष बाबू ने भी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया और देन-मेवा के कार्य में लग गए। संगठन करने में वे बहुत कुशल थे और छीघ्र ही सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी भोचप्रियता बहुत बढ़ गई। १९२२ में उत्तरी बंगाल के बाइ-पीड़ितों के लिए उन्होंने जंसी लगन के साथ कार्य किया, उसके कारण उनका प्रभाव देश के कांग्रेसी नेताओं पर बहुत अच्छा पड़ा। १९२४ में वे कलकत्ता कारपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकार बनाए गए। इस पद को भी उन्होंने बड़ी योग्यता के साथ निवाहा।

उन दिनों देश में कई नातिकारी भातकवादी दल कार्य कर रहे थे। बंगाल विशेष रूप से उनका गढ़ था। सरकार का विश्वास था कि सुभाष बाबू का भी भातकवादी दलों से संबंध है। इस सन्देह में ही सन् १९२४ में उन्हें गिरफ्तार करके बर्मा में मॉडले भेज दिया गया। उसके बाद सरकार ने सुभाष को कई बार गिरफ्तार किया और कई बार छोड़ा, किंतु एक दिन के लिए भी वह सुभाष को और से निश्चित नहीं हुई। जब तक सुभाष बाबू भारत में रहे, उनका और पुलिस का सम्बंध लगभग घटूट ही बना रहा।

सुभाष की जीवन-कथा का बड़ा भाग गिरफ्तारी और नजरबंदी से ही भरा हुआ है। सरकार उन्हें पकड़कर नजरबंद कर देती। जेल में रहते हुए सुभाष बीमार हो जाते। उनकी हत्या का कलक अपने सिर न लेने के लिए सरकार उन्हें छोड़ देती और ज्योंही वे फिर कुछ स्वस्थ होते, त्योंही फिर गिरफ्तार कर लिए जाते। १९३० में सुभाष बाबू को गिरफ्तार किया गया। मजे की बात यह है कि सरकार के कोपभाजन होते हुए भी उसी वर्ष वे कलकत्ता के मेयर चुने गए। जेल में स्वास्थ्य बहुत बिगड़ जाने पर उन्हें चिकित्सा के लिए रिहा किया गया, किंतु शतें यह रसी गई कि यह चिकित्सा यूरोप में होगी, भारत में नहीं। यूरोप की यात्रा सुभाष बाबू के लिए बड़ी सामकरी छिड़ हुई। इस यात्रा में उन्होंने

हितकर और मुसोलिनी से भी मेंट की, जो प्रागे चलकर उनके काम घाई ।

१९३० में सुभाष बाबू पब्लिक भारतीय कांग्रेस के प्रधान चुने गए । उन दिनों देश के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी थे और सुभाष बाबू के सिद्धांत गांधीजी के साथ पूरी तरह मेल नहीं खाते थे । गांधीजी नहीं चाहते थे कि सुभाष प्रधान चुने जाएं । परन्तु जनता ने जानते-बुझते सुभाष को ही प्रधान चुना । उनके मुकाबले में डाक्टर पट्टाभिसीतारमैया प्रधानपद के लिए उम्मीदवार थे, जिन्हें गांधीजी का समर्थन प्राप्त था । डा० पट्टाभि के हार जाने पर गांधीजी ने यहां तरु कहा कि "पट्टाभि की हार मेरी हार है ।" इसके बाद भी अगले वर्ष फिर सुभाष बाबू द्वारा कांग्रेस के प्रधान चुने गए । इस बार गांधीजी और सरदार पटेल ने सुभाष बाबू के साथ सहयोग करने से इन्कार कर दिया । कांग्रेस में फूट न पड़े, इसलिए सुभाष बाबू ने प्रधानपद से त्यागपत्र दे दिया ।

उन दिनों यूरोप में दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ चुका था । गांधीजी तथा उनके साथी कांग्रेसी नेता यह चाहते थे कि अंग्रेजों का विरोध न किया जाए और इस संकट से लाभ उठाने की चेष्टा न की जाए, बल्कि अंग्रेजों को समझ-बुझकर देश को स्वाधीन कराने का प्रयत्न किया जाए । इसके विपरीत सुभाष बाबू का कथन था कि इस समय देश को आजाद कराने के लिए हमें अपने सर्वस्व की बाजी लगा देनी चाहिए । यदि हम इस अवसर पर चुक गए, तो फिर अगले सौ साल तक भी देश का स्वाधीन हो पाना कठिन हो जाएगा । इसी नीति-सम्बन्धी मतभेद के कारण सुभाष को कांग्रेस से त्यागपत्र देना पड़ा । कांग्रेस से अलग हो जाने पर उन्होंने अपनी फारवर्ड ब्लाक नाम की एक पृथक् संस्था बनाई । यह संस्था भी अल्सी ही बन गई ।

वस्तुतः सुभाष बाबू देश की आजादी के लिए कुछ न कुछ करने को बेचैन थे । उन्होंने 'कालकोठरी स्मारक हटाओ' आन्दोलन शुरू किया, जिसपर सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया । उस समय सुभाष बाबू जेल में नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि उनकी कुछ अपनी धन्य योजनाएं थीं । जेल से छूटने के लिए उन्होंने धनराज प्रारम्भ कर दिया । इसपर सरकार ने उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया ।

यद्यपि सुभाष के ऊपर सरकार की बड़ी सतर्क दृष्टि थी, पुलिस और खुफिया

पुलिस का उनपर कड़ा पहरा था, फिर भी सुभाष बाबू सबको बचाना दे से बाहर निकल गए और एक दिन एकाएक बलिन रेडियो से उनकी सुनाई पड़ी, जिससे स्पष्ट था कि वे जर्मनी पहुँच गए हैं।

जर्मनी और फिर बाद में जापान जाकर उन्होंने आजाद हिंद सेना बना किया। १९४२ में आजाद हिंद सेना ने भारत को जर्मनों के चंगुल से मुक्त के लिए बर्मा की घोर से भारत के लिए कूच किया। यह सेना बर्मा में मणिपुर और असम तक आ पहुँची। साधनों और सामग्री का अभाव भी इस छोटी-सी सेना ने जिस वीरता के साथ मुँड किया, वह भारतीयों की एक श्रमर गाथा है। इस सेना की सारी वीरता और बलिदान के पीछे बाबू का अपना भोजस्वी और बलिदानी व्यक्तित्व था, जिसके कारण स अपने-अपने ढंग से स्वाधीनता-संग्राम में भाग लेने के लिए कटिबद्ध हो ग

कुशल संगठनकर्ता होने के साथ-साथ सुभाष बाबू श्रेष्ठ वक्ता भी थे। भाषणों से जनता अत्यधिक प्रभावित होती थी। अपनी अपना धन मुँडाने युवक अपने प्राण देने को भी तैयार हो जाते थे। स्वाधीनता-मुँड के सच लिए उनके भाषण से प्रभावित होकर स्त्रियों ने अपने गहने तक उतारकर उनकी वाणी में बल इसलिए था, क्योंकि वे उनके सच्चे हृदय से निकलती

परन्तु आजाद हिंद सेना को सफलता न मिली। मुँड का वास्ता पन था। जर्मनी और जापान का पक्ष दुर्बल पड़ गया था। आजाद हिंद सेना आत्मसमर्पण कर देना पड़ा। नेताजी सुभाष विमान में ब्रेटकर बेकार से जा रहे थे। विमान में घाग लगे गये और उसके बाद उनका मुँड पता न

आजाद हिंद सेना के सैनिक आदर और श्रद्धा से सुभाष बाबू को बहा करने थे। तब से वह 'नेताजी सुभाष' नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। उ रहने हुए नेताजी ने ऐम्पियो बीरग नामक एक जर्मनी युवती से विवाहा था। उनकी एक कन्या भी है, जिसका नाम अनीता बीम है। वह अ अनीता नाम के साथ जर्मनी में ही रह रही है।

सुभाष बाबू का मृत्यु बहा हुए उनकी देगभलि था। देग की आजाद लिए कोई राजनीतिक लेन नहीं थी, अतिशु जीवन का गर्वक थी। विदेशी

के साथ वे किसी तरह का घमभीता करने को तैयार नहीं थे और घमेजों को वे धरना परम धनु मानते थे, जबकि गांधीजी घमेजों के प्रति भी प्रेम और मित्रता का ही व्यवहार करना चाहते थे । गांधीजी सन्त थे और सुभाष बाबू राजधर्म का पालन करते थे । विरोधी से प्रेम करने का दावा उन्होंने कभी नहीं किया ।

जो बाने धन्य नेताओं के सम्मुख एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो जाती थी, उनकी सुभाष बाबू इस तरह घुटकी बजाते हल कर लेते थे कि जैसे वह कोई समस्या ही न हो । कांग्रेसी नेताओं ने हिन्दुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित कराने के लिए लगभग पचीस साल तक धरनी सारी दक्षिण लगाई, लेकिन फिर भी यह एकता कभी स्थापित न हो सकी । इसके विपरीत आजाद हिन्द सेना में कभी हिन्दू-मुसलमान की साम्प्रदायिक भावना दिखाई तक नहीं पड़ी । हिन्दू और मुसलमान दोनों कंधे से कंधा मिलाकर घमेजों के विरुद्ध लड़े ।

यदि सुभाष बाबू अपने आजाद हिन्द सेना के अधिपान में सफल हो जाते, तो भारतीय इतिहास में उनका नाम चन्द्रगुप्त, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य के समीकक्ष लिखा जाता, किन्तु वे सफल नहीं हो पाए । उनकी असफलता उनके यौव्य को किसी प्रकार कम नहीं कर सकती । नेपोलियन और हिटलर जैसे महान विजेता भी अन्त में अघफन हो गए । इससे उनकी महत्ता विगी प्रकार कम नहीं होती, बल्कि प्रतिकूलतम परिस्थितियों में सुभाष ने जो कुछ कर दिखाया, वह महान से महान विजेता के लिए भी स्पृहा की वस्तु है ।

धन्य सम्भावित शीर्षक

१. कोई महान राष्ट्रनेता
२. रक्षाधीनता-संग्राम का कोई सेनानी

## महात्मा गांधी

बीनयीं शताब्दी में भारत के जिन महापुरुषों ने संसार में देश का चिर अंश किया, उनमें महात्मा गांधी और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के नाम स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य हैं। न केवल राजनीतिक दृष्टि से, अपितु धार्मिक और नैतिक दृष्टि से गांधीजी की संसार को देने अनुपम है। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चरने हुए उन्होंने अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाया था कि उनकी तुलना महात्मा बुद्ध और महात्मा ईसा से की जा सकती है। उनकी मृत्यु पर अर्द्धाब्धि अति करते हुए विश्वविख्यात विज्ञानवेत्ता अलबर्ट आइंस्टीन ने कहा था—'कुछ समय बाद लोगों के लिए यह विश्वास करना भी कठिन हो जाएगा कि किसी समय सचमुच कोई इतना महान व्यक्ति पृथ्वी पर जीवित भी था।'

महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास कर्मचन्द गांधी था। कर्मचन्द उनके पिता का नाम था और गांधी उनकी जाति थी। गांधी शब्द गन्धी का अपभ्रंश रूप प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि उनके पूर्वज किसी समय गन्ध अर्थात् इत्र इत्यादि का व्यापार करते रहे होंगे। गांधीजी का जन्म २ अक्टूबर, १८६९ को पोरबंदर में हुआ था। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा पोरबंदर में ही हुई। गांधीजी पर अपनी माता के शील-स्वभाव का गहरा प्रभाव पड़ा।

जब गांधीजी कुछ बड़े हुए तो यह तै किया गया कि बैरिस्टरी पास करने के लिए उन्हें विलायत भेजा जाए। गांधीजी के पिता राजकोट रियासत के दीवान थे। इसलिए वे अपने पुत्र की शिक्षा-दीक्षा भली भांति कराना चाहते थे। उन दिनों बैरिस्टरी पास करके वकालत करना ही सबसे अधिक लाभजनक और प्रतिष्ठाजनक पेशा समझा जाता था। किन्तु गांधीजी की माता उन्हें विदेश भेजना नहीं चाहती थीं। उनका विश्वास था कि विदेश जाकर युवकों का चाल-चलन दूषित हो जाता है। गांधीजी ने माता की अनुमति प्राप्त करने के लिए उनके सम्मुख प्रतिज्ञा की: "विदेश में मैं शराब, मांस और घनाचार से दूर रहूंगा।" अपनी इस प्रतिज्ञा का इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने अत्यन्त दृढ़ता और ईमानदारी के साथ पालन किया।

इससे वे रीस्टर की उपाधि लेकर गांधीजी भारत आ गए, किन्तु बकालत का व्यवसाय उनके मन के अनुकूल नहीं था। इस पेशे में असत्य बोले बिना काम चलना कठिन है और गांधीजी ने बचपन से ही सत्य पर दृष्टे रहने का निश्चय रखा हुआ था। अदालत में गांधीजी को सफलता नहीं मिली और उन्होंने बकालत का पेशा छोड़ दिया। उन्हीं दिनों एक व्यापारिक-संस्था के एक मुकदमे को नेपटाने के लिए गांधीजी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा।

दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी जिस मुकदमे के सिलसिले में गए थे, उसे उन्होंने मजबूती द्वारा निपटवा दिया। किन्तु वहां जाकर उनके जीवन की दिशा ही मुड़ गई। दक्षिण अफ्रीका में बहुत बड़ी संस्था में भारतीय रहते थे। ये भारतीय किसी समय मजदूरी करने के लिए एक ऐग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार यहां लाए गए थे; इसीलिए इन्हें 'गिरमिटिया' कहा जाता था। गोरे लोग इन भारतीयों के साथ पशुओं से भी बुरा बर्ताव करते थे और वे भारतीय उस सारे घपमान और लाइना को सिर झुकाकर सह लेते थे। गांधीजी ने ऐसे दुर्व्यवहार के सामने सिर झुकाना स्वीकार न किया। एक बार अदालत में उनसे पगड़ी उतारने की कहा गया। गांधीजी ने अदालत से निकल जाना मंजूर किया पर पगड़ी उतारना नहीं। इस प्रकार अत्याय के विरुद्ध विद्रोह करके उन्होंने भारतीयों में एक नई चेतना जगाई।

वैसे गांधीजी शायद जल्दी ही भारत वापस लौट सकते, किन्तु भारतीयों की दुर्दशा को देखकर उन्होंने अफ्रीका में ही रहने का निश्चय कर लिया। उन्होंने १८९४ में 'नेटाल इंडियन काँग्रेस' की स्थापना की, जिसने भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष आरम्भ किया। दो वर्ष तक अफ्रीका में आन्दोलन चलाते रहने के बाद गांधीजी भारत आए। उनके आगमन का उद्देश्य यह था कि भारतवासियों को दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की स्थिति का ज्ञान कराया जाए। भारत में छः मास तक रहकर उन्होंने सारे देश में प्रचार किया और उसके बाद २०० भारतीयों के साथ अफ्रीका वापस लौटे। इस समय तक अफ्रीका की सरकार सचेत हो चुकी थी। गोरे लोगों में भारतीयों और विशेष रूप से गांधीजी के विरुद्ध द्वेष की धारा बढ़क चुकी थी। पहले तो २३ दिन तक अफ्रीका की सरकार ने उन भारतीयों को जहाज से उतारने ही न दिया; और जब उन्हें उतारने दिया गया तो गोरों ने गांधीजी



पर भागमण किया और यह केवल संयोग की ही बात थी कि उन दिन गांधी के प्राण बच गए।

दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधीजी ने सत्याग्रह और असहयोग की नई पधियों से सरकार का विरोध करना शुरू किया। सत्य पर डटे रहना, अत्याचार कानूनों का पालन न करना और अन्याय करने वाली सरकार के साथ सहयोग करना उनकी नई सूझ थी। उनका कथन था कि यदि हम शत्रु के विरुद्ध भी डेरे भाव न रखें, तो हम उससे हृदय को जीतकर उसे अपना मित्र बना सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह द्वारा गांधीजी को आशातीत सफलता प्राप्त हुई। गांधीजी और जनरल स्मट्स में एक समझौता हुआ, जिसके द्वारा भारतीयों को कार्य अधिकार दिए गए।

१९१५ में गांधीजी ने भारत में आकर यहाँ की राजनीति में प्रवेश किया। जिस अहिंसा और सत्याग्रह से उन्हें अफ्रीका में सफलता प्राप्त हुई थी, उसीका प्रयोग भारत को स्वाधीन कराने के लिए उन्होंने शुरू किया। पहला सत्याग्रह-आंदोलन १९२० में शुरू हुआ। किन्तु उस समय तक लोग गांधीजी के सिद्धांतों को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। चोरी-चौरा नामक ग्राम में सत्याग्रह के सिलसिले में हिंसात्मक उपद्रव हो गया। गांधीजी ने, जो सच्चे हृदय से अहिंसा के समर्थक थे, सत्याग्रह को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जब तक कि लोग अहिंसा का पालन करना सली मांति न सीख जाएं।

दस साल तक गांधीजी देश में प्रचार करके सत्याग्रह के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करते रहे। १९३० में दुबारा सत्याग्रह शुरू किया गया और इस बार सरकार को झुकना पड़ा। लन्दन में समझौते के लिए एक गोलमेज कान्फेंस बुलाई गई, किन्तु उससे कोई लाभ न हुआ। भारत लौटने पर गांधीजी को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया।

गांधीजी ने स्वाधीनता-आंदोलन को जनता का आंदोलन बना दिया। उनसे पहले स्वाधीनता की सड़ाई या तो भारामकुसियों पर बैठने वाले नेताओं के हाथ में थी या फिर हिंसात्मक कार्यवाही द्वारा शासन-सत्ता को उलटने का प्रयत्न करने वाले आतंकवादियों के हाथ में। किन्तु गांधीजी के नेतृत्व में देश के सब मजदूर

धीर किसान इस लड़ाई में भाग लेने को तैयार हो गए। सरकार ने अछूत कहें जाने वाले वर्गों को हिन्दुओं से पृथक् करने के लिए 'साम्प्रदायिक निर्णय' नामक घोषणा की जिससे अछूतों को चुनावों में पृथक् अधिकार दिए गए थे। गांधीजी ने इस निर्णय के विरोध में २१ दिन का धनशन किया और इस निर्णय को कुछ अंशों में बदलवा दिया।

१९३० से १९३६ तक का समय रचनात्मक कार्यक्रम में बीता। १९३६ में दूसरा विश्व-युद्ध छिड़ गया। प्रथम महायुद्ध में गांधीजी ने इस घाशा से अंग्रेजों की सहायता की थी कि लड़ाई के बाद भारत को स्वाधीन कर दिया जाएगा। परन्तु प्रथम विश्व-युद्ध के बाद सरकार ने भारत में और भी अधिक कठोर कानून बनाकर दमन शुरू किया। इसलिए द्वितीय विश्व-युद्ध छिड़ने पर गांधीजी ने तब तक अंग्रेजों की सहायता करने से इन्कार कर दिया जब तक वे भारत को स्वाधीन न कर दें। १९४२ में गांधीजी ने 'भारत छोड़ो' का नारा लगाया और अंग्रेजों के विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। सरकार ने बड़ी सख्ती से इस आन्दोलन को दबा दिया।

द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति पर विश्व की राजनीतिक स्थिति बहुत बदल गई। लड़ाई से पहले जो ब्रिटेन संसार की सबसे बड़ी शक्ति समझा जाता था, अब घटकर तीसरे नम्बर पर आ गया। भारत में १९४२ के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन और आजाद हिन्द सेना के बलिदान के कारण प्रबल राजनीतिक चेतना जाग उठी थी। सेना, वायुसेना, नौसेना और पुलिस तक ने हड़तालें कीं। अंग्रेजों ने भारत को छोड़ जाने में ही अपना बलयाण समझा और १९४७ में देश को, भारत और पाकिस्तान, दो टुकड़ों में बांटकर दे बने गए।

देश के बंटवारे के समय जगह-जगह भयानक मार-काट हुई। अहिंसा के पुजारी गांधीजी को इससे बड़ा दुःख हुआ। नीमावाली में शान्ति स्थापित करने के लिए उन्होंने पैदाय यात्रा की और दिल्ली में दंगों को रोकने के लिए उन्होंने धारण धनदान भी किया। गांधीजी का स्वयं सारे जीवन-भर मुसलमानों को संतुष्ट करने की ही धोर रहा। गांधीजी ने समझते थे कि अल्पसंख्यक होने के नाते मुसलमानों को हिन्दुओं से बैसा ही बराब मिलना चाहिए, बैसा छोटे भाई को बड़े भाई से मिलता

है। इनके इन रंग से बहुत-से लोग निम्न और दुःख थे। एक दिन ३० जनवरी १९४० की शाम को जब वे घण्टी प्राणना-मना में पहुँचे, तो नाथूगन गोडसे नाम व्यक्ति ने विस्फोट से तीन गोनियाँ बनाकर उनकी हत्या कर दी।

गांधीजी के अरिष की सबसे बड़ी विशेषता थी—अन्धकार के विरुद्ध विरोध यद्यपि पारिरीक बल की दृष्टि में गांधीजी बिलकुल मामूली थे और बचपन में वे बड़े डम्बू और भ्रू भी थे, फिर भी उनका मनोबल समाधारण था। सत्य के विरुद्ध हठ करना और प्राणमय होने पर भी उसपर अडिग रहना ही गांधीजी की वह सबसे बड़ी विशेषता थी जिसने उन्हें समार के सबसे बड़े महापुरुषों की श्रेणी में ला पाया किया। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों को अपनाया था। न केवल व्यक्तिगत जीवन में, अपितु राजनीति में भी वे इनका प्रयोग करते थे और वे शायद सबसे पहले राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने कहा कि जीवन और राजनीति के मिश्रण पृथक् नहीं होने चाहिए। यदि व्यक्तिगत जीवन में सत्य का महत्व है तो राजनीति में भी उसका बँसा ही महत्व होना चाहिए।

बहुत-से लोगों का विचार है कि गांधीजी की अहिंसा एक राजनीतिक चान थी। क्योंकि पराधीन देश निःशस्त्र था और परम शक्तिशाली ब्रिटिश सत्ता का सशस्त्रबल से विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए गांधीजी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। यह बात अशतः ठीक ही भी सकती है, फिर भी यह मानना पड़ेगा कि ऐसी अहिंसा की माघना के लिए उससे भी अधिक साहस की आवश्यकता है, जितनी हिंसात्मक युद्ध के लिए।

गांधीजी ने केवल राजनीति ही नहीं, अपितु जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों को मार्ग दिखाने की चेष्टा की। सन्त तो वे बन ही गए थे; दीन-दरिद्रों और रोगियों की सेवा में उनका काफी समय बीतता था। गावों की दशा सुधारने, स्त्रियों की शिक्षा देने और अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों को सर्वण हिन्दुओं के समान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। अंग्रेजों पर उन्होंने जो सबसे बड़ी चोट की, वह थी—स्वदेशी आन्दोलन। उनका कथन था कि हमें स्वदेश में बनी वस्तुओं का ही व्यवहार करना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि लका-शायर और मानचेस्टर की मिलों में काम ठप्प हो गया।

गांधीजी सिद्धहस्त लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखीं। 'हरिजन' और 'हरिजन-सेवक' नामक साप्ताहिक पत्र भी वे निकालते थे। उससे पहले उन्होंने 'यंग इंडिया' नामक पत्र भी निकाला था। उनकी भाषा सरल और मुबोब तथा प्रतिपादन-शीली अत्यन्त प्रभावशाली थी।

इतने महान होते हुए भी गांधीजी अपने-आपको असफल समझते थे। उनके जीते-जी देश को स्वाधीनता प्राप्त हो गई, इससे उन्हें बड़ा सन्तोष होना चाहिए था; किन्तु वे हिन्दू-मुसलमानों में एकता स्थापित नहीं करा सके। देश का विभाजन उनके न चाहते हुए भी हुआ। उनका खादी और स्वदेशी घान्दोलन स्वाधीनता मिलने के साथ ही समाप्त-सा हो गया। किन्तु इस सबसे इतना ही ज्ञात होता है कि गांधीजी के लक्ष्य और ध्येयों और भी अधिक ऊंचे थे। गांधीजी ने न केवल भारत, अपितु सारे संसार के सामने एक ऐसी नई विचारधारा रखी, जिसके कारण वे सदा अमर रहेंगे।

#### अन्य सम्भावित शीर्षक

१. भारत के राष्ट्रपिता
२. अहिंसा के पुजारी
३. संसार का कोई महान सन्त

## श्री चन्द्रशेखर वैकट रमन

भारत के जिन भेषावी महापुरुषों ने अपने देश का यश दूर-दूर विदेशों में फैलाया है, उनमें श्री चन्द्रशेखर वैकट रमन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जिस प्रकार अध्यात्म के क्षेत्र में स्वामी विवेकानन्द और अरविन्द ने, काव्य के क्षेत्र में रवीन्द्रनाथ ने और राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी ने भारत की यशःपताका सारे संसार में फहराई, उसी प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में पहले-पहल भारत का नाम



श्री रमन के अध्यापक प्रोफेसर जोन्स उनसे बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने सिफारिश करके श्री रमन को इंग्लैंड में विज्ञान का अध्ययन करने के लिए छात्र-वृत्ति दिलवा दी। इस सुप्रवसर को पाकर श्री रमन बहुत प्रसन्न हुए। परन्तु जहाज पर मवार होने से पहले डाक्टर ने उन्हें विदेश जाने के अयोग्य बताया, क्योंकि वे बहुत कुशा और दुबल थे। डाक्टर ने यह भी कहा कि इंग्लैंड का बहुत ठंडा जलवायु उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। श्री रमन को इससे बड़ी निराशा हुई।

विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मार्ग न देखकर श्री रमन अखिल भारतीय वित्त-प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ गए और अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर उसमें सर्वप्रथम नम्बर पर पास हुए। इस समय उनकी आयु केवल १८ वर्ष थी। इस परीक्षा में पास हो जाने के कारण वे कलकत्ता में वित्त-विभाग में उप-महालेखाकार के पद पर नियुक्त हो गए। इसके बाद उनका विवाह हो गया और कुछ दिन तक जीवन की गाड़ी सामान्य लीक पर चलती रही।

पर उनका विज्ञान का शौक एकदम समाप्त नहीं हो गया था। एक दिन सड़क पर जाते हुए उनकी दृष्टि एक साइनबोर्ड पर पड़ी—भारतीय विज्ञान-विकास-संघ। वे जाकर इस संघ के मंत्री से मिले और यह अनुमति प्राप्त कर ली कि वे अपने खाली समय में संघ की प्रयोगशाला में अपने परीक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार दिन-भर दफ्तर में काम करने के बाद शेष समय वे विज्ञान के परीक्षणों में बिताने लगे। अपने परीक्षणों का विवरण और उनसे निकाले गए निष्कर्ष लिख-लिखकर वे पत्र-पत्रिकाओं और दूसरे प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ताओं के पास भेजते। कुछ ही समय में उनकी गिनती कुशल विज्ञानवेत्ताओं में होने लगी।

अब एक कठिनाई यह हुई कि उनका तवाइला कलकत्ता में रंगून हो गया और कलकत्ता में प्रयोगशाला की जो सुविधा थी, वह रंगून में न रही। परन्तु १९११ में वे फिर कलकत्ता लौट आए और फिर उसी तरह अपने परीक्षणों में मग्न रहने लगे।

१९१६ में कलकत्ता विश्वविद्यालय की ओर से विज्ञान बालेज् खोला गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति उन दिनों धानुजोय मुखर्जी थे। वे श्री रमन

ते परिनिता के घोर पाठने के कि किसी प्रकार इस कालेज में श्री रमन विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त कर लिया जाए। परन्तु कठिनाई यह कि श्री रमन को जितना बेतन उपमहासेनाकार के पद पर मिल रहा था उस कालेज में नहीं मिल सकता था। उस समय श्री रमन ने अधिक बेतन छोड़ कर बेतन पर विज्ञान का प्रोफेसर बनना स्वीकार कर लिया।

एक कठिनाई फिर भी था पड़ी। विज्ञान कालेज की स्थापना के लिए बड़ी धनराशि श्री तारकनाथ पालित ने दी थी। वे यह शर्त लगा गए थे कि विज्ञान का प्रोफेसर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, जिसने विदेश में विज्ञान की डिग्री प्राप्त की हो। श्री रमन ने न तो विदेश में सिखा पाई थी, और न वे इस शर्त को पूरा करने के लिए विदेश जाने को तैयार ही थे। अन्त में बिना इस शर्त को पूरा किए ही श्री रमन को कालेज में विज्ञान का प्रोफेसर नियुक्त कर लिया गया।

कालेज में पहुंच जाने पर श्री रमन को अपनी शक्ति का ही काम मिल गया। अब वे अपना सारा समय विज्ञान की खोजों में लगाने लगे। प्रकाश और ध्वनि के सम्बन्ध में उन्होंने अनेक नये आविष्कार किए। इनके परिणामस्वरूप इससे पहले की अनेक धारणामों में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। श्री रमन ने पहले-पहल इस रहस्य का उद्घाटन किया कि आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है और समुद्र में छरने वाले विद्याल हिमशैल नीले क्यों दीख पड़ते हैं। इस क्षेत्र में उन्होंने जो सबसे बड़ी खोज की, उसे 'रमन-प्रभाव' कहा जाता है। इस 'रमन-प्रभाव' के लिए ही १९३० में उन्हें संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार 'नोबेल पुरस्कार' प्राप्त हुआ था।

श्री रमन ने विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में अनुसन्धान किए। उन्होंने यह भी खोज की कि घातुओं में एक वैद्युतिक तरल पदार्थ विद्यमान रहता है। वह निरन्तर गति करता रहता है और इस गति के कारण ही ठोस घातुओं के अंदर भी प्रकाश की किरणें प्रवेश कर जाती हैं। अपनी इस प्रकार की अनेक खोजों को श्री रमन ने पत्रिकाओं और पुस्तकों के रूप में प्रकाशित करवाया, जिससे उनकी धाक सारे संसार में बैठ गई।

श्री रमन का यह सब और फैल जाने का परिणाम यह हुआ कि संसार के सभी देशों के विश्वविद्यालयों की ओर से उनके पास भाषण देने के लिए निमन्त्रण

माने लगे। इन भाषणों के सिलसिले में श्री रमन अनेक देशों की यात्रा कर चुके हैं। १९२६ में वे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इंग्लैंड की रायल सोसायटी ने उन्हें अपना 'फेलो' बनाया, जो बहुत बड़ा सम्मान है। उसी वर्ष उन्हें 'नाइट' की भी उपाधि दी गई।

विज्ञान कालेज में सेवाकाल पूरा हो जाने के बाद श्री रमन ने बंगलोर के भारतीय विज्ञान प्रतिष्ठान (इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस) का काम सम्भाल लिया और इस समय बड़ी योग्यता के साथ उसे कर रहे हैं। भारत सरकार ने आपकी भावकी सेवाओं के लिए 'पद्मविभूषण' की उपाधि से सम्मानित किया है।

इतना यश और सम्मान प्राप्त होने के बाद भी श्री रमन बहुत सरल और साधु स्वभाव के व्यक्ति हैं। सरस्वती के सच्चे पुजारी का सा भावसं जीवन आप व्यतीत करते हैं। प्रतिभा और परिश्रम का जैसा मणि-कांचन संयोग आपमें दिखाई पड़ता है, वह संसार में दुर्लभ ही है। उनकी सफलता का जितना श्रेय उनकी प्रतिभा को है, उससे कम उनके परिश्रम को नहीं है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जिस व्यक्ति को स्वास्थ्य दुर्बल होने के कारण विदेश जाने से रोक दिया गया था, वह इतने दीर्घकाल तक इतना कठोर परिश्रम करता हुआ जीवन में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर दिखाए ?

अन्य संभावित शीर्षक

१. कोई भारतीय विज्ञानवेत्ता

सम्भास के लिए अन्य विषय

१. लोकमान्य बालगंगाधर तिलक
२. रवीन्द्रनाथ ठाकुर
३. स्वामी विवेकानन्द
४. जगदीशचन्द्र बोस
५. तेनर्सिंह



दुपुनीमिया और मोरक्को पर फ्रांस का सामन था। काफी समय तक चलने के बाद ये दोनों देश स्वतन्त्र हो गए। अल्जीरिया में स्वाधीनता की लड़ाई शुरू हुई। इस लड़ाई में फ्रांसियों को भारी हारों का सामना करना पड़ा। अल्जीरिया पर अपना सामन बनाए रखने के लिए फ्रांस अपनी सारी सैन्य शक्ति लगा दी परन्तु अन्त में विद्रोह होकर सन् १९६२ में अल्जीरिया को स्वतन्त्र कर देना पड़ा। अब अल्जीरिया में श्री मुहम्मदविन बेन की स्वतन्त्र सरकार बन गई है, जो अन्य पड़ोसी देशों के साथ मिलकर अरब देश की उन्नति के लिए प्रयत्नशील है।

मिस्र ने पश्चिमी एशिया के देशों को संगठित करने का प्रयत्न शुरू किया था। इसका प्रारम्भ सीरिया और मिस्र के एकीकरण से हुआ। इन दोनों देशों ने मिलकर अपना एक संघ बना लिया जिसका नाम 'संयुक्त अरब गणतन्त्र' रखा गया। बाद में यमन भी इस गणतन्त्र में सम्मिलित हो गया। परन्तु मिस्र के विरोधियों, विशेष रूप से अरबों और फ्रांसिसियों को, मिस्र का यह बढ़ता हुआ प्रभाव फूटी धाँसों न सुहाया। सम्भव है कि मिस्र की ओर से भी कुछ भूल हुई हो, परन्तु यह कि सीरिया में अन्तिम हो गई और उसने संयुक्त अरब गणतन्त्र से अलग होने की घोषणा कर दी।

यमन में पहले यहाँ के इमाम का शासन था। यमन के इमाम पश्चिमी एशिया के अन्य राज्यों की भाँति निरंकुश शासक थे। सन् १९६२ में जिनेडियर अब्दुल्ला अल सलाल ने यहाँ के इमाम को भगा दिया और वहाँ पर गणतन्त्र शासन की स्थापना की। भागे हुए इमाम ने जोर्डन और साऊदी अरब के राजाओं की सहायता से फिर यमन का शासन हाथियाने का यत्न किया। दोनों पक्षों में काफी युद्ध हुआ, परन्तु इमाम की अभी तक सफलता नहीं मिली और ऐसा लगता है कि यमन में भी निरंकुश शासन समाप्त होकर उत्तरदायी शासन स्थापित हो गया है।

पश्चिमी एशिया संसार में तेल के उत्पादन का सबसे बड़ा केन्द्र है। ईरान, ईराक और कुवैत में बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी का तेल निकाला जाता है। पश्चिमी देश इस तेल के लिए ही इस भाग पर अपना प्रभाव रखना चाहते हैं। इन देशों में

ल निकालने वाली कम्पनिया मुख्यतया पश्चिमी देशों की पूजी से ही चल रही । परन्तु इनके विरुद्ध इस सारे प्रदेश में बहुत अग्रन्तोप है । कई वर्ष पहले ईरान में लोकप्रिय नेता डा० मुसादिक ने तेल के कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था ; परन्तु पूजीवादी देशों के हथकंडों के भागे डाक्टर मुसादिक की हार हुई । उन्हें प्रधानमन्त्री पद छोड़ना पड़ा और ईरान में फिर पूजीवादियों के पाव कम गए । पूजीवादी देश ईरान में शाह के शासन को बनाए रखकर अपना उल्लू सीपा कर रहे हैं ।

ईराक पहले ब्रिटिश प्रभाव में था । यहाँ का राजा फेजल पश्चिमी देशों का पक्षपाती था । उसके शासन में ईराकी जनता के हितों की अपेक्षा पूजीवादी देशों के पूजीपतियों के हितों का अधिक ध्यान रखा जाता था । अन्त में १९५८ में ईराक में भी क्रान्ति हुई । राजा फेजल की हत्या कर दी गई और त्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम के नेतृत्व में सेना ने शासन अपने हाथ में ले लिया । ईराक की नयी सरकार का एक राष्ट्रीयतापूर्ण और अपने पड़ोसी देशों के प्रति मित्रतापूर्ण है ।

सन् १९६० में ईराक ने यह दावा किया कि कुवैत नाम का छोटा-सा प्रदेश ईराक का अंग है और यह उसे अपने में मिलाकर रहेगा । कुवैत ईराक के दक्षिणी भाग में एक छोटा-सा प्रदेश है, परन्तु यहाँ मिट्टी का तेल बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है । इस प्रदेश पर ईराक का अधिकार हो जाने से ईराक की आयिक-व्यति बहुत सुधर जाती । अब तक कुवैत अरबों के प्रभाव में है । ईराक की घमकी व सामना करने के लिए अरबों ने तुरन्त अपनी सेनाएं कुवैत में भेज दीं, जिससे अरब-देशों के अरब देशों में बहुत असन्तोष फैला । अब अरब देशों ने मिलकर ईराक को समझाया और अरबों को अपनी सेनाएं वापस लौटाने को कहा । अरबों ने अपनी सेना वापस लौटा ली । अब ईराक और कुवैत में आपस में मित्रता एक संघ बना लेने के लिए चर्चा चल रही है । यदि यह संघ बन गया, तो यह भी अरब राष्ट्रीयता की बड़ी विजय होगी ।

द्वितीय महायुद्ध के बाद से ही सारे अफ्रीका में स्वाधीनता का आन्दोलन चल रहा है । और वे पश्चिमी राष्ट्रियाँ, जो कई दशकियों से अफ्रीका का शासन



रने एक स्वतन्त्र राज्य होने की घोषणा कर दी। संयुक्त राष्ट्रसंघ की सेनाएं जर्मन से साल से बांगो में हैं, परन्तु बांगो की स्थिति में सुधार बहुत धीरे-धीरे हो रहा है। साम्राज्यवादी शक्तियां बांगो की स्वाधीनता की फिर समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, परन्तु इस बात की सम्भावना बहुत कम है कि उनका यह प्रयत्न सफल हो पाएगा।

एशिया में इंडोनेशिया और इंडोनेशिया जमरा: इचों और फासीवियों के शासन से मुक्त होकर स्वतन्त्र हो गए हैं। मलाया भी अभी हाल में ही ब्रिटेन के शासन से स्वतन्त्र हुआ है। अब सिंगापुर और मलाया को मिलाकर एक मलेशिया नाम का सब बनाने की बात चल रही है। इस समय एशिया में ऐसे प्रदेश कम हैं, जहां विदेशी शासन हो, किन्तु अफ्रीका का काफी बड़ा भाग अब भी उपनिवेशवाद के दौरों लगे दबा हुआ है। पूर्वी किनारे पर मोजाम्बिक और पश्चिमी किनारे पर अंगोला पूर्णजातियों के क्रूर शासन में पिस रहे हैं। बहा १९६१ में राष्ट्रवादियों ने बिद्रोह किया था, जिसे पूर्णजातियों ने बड़ी क्रूरता के साथ कुचल दिया। उत्तरी और दक्षिणी रोडेसिया ब्रिटेन के शासन में हैं और धीरे-धीरे स्वाधीनता की ओर बढ़ रहे हैं।

अफ्रीका और एशिया के देश अपनी विद्रोही हुई दगा को अनुभव करते हैं और साथ ही अपने महत्त्व को भी पहचानते हैं। अफ्रीका और एशिया के सब देशों को संघटित करने के लिए १९५२ में इंडोनेशिया में बांडुंग सम्मेलन हुआ। इसमें २६ देशों के भाग लिया। एशियाई और अफ्रीकी स्वतंत्र देशों का यह पहला सम्मेलन था। इस दृष्टि से इस सम्मेलन का महत्त्व बहुत अधिक है। यह सम्मेलन काङ्गा नगर में १५ अक्टूबर से शुरू हुआ था। इस सम्मेलन का आयोजन बर्मा, इंडोनेशिया, भारत, चीन, और पाकिस्तान की ओर से किया गया था। बांडुंग सम्मेलन में एशियाई देशों की अनेक समस्याओं पर विचार किया गया और सबसे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव यह था कि अंतर के सब पराधीन देशों को स्वभाष्य विदेश का अधिकार दिया जाए, अर्थात् हर एक देश के निवासियों को



शों की स्थिति सुधरेगी, र्यों-र्यों इनकी आबाद अधिकाधिक सुनी जाएगी। भारत और चीन जिस तेजी से प्रगति कर रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि अगले बीस साल में विश्व की राजनीति और शक्ति के संतुलन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। एशिया और अफ्रीका के देशों में जो सबजागरण शुरू हुआ है, उसके परिणामस्वरूप इन महाद्वीपों के सब देश न केवल स्वतंत्र होकर रहेंगे, अपितु वे सुखी और समृद्ध जीवन भी बिठा सकेंगे।

अन्य संभावित शीर्षक

१. साम्राज्यवाद का पतन
२. पूर्व का स्वाधीनता-आन्दोलन

## पश्चिमी एशिया में क्रांति

गोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दियों में राजनीतिक परिस्थितियों और औद्योगिक क्रांति का लाभ उठाकर यूरोपियन देशों ने एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी देशों पर अधिकार कर लिया था। पश्चिमी एशिया के देश यूरोप के पास पड़ते थे और आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए थे, इसलिए इनपर अधिकार करना यूरोपियन देशों के लिए आसान था। इसके अतिरिक्त भारत आने के लिए भी समुद्री मार्ग भूमध्य सागर और लाल सागर में से होकर था। इस मार्ग को सुरक्षित बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि भूमध्य सागर के दक्षिणी तट तथा लाल सागर के दोनों ओर के देशों पर यूरोपियन लोगों का कब्जा बना रहे। परिणाम यह हुआ कि इन सब देशों पर यूरोपियन देशों ने बड़ी कठोरतापूर्वक अपना अधिकार जमाए रखा और इस बात का हर एक सम्भव प्रयत्न किया कि ये देश आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और मूलिक दृष्टि से पिछड़े रहें।

एकभाग्य निर्णय के अधिकार की घोषणा में पराधीन को नैतिक गहायता प्राप्त हुई है। यह प्रस्ताव सर्व यह बात स्पष्ट हो जागी है कि अब एशिया धीरे-धीरे नहीं रह सकेगा। यह बात डूंगरी है कि सब देशों का समय सजे।

दक्षिण अफ्रीका में गोरी जातियाँ अफ्रीकनों धीरे-धीरे भेद-भाव धीरे अपमान का बर्ताव कर रही हैं। अमेरिकी साथ बहुत भेद-भाव किया जाता है। बाहुंग सम्मेलन में भी घोषणा की गई कि जाति अथवा रंग के आधार पर करना बहुत बुरा है और यह भेद-भाव समाप्त किया जाना एक धीरे प्रस्ताव द्वारा साम्राज्यवाद धीरे उपनिवेश सम्मेलन ने यह घोषणा की कि साम्राज्यवाद धीरे उपनिवेश लिए संकटजनक है।

इस प्रकार बाहुंग सम्मेलन ने अफ्रीका धीरे एशिया के संगठन बनाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। सयुक्त इन देशों का पृथक् संगठन बनाना अभी तक वाछनीय नहीं स-आवश्यकता पड़ने पर कभी भी ऐसा संगठन बन सकता है।

१९५७ में मिस्र पर ब्रिटेन और फ्रांस के धात्रमण के सिलसिले अफ्रीका के देशों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे एशिया धीरे अफ्रीक देश पर धात्रमण सहन करने को तैयार नहीं हैं। यद्यपि सैनिक दृष्टि से विच्छेद होने के कारण अभी ये देश एकाएक कोई सन्निय दूसरे को नहीं दे सकते, फिर भी सबको एक-दूसरे का नैतिक समर्थन भी बहुत बड़ी बात है।

लिए एक-एक करके पश्चिमी एशिया के देश स्वतन्त्र होने लगे ।

इस दिशा में पहला प्रयत्न ईरान के प्रधान मंत्री शाबटर मुसादिक ने किया । उसने ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया था । परन्तु पश्चिमी देशों प्रायिक और राजनीतिक दबाव डालकर शाबटर मुसादिक को प्रधानमन्त्री-द से हटाया गया और ईरान के शाह के हाथ में फिर पूरी सत्ता आ गई, जिसके प्रत्यक्ष पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा ईरान का दायित्व फिर जारी हो गया ।

उसके बाद मिस्र में सफल क्रांति हुई । मिस्र में पहले राजा फारूक शासन पर रहा था । उसका शासन बहुत ही दुर्बल और भ्रष्टाचारपूर्ण था । मिस्र के सैनिक भ्रष्टाचारियों ने क्रांति करके शासन अपने हाथ में ले लिया । राजा फारूक इटली भाग गया । कुछ समय बाद मिस्र की बागडोर कर्नल नासिर के हाथों में आ गई । उसने अपने देश की उन्नति के लिए स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे मिस्र को बहुत आमदनी होने लगी । स्वेज के राष्ट्रीयकरण से इंग्लैंड और फ्रांस बहुत चिढ़े और उन्होंने मिस्र के विरुद्ध बाकायदा लड़ाई छेड़ दी । उनकी फौजें पोर्टसईद में पहुंच गईं । परन्तु रूस के धमकाने पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को असफल होकर वापस लौट जाना पड़ा ।

इस सफलता से सारे पश्चिमी एशिया में एक नया उत्साह फैल गया । अरब देशों में राष्ट्रीयता की भावना बनप उठी । उन्होंने अनुभव किया कि हमारी दुर्दशा का सारा कारण यह है कि विदेशी लोग हमारे तेल को ले जाते हैं । यदि हम इस तेल का उपयोग अपने हित के लिए कर सकें या इसका उचित मूल्य पा सकें तो हमारी दशा ही सुधर सकती है । कर्नल नासिर ने अरब राष्ट्रों को स्वाधीन और संगठित करने का बीड़ा उठाया । सबसे पहली सफलता उसे यह मिली कि सीरिया और मिस्र, दोनों देश आपस में मिल गए और उन्होंने अपने आपको 'समुक्त अरब गणतन्त्र' नाम दिया । कुछ ही समय बाद यमन भी इस गणतन्त्र में सम्मिलित हो गया ।

पश्चिमी देश मिस्र की नीचा दिखाने के लिए तरह-तरह के हथकण्डे सोच ही रहे थे कि ईराक में सैनिक क्रांति हो गई । वहाँ के राजा और प्रधानमन्त्री को मार डाला गया और ब्रिटेनियर अब्दुल करीम कासिम के नेतृत्व में सैनिक-सरकार



पश्चिमी एशिया में संसार के सबसे बड़े मिट्टी के तेल के कुएँ हैं। ईरान, ईराक़दी धरत, कुवैत आदि से संसार का एक तिहाई से भी अधिक पेट्रोलियम निम्ता है। इस तेल की यूरोपियन देशों को बहुत आवश्यकता रहती है। इस तेल को निकालने और बेचने का सारा अधिकार यूरोप और अमेरिका की कम्पनियों के हाथों में है। इस तेल के लिए भी पश्चिम के देश इस प्रदेश पर कब्ज़ा बनाए रखना चाहते थे।

इसके लिए उन्होंने इन सब देशों में राजाओं को अपने हाथ की कठु बनाया हुआ था। फ्रांस और इंग्लैंड जैसे प्रजातन्त्रवादी देशों ने भी इन देश राजतंत्र को बनाए रखने में अपना हित देखा। राजाओं को अपने विताड के यथेष्ट धन-राशि दे दी जाती थी और उसके बाद देश को बाकी जनता की किसीको नहीं थी। लोग बेहद गरीब थे। शिक्षा का कहीं नाम नहीं था। और को श्रेय सुविधाओं का तो कहना ही क्या ?

परन्तु बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही पूर्वीय देशों में राजनीतिक जागी। १९१७ में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई और उसका प्रभाव सारे पर पड़ा। पराधीन देशों को यह अनुभव हुआ कि पराधीनता उनके सब की षड है। इसलिए उनका सबसे पहला लक्ष्य स्वाधीनता होना चाहिए। कोई देश स्वाधीन होने के लिए दृढ संकल्प कर ले, तो फिर उसे देर तक दु नहीं रखा जा सकता। एक के बाद एक, सभी देश विदेशियों के शासन छूटकारा पाने लगे। परन्तु स्वाधीनता की इस दौड़ में भी पश्चिमी एशिया के देश सबसे पिछड़े रहे।

द्वितीय विश्व-युद्ध में इन देशों में से कुछ ने स्वाधीनता पाने की प्राथा की और कुछ असंगठित प्रयत्न भी किया था, परन्तु उन दिनों मितराष्ट्रों सेनाएं बहुत बलवान थी, इसलिए ये देश स्वाधीनता पाने में सफल न हुए। युद्ध के बाद स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया। पहले जहाँ ब्रिटेन और फ्रा युद्ध के बाद स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया। पहले जहाँ ब्रिटेन और फ्रा सबसे बड़ी शक्तियाँ समझे जाते थे, वहाँ युद्ध के बाद सबसे बड़ी शक्तियाँ रूस और अमेरिका हो गए। रूस और अमेरिका दोनों का ही कोई स्वार्थ मध्य एशिया के देशों के परधीन रहने में नहीं था। ब्रिटेन और फ्रा कमज़ोर पड़ गए थे।

लिए एक-एक करके पश्चिमी एशिया के देश स्वतन्त्र होने लगे ।

इस दिशा में पहला प्रयत्न ईरान के प्रधान मंत्री डाक्टर मुसादिक ने किया था । उसने ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया था । परन्तु पश्चिमी देशों ने व्यापक और राजनीतिक दबाव डालकर डाक्टर मुसादिक को प्रधानमंत्री-द से हटा दिया और ईरान के शाह के हाथ में फिर पूरी सत्ता आ गई, जिसके ज़रूरतपुर्ण पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा ईरान का दायित्व फिर जारी हो गया ।

उसके बाद मिस्र में सफल त्राति हुई । मिस्र में पहले राजा फारूक शासन कर रहा था । उसका शासन बहुत ही दुर्बल और भ्रष्टाचारपूर्ण था । मिस्र के सैनिक अफसरों ने त्राति करके शासन अपने हाथ में ले लिया । राजा फारूक इटली भाग गया । कुछ समय बाद मिस्र की बागडोर कर्नेल नासिर के हाथों में आ गई । उसने अपने देश की उन्नति के लिए स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे मिस्र को बहुत धामदनी होने लगी । स्वेज के राष्ट्रीयकरण से इंग्लैंड और फ्रांस बहुत बिड़े और उन्होंने मिस्र के विरुद्ध बाकायदा सड़ाई छेड़ दी । उनकी फौजें पोर्टसाईड में पहुंच गई । परन्तु रूस के धमकाने पर अंग्रेजों और फ्रांसिसियों को घसकान होकर वापस लौट जाना पड़ा ।

इस सफलता से सारे पश्चिमी एशिया में एक नया उत्साह फैल गया । अरब देशों में राष्ट्रीयता की भावना पनप उठी । उन्होंने अनुभव किया कि हमारी दुर्दशा का सारा कारण यह है कि विदेशी लोग हमारे तेल को ले जाते हैं । यदि हम हम तेल का उपयोग अपने हित के लिए कर सकें या इसका उचित मूल्य पा सकें तो हमारी दशा धीरे ही सुधर सकती है । कर्नेल नासिर ने अरब राष्ट्रों को स्वायत्त और समन्वित करने का बीड़ा उठाया । सबसे पहली सफलता उसे यह मिली कि सीरिया और मिस्र, दोनों देश आपस में मिल गए और उन्होंने अपने आपको 'संयुक्त अरब गणतन्त्र' नाम दिया । कुछ ही समय बाद यमन भी इस गणतन्त्र में सम्मिलित हो गया ।

पश्चिमी देश मिस्र को नीचा दिखाने के लिए

रहे थे कि ईराक में सैनिक त्राति हो

आर बांला गया और

कंडे सोच ही

को

सरकार

काम करने लगी। कुछ ही समय पहले मद्रास धरत सभान के मुकाबले में ईरान और जोर्डन ने घटना मय बना लिया था। ईराक का राजा फैजल जोर्डन के साथ का भाई लगता था। परन्तु ईराक बहा देग था और जोर्डन दुबना में बहुत छोटा। इसलिए जोर्डन का राजा ईराक पर ठिठ घटना अधिकार करने के लिए प्रयत्न कर रहा। ईराक की शक्ति के समय अश्रेष्ठ और अमेरिजन सेनाएं जोर्डन की सेनानाम में पठाय गई थीं, क्योंकि उन्हें भय था कि इन दोनों में भी राष्ट्रवादी तरह बठपुनली सरकारों को उलट देंगे। दूसरी ओर धरत राष्ट्रों को यह भय था कि ये सेनाएं ईराक की शक्ति को कुचलने के लिए भेजी गई हैं। परन्तु समय संसार में शक्ति-संतुलन ऐसा है कि एकाएक कुछ छेड़ बँटना किसी भी देश लिए न सम्भव है और न भला। इसलिए पश्चिमी एशिया में युद्ध की पट्टा दूसरी बार धूमझकर फिर बिना बरते ही टल गई।

१९६० में ईराक ने यह दावा किया कि कुवैत वस्तुतः ईराक का ही प्रांत है। किसी समय ईराक की दुर्बलता का लाभ उठाकर विदेशी शक्तियों ने जे अलग राज्य बना दिया था। ईराक ने यह भी धमकी दी कि वह बलपूर्वक कुवैत पर कब्जा कर लेगा। कुवैत का शासन एक देश के हाथ में है। इन दोष का मिट्टी के तेल से धपार धाय होती है। उसका ईराक से पृथक् रहने का प्राण करना स्वाभाविक ही था। दूसरी ओर कुवैत का तेल इंग्लैंड जाता है। इस तेल पर ईराक का कब्जा न हो, यह बात ब्रिटेन के हित में थी। कुवैत के क्षेत्र के अनुरोध पर इंग्लैंड की सेनाएं तुरन्त कुवैत पत्रुच गईं।

मध्य एशिया में धरत राष्ट्रीयता की भावना खूब दृढ़ हो गई है। धीरे धीरे धरत करके धरत राष्ट्रों ने धपने-धायकी ब्रिटेन और फ्रांस के बगुल से मुक्त किया है। ब्रिटेन की सेनाएं कोई बहाना खोजकर फिर कुवैत में धा जाएं, यह बात सभी धरत राष्ट्रों को बहुत बुरी लगी। उन्होंने बीच में पड़कर कुवैत की सुरक्षा का धायवासन दिया और ब्रिटिश सेनाओं को धापस लौटना पडा। इसी धर्षा है कि ईराक और कुवैत दोनों धापस में मिलकर एक सय बना लेंगे इससे एक ओर तो इन दोनों देशों के बीच कतह का मूल समाप्त हो जाएगा और दूसरी ओर कुवैत को भी विदेशी प्रभाव से छुटकारा पाने में सहायता मिलेगी।

मिस्र और ईराक की क्रांति यमन में भी पहले राजा का शासन था, जिसे वहाँ इमाम कहा जाता था। पश्चिमी देश स्वयं प्रजातन्त्रवादी होते हुए भी मध्य एशिया में शासक राजवर्गों का समर्थन करते रहे हैं, क्योंकि राजा के शासन के रहते हुए उन देशों को अपने प्रभाव में रखना और उनमें लाभ उठाना अधिक सरल होता है। मिस्र और ईराक की क्रांति का अनुकरण करते हुए यमन में भी वहाँ के एक सेनाध्यक्ष प्रिन्स अहमद अल सलाल ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इमाम जैसे-जैसे बचकर भाग निकला। उसने सऊदी अरब में शरण ली। अनेक विदेशियों की सहायता से उसने यमन पर फिर कब्जा करने का यत्न किया, किन्तु अहमद अल सलाल की गणतन्त्रीय सरकार काफी मजबूत सिद्ध हुई है। इस समय भी दोनों पक्षों में लड़ाई चल रही है। सऊदी अरब और जोर्डन मूलतः इमाम की सहायता कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों देशों में भी राजाओं का शासन है। इमाम को कुछ सहायता ब्रिटेन से भी मिल रही है। कारण यह है कि यमन अदन के पास पड़ता है। अदन ब्रिटेन का संरक्षित प्रदेश है। यमन में गणतन्त्रीय सरकार की स्थापना के बाद अदन में भी स्वाधीनता का आन्दोलन और पकड़ सकता है। इस कारण ब्रिटेन यमन में इमाम का शासन ही पसन्द करता है। परन्तु इस बात की सम्भावना बहुत कम है कि इमाम को सफलता मिल पाएगी।

इस समय पश्चिमी एशिया में स्थिति यह है कि मिस्र, सीरिया, यमन, ईराक और सूडान विदेशियों के अंगुल से छुटकारा पा चुके हैं और उन्हें अपने भाग्य का निर्णय स्वयं करने का अधिकार मिल गया है। ईरान, जोर्डन और सऊदी अरब पर अभी तक पश्चिमी देशों का प्रभाव है। अस्तुतः इन देशों में सरकारें पश्चिमी देशों की सश्रय सहायता से ही चल रही हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस समय इन देशों में भी असन्तुष्ट जनता या सेना क्रांति कर बैठे और वहाँ से भी पश्चिमी देशों का प्रभाव समाप्त हो जाए। कुछ समय पहले 'बगदाद पैक्ट' नाम से एक सुरक्षा करार अमेरिका की प्रेरणा पर किया गया था। अब ईराक के पृथक् हो जाने के कारण उस करार की अड़हिल गई प्रतीत होती है। ईराक की क्रांति का अन्य देशों पर बड़ा उत्साहवर्धक प्रभाव पड़ेगा।

दूसरी धोर उत्तरी अफ्रीका में लीबिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को स्वतंत्र हो चुके हैं। यद्यपि इन देशों की सैनिक स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं है, परन्तु सैनिक तौर पर इन्हें स्वतन्त्रता मिल चुकी है और एक बार स्वतन्त्र हो चुकने के बाद फिर इनमें से किसीपर आक्रमण हो, तो संयुक्तराष्ट्र उसमें दखल दे सकता है। अल्जिरिया में कई वर्षों तक लड़ाई जारी रही। वहाँ की राष्ट्रवादी सेनाएं विदेश फ्रांसीसी शासकों के विरुद्ध लड़ाई लड़ीं। राष्ट्रवादी सेनाएं बाकायदा संगठित सेनाएं नहीं थीं, अपितु बिखरे हुए दल थे, जो गुरिल्ला ढंग की लड़ाई लड़ रहे थे। फ्रांसीसियों ने एक साल के लगभग अल्जीरिया के राष्ट्रवादियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अन्त में फ्रांस को झुकना पड़ा और अल्जीरिया स्वतंत्र हो गया।

साम्राज्यवाद का खंगुल होना पड़ रहा है। अभी हाल में ही देखते-देखते कितने ही अफ्रीकी देश स्वतन्त्र हो गए हैं। हाल में ही स्वतन्त्र होने वाले देशों में घाना, कांगो, कॅमेरून, टोगो, माली, मॉरिशस, सोमालिया, मृतपूर्व फ्रांसीस कांगो, दाहोमी, ऊपरी वोल्टा, नाइजर, नाइजरी कोस्ट, गैबन, एड, मध्य अफ्रीकी गणतन्त्र और माइसम आदि देशों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसका देने योग्य बात यह है कि इन देशों में से साइप्रस के अतिरिक्त अन्य किसी देश ने स्वाधीनता के लिए मदास्य मसय नहीं किया। अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों का दबाव ही इन्हें स्वाधीन कराने में समर्थ हुआ है।

इन प्रकार पश्चिमी एशिया में इस समय स्वाधीनता के लिए मसय का सघन पीरे-पीरे चिंतु और रूप में प्रगति कर रहा है। मगर के अनेक राजनीतियों ने यह सम्मति प्रकट की है कि राष्ट्रीयता की इस प्रकृष्ट महार को रोका नहीं सकता। पहले साम्राज्यवादी देशों की सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि वे आदि महायुद्ध के बाद या दोसरे युद्ध के बाद अपना प्रभाव हान्य करते थे। परन्तु इस साम्राज्यवादी देशों के संशान में इस ज्ञान के कारण स्थिति बिलकुल बदल गई है। विश्व में महायुद्ध प्रलय होने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि साम्राज्यवाद देशों को साम्राज्यवादी देश महायुद्ध देने से इन्कार कर देने है, उन्हें सुरक्षित साम्राज्यवाद का विक्रम होना पड़ चुका है और अब नृप समय बाद विर-

जन से घोषित और दासित चले आ रहे देश भी सुख की सांख्य में सकेंगे ।

### अन्य सम्भावित शीर्षक

- राजनीतिक नवचेतना की व्यापक लहर
- पश्चिमी एशिया का स्वाधीनता-संग्राम

## हमारे पड़ोसी देश

जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान संसार के देशों में दूसरे नम्बर पर है । पहला नम्बर चीन का है । क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान चौथे या पाँचवें नम्बर पर होगा । इस कारण जब भारत स्वाधीन हुआ तो विश्व की राजनीति में उसका महत्त्वपूर्ण स्थान होना स्वाभाविक ही था । अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में भारत का महत्त्वपूर्ण स्थान होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि भारत की राजनीति कुछ विशिष्ट सिद्धांतों पर आधारित है । अक्सर देखकर अपने सिद्धांतों को बदल लेना भारत की नीति नहीं है । भारत की विदेश-नीति पंचशील पर आधारित है और पंचशील मुख्यतया तटस्थता, शांति-प्रियता, मित्रता और सहस्रस्तिरत्व का ही नाम है । भारत की इस तटस्थ और शांतिप्रिय नीति के कारण संसार की बड़ी-बड़ी शक्तियाँ भी भारत की सम्मति को आदर की दृष्टि से देखाती हैं ।

वैसे तो प्रायः सभी राष्ट्र ऊँचे-ऊँचे आदर्शों की वृद्धाई देते हैं, किन्तु व्यवहार में उनका पालन नहीं करते । भौका देखकर वे अपने सिद्धांत भी बदल लेते हैं । ऐसे अक्सरवादी राष्ट्रों का अक्सरवादी व्यक्तियों की भाँति संसार में कोई आदर नहीं है । किन्तु भारत सिद्धांत और व्यवहार दोनों को एक रखना चाहता है ।

किसी भी देश की नीति की सही परीक्षा अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यवहार

निस्तान, चीन, रूस, तिब्बत, नेपाल, बर्मा और श्रीलंका हमारे पड़ोसी देश जिन्होंने हमारा वास्ता पड़ता है। गोवा कोई स्वतन्त्र प्रदेश नहीं था; परन्तु पुर्तगाल के अधीन होने के कारण उसकी समस्या भारत के लिए एक विकट समस्या हुई थी। अब हम क्रमशः इन देशों के साथ भारत के सम्बन्धों का विहंगावली कर सकते हैं।

भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने अपनी ओर से भरसक चेष्टा की और यह यत्न किया कि यदि कोई विवाद हो, उसका हल शान्तिपूर्वक विचार-विमर्श द्वारा कर लिया जाए। परन्तु कुछ देश जैसे पाकिस्तान और चीन की दुराग्रहपूर्ण नीति के कारण भारत की इस नीति को सफलता प्राप्त नहीं हुई।

पाकिस्तान स्वाधीनता से पहले कोई स्वतन्त्र देश नहीं था। एक ही देश को काटकर पाकिस्तान और भारत दो भाग कर दिए गए। मुस्लिम लीगेर मुसलमानों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि देश का विभाजन किए बिना शान्ति की स्थापना असम्भव प्रतीत होती थी। कांग्रेस ने इस माता में देश का विभाजन स्वीकार कर लिया था कि विभाजन के बाद दोनों देश शान्ति से रहेंगे और अपनी-अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करेंगे। परन्तु एक तो देश का विभाजन ही शान्तिपूर्वक नहीं हुआ; बड़ी मार-काट हुई और दूसरे विभाजन के बाद भी भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध मित्रतापूर्ण नहीं रह सके। काश्मीर और हरी पानी के विवाद को लेकर दोनों देशों में काफी तनाव बना रहा।

भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का सबसे बड़ा कारण काश्मीर है। भारत का दावा है कि काश्मीर भारत का अंग है। न केवल वहाँ के राजा ने, पितृ वहाँ की प्रजा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की विधानसभा ने भी काश्मीर भारत के साथ मिलाने का आग्रह किया है। ऐसी दशा में वैधानिक दृष्टि काश्मीर भारत का अंग है। फिर भी पाकिस्तान ने काश्मीर पर आक्रमण के वहाँ के काफ़ी बड़े भाग पर अपना कब्जा कर लिया और अन्त में भारत को लड़ाई लड़कर पाकिस्तानियों को काश्मीर से सदाकेना पड़ा। वहीं

मय संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद् भीष में कूद पड़ी थीर उसने दोनों देशों में युद्ध-विराम सन्धि करवा दी। काश्मीर के कुछ भाग पर पाकिस्तान का अधिकार रह गया और अब उसीके नाते वह सारे काश्मीर पर अपना दावा करता रहना है।

इसी प्रकार नहरी पानी का विवाद भी इन दोनों देशों के बीच विवाद का एक बड़ा कारण था। पाकिस्तान में जाने वाली बहुत-सी नहरें भारत की नदियों से पानी लेती हैं। भारत अपने शत्रु की लिचार्ड के लिए इन नदियों के पानी का उपयोग करना चाहता था, परन्तु पाकिस्तान का कथन था कि यदि भारत ने इन नहरों को पानी देना बन्द किया तो पाकिस्तान के सामने जीवन-मरण का प्रश्न उपस्थित हो जाएगा। तेरह साल तक यह विवाद चलता रहा। अब १६ सितम्बर १९६० को विश्वबैंक की मध्यस्थता से दोनों देशों में इस विषय में शान्तिपूर्वक समझौता हो गया है। इस समझौते के अनुसार भारत पाकिस्तान में नई नहरें बनाने के लिए ८३.३० करोड़ रुपये पाकिस्तान को देगा और अपनी नहरों से अभी पांच साल तक पाकिस्तान को पानी भी देता रहेगा। पाकिस्तान में सिन्धु घाटी की नदियों से जो नहरें निकाली जाएंगी, उनके ८० प्रतिशत पानी का उपयोग पाकिस्तान कर सकेगा और २० प्रतिशत पानी का उपयोग भारत करेगा। भारत की ओर से इतनी उदार शर्तों को स्वीकार कर लिए जाने के बाद शान्तिपूर्ण हल न होने की कोई सम्भावना ही नहीं थी।

विस्थापितों की सम्पत्ति के हजनि के प्रश्न को लेकर भी दोनों देशों में कुछ मनमुटाव था। पर अब लगता है कि जिस तरह नहरी पानी के विवाद का हल निकल आया है, ठीक उसी प्रकार इस विवाद का भी कोई न कोई हल निकल आया। इन दोनों देशों में पारस्परिक सम्बन्ध सुधरने के कई कारण हैं। पहले पाकिस्तान में बहुत अल्दी-अल्दी सरकारें बदलती रहती थी। हर नई सरकार अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारत के विरुद्ध विष उगलना शुरू कर देती थी। जनरल अयूब की सुदृढ़ सरकार के आने से वह तलवार खड़खड़ाना समाप्त हो गया है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका से काफी शस्त्रास्त्र प्राप्त कर लेने के बाद पाकिस्तान की सामरिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत



हो गई है। तीसरी बात यह है कि दोनों देश चीन के बढ़ने हुए मजदूरी को अधिक-धिक अनुभव करने लगे हैं; यहाँ तक कि कई बार तो दोनों देशों की सम्मिलित प्रतिरक्षा की योजनाएँ भी मोची जाने लगती हैं। इस सबसे ऐसा लगता है कि दोनों देशों के बीच विचार-सिद्धि ही सम्भव हो जाएगी। पर माय ही पाकिस्तान की दुश्मनी की नीति और भारत की उदार नीति को देखकर यह भी लगता है कि सम्मिलित पाकिस्तान की गठ गतों को मान लेने पर ही होगा।

पाकिस्तान के बाद दूसरा मजदूर चीन का है। चीन के साथ भारत की बहुत बड़ी सीमा छूती है। चीन द्वारा तिब्बत पर पूरा अधिकार कर लिए जाने के बाद तो इस सीमा की सम्झौत सम्भव होकर हुआ हो गई है।

स्वाधीनता के बाद युद्ध में चीन और भारत के सम्बन्ध बहुत मित्रतापूर्ण रहे। दोनों ही देशों में 'हिन्दी-चीनी भाई-भाई' का नारा मूक और से लगाया गया। दोनों देशों में मिलकर 'पंचशील' नामक पाच सिद्धान्तों की घोषणा की, जिनके आधार पर संसार के राष्ट्रों में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित होने चाहिए। ये सिद्धान्त 'मनाकमण' और 'सह-मस्तित्व' पर बल देते थे। परन्तु सन् १९५६ के बाद सीमा-सम्बन्धी विवाद को लेकर दोनों देशों में काफ़ी कटुता उत्पन्न हो गई। सन् १९६२ में तो चीनी और भारतीय सेनाओं में लग-लग दो मास तक युद्ध की घोषणा के बिना ही भयंकर लड़ाई भी होनी रही, जिससे दोनों पक्षों के सैनिक भारी मर्या में हताहत हुए।

भारत और चीन की सीमा तिब्बत के प्रदेश में छूती है। सन् १९४७ के पहले तक तिब्बत एक स्वतन्त्र देश था। वहाँ का शासक और धर्मगुरु दलाई लामा था। तिब्बत पर ब्रिटिश सरकार का प्रभाव था और चीन तिब्बत के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता था। बाद में फ्रेंचों के भारत से चले जाने के बाद जब चीन ने अपने-आपको पर्याप्त शक्तिशाली अनुभव किया तो उसने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। भारत सरकार ने चीन से मित्रता बनाए रखने के लिए तिब्बत पर चीन का अधिकार स्वीकार कर लिया। १९५० के तिब्बत के विरुद्ध तिब्बत में विद्रोह हुआ, जिसे चीनियों ने बहुत ही सफलतापूर्वक दबा दिया। दलाई लामा ने भागकर भारत में आश्रय लिया।

या तो दलाई लामा को शरण देने के कारण भयवा भयना क्षेत्रीय विस्तार करने की प्रबल लालसा के कारण चीन का हस्त भारत के प्रति बहुत कठोर हो गया। चीनियों ने पश्चिम की ओर लद्दाख और पूर्व की ओर उत्तर-पूर्वी सीमा-प्रदेश में भारतीय क्षेत्र में घुसकर बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। एक ओर उन्होंने भारतीय प्रदेश पर सशस्त्र सेना द्वारा कब्जा करने की कोशिश की और दूसरी ओर प्रचार के लिए ऐसे नवसे छपवाए, जिनमें भारत की लगभग चालीस हजार वर्गमील भूमि को चीनी प्रदेश बताया गया था। दो-चार जगह भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों से मुठभेड़ें भी हुईं, जिनमें भारतीयों को जनहानि उठानी पड़ी। इतना सब उत्पात होने के बाद भी भारत सरकार ने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने शान्तिपूर्वक विचार-विमर्श से ही इस समस्या को हल करने की चेष्टा की। बातचीत के लिए चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन साई नई दिल्ली आए और उन्होंने श्री नेहरू से चर्चा की। परन्तु दोनों देश अपने-अपने दावों पर इतने दृढ़ रहे कि कोई भला परिणाम नहीं निकल सका।

भारत-चीन के सीमा क्षेत्र में १९५९ से ही अशान्ति चली आ रही है। यह प्रदेश ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों का उजाड़ और बियाबान प्रदेश है, जिसमें बस्तिया बहुत कम हैं। दोनों देशों की सेनाएँ यह प्रयत्न करती रही हैं कि भागे बढ़कर अपनी चौकियाँ स्थापित कर ली जाएँ। इन प्रयत्नों में बहुत बार सैनिकों में मुठभेड़ें भी होती रहीं और एक-दूसरे के विरुद्ध प्रचार भी चलता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि नवम्बर १९६२ तक चीनी सैनिक भारतीय सीमा में बहुत घुसकर एक घुस गए थे और उसके बाद भारतीय सेना ने धीरे-धीरे भागे बढ़कर अपनी चौकियाँ स्थापित करनी शुरू कीं। ८ सितम्बर १९६२ तक भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों से काफी प्रदेश वापस ले चुके थे। परन्तु उसके बाद चीनियों ने सारे भारत-चीन सीमान्त पर खोरदार आक्रमण कर दिया। भारतीय सेना इस आक्रमण के लिए तैयार नहीं थी। चीनियों की संख्या और रास्त्रा-सौ की अधिकता के कारण भारतीय सेना को लगभग सारे सीमान्त पर पीछे हटने को बिवश होना पड़ा। उत्तर-पूर्वी सीमा में तो चीनी सेना लगभग १५० मील तक भारतीय प्रदेश में घुस गई। उसके बाद चीनियों ने जैसे एकएक

आक्रमण किया था, उमी प्रवार एकाएक युद्ध-विराम की घोषणा कर दी। उनकी सेनाएं धीरे-धीरे वापस सीमान्त की ओर लौट गईं। अनेक तत्सम राष्ट्रों ने बीच में पड़कर दोनों देशों में चल रहे इस सीमा-विवाद को समाप्त कराने का प्रयत्न किया। कुछ देशों ने दोनों देशों को भड़का कर सड़ार्ई को चालू रखने का भी प्रयत्न किया। इस समय ऐसा लगता है कि चापद तत्सम देशों के प्रयत्न सफल होंगे और सीमा-सम्बन्धी विवाद का हल शान्तिपूर्ण वार्तालाप से ही हो जाएगा और दोनों देश फिर पहले की भांति मित्र बनकर रह सकेंगे।

पाकिस्तान और चीन के प्रतिरिक्त गोवा की समस्या भी भारत के लिए एक समस्या थी। गोवा भारत की छाती में कांटे की तरह गड़ा हुआ था। १९४५ से १९६० तक पुर्तगाली शासक गोवा को पुर्तगाल का अभिन्न अंग मानते रहे और किसी भी शर्त पर उसे छोड़ने की तैयार नहीं हुए। उन्होंने गोवा के राष्ट्रवादियों पर बहुत सत्याचार किए और जब एक बार भारत के कुछ सत्याग्रही सत्याग्रह करने गोवा गए, तो पुर्तगाली सैनिकों ने गोवा पर सत्याग्रही सत्याग्रहियों को मार डाला और बहुत-सों को घायल कर दिया। पुर्तगाली शासन-बल का प्रयोग किए बिना गोवा से हटेंगे नहीं। परन्तु भारत सरकार अपने किन्हीं प्रादसों के केंद्र में पड़कर शासन-बल का प्रयोग करने से हिचकती रही। चापद प्रादसों से भी बड़कर कारण यह रहा हो कि पुर्तगाल 'नाटो' (उत्तरी अणुशान्तिक सन्धि संगठन) का सदस्य था और गोवा पर बल प्रयोग करने से चापद 'नाटो' के अग्र्य सदस्य राष्ट्र पुर्तगाल की सहायता के लिए आ पहुँचते। परन्तु १९६० में भारत सरकार ने यह भाव लिया कि अब गोवा पर कब्जा कर लेने में कम से कम अमरीका और ब्रिटेन भारत के विरुद्ध युद्ध में नहीं पड़ेंगे। तब भारत ने गोवा में अपनी सेनाएं भेज दीं और दो दिन में सारे गोवा पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया। बहादुर पुर्तगालियों ने बिना कड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार यह समस्या सदा के लिए हल हो गई। क्व भी भारत का पड़ोसी है। क्व इस समय गंगार की दो बड़ी शक्तियों में

एक है। रूस और भारत के हित कहीं टकराते नहीं हैं, इसलिए दोनों देशों में मित्रता होने में कोई कठिनाई नहीं है। भारत ने तो सभी देशों के साथ मित्रता-सम्बन्ध रखने का निश्चय किया हुआ है। प्रारम्भ में रूसी लोग भारत को सन्देह की दृष्टि से देखते थे, किन्तु अब तो रूस से भारत को सब प्रकार का सहयोग मिल रहा है। भारत में रूसी शिल्पज्ञ कई बड़े-बड़े कारखाने भी बना रहे हैं। दोनों देशों में कुछ व्यापारिक समझौते भी हुए हैं। रूस के बड़े-बड़े नेता भारत आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू भी रूस ही आए हैं।

नेपाल भारत का एक और पड़ोसी मित्र देश है। नेपाल की सीमाएं भारत के साथ इस तरह छूती हैं कि उसे अनेक दृष्टियों से भारत पर निर्भर रहना पड़ता है। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तब नेपाल स्वतन्त्र देश होते हुए भी अंग्रेजों के पूरे प्रभाव में रहता था। अब भी नेपाल का भारत से घनिष्ठ सम्बन्ध है। कुछ वर्ष पूर्व नेपाल पर राणा-वंश का अधिकार था और वहां के वास्तविक शाहाराजा बहुत कुछ बन्दियों का सा जीवन बिताते थे।

राजा त्रिभुवन के प्रयत्न से राणाशाही समाप्त हो गई और देश में प्रजातन्त्र शासन की स्थापना हुई। राजा त्रिभुवन के समय तक काम ठीक चला, परन्तु त्रिभुवन की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजा महेन्द्र ने अपने मन्त्रियों से मतभेद हो जाने के कारण प्रजातन्त्रीय शासन को समाप्त करके सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। महेन्द्र के शासन-काल में नेपाल का रूस चीन के प्रति अधिक मित्रता-पूर्ण और भारत के प्रति कुछ अमित्रतापूर्ण हो गया। सम्भवतः इसका बड़ा कारण यह था कि नेपाल के अनेक विद्रोही नेता भारतीय सीमा में रहकर नेपाल में विद्रोह और उपद्रवों को उकसाने का प्रयत्न करते थे। १९६२ में भारत-चीन सीमा विवाद के भड़क उठने पर इन विद्रोही नेताओं ने अपनी गतिविधियां बन्द कर दीं और अब भारत और नेपाल के सम्बन्धों में फिर कुछ सुधार दिखाई पड़ रहा है।

भारत की पूर्वी सीमा बर्मा से छूती है। अंग्रेजों के बर्मा भारत का अंग बनकर रह चुका है। किन्तु अंग्रेजों जिस प्रकार छिन्न-बिछिन्न कर गए थे,

गया था। बर्मा भारत से पहले स्थापित हो गया था, किन्तु वहाँ की प्रगति स्थिति भी बहुत कुछ दुर्बल और डाँचाडोल ही चल रही है। पहले भारत बर्मा के साथ, इमारती मकड़ी और पेट्रोल काफ़ी बढ़ी मात्रा में लेता था, किन्तु अब चीनों का आयात काफी घट गया है। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से दोनों देशों के सम्बन्ध सीढ़ीपूर्ण हैं। प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं के सम्बन्ध में दोनों देशों के विचार सगम्य एक जैसे हैं।

थीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीप है। थीलंका और भारत के सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन हैं। प्रायः ही थीलंका में चीनों की जनसंख्या काफ़ी है। इस बौद्ध-धर्म का प्रचार किसी समय प्रचलन में करवाया था। दोनों देशों के सांस्कृतिक सम्बन्ध चिरकाल से अनिच्छित रहे हैं और दोनों देशों में व्यापार भी खूब हो रहा है। प्रायः ही थीलंका की चाय, मसाले और पान भारत में आते हैं। इस समय थीलंका बहुत कुछ स्वतन्त्र उपनिवेश है। भारत की तरह थीलंका भी राष्ट्र-मंडल का सदस्य है। पिछले दिनों थीलंका में भारतीयों के विरोध में काफ़ी आंदोलन रहा। थीलंका के निवासी यह अनुभव करते थे कि भारतीय लोग बहुत बढ़ी संख्या में आकर थीलंका में बस गए हैं और उन्होंने वहाँ के व्यापार-व्यवसाय पर कब्जा किया हुआ है जिसके कारण सिहाली लोगों में बेकारी बढ़ रही है। इसलिए भारतीयों को थीलंका से खदेड़ने के लिए बहुत कुछ दगे और उपद्रव भी हुए। वहाँ की सरकार ने कानून बनाकर उन भारतीयों को थीलंका से निकल जाने का आदेश दिया, जिसके पास वहाँ का नागरिक होने का प्रमाणपत्र नहीं है। यद्यपि भारत इस विवाद को लेकर बहुत कुछ तनावनी कर सकता था; परन्तु अपनी सांस्कृतिक नीति के कारण उसने ऐसा कुछ नहीं किया और सारे विवाद का हल शांतिपूर्ण समझौते द्वारा ही करने का यत्न किया है और वह हल बहुत कुछ हो भी गया है।

कुछ समय पहले तक तिब्बत स्वतन्त्र देश था, किन्तु अब वह चीन का एक भाग है। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के साथ अनिच्छित सम्बन्ध होते हुए भी राजनीतिक दृष्टि से तिब्बत के साथ भारत का कोई स्वतन्त्र सम्बन्ध नहीं है।

इस प्रकार अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ भारत मित्रता और सहयोग के बनावट रखने का प्रयत्न कर रहा है। इस प्रकार के सम्बन्धों से सभी

ओं को लाभ ही लाभ है। घाटा है कि निरुक्त भविष्य में पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत सुधर जाएंगे।

अभ्य संभावित शीर्षक

पड़ोसी देशों से भारत के सम्बन्ध

## भारत का स्वाधीनता-संग्राम

अठारहवीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत पर धीरे-धीरे कब्जा करना शुरू किया। उनके नेताओं ने, जो उस समय राजा या नवाब होते थे, अंग्रेजों के सत्ते को अनु-ब किया और उनके पाव न जमने देने के लिए भरपूर कोशिश की। परन्तु उस समय में राजनीतिक परिस्थितिया ऐसी थी कि अंग्रेजों की प्रगति को रोक न जा सका और देखते-देखते उन्होंने सारे देश पर अपना अधिकार कर लिया।

परन्तु वस्तुतः भारत की स्वाधीनता की लड़ाई एक दिन के लिए भी बन्द नहीं है। जब अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ रहा था, तब भी वह जारी रही और जब अंग्रेजों ने पूरा आधिपत्य इस देश पर जम गया, तब भी उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए प्रयत्न जारी रहे। तैयारियां तो बहुत समय से चल रही थी, परन्तु उनका परिणाम पहले-पहल १८५७ के महाविद्रोह के रूप में प्रकट हुआ। यह विद्रोह बहुत बड़े पैमाने पर संगठित किया गया था। परन्तु कुछ सिपाहियों की जल्दबाजी के कारण यह समय से पहले शुरू हो गया और बाद में भारतीय सिपाहियों में अनुशासन और सगठन की कमी के कारण यह दबा भी दिया गया। इस विद्रोह को दबाने में पंजाब की कुछ रियासतों ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की।

विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने भारत पर बड़ी कठोरता से शासन करना शुरू किया। किन्तु साथ ही उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि अब ऐसी परि-

स्थितियाँ उत्पन्न न होने पाएँ, जिनसे यैसा ही कोई दूसरा विद्रोह फिर भड़क उठे इसी उद्देश्य से इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने भारत का दामन ईस्ट इंडिया कम्पनी से छीनकर अपने हाथ में ले लिया। इंग्लैंड में उस समय भी प्रजातन्त्र शासन। इसीलिए भारत में कुछ न कुछ कानूनी शासन ही चलता रहा।

सन् १८८५ में प्रसिद्ध भारतीय कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्थापक मिस्टर ह्यूम एक प्रॉजेक्ट था ; और गुरु में कांग्रेस का उद्देश्य यह था वह सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ अधिक सुविधाओं की मांग करे। कांग्रेस में धीरे-धीरे नये नेता आते गए और समय बीतने के साथ-साथ कांग्रेस के उद्देश्य में भी परिवर्तन होता गया। पहले कांग्रेस ने राजनीतिक सुधारों की मांग की जो १९२६ में लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण-स्वाधीनता प्राप्त करना करना लक्ष्य घोषित किया।

गुरु में कांग्रेस उन राजनीतियों का प्रस्ताव था, जो पारामर्शों पर बंधन वाद-विवाद करते थे और सम्भागों में सम्ये-सम्ये भाषण देते थे और प्रस्ताव रखते थे। प्रॉजेक्ट सरकार इन राजनीतियों से ऊँचा भी भयभीत नहीं थी। वर्षों के बाद समय बाद कांग्रेस में लोकमान्य तिलक जैसे लोगों का प्रभाव बढ़ गया, जो हिंसात्मक उपायों तक से देश को स्वाधीन कराना चाहते थे। ऐसे नेताओं को सरकार ने लम्बी-लम्बी सजाएँ दीं और उन्हें देश से निर्वासित कर दिया।

एक और कांग्रेस वैधानिक उपायों से स्वाधीनता प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी, दूसरी ओर कुछ गिने-गुने साहसी युवक सार्वजनिक जगहों द्वारा देश को स्वतंत्र बनाने के मकसद से देश छोड़ रहे थे। वे लोग सरकारी कर्मचारियों को गोली मार जाने की सरकारी सजाएँ सुट लेते थे। इनके साहसी की ओर आहूँ बढ़ने प्रगति न होने हो, परन्तु देश में मकसद का वातावरण बन जाना था। जिन जातिधारी नेताओं को सरकार ने देश से निर्वासित कर दिया था, वे विदेशों में रहने हुए भी सार्वजनिक जगहों को स्वाधीन बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। एक बार 'कामागामाजामाक' कास के द्वारा बटुन-जे सार्वजनिक भारत में भेजे गए थे, जिनका स्वाधीनता के लिए प्रयोग हो सके ; जिनके ही पक्ष में लिए गए और प्राण

सन् १९१२ में भारत की राजनीति में महात्मा गांधी ने प्रवेश किया। उन्होंने कांग्रेस की वागडोर अपने हाथ में ली। सत्याग्रह, असहयोग और स्वदेशी आंदोलन द्वारा उन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई को भागे बढ़ाया। इन आंदोलनों से एक ओर तो लैंड पर करारी आर्थिक चोट पड़ी और दूसरी ओर देश में शहर-शहर और गांव-गांव में आजादी की पुकार गूज उठी। पिस्तौल लेकर लड़ मरना हर एक आदमी का बस का नहीं था, परन्तु स्वाधीनता के लिए लाठियां खाना और जेल जाना ऐसा काम था, जिसे करने के लिए मनुष्य अधिक आसानी से तैयार हो जाता था। गांधीजी ने तीन बार सत्याग्रह आन्दोलन किया। उनका १९४२ में किया गया 'भारत छोड़ो' आंदोलन बहुत बड़ा था। देश की जनता ने इन सब आंदोलनों में त्याग, बलिदान और वीरता का अनुपम परिचय दिया। किंतु सात समुद्रों पर राज्य करने वाले अंग्रेजों की ताकत इनसे हिली नहीं। १९४२ के आंदोलन को भी अंग्रेजों ने बड़ी निर्भयता से कुचल दिया।

द्वितीय विश्व-युद्ध के दिनों में सुभाषचन्द्र बोस कांग्रेस के प्रधान चुने गए। उन दिनों सारे देश पर महात्मा गांधी का एकछत्र प्रभाव था। परन्तु सुभाष बाबू की विचारधारा देश में हतनी लोकप्रिय हुई कि गांधीजी के न चाहते हुए भी उन्हें दो बार कांग्रेस का प्रधान चुना गया। परन्तु कांग्रेस के कुछ कर्णधारों ने सुभाष बाबू से सहयोग करने से इन्कार कर दिया। पर की फूट की बचाने के लिए सुभाष बाबू ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और मौका पाकर देश से भाग निकले। पहले जर्मनी और बाद में जापान आकर उन्होंने आजाद हिंद फौज का संगठन किया। इस फौज ने जापानियों के साथ मिलकर भारत को स्वाधीन कराने के लिए सशस्त्र लड़ाई लड़ी। अल्प साधनों और प्रतिशूल परिस्थितियों में आजाद हिंद फौज के वीर सैनिकों ने त्रिम वीरता और धैर्य का परिचय दिया, वह सेनाओं के इतिहास में अनुपम है और भारत के इतिहास में स्वर्णक्षरों में लिखा जाने योग्य है। परन्तु जापानियों के हारने के साथ-साथ आजाद हिंद फौज भी हार गई।

परन्तु आजाद हिंद फौज का देश पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सेनाओं में भी अंग्रेजों के साथ असहयोग की भावना फैल गई। सेना, नीतिशा, वायुसेना और पुलिस में भी हड़ताएँ होने लगीं। सब अंग्रेजों ने यह अनुभव कर लिया कि सब



भारत पर शासन करने के उनके दिन लट गए, क्योंकि वे तो पुलित और के बल पर ही इस देश पर शासन कर रहे थे ।

उस और द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति पर संसार का शक्ति-संयुक्त कूल बदल गया । युद्ध से पहले जो ब्रिटेन संसार की सबसे बड़ी शक्ति समझा गया, वह अब घटकर तीसरे नम्बर पर रह गया । रूस और अमेरिका का कोई स्वार्थ नहीं था कि भारत पराधीन रहे । उधर अंग्रेजों ने यह देखा कि भारत पर शासन करना लाभ का नहीं, अपितु घाटे का सौदा है, इसलिए उन भलेमानसों की तरह देश को छोड़कर चले जाना भला समझा । उन्होंने भी का शासन भारतीयों को सौंप दिया और बड़ी शान्ति और सम्मान के साथ भारत से लौट गए । इसका परिणाम यह हुआ कि भारत और इंग्लैंड में अब मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं और व्यापार द्वारा इंग्लैंड को भारत से अब भी कटो रुपये की आय प्रतिवर्ष होती है ।

परन्तु अंग्रेज देश का शासन भले रूप में नहीं छोड़ गए । जाने से पूर्व उन्होंने देश को भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बांट दिया और दुःसमस्याएं ऐसी खड़ी कर दीं, जिनके कारण भारत और पाकिस्तान अब तक शान्ति से नहीं बैठ पा रहे हैं । दोनों को रक्षा-व्यवस्था पर भारी धन-राशि खर्च करनी पड़ रही है । परन्तु स्वाधीनता अपने-आपमें इतनी आकर्षक नहीं है कि उसके लिए यह बलिदान कोई बड़ा बलिदान नहीं है ।

अन्य संभावित शीर्षक

१. भारत से अंग्रेजों का पलायन
२. भारत की स्वाधीनता-प्राप्ति

## भारत का संविधान

'हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय, विचार-प्रतिभ्यक्ति, विद्वान्, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुरक्षित करने वाली बहुता यद्गाने के लिए दृढ संकल्प होकर अपनी इस विधानमन्त्रा में आज २६ जनवरी, १९५६ को एतद्द्वारा इस संविधान को प्रंगीकृत, अधिनियमित और प्रामाणिक करते हैं।'

यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और इसमें संक्षेप में सारे संविधान के मूल तत्व ध्या जाने हैं। इसमें न केवल बिना किसी भेद-भाव के सब नागरिकों की समानता स्वीकार की गई है, अपितु सबको सामाजिक, धार्मिक तथा अधिभ्यक्ति की स्वतन्त्रता भी प्रदान की गई है।

भारत का यह संविधान भारत की संविधान-मन्त्रा ने तीन वर्षों के परिश्रम से तैयार किया था। यह संविधान २६ जनवरी, १९५० से सारे देश में लागू कर दिया गया और तभी से २६ जनवरी को 'गणतन्त्र-दिवस' घोषित किया गया। इस संविधान को बनाने का श्रेय डा० भीमराव अम्बेडकर, गोपालस्वामी भायंगर, अस्तादी कृष्णस्वामी अय्यर और कर्णेश्वरलाल भाणिकलाल मुंशी इत्यादि को है।

भारत का संविधान संसार के लिखित संविधानों में सबसे बड़ा है। यह संविधान कोई एकाएक तैयार नहीं हो गया। भारत की स्वाधीनता की लड़ाई के समय ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की बढ़ती हुई आवाजी की दृष्टि को पूरा करने के लिए एक विधान तैयार किया था, जिसका नाम 'भारत सरकार अधिनियम १९३५' था। इस विधान में भारत के लिए एकात्मिक शासन की व्यवस्था की गई थी। यह विधान भारत में लागू भी कर दिया गया था और इसके अनुसार १९३७ में देश के विभिन्न प्रांतों में चुनाव भी हुए थे। किन्तु १९३६ में इंग्लैंड महासुद्ध विद्रोह आने के कारण इस विधान को स्थगित कर दिया गया।

भावनाओं को खोट न पहुँचाए या विभिन्न वर्गों में द्वेष फैलाए कारण न बने।

इस सविधान में पहले से खनी घा रही पूत्रीवादी व्यवस्था कर लिया गया है। सब व्यक्तियों को कानूनमग्न उपायों से करने और उमे रखने का अधिकार दिया गया है और राज्य की सम्पत्ति छीनेगा, तो उमका समुचित मुआवजा देगा।

न्याय की दृष्टि से सब लोगों को समान घोषित किया गया है जो प्रशासन से पृथक् रखा गया है और न्याय की व्यवस्था के लिए तम की स्थापना की गई है। सर्वोच्च न्यायानय महत्वपूर्ण मुष क्षपीले मुनता है और कानून के उलभे हुए प्रश्नों पर क्षपना निर्णय

इस सविधान में आवश्यकतानुसार संसोधन या परिवर्तन कि किन्तु इसके लिए संसद के दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों में मत प्राप्त होने चाहिए। इससे कम मत प्राप्त होने पर संसोधन सकता।

आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति किसी राज्य में संकटका घोषणा करके वहाँ का शासन-भार क्षपने हाथ में से सकता है क्ष लिए वहाँ की प्रजातंत्रीय प्रणाली स्थगित समभी जाएगी। राष्ट्र छः महीने तक जारी रह सकता है।

राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष है संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति पाच वर्ष के लिए चुना जाता है।

भारत की धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारत और सम्प्रदायों के अनुयायी रहते हैं, किन्तु राज्य की धर्म से की है। फ्रांसीसी जाति के प्रसिद्ध नारे स्वाधीनता, समानता और बन्धु संविधान में भी प्रमुखता दी गई है। परिगणित जातियों के क्षि

दी गई हैं, जिससे वे क्षपनी क्षताक्षियों से गिरी और समाज के क्षम्य वर्गों के समक्ष हो जाएं।

रियायतें समाप्त हो जाएंगी ।

प्रजातन्त्रीय देशों में भारत के संविधान की बहुत प्रशंसा की गई है । जिन प्रादेशों को लेकर यह संविधान खड़ा हुआ है, उनके विरोध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । जितनी श्रम्य श्रमधि मे यह संविधान तैयार करके लागू कर दिया गया, वह भी कम आश्चर्यजनक नहीं है ।

परन्तु बहुत-से लोग संविधान के भ्रालोचक भी हैं । उनका कथन है कि यह संविधान पहले तो विधान-निर्माताओं की कोई नई सूझ नहीं है, १९३३ के विधान को ही काट-छाटकर नया संविधान बना दिया गया है; फिर अनेक देशों के संविधानों में से कुछ-कुछ बातें लेकर इसे अच्छा-खासा भानमती का पिटारा बना दिया गया है । भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता इसका वयस्क मताधिकार कही जाती है । इतने बड़े पैमाने पर वोट का अधिकार शायद संसार के किसी देश में नहीं है । परन्तु यह विचारणीय है कि भारत जैसे अशिक्षित देश में ऐसा मताधिकार साम्प्रदायक है या हानिकारक । भ्राम तौर से अशिक्षित लोग अपने वोट का दुरु-पयोग ही करते हैं । समाजवादी लोग इस संविधान की इस आधार पर भी भ्रालो-चना करते हैं कि यह पूँजीवाद को बढ़ावा देता है । राष्ट्रपति को सकटकालीन स्थिति की घोषणा करके किसी भी राज्य का शासन-सूत्र अपने हाथ में लेने का जो अधिकार दिया गया है, उसे भी बहुत-से विचारक प्रजातन्त्र की भावना के प्रतिकूल बताते हैं और इसे अधिनायकतावाद की प्रवृत्ति का स्रोतक कहते हैं ।

किन्तु निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाए तो प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली के समर्थन की दृष्टि से भारत का संविधान एक प्रशंसनीय संविधान है । भले ही इसमें कोई नाति-कारी कदम नहीं उठाया गया, किन्तु स्वाधीनता के प्रथम चरण मे यदि शान्ति और व्यवस्था को बनाए रखकर उन्नति की ओर धीमी चाल से भी बढ़ा जा सके, तो वह भी कम सफलता नहीं है । इससे भी बड़े संतोष की बात यह है कि संविधान में संशोधन और परिवर्तन की पूरी गुंजाइश रखी गई है और जब जनता अनुभव करेगी, तब इसमें यथोचित संशोधन कर सकेगी ।

अन्य संभावित शीर्षक

१. भारतीय संविधान की विशेषताएं

प्रश्न को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। कुछ परिषद् ने चटपट दोनों देशों में युद्ध-विराम सन्धि करवा दी, जिसके दायज-काश्मीर का लगभग आधा भाग पाकिस्तान के अधिकार में रह गया और बड़े भाग पर भारत का अधिकार है।

जहाँ तक कानूनी स्थिति का प्रश्न है, काश्मीर को उस समय की बंध डालने ने काश्मीर को भारत में मिलाना स्वीकार किया था, इसलिए काश्मीर भारत का अंग बन चुका है। केवल राजा ने ही नहीं, अपितु वहाँ की प्रजा के नेताओं ने भी भारतीय सेनाओं को काश्मीर भेजने की मांग की थी और काश्मीर को भारत का अंग मिलाना स्वीकार किया था। इस प्रकार राजा और प्रजा, दोनों को इससे काश्मीर भारत का अंग बना है। पाकिस्तान के क्राइलिमेंटों या पारितोषिक सेनाओं का काश्मीर में प्रवेश केवल गलत धारणा के सिवाय कुछ नहीं है।

काश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान की एकमात्र मुक्ति यह है। काश्मीर की प्रजा का बड़ा भाग मुसलमान है और मुसलमानों की संस्कृति पाकिस्तान की संस्कृति से मिलती है। इसलिए काश्मीर को पाकिस्तान के साथ विभाजित किया जाना चाहिए। किन्तु भारत इस साम्प्रदायिक मुक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भारत में भी इस समय कई करोड़ मुसलमान रह रहे हैं। इसलिए कोई कारण नहीं कि काश्मीर के मुसलमान भी भारत का अंग बनकर बसो न रह सकें। काश्मीर का ब्यापार भी पाकिस्तान की अपेक्षा भारत के साथ रहने से ही बढ़ी अधिक होता रहा है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ में काश्मीर के प्रश्न को ले जाने से कोई लाभ नहीं हुआ। पाकिस्तान को आशावादी घोषित किया जाना चाहिए था, किन्तु ऐसा न करने के अर्थ कई नये-नये विवाद लड़ कर दिए गए और भारत प्रश्न अभी तक ज्यों की त्यों अनिर्णीत ही बसा हुआ है। इसका कारण यह है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ में राजनीतिक मुठकाती हैं और मुठकातियों के अन्तर्द्वारा किसी प्रश्न पर पूरी विफलता के साथ निर्णय नहीं हो पाता।

युद्ध-विराम सन्धि के अन्तर्गत भारत के राजनीतिक नेताओं ने यह योजना कर

१. - अर्थात् काश्मीर में आक्रमणकारी सेनाएं हटा दी जाएँगी और वहाँ

शान्ति का वातावरण बन जाएगा, त्योंही भारत वहां जनमत-संग्रह करवाकर काश्मीरी जनता को यह निर्णय करने का अवसर देगा कि वह भारत या पाकिस्तान में से किसके साथ मिलना चाहती है। वस्तुतः इस प्रकार की घोषणा करना बिलकुल अनावश्यक था। जनमत-संग्रह के लिए आवश्यक शर्तें अब तक भी पूरी नहीं हुई हैं, किन्तु पाकिस्तान सब से निरंतर जनमत-संग्रह का ही राय प्रस्तापता रहता है।

इस बीच में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने काश्मीर के विवाद में मध्यस्थता करने के लिए कई मध्यस्थ भेजे ; किन्तु अब तक किसीको भी सफलता नहीं मिली। सबसे पहले एडमिरल चैस्टर निमिट्ज मतसंग्रह-अधिकारी बनाए गए थे, किन्तु मत-संग्रह के लिए उपयुक्त वातावरण ही तैयार नहीं किया जा सका। १९५० में सर भोवन टिवसन को भी उनके बाद डाक्टर ग्राहम को मध्यस्थ बनाकर काश्मीर भेजा गया, किन्तु दोनों ही सफल न हो सके। उनके बाद १९५७ में स्वीडन के श्री जोरिंग भी इस मामले का फैसला कराने आए, किन्तु भारत और पाकिस्तान दोनों से विचार-विमर्श करने के बाद वे भी असफल ही लौट गए।

इस बीच में काश्मीर की प्रगति रुकी नहीं। १९५१ में काश्मीर में संविधान-सभा के चुनाव हुए और इस संविधान-सभा ने अपना एक संविधान बनाकर काश्मीर में लागू कर दिया। इस संविधान ने भी काश्मीर को भारत के साथ मिलाने का समर्थन किया। उस समय काश्मीर में सबसे अधिक लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला था। शेख अब्दुल्ला ने कुछ विदेशी शक्तियों की सहायता से ऐसा षड्यन्त्र रचना शुरू किया, जिससे संविधान-सभा के निर्णय को रद्द करके काश्मीर को फिर एक स्वतन्त्र राज्य बना दिया जाए। उन्हीं दिनों प्रसिद्ध जनसंघी नेता डा० स्वामाप्रसाद मुखर्जी काश्मीर गए। शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी की दशा में ही डा० मुखर्जी का देहान्त गया। इससे भी शेख अब्दुल्ला के खिलाफ देश-भर में रोष छा

गन्त में शेख अब्दुल्ला के षड्यन्त्र का भडा फूट गया। शेख को तिया गया और बख्शी गुलाम मुहम्मद काश्मीर के नये  
गुलाम मुहम्मद काश्मीर और भारत की एकता के पक्के समर्थक

प्रश्न को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। सुरक्षा परिषद ने षटपट्ट दोनों देशों में युद्ध-विराम सन्धि करवा दी, जिसके फलस्वरूप काश्मीर का लगभग धाधा भाग पाकिस्तान के अधिकार में रह गया और धाधे भाग पर भारत का अधिकार है।

जहाँ तक कानूनी स्थिति का प्रश्न है, काश्मीर की उस समय की बंध सरकार काश्मीर को भारत में मिलाना स्वीकार किया था, इसलिए काश्मीर भारत का भंग बन चुका है। बेयन राजा ने ही नहीं, ध्विनू वहाँ की प्रजा के नेताओं ने भी भारतीय सेनाओं को काश्मीर भेजने की भाग की धी धोर काश्मीर को भारत के साथ मिलाना स्वीकार किया था। इस प्रकार राजा और प्रजा, दोनों की इच्छा काश्मीर भारत का भंग बना है। पाकिस्तान के कबाइलियों या पाकिस्तानी नाओं का काश्मीर में प्रवेश केवल नान धाक्रमण के सिवाय कुछ नहीं है। काश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान की एकमात्र युक्ति यह है कि

काश्मीर की प्रजा का बड़ा भाग मुसलमान है और मुसलमानों की संस्कृति पाकिस्तान की संस्कृति से मिलती है। इसलिए काश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिला जाना चाहिए। किन्तु भारत इस साम्प्रदायिक युक्ति को स्वीकार करने के ए तैयार नहीं है। भारत में भी इस समय कई करोड़ मुसलमान रह रहे हैं। इसलिए कोई कारण नहीं कि काश्मीर के मुसलमान भी भारत का भंग बनकर वधों न रह सकें। काश्मीर का ध्यापार भी पाकिस्तान की धपेक्षा भारत के साथ पहले से ही कहीं अधिक होता रहा है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ में काश्मीर के प्रश्न को ले जाने से कोई लाभ नहीं हुआ। पाकिस्तान को धाशागता धोपित किया जाना चाहिए था, किन्तु बंसा न करके धन्य कई नये-नये विवाद सड़े कर दिए गए और सारा प्रश्न धमी तक ज्यों का त्यों धनिर्णीत ही पडा हुआ है। इसका कारण यह है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ में राजनीतिक गुटबन्दी है और गुटबन्दीयों के फलस्वरूप किसी प्रश्न पर पूरी निष्पक्षता के साथ निर्णय नहीं हो पाता।

युद्ध-विराम सन्धि के समय भारत के राजनीतिक नेताओं ने यह धोवणा कर दी थी कि ज्योंही काश्मीर से धाक्रमणकारी सेनाएं हटा ली जाएंगी और वहाँ

एतन्ति का वातावरण बन जाएगा, त्योही भारत वहाँ जनमत-संग्रह करवाकर काश्मीरी जनता को यह निर्णय करने का अवसर देगा कि वह भारत या पाकिस्तान में से किसके साथ मिलना चाहती है। वस्तुतः इस प्रकार की घोषणा करना बिलकुल घनावश्यक था। जनमत-संग्रह के लिए आवश्यक सर्तें अब तक भी पूरी नहीं हुई हैं, किन्तु पाकिस्तान तब से निरंतर जनमत-संग्रह का ही राग धलापता रहता है।

इस बीच में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने काश्मीर के विवाद में मध्यस्थता करने के लिए कई मध्यस्थ भेजे ; किन्तु अब तक किसीको भी सफलता नहीं मिली। सबसे पहले एडमिरल चैंस्टर निमिट्ज मतसंग्रह-अधिकारी बनाए गए थे, किन्तु मत-संग्रह के लिए उपयुक्त वातावरण ही तैयार नहीं किया जा सका। १९५० में सर भौवन डिवसन को और उनके बाद डाक्टर ब्राह्म को मध्यस्थ बनाकर काश्मीर भेजा गया, किन्तु दोनों ही सफल न हो सके। उनके बाद १९५७ में स्वीडन के श्री जोरिंग भी इस मामले का फैसला कराने आए, किन्तु भारत और पाकिस्तान दोनों से विचार-विमर्श करने के बाद वे भी असफल ही लौट गए।

इस बीच में काश्मीर की प्रगति रुकी नहीं। १९५१ में काश्मीर में संविधान-सभा के चुनाव हुए और इस संविधान-सभा ने अपना एक संविधान बनाकर काश्मीर में लागू कर दिया। इस संविधान ने भी काश्मीर को भारत के साथ मिलाने का समर्थन किया। उस समय काश्मीर में सबसे अधिक लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला था। शेख अब्दुल्ला ने कुछ विदेशी शक्तियों की सहायता से ऐसा षड्यन्त्र रचना शुरू किया, जिससे संविधान-सभा के निर्णय को रद्द करके काश्मीर को फिर एक स्वतन्त्र राज्य बना दिया जाए। उन्हीं दिनों प्रसिद्ध जनसंघी नेता डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी काश्मीर गए। शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी की दशा में ही डा० मुखर्जी का देहान्त हो गया। इससे भी शेख अब्दुल्ला के खिलाफ देश-भर में रोष छा गया।

अन्त में शेख अब्दुल्ला के षड्यन्त्र का भंडा फूट गया। शेख को गिरफ्तार कर लिया गया और बस्ती गुलाम मुहम्मद काश्मीर के नये प्रधानमंत्री बने। बस्ती गुलाम मुहम्मद काश्मीर और भारत की एकता के पक्के समर्थक हैं। उनका कथन



प्रश्न को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। वृ परिषद् ने चटपट दोनों देशों में युद्ध-विराम सन्धि करवा दी, जिसके फलस्त्त काश्मीर का लगभग आधा भाग पाकिस्तान के अधिकार में रह गया और ब भाग पर भारत का अधिकार है।

जहाँ तक कानूनी स्थिति का प्रश्न है, काश्मीर की उस समय की ने काश्मीर को भारत में मिलाना स्वीकार किया था, इसलिए काश्मीर भारत का अंग बन चुका है। केवल राजा ने ही नहीं, अपितु वहाँ की प्रजा के नेताओं भारतीय सेनाओं को काश्मीर भेजने की मांग की थी और काश्मीर को भारत साय मिलाना स्वीकार किया था। इस प्रकार राजा और प्रजा, दोनों की इत्त से काश्मीर भारत का अंग बना है। पाकिस्तान के कबाइलियों या पाकि सेनाओं का काश्मीर में प्रवेश केवल गन्त आक्रमण के सिवाय कुछ नहीं है। काश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान की एकमात्र युक्ति र

काश्मीर की प्रजा का बड़ा भाग मुसलमान है और मुसलमानों की संस्कृि स्तान की संस्कृति से मिलती है। इसलिए काश्मीर को पाकिस्तान के दिया जाना चाहिए। किन्तु भारत इस साम्प्रदायिक युक्ति को स्वी लिए संभार नहीं है। भारत में भी इस समय कई करोड़ मुसलम इसलिए कोई कारण नहीं कि काश्मीर के मुसलमान भी भारत यों न रह सकें। काश्मीर का व्यापार भी पाकिस्तान की धी पहले से ही कहीं अधिक होता रहा है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ में काश्मीर के प्रश्न को ले जाने से ाकिस्तान को आक्रान्ता घोषित किया जाना चाहिए था। पक्ष कई नये-नये विवाद सङ्गे कर दिए गए और स्वों धनिर्णीत ही पड़ा हुआ है। इसका कारण यह राक्षनीतिक मुद्देबाजी है और लड़ा के साथ निर्याव

इन दोनों देशों के प्रयत्न के फलस्वरूप १९६२ के दिसम्बर मास में भारत और पाकिस्तान के मध्य फिर समझौते की चर्चा शुरू हुई। दूसरी ओर पाकिस्तान ने चीन से समझौते की चर्चा शुरू की हुई थी और काश्मीर के जितने हिस्से पर उसका कब्जा है, उसकी चीन के साथ मिलने वाली सीमा के विषय में उसने चीन से समझौता भी कर लिया। भारत सरकार ने इस समझौते के विप्लव प्रतिवाद किया क्योंकि पाकिस्तान और चीन को इस सीमा के सम्बन्ध में समझौता करने का अधिकार नहीं है।

काश्मीर भारत के लिए एक अछूता-खासा नासूर सिद्ध हो रहा है। पिछले वर्षों में काश्मीर पर अधिकार बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ी धन-राशि व्यय की है। बहुत बड़ी सेना को निरन्तर काश्मीर में बनाए रखना पड़ा है और काश्मीरी जनता तथा वहाँ के अन्धकारवादी नेताओं को प्रसन्न रखने के लिए उनकी उचित-अनुचित हर प्रकार की मांगें स्वीकार करनी पड़ी हैं। परन्तु काश्मीर के सम्बन्ध में कोई भी अन्तिम निर्णय एक बार भी नहीं किया गया। इस अनिश्चय का ही परिणाम है कि चीनी आक्रमण के समय भारत ने अपने-आपको बड़ी विपन्न परिस्थिति में फंसा हुआ पाया। यह खेद की ही बात है कि इन दोनों देशों के नेता आपस में मिलकर किसी भी एक निष्कर्ष तक पहुँचने में असमर्थ रहे। जब कुछ न कुछ समझौता होने की आशा अवश्य बनती है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन, दोनों ही देशों पर समझौते के लिए दबाव डाल रहे हैं, तबसे साम्यवादी चीन के विरुद्ध भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा सफलतापूर्वक की जा सके। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और भारत दोनों को ही काश्मीर पर अपने अन्तम्य दावे का अंशतः त्याग करना पड़ेगा।

## क्यूबा की समस्या

सन् १९६२ की सबसे बड़ी घटना क्यूबा को लेकर उत्पन्न हुआ विश्व युद्ध संकट और फिर उसका सान्तिपूर्ण अंत से टल जाना था। क्यूबा के प्रसन्न समरीका और रुस में विरोध उत्पन्न हो गया था। क्यूबा में रुस ने हवाई अड्डों और राबेट छोड़ने के आदेश बनाए थे, जिनके समरीका पर राबेटों द्वारा परमात्म बम फेंके जा सकते थे। इस संकट को मनुभव करके अमेरिका के राष्ट्रपति कॅनेडी ने क्यूबा की घेराबन्दी का आदेश दे दिया था। रुस इन घेराबन्दी को गंजानतुनी कहता था और इसे मानने को तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर इस बात की आशावादी हो गई थी कि वहीं दोनों देशों में युद्ध न छिड़ जाए। यदि युद्ध छिड़ जाता तो उसमें अवश्य ही परमाणु बमों का भी प्रयोग होता और उनसे इतना विनाश होता कि जिसकी कल्पना कर पाना भी सम्भव नहीं था।

क्यूबा पश्चिमी गोलार्ध में एक छोटा-सा द्वीप है। यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में स्थित है। पहले क्यूबा की स्वाति चीनी का बहुत बड़ा उत्पादक देश होने के नाते थी। इस देश की जनसंख्या लगभग बासठ लाख है। यहां की जनता मुख्यतया कृषि द्वारा अपना निर्वाह करती है।

उत्तरी अमेरिका अठ्ठातीस राज्यों का एक सघ है यह संप्र कृषि और औद्योगिक सम्पत्ति की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। यहां का शासन भी सुसंगठित है और इसकी गणना संसार के दो सबसे अधिक शक्तिशाली देशों में होती है। परन्तु दक्षिण अमेरिका के देशों की स्थिति वैसे नहीं है। ये छोटे-छोटे देश हैं और अलग-अलग हैं इनमें आए साल नांतियां होती रहती हैं और शासन व्यवस्थाएं अस्थिर रहती हैं। उत्तरी अमेरिका पूंजीवादी देश है। गत दो महायुद्धों में उसने सारे संसार को शास्त्रास्त्र बेचकर अपार धन-सम्पत्ति एकत्र की है। यह देश साम्यवाद का कट्टर विरोधी है। यह पश्चिमी गोलार्ध में साम्यवाद का प्रवेश कितनी प्रकार नहीं होने देना चाहता।

अमेरिका ने रुस के चारों ओर के देशों में सैनिक सन्धिस्था करने का

सैनिक ब्रह्मे बनाए हुए हैं, जिससे यदि कभी युद्ध छिड़े, तो रूस पर उन ब्रह्मों से मानमण किया जा सके। युद्ध-क्षेत्र रूस की सीमाओं के पास-पास ही बने घोर युद्ध का विनाश अमेरिका तक न पहुंच सके। रूस इस स्थिति की भली भांति जानता है और उसका यह प्रयत्न रहा है कि किसी प्रकार पदिबमी मोलाथ के कुछ देशों में साम्यवादी शासन स्थापित करवा दिया जाए। साम्यवादी सरकार बन जाने पर उसके साथ हर प्रकार के सम्बन्ध स्थापित करना रूस के लिए सरल हो जाएगा। वैसे तो अग्नेष्टाहना और साजील में भी साम्यवादियों का काफी जोर है और अनेक बार साम्यवादियों ने वहां अपनी सरकार बनाने की भी चेष्टा की है, परन्तु सबसे पहली सफलता उन्हें ब्रूबा में मिली।

ब्रूबा कई दलान्दियों तक स्पेनवासियों के अधीन रहा। बीच में एक साल के लिए अंग्रेजों ने भी उत्तर पर शासन किया, किन्तु बाद में फ्लोरिडा लेकर उन्होंने ब्रूबा को छोड़ दिया।

ब्रूबा की स्वाधीनता की लड़ाई का इतिहास भी बहुत पुराना है। सन् १८२२ में जोसे वारंटी नामक एक व्यक्ति ने स्पेनवासियों के शासन से मुक्ति पाने के लिए गुरिल्ला-युद्ध प्रारम्भ किया था। किन्तु स्पेनवासियों ने गुरिल्ला सैनिकों को परास्त कर दिया। ब्रूबा की स्वाधीनता का मुहूर्त तब धाया, जब सन् १६०१ में हवाना बन्दरगाह में एक अमेरिकी जहाज पर एक मारी बिस्फोट हुआ, जिससे जहाज डूब गया। इसपर अमेरिकी सरकार ने स्पेन के विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी। ब्रूबा की भूमि पर वहाँ के गुरिल्ला सैनिकों ने तथा अमेरिकी सैनिकों ने मिलकर स्पेनवासियों को हरा दिया। समुद्र में अमेरिकी नौसेना ने स्पेन की नौसेना को हरा दिया।

इस प्रकार ब्रूबा को स्पेन के बंधुग से ही मुक्ति मिल गई, पर अब उम्मीद जगह अमेरिका का दिक्कत का गया। ब्रूबा की अर्थ-व्यवस्था मुख्यतः बीनी-उद्योग पर निर्भर थी और बीनी-उद्योग कुछ थोड़े-से अमेरिकी पूंजीपतियों के हाथ में केन्द्रित था। देश में गरीबी बहुत अधिक थी। ३२ साल की जनसंख्या में २ लाख से भी अधिक व्यक्ति सड़ा बेकार रहने थे।

स्पेन के हार जाने पर जो शक्य हुई थी, उसमें यह दर्ज की कि ब्रूबा पर

अमेरिका का नियन्त्रण रहेगा और यूबा अन्य किसी भी देश से कोई सैनिक नहीं करेगा। बाद में मन् १९३३ में सन्धि का यह भाग रद्द कर दिया गया, पर अमेरिका ने यूबा में स्वाटेनामो नामक सैनिक झुंडा अपने अधिकार में रखा। उसके बाद की कहानी गरीबी, शोषण, कुशासन और आपाधापी की एक लम्बी कहानी है। एक के बाद एक कई सरकारें बनीं, परन्तु वे सब पूंजीपतियों के हाथों में खेलती रहीं। सामक लोग अपना उल्लू-सीघा करते रहे और देश की गरीबी की समस्या दिनों-दिन विकट होती गई।

अन्त में यूबा के शासन की बागडोर जनरल फुलवैरिया वैंडिस्टा ए वी-यार के हाथ में आ गई। पहले तो उसने एक के बाद एक तीन राष्ट्रपतियों बनाया और फिर उन्हें पद छोड़ने के लिए विवश कर दिया। फिर उसने सत्त अपने हाथ में ले ली और सन् १९४० में वह बाकायदा राष्ट्रपति चुना गया। सन् १९४० तक वह राष्ट्रपति रहा। उसका शासन बहुत ही भ्रष्टाचारपूर्ण था।

सन् १९४० में उसका राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया। पर १९४२ ई० में उसने सेना और पुलिस के जोर से फिर शासन पर कब्जा कर लिया। प्रजा वैंडिस्टा के साथ नहीं थी। वह उनके भ्रष्ट शासन से परेशान थी और उलठे मुक्ति पाने के लिए बेचैन थी। उन दिनों २६ जुलाई, १९४३ ई० को डाक्टर फीडेल कैंस्ट्रो ने, जो छात्रकल यूबा के प्रधानमंत्री हैं, वैंडिस्टा सरकार के वि-गुरिस्ता-युद्ध का श्लोकावली किया। यह युद्ध साढ़े पाँच वर्ष तक चलता रहा।

डा० कैंस्ट्रो की जनता का समर्थन प्राप्त था, इसलिये अन्त में उनकी शक्ति के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई।

समुक्त-राज्य अमेरिका की सरकार पश्चिमी गोलार्ध में किसी राज्य में साम्यवादी सरकार की स्थापना नहीं सह सकती थी। १९६० ई० में अमेरिका में प्रतिष्ठित और अमेरिका की आर्थिक सहायता एवं सार्वस्विकी से गठित यूबा के कुछ मन्त्रों ने यूबा पर आक्रमण किया। उनका उद्देश्य था कि शासन-व्यवस्था से डा० कैंस्ट्रो की सरकार को उन्मत्त किया जाए। परन्तु डा० कैंस्ट्रो की सेना भी तैयार थी। आक्रमणकारियों को मुद्द की जानी पड़ी। बहुत-से मारे गए।

के तत्पश्चात् बन्दी बना लिए गए। अमेरिका ने इसे अपने लिए अपमानजनक सम्पत्ति।

इस पराजय का बदला लेने के लिए अमेरिका फिर आक्रमण का प्रयत्न करेगा, इस मय से डॉ० कैंस्ट्रो ने रूस से सहायता मांगी। रूस सहायता देने को तैयार हो गया। उसने न केवल आधिक सहायता दी, अपितु युद्ध-सामग्री, वास्तुशस्त्र, विमान और राकेट भी दिए, जिनसे आक्रमण का मुकाबला तो किया ही जा सके, साथ ही यदि आवश्यकता पड़े, तो राकेटों द्वारा अमेरिकी नगरों को भी नष्ट किया जा सके।

यह सब सामग्री क्यूबा पहुंच भी गई। अमेरिकी विमानों ने आकाश से जो फोटो लिए, उनसे पता चला कि क्यूबा में राकेट और प्रक्षेपणास्त्र छोड़ने के अड्डे तैयार हो रहे हैं। वैसे कानूनी दृष्टि से क्यूबा को यह सब करने का हक था, परन्तु 'बसं धर्मोऽनुवर्तते' (धर्म तो बल का अनुसरण करता है)। अमेरिका ने कहा कि क्यूबा की इस तैयारी से हमारी सुरक्षा को खतरा है, इसलिए हम इस तैयारी को नहीं चलने देंगे; यदि वे राकेट और राकेट छोड़ने के अड्डे तुरन्त क्यूबा से न हटाए गए तो हम क्यूबा पर आक्रमण कर देंगे; क्यूबा जाने वाले सब जहाजों की तलाशी ली जाएगी।

अन्तरराष्ट्रीय कानून की दृष्टि से यह निरी धींगामुस्ती थी। रूस ने कहा कि इस प्रकार जहाजों की तलाशी लेना तो सुली ठकैती है; हमारे क्यूबा जाने वाले जहाज तलाशी नहीं देंगे और यदि उन्हें रोका गया, तो वे सहकर अपना रास्ता बनाएंगे।

उस समय सारी दुनिया युद्ध की भासंका से कांप गई; और सचमुच युद्ध छिड़ने में कुछ देर भी नहीं थी। पर रूसी नेताओं ने युद्ध न होने देने के लिए यह निश्चय किया कि उनके जहाज क्यूबा की ओर न जाएं और वापस लौट जाएं। इस प्रकार उस समय युद्ध का संकट टल गया।

घाट में संयुक्त राष्ट्रसंघ के बीच-बचाव करने पर अमेरिका और रूस में क्यूबा के सम्बन्ध में एक समझौता हो गया, जिसके अनुसार रूस ने वे राकेट और प्रक्षेपणास्त्र, जिनके विषय में अमेरिका को आपत्ति थी, क्यूबा से वापस

बनाकर किया जा सकता है। इस कारण पूर्वी बलिन के समर्थ लोग पश्चिमी बलिन में जाना चाहते हैं। जो लोग अधिक कुशल कारीगर प्रयत्न अन्य किमी दृष्टि से योग्य हैं, वे समझते हैं कि पश्चिमी बलिन या जर्मनी में पहुँचकर अधिक समृद्ध जीवन बिता सकेंगे। इसलिए वे प्राणपण से पश्चिमी बलिन में जा का यत्न करते हैं।

पूर्वी जर्मनी की साम्यवादी सरकार भी इस बात को समझती है। कनूचे साम्यवादी पूर्वी जर्मनी के बीच में पूँजीवादी पश्चिमी बलिन साम्यवादियों को छाती में गड़े कांटे जैसा प्रतीत होता है। इसलिए वे उसे उखाड़ बाहर करना चाहते हैं। पश्चिमी बलिन का संभव साम्यवाद के लिए स्याई बुनौती प्रतीत होता है।

सन् १९५६-५७ में रुस ने पश्चिमी बलिन की प्राधिक नार्वेबन्दी कर दी थी। तब ब्रिटेन और अमेरिका के लिए यह भावदपक हो गया था कि वे विमान द्वारा आवश्यक सामग्री पश्चिमी बलिन में पहुँचाएँ। यद्यपि विमानों द्वारा इस प्रकार सामग्री पहुँचाना बहुत कठिन और महंगा कार्य था, पर ब्रिटेन और अमेरिका को वह करना पड़ा। बाद में रुस ने अपनी धेराबन्दी समाप्त कर दी।

सन् १९६० से रुस यह धमकी दे रहा है कि यदि ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस जर्मनी के भविष्य के विषय में उससे सहमत नहीं होंगे, तो वह पूर्वी जर्मनी से अनेके ही एक सन्धि कर लेगा और बलिन में जो प्राधिकार रुस को प्राप्त है, उन्हें पूर्वी जर्मनी को सौंप देगा।

यदि ऐसा हो जाए, तो ब्रिटेन और अमेरिका के लिए टेड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ये दोनों देश पूर्वी जर्मनी की सरकार के प्रतिबन्ध को ही स्वीकार नहीं करते। उनका कथन है कि हमारी सन्धि तो रुस के साथ हुई है और उभी सन्धि के बल पर हम बलिन में हैं; उस सन्धि को पापने का वाणिज्य हदियों पर है। पर यदि रुसो बढ़ाई ही नहीं, तो उन्हें विवश होकर पूर्वी जर्मनी की सरकार से व्यवहार करना पड़ेगा। पूर्वी जर्मनी की सरकार फिर सट्टा और रैन के मार्ग को बन्द करके पश्चिमी राष्ट्रों के लिए विनट समस्या सृष्टि कर सकती है।

यदि पश्चिमी राष्ट्र बलपूर्वक सड़क धीरे रेल का उपयोग करना चाहेंगे तो युद्ध प्रारम्भ हो जाएगा ।

पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी की धार्मिक विपत्तता से लोगो पर जो बुरा प्रभाव पड़ता था, उसको रोकथाम के लिए पूर्वी जर्मनी की सरकार ने अपने नागरिकों का पश्चिमी बलिन में जाना रोक दिया । उससे पहले रोज़ सातों व्यक्ति पूर्वी बलिन से पश्चिमी बलिन भाते जाते थे । इन प्रतिबन्ध से उन सबको बहुत असुविधा हुई । हजारों परिवार पूर्वी और पश्चिमी बलिन में बंटे हुए थे, अर्थात् उनके कुछ सदस्य पूर्वी बलिन में रहते और कुछ पश्चिमी बलिन में । अब ये सदस्य एक-दूसरे से स्थायी रूप से बिछड़ गए ।

सब लोग प्रतिबन्ध को तोड़कर लुके-छिपे पश्चिमी बलिन में जाने लगे । प्रतिबन्ध को दृढ़ता से लागू करने के लिए पूर्वी जर्मन सरकार ने बलिन शहर के बीच में अपने क्षेत्र की सीमा के साथ-साथ छः फुट ऊंची एक पक्की दीवार बनवा दी । इससे नगर का विभाजन भी पक्का हो गया है । इन दीवार को लांघने की चेष्टा करते हुए सैकड़ों आधामी गोली के शिकार हो चुके हैं और सैकड़ों भागकर पश्चिमी बलिन पहुंचने में सफल भी हुए हैं ।

ब्रिटेन और अमेरिका का दावा है कि उन्हें पश्चिमी बलिन में रहने का हक है और इन हक को वे छोड़ेंगे नहीं ; इसके लिए आवश्यकता हुई तो वे लड़ेंगे भी । परन्तु सही बात यह है कि यदि साम्यवादी रुस पश्चिमी बलिन का गला दबोचना चाहे, तो वह बिना लड़े ही उसे इतना तंग और परेशान कर सकता है कि पश्चिमी बलिन के निवासी ही ब्रिटेन और अमेरिका को रुस से समझौता करने के लिए विवश करेंगे ।

सन् १९६२ के अन्त में क्यूबा के प्रश्न पर रुस और अमेरिका में समझौता-सा हो जाने के फलस्वरूप बलिन समस्या कुछ समय के लिए दब गई दीखती है । पर यह निश्चित है कि रुस और अमेरिका में तनिक-सा भी वैमत्य होते ही यह फिर मड़क उठ सकती है—यहां तक कि आगामी युद्ध का मंगलाचरण भी यहीं से हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं ।



## भारत की खाद्य-समस्या

सन् १९२० से पहले घोर बाद के भारतवर्ष में कई दृष्टियों से बहुत स्पष्ट-अंतर पड़ गया है। पहले भारतवर्ष की जनसंख्या कम थी, किन्तु सन् १९२० के बाद यह तेजी से बढ़नी शुरू हुई। जनसंख्या बढ़ने के कारणों में सबसे बड़ा हाथ चेचक, हैजा, प्लेग इत्यादि बीमारियों के निरोधक टीकों का रहा है। पहले इन रोगों से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में व्यक्ति मर जाते थे, जो निरोधक टीकों के प्रयोग से मरने बन्द हो गए। इससे जनसंख्या बढ़नी शुरू हुई और उसके साथ-साथ भ्रष्ट की दृष्टि से भारत की स्थिति चिन्तनीय हो गयी। सन् १९२० से पहले देश में इतना भ्रष्ट होता था कि अपनी आवश्यकता को पूरा करने के बाद भी उसमें निर्यात किया जा सकता था। परन्तु सन् १९२० के बाद भारत का भ्रष्ट भारत की आवश्यकता पूरी करने के लिए भी कम पड़ने लगा।

भारत कृषि-प्रधान देश है, इसलिए यहाँ भ्रष्ट की कमी होना विपत्ति का सूचक समझा जाना चाहिए। यदि कृषि-प्रधान देश अपने निवासियों के पेट भरने के लिए भ्रष्ट बाहर से मंगाए, तो उसका निर्यात होना कठिन है। परन्तु लगभग पिछले कई वर्षों से हमें प्रतिवर्ष भ्रष्ट का कुछ न कुछ आयात करना ही पड़ रहा है। द्वितीय विश्व-युद्ध से पहले भी भारत प्रतिवर्ष बर्मा से सातों टन चावल मंगाता था। जब युद्धकाल में बर्मा का चावल भ्रष्ट बन्द हो गया, तो देश में भ्रष्ट का संकट उत्पन्न हो गया। भ्रष्ट के दाम बहुत ऊँचे बढ़ गए। उन ऊँचे दामों पर भी भ्रष्ट मिलना शुरू हो गया। उसके बाद से लेकर अब तक भ्रष्ट के दाम कुछ ऊँचे ही गए हैं तो पर ही, नीचे नहीं आए। सन् १९५१ में दो अरब पन्द्रह करोड़ रुपये का घोर सन् १९५२ में दो अरब तीस करोड़ रुपये का भ्रष्ट विदेशों से मंगाया गया। इसी भारी व्यय की दृष्टि में रखकर योजना-आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक भ्रष्ट कृषि पर दिया था। कृषि के सुधार के लिए नदी-घाटी योजनाओं को सबसे पहले पूरा करने का प्रयत्न किया गया, जिसे सदियों पर बने बाँधों से महर्षे निकालकर अधिकारिक भूमि की सिर्चाई की जा सके। ऐसी योजना की गई थी कि प्रथम पंच-

पर्याय योजना की समाप्ति पर देश अन्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाएगा। परन्तु ऐसा बीज पड़ता है कि अन्न का उत्पादन बढ़ने के बाद भी अभी तक हमारे देश में अन्न अपनी आवश्यकता की अपेक्षा कम ही उत्पन्न होता है और इन समय भी हमें विदेशों से अन्न का आयात करना पड़ रहा है।

हमारे देश में कुल ८१ करोड़ एकड़ भूमि है। सन् १९५४-५५ में इसमें से ३१ करोड़ ५० लाख एकड़ भूमि पर खेती की गई। सन् १९५०-५१ में केवल ५ करोड़ १५ लाख एकड़ भूमि ऐसी थी, जहाँ सिंचाई का प्रबन्ध था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाए गए बाधों से १ करोड़ ६० लाख एकड़ भूमि की और सिंचाई होने लगी है। दोष भूमि पर खेती केवल अनिश्चित वर्षों के सहारे ही होती है। जितनी भूमि पर खेती होती है, उसके ८० प्रतिशत भाग में साधारण ही बोए जाते हैं। इसमें एक निष्कर्ष यह निकलता है कि जिस भूमि पर सिंचाई नहीं हो रही, उसको सिंचाई योग्य बनाकर कृषि की उपज अवश्य बढ़ाई जा सकती है, किन्तु कुल कृषि में खाद्यान्नों का अनुपात बढ़ाना शायद सम्भव न होगा।

इस प्रकार जहाँ हमारी खाद्य-समस्या के दो बड़े-बड़े कारण बढ़ती हुई जनसंख्या और कृषि योग्य भूमि की अल्पता है, वहाँ खाद्य-समस्या को विकट बनाने वाले कुछ और कारण भी हैं। उनमें से सबसे बड़ा कारण यह है कि जितना अन्न पैदा होता है, उसका भी सही-सही उपयोग नहीं हो पाता। देश में अन्न को रखने के लिए अच्छे गोदामों की व्यवस्था नहीं है; इसलिए बहुत-सा अन्न सड़-पतकर गट हो जाता है। उसे खूँहे खा जाते हैं। उसके बाद भी जो अन्न शेष बचता है, उसका वितरण ठीक नहीं हो पाता। व्यापारी लोग अन्न को दबाकर, दिखाकर रख लेते हैं और इस प्रकार एक नकली तंगी पैदा करके मनमाना मुनाफा कमाते हैं। व्यापारियों की रोक-थाम करने के लिए सरकार कई कानून बनाती है; प्रतिबन्ध और नियन्त्रण लागू करती है, किन्तु जब तक बाजार में पर्याप्त अन्न उपलब्ध न हो, सब तक ये प्रतिबन्ध और नियन्त्रण स्थिति को और बिगाड़ने में सहायक होते हैं, सुधारने में नहीं।

इन प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि हमें देश की खाद्य-समस्या को हल करना हो तो हमें अनेक दिशाओं से प्रयत्न करना होगा। सबसे पहला प्रयत्न तो जनसंख्या



## भारतीय कृषि की समस्याएं

भारत की ८५ प्रतिशत जनता कृषि करके अपना जीवन-निर्वाह करती है, इसलिए यह कहना उचित होगा कि कृषि भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। यो तो भारत लगभग सदा से ही कृषि-प्रधान देश रहा है, किन्तु अंग्रेजों का राज्य बनने से पहले यहां के उद्योग-धन्धे भी बहुत विकसित थे और उनसे देश को बहुत बड़ी आय होती थी। समय पाकर अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए उन उद्योगों को योजनापूर्वक नष्ट कर दिया और देश की जनता को कृषि पर निर्भर रहने के लिए विवश कर दिया। देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग आधा भाग कृषि द्वारा प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट है कि भारत के लिए कृषि और उसकी समस्याएं अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

कृषि हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था का मेरुदण्ड है। सभी खाद्य-वस्तुओं के लिए देश के निवासी कृषि पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त देश के अनेक उद्योग भी कृषि के आघार पर ही चलते हैं। उन उद्योगों के लिए कच्चा माल देश में खेती द्वारा ही उत्पन्न होता है; जैसे वस्त्र-उद्योगों के लिए कपास, चीनी के लिए गन्ना, तेल के लिए तिलहन और जूट-उद्योग के लिए कच्चा जूट। इस कारण कृषि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है; क्योंकि कृषि की दसा बिगड़ने या सुपराने के साथ-साथ इन उद्योगों की दसा भी बिगड़ या सुधर जाएगी।

यद्यपि हमारे देश में कृषि बहुत पुराना धन्धा है, फिर भी हमारी कृषि बहुत विपरीत हुई है। हमारे देश में आठारह करोड़ एकड़ भूमि पर खेती होती है; फिर भी साधानों की दृष्टि से हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं है। हमें प्रतिवर्ष बहुत बड़ी मात्रा में अन्न विदेशों से मंगाना पड़ता है। संसार के अन्य देशों की तुलना में भारत में होने वाली प्रति एकड़ उपज बहुत कम है। जहाँ एक ओर मिस्र में प्रति एकर १७ मन, इटली में १८ मन, जापान में २५ मन और जर्मनी में ३० मन गेहूं उत्पन्न होता है, वहाँ भारत में प्रति एकड़ केवल ६ मन गेहूं उत्पन्न होता है।

हमारे देश में प्रति एकड़ इतनी कम उपज के कारण कई हैं। जैसे हमारे देश

के विमान ध्वज देगों की संख्या कुछ अधिक ही परिश्रमी है और हजारों मूनि भी ध्वज देगों की तुलना में कम उपजाऊ नहीं है, परन्तु हमारे यहाँ और कई ऐसी ध्वजियाएँ हैं, जिनके कारण वृषि मुषाह रूप से नहीं हो पाती। वे कारण निम्नलिखित हैं :

वृषि की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हमारे देश में समान बहुत छोटे-छोटे खेतों में बंटी हुई है। पहले तो प्रत्येक किसान के पास जो भूमि है, वह इतनी थोड़ी है कि उससे उसका भली भाँति निर्वाह नहीं हो सकता; और इससे भी बुरी बात यह है कि एक किसान की सारी भूमि एक जगह नहीं होती, अपितु यह भस्म-भस्म कई छोटे-छोटे खेतों में बंटी होती है। इनमें से एक खेत बर्तौ होता है और दूसरा खेत बहुत दूर कहीं और। इसलिए किसान अपनी खेती की सिंचाई के लिए भी कोई प्रबन्ध नहीं कर सकता और न फसल के बचाव के ही ध्यान पर हो, तो वह सिंचाई और फसल की रक्षा का प्रबन्ध भली भाँति कर सकता है। उत्तरप्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में एक-एक और दो-दो बीघे के खेतों की कमी नहीं और हजारों खेत तो इतने छोटे हैं कि उनमें बैलों द्वारा हल चला पाना भी सम्भव नहीं है।

भारत में वृषि की दूसरी समस्या है सिंचाई। देश के अधिकांश भागों में खेती कोई याकायदा उद्योग न होकर बहुत कुछ जुए जैसी होती है, जो वर्षा होने का ग होने पर निर्भर रहती है। लोग भगवान के भरोसे रहकर खेतों में बीज बो देते हैं और भाकास की ओर देखते रहते हैं। यदि समय पर ठीक वर्षा हो गई, तो उनकी फसल अच्छी हो जाती है और यदि वर्षा न हुई, तो बौए हुए बीज का भी मुकसान हो हो जाता है। सिंचाई के लिए नहरें और कुएँ अतिनी मात्रा में होने चाहिए, नहीं हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में इस कमी की ओर ध्यान दिया गया था और इसे पूरा करने का प्रयत्न भी किया जा रहा है।

हमारा देश बहुत कुछ पुराणपन्थी देश है। यहाँ के लोग प्राचीन परम्पराओं से रहते हैं। इसलिए धात्र के मुग में भी, जबकि वृत्त, अमेरिका, खेती के सब काम मशीनों द्वारा होते हैं, हमारे यहाँ सारी

सेती पुराने ढंग के हलों, फावड़ों और खुरपों के द्वारा ही की जाती है। इसी प्रकार सेती की पद्धतियां भी हमारे यहां अभी तक पुरानी ही चली आ रही थीं; किन्तु अब धीरे-धीरे नई पद्धतियों की धोर ध्यान दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए रई राज्यों में धान की सेती के लिए जापानी पद्धति अपनाई गई है, जिसका परिणाम बहुत लाभकारी हुआ है।

कृषि के लिए अच्छे बीज होना बहुत आवश्यक है। यदि बीज अच्छा नहीं होगा, तो फसल अच्छी नहीं हो सकती। हमारे यहां गरीबी के कारण किसान लोग फसल के समय अच्छा भ्रष्ट बीज के लिए सभालकर नहीं रख पाते। जब बीज का समय आता है, तब वे गांव के बगिचे के पास जाने हैं और वह जो कुछ घटिया रिस्म का बीज दे देता है, उसीका बीज लेते हैं। इसी तरह हमारे किसानों के पास सेती के पशु भी अच्छे नहीं होते। जब तक भारत में कृषि का पूरी तरह यन्त्रीकरण नहीं होता, तब तक इन पशुओं पर ही सेती का सारा भार है। इसलिए इनकी नसल सुधारने की कोई न कोई व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।

हमारे देश में किसान लोग अधिकांशतः अशिक्षित हैं; और जहां अशिक्षा होती है, वहां अन्धविश्वास खूब पनपते हैं। अशिक्षित होने के कारण किसान लोग कृषि के सम्बन्ध में पुस्तकों और समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले नवीनतम ज्ञान का लाभ नहीं उठा सकते और अन्धविश्वासों में फसे होने के कारण वे अनेक प्रकार से हानि उठाते रहते हैं। जंगली पशुओं और टिड्डी आदि से फसल की रक्षा करने के साधन भी उनके पास नहीं के बराबर हैं।

कुछ वर्ष पूर्व तक जमींदारी-प्रथा भी कृषि के विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ा रोड़ा थी। किन्तु अब तो सभी राज्यों में कानून बनाकर जमींदारी-प्रथा का अन्त कर दिया गया है। यह जमींदारी-प्रथा अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ को दृष्टि में रखते हुए चलाई थी। जमींदारों को यह अधिकार था कि वे जब चाहें, किसी भी किसान को बेदाखल करके उसकी जमीन किसी दूसरे आदमी को सेती के लिए दे दें। जमींदार जमीन से पैसा कमाते तो वे किन्तु उस जमीन के सुधार के लिए वे कोई प्रयत्न नहीं करते थे। किसान भी जमीन को सुधारने के लिए कोई कोशिश नहीं करता था, क्योंकि उसे यह भरोसा ही नहीं होता था कि जमीन अगले साल

उसके पास रहेगी भी या नहीं। इसलिए जमीन की दशा उस गाय की तरह बिगड़ती चली गई, जिससे दूध तो रोज़ डुहा जाता हो और जिसे खाने को कुछ न दिया जाता हो। परन्तु भव जमीन-प्रथा के समाप्त हो जाने से यह स्थिति सर्वथा खत्म हो गई है। क्योंकि जमीन पर उस किसान का ही अधिकार स्वीकार कर लिया गया है, जो उसपर खेती करता है।

सभी उन्नत देशों में कृषि की उपज बढ़ाने के लिए खादों का प्रयोग किया जाता है। पशुओं के गोबर इत्यादि को सड़ाकर बनाए गए खाद के प्रतिरिक्त रासायनिक खाद भी उपज बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं। हमारे भारत में रासायनिक खादों का प्रयोग तो अभी बहुत दूर की बात है, गोबर के खाद का भी समुचित उपयोग यहां नहीं हो पाता। देश के अनेक हिस्सों में किसान गोबर को ईंधन के रूप में जला डालते हैं और जहां गोबर के खाद का उपयोग किया भी जाता है, वहां बहुत बेइंधेपन से। बिसाल और ज्येष्ठ की कड़ी गर्मी के दिनों में खाद की डेरियां सूखी जमीन पर लगा दी जाती हैं, जिससे पौधों को जीवन देने वाली नाइट्रोजन गैस उसमें से बिल्कुल निकल जाती है। किसानों को खाद का सही ढंग से प्रयोग करने की विधि सिखाई जानी चाहिए।

वर्षा द्वारा भूमि के कटाव की समस्या भी एक बड़ी समस्या है, जिसकी धोर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहले देश के काफी बड़े भाग में घने जंगल होने के कारण बाढ़ें कम आती थीं और भूमि का कटाव कम होता था। परन्तु घटते-घटते जाने से भूमि का कटाव बहुत बढ़ गया है और इस कारण बहुत-सी भूमि खेती के लिए अनुपयोगी होती जाती है।

देश की कृषि को सुधारने के लिए इन सभी समस्याओं की धोर ध्यान दिया जाना चाहिए। बंते हमारी सरकार इस सम्बन्ध में प्रयत्न भी कर रही है, किन्तु उस प्रयत्न की गति बहुत मन्द है। भूमि के छोटे-छोटे तहों में बंटे होने की समस्या का उपाय अचरन्दी है। देश के अनेक भागों में अचरन्दी-आन्दोलन प्रारंभ हो चुका है। परन्तु उसकी जाल धींटी से भी धीमी है। अचरन्दी-आन्दोलन को तेजी के साथ बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए, जिनसे अचरन्दी हीनता और सरपटा से हो सके। बंदिब और भी प्रगदा तो यह है कि बंदि-

कारी कृषि का धान्दोलन प्रारम्भ किया जाए। एक गांव के सब किसानों की जमीन एक जगह मिला ली जाए, और उसपर आधुनिक यंत्रों की सहायता से खेती की जाए। फसल को सब किसान भापस में बांट लें।

इसी प्रकार निचार्ड और यंत्रों की समस्या का भी हल किया जाना चाहिए। नरो-पाटी योजनाओं द्वारा सिंचाई की समस्या बहुत कुछ हल हो जाएगी; क्योंकि इन जमीन योजनाओं में बड़ी-बड़ी नहरें निकालने की व्यवस्था की गई है। जिन प्रदेशों में नहरें न पहुंच सकें, वहाँ ट्र्यूबवेल लगाकर सिंचाई का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। देश में कृषि के आधुनिक उपकरण बनाने के कारखाने खोले जाने चाहिए।

सबसे अधिक ध्यान किसानों की न केवल साक्षर, अपितु शिक्षित बनाने पर दिया जाना चाहिए। यदि किसान पढ़े-लिखे होंगे, तो वे न केवल कृषि की समस्याओं को स्वयं अच्छी तरह समझ सकेंगे, अपितु उनके हल भी स्वयं निकाल सकेंगे। उस देश में अच्छे बीजों और अच्छे खादों के प्रयोग का प्रचार चलाने से करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

इस समय हमारे देश में साक्षरता की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। इसका मुख्य कारण हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या भी है। जब तक जनसंख्या की वृद्धि को रोकने का कोई प्रभावी उपाय न निकल आए, तब तक नई-नई जमीन की कृषि योग्य बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। अभी भी देश में लगभग पांच करोड़ एकड़ भूमि ऐसी है, जिसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। अनेक राज्यों में भूमि छोड़ने का काम जोर-शोर से चालू भी है।

इसके अतिरिक्त कृषि के सम्बन्ध में नये-नये अनुसन्धान की ओर भी सरकार सचेत है। दिल्ली में कृषि-अनुसन्धान की एक बड़ी अनुसन्धान-संस्था है। इसके अतिरिक्त करनाल, कानपुर, बंगलौर, मुंबई-स्वर इत्यादि में भी कृषि कालेज तथा अनुसन्धाननालाएं खुली हुई हैं।

आवश्यकता आविष्कार की जननी है। देश में इस समय कृषि का उत्पादन बढ़ाए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। सरकार और जनता दोनों ही इसके लिए कटिबद्ध हैं। इसलिए इसमें सन्देह नहीं कि उत्पादन बढ़ाने के उपाय भी निव्वल ही आएंगे। सब ओर जैसा प्रयत्न चल रहा है, उसको देखते हुए यह भी



भरोसा होता है कि कृषि की दशा में कुछ ही वर्षों में इतना कार्का सुधार जाएगा कि देश धन्न की दृष्टि से पूरी तरह आत्मनिर्भर हो सकेगा।

अन्य संभावित शीर्षक

## १. भारत में कृषि-सुधार

### भूमि-सम्बन्धी सुधार

भारत का सबसे बड़ा उद्योग कृषि है। कृषि को उन्नत करने के लिए यह की भूमि की स्थिति को सुधारना आवश्यक है। इसके लिए एक ओर तो यह जरूरी है कि अधिकाधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया जाए, दूसरी ओर यह कि भूमि का स्वामित्व उचित रीति से नियन्त्रित किया जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि की दशा को सुधारने के लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाया गया था, जिसके अन्तर्गत (१) राज्य और वास्तविक किसान के मध्यवर्ती लोगों को हटा दिया जाना था, (२) भू-स्वामी के अधिकारों का ध्यान रखते हुए किसानों को यह अधिकार दिया जाना था कि वे एक नियत मुदावजा देकर भूमिपर होने वा अधिकार प्राप्त कर लें, (३) भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा नियत की जानी थी और (४) चकबन्दी भूमि के विलोपनीकरण पर प्रतिबन्ध तथा सहकारी कृषि इत्यादि के द्वारा कृषि का ऐसे रूप में पुनर्गठन किया जाना था, जिससे अन्त में जाकर सब गांवों का प्रबन्ध सहकारिता के आधार पर चल सके।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में जमींदारी उन्मूलन और भूमि पर किसानों के वास्तविक अधिकार का कार्यक्रम सगमग पूरा हो चुका है। एक-दो राज्यों को छोड़कर सब राज्यों में कानून द्वारा जमींदारी समाप्त कर दी गई है। जमींदारों को उनकी जमीनों के लिए मुदावजा दिया गया है। छोटी जमीन वालों को अपेक्षाकृत अधिक दर पर और अधिक भूमि वालों को अपेक्षाकृत कम दर पर मुदावजा मिला है। इस प्रकार के मुदावजे के रूप में राज्य-सरकारों द्वारा कुल ४१०

करोड़ रुपये की राशि चुकाई गई है।

किसानों की स्थिति सुधारने के लिए एक और नियम यह बनाया गया कि भूमि का अधिकतम सगान उपज का एक-चौपाई या पाचवां भाग होना चाहिए। इस प्रकार अनेक राज्यों में सगान पहले की अपेक्षा कुछ घटा दिया गया है। इससे किसानों को काफी धाराम मिलेगा।

भूमि पर अधिकार की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए गए हैं। यह यत्न किया गया है कि जो लोग भूमि पर खेती कर रहे हैं, उनको उम भूमि से हटाया न जा सके और वे कुछ बिरतों में भूमि का मूल्य चुका देने के बाद भूमि के स्वामी मान लिए जाएं। कुछ राज्यों में दस साल का लगान एकसाय चुका देने से किसान को भूमि पर बे अधिकार दे दिए गए हैं और किसानों ने बड़े उत्साह के साथ इस सुविधा का लाभ उठाया है।

इसके साथ ही देश की जनसंख्या और कृषि योग्य भूमि को दृष्टि में रखते हुए योजना-आयोग ने यह सिफारिश की थी कि इस बात की सीमा निश्चित कर दी जाए कि एक व्यक्ति अपने पास अधिक से अधिक कितनी भूमि रख सकता है। इस सम्बन्ध में पंजाब, पश्चिमी बंगाल, जम्मू और काश्मीर और असम में कानून भी बना दिए गए हैं। अनेक राज्यों ने इस सम्बन्ध में नियम बना दिए हैं कि भविष्य में कोई व्यक्ति समुक्त मात्रा से अधिक भूमि ले नहीं सकेगा। बम्बई में अधिकतम भूमि प्राप्त कर सकने की सीमा २२ से ४८ एकड़ तक है; उत्तरप्रदेश और दिल्ली में यह सीमा ३० एकड़ है, और मध्यभारत में ५० एकड़। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसे उपाय भी किए गए हैं जिससे भूमि का छोटे-छोटे टुकड़ों में विखंडन न हो सके और साथ ही चक्रवर्ती द्वारा छोटे-छोटे टुकड़ों को मिलाकर उनके बड़े-बड़े खेत बनाए गए हैं जिससे कृषि सुविधाजनक हो सके।

भूमि-सम्बन्धी सुधारों के सम्बन्ध में बर्चा करते हुए श्री विनोवा भावे के भूदान-आन्दोलन का उल्लेख करना आवश्यक होगा। सन् १९५१ में श्री विनोवा भावे ने भूमिहीन मजदूरों के लिए बड़े-बड़े जमींदारों से भूमि मांगना प्रारम्भ किया था। उस समय यह आन्दोलन छोटा-सा था, परन्तु अब यह सारे देश में फैल गया है। सितम्बर १९५६ तक ४१॥ लाख एकड़ भूमि दान के रूप में एकत्र की जा चुकी

थी। यह भूमि १६०,००० लोगों ने दी थी। श्री विनोबा ने अपने सामने य सदाय रखा है कि देश के एक करोड़ भूमिहीन परिवारों में से प्रत्येक को १ एक-भूमि दिसवा दी जाए। जिस प्रकार यह धन्दोलन लोकप्रिय हुआ है, उससे प्राप्त संघती है कि बिना रक्तपात भयवा कानूनी बल-प्रयोग के ही भूमि का लोगों में समान और उचित वितरण हो सकेगा।

सन् १९५६ के जनवरी मास में नागपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भूमिके सम्बंध में एक नया महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि देश में सामूहिक खेत बनाए जाने चाहिए। इस और चीन में कृषि की उपज बढ़ाने और कृषि में मशीनों का उपयोग करने के लिए छोटे-छोटे खेतों को मिलाकर बड़े-बड़े सामूहिक खेत बना दिए गए थे, जिनपर सब गांव वालों का सम्मिलित अधिकार होता था। इससे उस देश के किसानों को भी लाभ पहुंचा और कृषि की उपज भी बढ़ गई। वस्तुतः सामूहिक खेती समाजवाद का एक अंग है। हमारे देश में भी कांग्रेस ने समाजवादी समाज की स्थापना को अपना लक्ष्य बनाया है। इसलिए सामूहिक खेती का मुभाव हर तरह से उचित ही है; बल्कि भारत के साम्यवादी दल ने तो इस कार्यक्रम को पूरा करने में सहयोग देने का भी वचन दिया है।

परन्तु समाजवाद का भागमन शायद इतनी सरलता से न हो सके। पुरानी पूंजीवादी व्यवस्था में पले हुए जिन लोगों के हितों को समाजवादी व्यवस्था से धांच पहुंचेगी, वे समाजवाद का विरोध करने में कुछ कसर उठा न रहेंगे। इसी-लिए कुछ थोड़े-से नेताओं ने धमकी-भरे भाषण देने शुरू कर दिए हैं कि सामूहिक खेती को देश पर लादने से गृहयुद्ध और रक्तपात की सम्भावना है। परन्तु वे धमकियां किन्हीं प्रभावशाली नेताओं की ओर से नहीं आई हैं, इसलिए यही समझना चाहिए कि प्रतिक्रियावादी शक्तियों के विरोध के होते हुए भी समाजवाद की माड़ी धाये ही बढ़ती जाएगी। सब भूमि-सुधारों का अन्तिम लक्ष्य एक ही है और वह यह कि भूमि देश के लिए अधिक से अधिक उपज देती हो और उस उपज का वितरण देश के निवासियों में उचित और समान रूप से होता हो। यह लक्ष्य समाजवादी व्यवस्था में ही पूरा हो सकता है।

धर्म सम्भावित शीर्षक

१. भारत में भूमि-मस्यवा

## सामुदायिक विकास योजनाएं

भारत ग्राम-बहुल देश है। इसलिए देश की दशा सुधारने के लिए गांवों की उन्नति करना सबसे अधिक आवश्यक है। पहले-पहल महात्मा गांधी ने गांवों की दशा सुधारने की ओर ध्यान दिया। स्वाधीनता-प्रान्दोलन में भी ग्रामवासियों ने बहुत महत्वपूर्ण काव किया, उससे देश के नेताओं का ध्यान गांवों की समस्याओं की ओर गया। सन् १९४६ में सेवाग्राम, इटावा, गोरखपुर और मद्रास में स्थित फ़िरका गांव में गांवों की उन्नति के लिए परीक्षण के रूप में कुछ योजनाएं प्रारंभ की गईं। इन योजनाओं में आश्चर्यजनक सफलता मिली; इसलिए स्वाधीनता के बाद जब प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई, तब सामुदायिक विकास के लिए नब्बे करोड़ रुपये की राशि नियत की गई।

सामुदायिक विकास योजनाओं का लक्ष्य यह है कि सारे गांव की सर्वांगीण और सर्वतोमुखी उन्नति साथ-साथ हो। बहुत समय तक दासता और दरिद्रता में रहने हुए हमारे कृषक-समान की आर्थिक और मानसिक प्रवृत्ति इतनी हो चुकी है कि उसका नये सिरे से गठन आवश्यक है। किसानों में आत्मविश्वास जगाया जाना चाहिए, जिससे वे अपनी दशा स्वयं सुधारने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। पहले सरकार के कृषि, पशुपालन, सङ्कारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि विभाग एक-दूसरे से पृथक् रहकर अपना-अपना काम अलग-अलग करते थे। परन्तु सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत यह दाय दूर कर दिया गया है और इन सब विभागों में एकसाथ उन्नति के लिए संगठित प्रयत्न किया जा रहा है। ग्राम-वासियों में ऐसी अभिज्ञता जगाई जा रही है कि वे अपने धर्म और सधियों का उपयोग अपनी उन्नति के लिए करने लगे।

सामुदायिक विकास में, जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है, ग्राम की सर्वतोमुखी उन्नति पर बल दिया गया है, इसलिए सबसे अधिक ध्यान तो कृषि की उन्नति पर दिया गया है, साथ ही स्थानीय उद्योग-धन्धों और छोटे पैमाने पर बसकने वाले उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सड़कें बनाकर गांवों में सहृदय संचार की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन के साधन जुटाए जा रहे हैं। रहने के मकानों का सुधार किया जा रहा है और पंचायत जैसी स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कृषि, उद्योग, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, निवास और नागरिकता, सभी दिशाओं में गांवों की उन्नति इस कार्यक्रम का ध्येय है।

यह स्पष्ट है कि देश की विशालता को देखते हुए इतना बड़ा कार्य केवल सरकार के प्रयत्न से पूरा होने वाला नहीं है। सरकार के पास इसे पूरा करने के लिए आवश्यक धन भी नहीं है। इसलिए यह कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है, जबकि देश की जनता इसे पूरा करने के लिए धन और श्रम के रूप में पूरा सहयोग दे। इसके लिए यह तरीका अपनाया गया है कि सरकार तो योजना और संगठन का प्रबन्ध करती है और उसके व्यय का कुछ भग भी वहन करती है, परन्तु मुख्यतया कार्य का सारा भार उस प्रदेश के लोगों को अपने ही कंधों पर उठाना होता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित किए गए अफसरों का काम यह है कि वे लोगों को सही दिशा दिखाएं और उत्पादन बढ़ाने और वित्त-संचय करने के तरीके बतलाएं। परन्तु उन तरीकों पर प्रयत्न करने के लिए अधिकृत धन और श्रम-व्यय ग्रामवासियों को ही करना होता है।

इस सम्बन्ध में सरकारी अफसर सभी स्तरों पर जनता के प्रतिनिधियों से संपर्क बनाए रखते हैं। योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में पंचायतों का सहयोग लिया जाता है। ग्रामों के लिए बनाई गई योजनाओं पर वनाक-सलाहकार समितियाँ, जिला-सलाहकार समितियाँ और राज्य-सलाहकार समितियाँ विचार करती हैं। इन समितियों में सरकारी अफसरों के प्रतिनिक्त जनता के नेता भी लिए जाते हैं।

सामुदायिक विकास-कार्यक्रम २ अक्टूबर, १९६२ को प्रारम्भ किया गया था।

उस समय ५५ सामुदायिक परियोजनाएं प्रारंभ हुई थीं। एक-एक परियोजना के अन्तर्गत मोटे तौर पर ३००-३०० गांव थे, जिनका क्षेत्रफल मिलाकर लगभग १०० मील और जनसंख्या लगभग दो लाख थी। प्रत्येक परियोजना-क्षेत्र तीन विकास-खंडों में बंटा हुआ था। प्रत्येक खंड के अन्दर पांच-पांच गांवों का एक समूह बना दिया गया था, जिसके लिए एक ग्राम-सेवक नियत किया गया था।

इन कार्यक्रमों में लोगों ने इतने उत्साह से भाग लिया कि सरकार ने इस कार्यक्रम को शीघ्र ही और विस्तृत करने का निश्चय कर लिया। परन्तु पर्याप्त साधन न होने के कारण २ अक्टूबर, १९५३ से केवल राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ की जा सकी। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अपेक्षा कम सर्वांगीण है। जिन क्षेत्रों में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, उन्हें बाद में आसानी से सामुदायिक विकास-क्षेत्रों में बदला जा सकेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगभग सारे देश के एक-चौथाई भाग पर राष्ट्रीय विस्तार योजना लागू कर दी जानी थी। यह उद्देश्य बहुत कुछ पूरा हो चुका है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर देश में ५५७ सामुदायिक विकास-खंड और ९०३ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड विद्यमान थे। इनमें कुल मिलाकर १५७,००० गांव थे, जिनकी जनसंख्या ८ करोड़, ८८ लाख थी; अर्थात् देश के एक-तिहाई गांवों में ये योजनाएं चालू थीं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक भारत का प्रत्येक गांव इन योजनाओं के अन्तर्गत आ जाएगा। साथ ही लगभग ४० प्रतिशत भाग सामुदायिक विकास परियोजना के अन्तर्गत आ सकेगा। कुल मिलाकर ३८०० राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोले जाएंगे जिनमें ११२० सामुदायिक विकास-खंडों के रूप में बदले जा सकेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिए २०० करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है।

इन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए राज्य-सरकारों और केन्द्रीय सरकार दोनों ही कुछ-कुछ भाग देती हैं और प्रत्येक परियोजना-क्षेत्र के लोगों को धन और श्रम के रूप में कुछ न कुछ योग्य स्वेच्छा से देना पड़ता है। सामुदायिक विकास-खंडों के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खंडों की अपेक्षा लगभग दुगुनी राशि व्यय की

या एक सिपाही ही सारे गांव को आतंकित करने के लिए काफी होता था।

जब देश के स्वाधीता-संग्राम की बागडोर गांधीजी के हाथों में आई, उन्होंने अनुभव किया कि जब तक स्वाधीनता की चेतना गांव-गांव में न पहुंचे तब तक स्वाधीनता मिलना कठिन है। इसलिए कांग्रेस ने गांवों की ओर ध्यान दिया। गांवों के सुधार के लिए प्रयत्न शुरू किया। जब सरकार ने देखा कि कांग्रेस गांवों के सुधार के लिए यत्न कर रही है और उसके कारण गांवों में उत्साह प्रभाव बढ़ रहा है, तो सरकार ने भी गांवों के सुधार के लिए कार्यक्रम बनाए। स्वाधीनता मिलने के बाद तो गांवों के सुधार के लिए सरकार ने बहुत अधिक प्रयत्न किया है।

गांवों में सुधार के लिए पहले हमें उन दसाओं को देखना होगा, जिनमें गांव के निवासी रहते हैं। पहली बात तो यह है कि गांव के लोग गरीब होते हैं। सात के छः महीने वे मुश्किल से काम कर पाते हैं और बाकी छः महीने उन्हें बिना होकर बेकारी में बिताने पड़ते हैं। इसलिए कोई उपाय ऐसा किया जाना चाहिए जिससे वे अपने शांति समय का उपयोग किसी लाभदायक काम में कर सकें और अपनी आय को बढ़ा सकें। साथ ही उनकी आय बढ़ाने का यह भी तरीका हो सकता है कि कृषि की वर्तमान पद्धतियों में सुधार किया जाए। जमीन की निचाई की व्यवस्था हो, अच्छे बीजों और अच्छे साधन का प्रबंध हो। यदि गरीबी समाप्त हो जाए, तो गांव का बहुत कुछ सुधार तो स्वयमेव हो जाएगा।

दूसरी समस्या शिक्षा की है। हम समय-समय पर शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। इसलिए गांवों के बच्चे शिक्षा पाने सड़कों में घाते हैं। सड़कों में गली, बिजली, गिनेमा इत्यादि सुविधाओं और मनोरंजनों के व्यवस्था हो जाने के बाद के दिन गांव में नहीं मोड़ना चाहते। परिणाम यह होता है कि गांव के बच्चों पर शिक्षा पाने वाले लोग सड़कों के निवासी बन जाते हैं, और गांव ज्यों के ज्यों अज्ञान बन रहे हैं। यदि गांवों में ही उच्च शिक्षा का प्रबंध किया जा सके, तो फिर ग्रामीण आत्मविकास में मदद-मिलकर शिक्षित लोग गांवों में ही रहना शक्य करेंगे। हमने शिक्षा के कारण होने वाली हानियों में बचाव ही लेना।

गांवों में तीसरी समस्या स्वास्थ्य की है। गांवों में अत्यन्त बहुत रहती है और बीमार हो जाने पर बड़ी बिचस्रिया की सुविधा नहीं होती।

इलाज के लिए बीमार को शहर की शरण लेनी पड़ती है। इसलिए गावों में एक तो चिकित्सालय खोले जाने चाहिए और दूसरे, ग्रामीण जनता को आरोग्य के नियमों का ज्ञान कराना चाहिए। उनमें स्वच्छ रहने की भावना डाली जानी चाहिए। सरकार आजकल इस सम्बन्ध में काफी प्रयत्न भी कर रही है, परन्तु छः लाख गावों में इस प्रकार की सुविधाएँ पहुँचाना बहुत बड़ा काम है, जो एकाएक पूरा नहीं हो सकता।

गांव के लोग दरिद्र हैं, अशिक्षित हैं; पर इसके बाद भी कुछ ऐसी कुरीतियाँ और ऐसे अंधविश्वास गावों में प्रचलित हैं, कि जिनसे शादी, मृतक-भोज इत्यादि अवसरों पर लोग अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा खर्च कर देते हैं। उसके लिए वे ऋण लेते हैं और बहुत बार तो यह ऋण कई पीढ़ियों तक उतर नहीं पाता। इसलिए गांव के किसानों की मितव्ययिता सिखाने की बहुत आवश्यकता है और ये कुरीतियाँ और अंधविश्वास जितनी जल्दी समाप्त हो जाएँ, उतना ही भला है।

परन्तु किसान को ऋण लेने की आवश्यकता इन कुरीतियों के हटने के बाद भी बनी रहेगी। वृत्त मर जाने, बीज खरीदने तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए किसान को ऋण की आवश्यकता पड़ती है। इस समय किसान को यह ऋण महा-जनों से लेना पड़ता है, जो बहुत अधिक ब्याज वसूल करते हैं। उचित ब्याज पर ऋण देने के लिए गावों में सहकारी समितियाँ बनाई जानी चाहिए। सहकारी समितियाँ अनेक स्थानों पर बनाई भी जा चुकी हैं, परन्तु उन्हें सब जगह सफलता प्राप्त नहीं हुई; कारण कि सहकारिता के लाभ समझने में अभी हमारे किसान को कुछ समय लगेगा।

गावों में मुकदमोंवाजियाँ भी बहुत चलती थी और इन मुकदमों में किसान का इतना पैसा व्यय हो जाता था कि वह कहने को ही स्वतन्त्र व्यक्ति था। वस्तुतः उसकी दशा ऋण के बोझ के कारण गुलामों से भी अधिक बुरी होती थी। इस बुराई को हटाने के लिए गावों में पंचायतों की स्थापना की गई है, जहाँ छोटे-मोटे मुकदमों का फैसला कर दिया जाता है। पंचायत का फैसला कम खर्चीला और न्याय के अधिक निकट होता है। फिर भी अभी हमारे देश की न्याय-प्रणाली में सुधारों की बहुत आवश्यकता है, जिससे किसान मुकदमों पर होने वाले भारी



व्यय से मुक्ति पा सकें।

भाजकस के युग में लोगों का ध्यान जीवन की सुविधाओं की ओर बहुत प्रवृत्त हो गया है। लोग शहरों में इसीलिए भाकर बसते हैं, क्योंकि वहाँ बिजली, पानी इत्यादि की सुविधा होती है। परन्तु भाजकल शहरों में स्थान की बहुत संकीर्णता हो गई है; खाने-पीने की सामग्री भी सुदुर्लभ नहीं मिल पाती; इसलिए यदि गांवों में भी रहन-सहन की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, तो बहुत-से लोग शहर छोड़कर गांवों में ही जाकर रहना पसंद करेंगे। परन्तु यह शर्त ही सचता है, जबकि गांवों तक पक्की सड़कें जाती हों और यहाँ से शहर तक आने-जाने के साधन भी सुलभ हों।

केन्द्रीय और राज्य-सरकारें इस समय गांवों की उत्थिति की ओर विशेष ध्यान दे रही हैं। ऊपर गिनाई गई सभी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए सामुदायिक विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं प्रारम्भ की गई हैं, जिनके अंतर्गत गांवों में कृषि का सुधार किया जा रहा है। सेती करने की नई पद्धतियों को अपनाया जा रहा है। साप ही कुटीर-उद्योग शोते जा रहे हैं। नये-नये विद्यालय खुल रहे हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए भी प्रयत्न किया गया है। साप ही ग्रामीणों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे अपनी दशा सुधारने के लिए स्वयं प्रयत्न करें। सड़कें और बांध बनाने, मालियां खोदने और सफाई का काम खुद करने के लिए उन्हें उत्साहित किया जाता है। गांवों में चिकित्सा का भी प्रयत्न किया गया है। सरकार की योजना है कि हर पंच या पांच गांवों के बीच में एक छोटा-सा, किन्तु अच्छा अस्पताल अवश्य होना चाहिए।

विद्युत् बलों में अमीशरी-प्रथा समाप्त हो जाने से भी किसानों को बहुत सुख हो गया है, क्योंकि पहले अमीशर किसानों के तिर पर बोझ तो थे ही, साप ही उनके धराधारों के कारण किसानों का जीवन खोभ हो गया था। अब किसान और सरकार के बीच में कोई भी मध्यवर्ती वर्ग नहीं है। इनका सुपरिनाम कुछ ही दिनों में किसान की समृद्धि के रूप में दिखाई पड़ने लगेगा।

अब बन्दी और सामूहिक कृषि द्वारा भी गांवों की स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है। अब बन्दी तो अनेक राज्यों में काफी बड़े क्षेत्र में हो भी चुकी

है और उन क्षेत्रों में इसके लाभ भी दीख पड़ने लगे हैं, परन्तु सामूहिक कृषि का प्रारम्भ अभी होना है।

इस समय ग्राम-सुधार की दिशा में जितनी तेजी से काम हो रहा है, उसे देखते हुए आशा बंधती है कि शीघ्र ही गांवों की स्थिति बहुत सुधर जाएगी और महात्मा गांधी भारत के गांवों को स्वर्ण बनाने का जो स्वप्न देखा करते थे, वह शीघ्र ही सत्य हो उठेगा।

## भारत के प्रमुख उद्योग

पहले भारत को कृषि-प्रधान देश समझा जाता था और किसी हद तक यह बात ठीक भी थी। ब्रिटेन के दो सौ वर्ष के शासनकाल में भारत में उद्योग-धन्ये कम ही होते गए और जनता को विवश होकर निर्वाह के लिए कृषि पर ही निर्भर होना पड़ा। उद्योग-धन्यों को समाप्त करने में ब्रिटेन का लाभ यह था कि वे इंग्लैंड में तैयार किया हुआ माल मनमाने दामों में भारत में लाकर बेच लेते थे।

परन्तु पिछले पचास वर्षों में भारत में उद्योगों का काफी विकास हुआ है। गांधीजी ने जब स्वदेशी आंदोलन चलाया, तब ब्रिटेन को यह दिखाई पड़ने लगा कि अब उनका तैयार माल आसानी से भारत में नहीं बिकसकेगा, इसलिए उन्होंने बड़ी-बड़ी मशीनें भारत को बेचने में अपना अधिक लाभ समझा। उसी समय भारत में कपड़ा मिलें और चीनी मिलें खलाई गईं। स्वाधीनता के बाद भारत में और औद्योगीकरण की घोर लड़ाई तेजी से प्रगति हुई है और अब तो दिनों-दिन नये-नये उद्योग यहां खुलते जा रहे हैं। इस समय भारत के प्रमुख उद्योग निम्न-लिखित हैं : (१) सूती वस्त्र, (२) जूट-उद्योग, (३) चीनी-उद्योग, (४) लोहा और इस्पात, (५) सीमेंट, (६) कोयला, (७) कागज-निर्माण और (८) मशीनों का निर्माण।

कुछ समय पूर्व तक सूती वस्त्रों का उद्योग भारत में सबसे बड़ा उद्योग समझा जाता था। सूती वस्त्रों की मिलें पहले-पहल सन् १८५६ में प्रारम्भ हुई थीं। सन् १९३९ में भारत में ३८९ मिलें थीं, जिनमें दो लाख से ऊपर करघे थे। द्वितीय विश्व-युद्ध के दिनों में सूती वस्त्र-उद्योग ने बहुत उन्नति की। सन् १९५६ में देश में कुल मिलाकर ६७५ करोड़ गज कपड़ा तैयार हुआ।

जूट से भारत को विदेशी मुद्रा सबसे अधिक प्राप्त होती है। देश की अर्थ-व्यवस्था में जूट-उद्योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस उद्योग में लगभग तीन लाख व्यक्ति लगे हुए हैं। इस समय देश में ८५ जूट-मिलें हैं, जिनमें सन् १९५५ में एक करोड़ टन जूट का सामान तैयार हुआ।

चीनी पहले भारत में विदेशों से आती थी। परन्तु इस समय चीनी की दृष्टि से भारत न केवल आत्मनिर्भर है, अपितु कुछ सीमा तक चीनी का निर्यात भी किया जाता है। चीनी भारत के सबसे बड़े उद्योगों में से है। चीनी मिलों में लाखों मजदूर काम करते हैं। गन्ना उगाने वाले किसानों का सम्बन्ध भी चीनी-उद्योग से बहुत घनिष्ठ है।

लोहा और इस्पात किसी भी देश की समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे देश में 'टाटा आयरन एण्ड स्टील वर्क्स' की स्थापना १९०० में हुई थी। उसके बाद क्रमशः यह कारखाना बड़ा होता गया और इस समय यह भारत में सबसे बड़ा कारखाना है। इस समय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दुर्गापुर, भिलाई और कर्कला में तीन बड़े-बड़े लोहे और इस्पात के कारखाने और खोले गए हैं। हीरापुर, कुलटी और भद्रवती में तीन और लोहे के कारखाने पहले से ही काम कर रहे हैं। १९५९ में भारत में इस्पात का उत्पादन १२,६०,००० टन था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पूरा हो जाने पर देश में इस्पात का उत्पादन प्रतिवर्ष २३ लाख टन हो जाएगा।

देश में सीमेंट के कई बड़े-बड़े कारखाने हैं, जिनमें पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में सीमेंट का उत्पादन इतना बढ़ाया गया है कि अब देश में सीमेंट की कोई कमी नहीं रही है। १९५७ में ५६ लाख टन और १९५८ में ६० लाख टन सीमेंट तैयार हुआ। यद्यपि भवन-निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, फिर भी सीमेंट सब जगह सुलभ है।

कोयला भी देश के लिए बहुत आवश्यक ईंधन है। बड़े-बड़े कारखाने, रेलों, पानी के जहाज, सब इस समय कोयले से ही चलते हैं। हमारे देश में विद्यमान है। हमारे यहां अब तक प्रतिवर्ष ३ करोड़ ८० लाख टन कोयला निकाला जाता है; द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक ६ करोड़ टन कोयला प्रतिवर्ष निकाला जाने लगेगा।

पहले हमारे देश की कागज की आवश्यकता लगभग सबकी सब विदेशों से घाए कागज से पूरी होती थी। धीरे-धीरे यहां किताबों के काम घाने वाला कागज बनने लगा; परन्तु भस्त्रवारी कागज अब भी विदेशों से ही आता है। सन् १९५५ में मध्यप्रदेश में भस्त्रवारी कागज की पहली मिल 'नेपा' में काम शुरू हुआ। इस समय किताबी कागज का विदेशों से आयात बिलकुल बन्द है। 'नेपा' मिल में अब काम पूरी तरह शुरू हो जाएगा, तब यहां प्रतिवर्ष ३० हजार टन भस्त्रवारी कागज तैयार होगा।

देश के स्वाधीन होने के बाद मशीनों के निर्माण में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। पहले सिलाई की मशीनें, साइकिलें, डीजल इंजिन इत्यादि सभी मशीनें विदेशों से ही आती थीं। परन्तु अब साइकिलें घपने ही देश में बनने लगी हैं और विदेशों से साइकिलों का आयात लगभग समाप्त ही हो गया है। इसी प्रकार सिलाई की मशीनें भी घपने ही देश में बनने लगी हैं। डीजल इंजिन और मोटरों का निर्माण भी यहां प्रारम्भ हो चुका है। यह ठीक है कि अब भी मशीनों के कुछ आवश्यक पुर्जें हमें विदेशों से मंगाने पड़ते हैं, परन्तु शीघ्र ही ये पुर्जें भी हमारे ही देश में तैयार होने लगेगीं।

इनके अतिरिक्त देश में कुछ और बड़े-बड़े उद्योग हैं, जिनका उल्लेख कर देना आवश्यक है। विशाखापट्टनम् में जहाज बनाने का एक बड़ा कारखाना है, जिसमें अब तक विभिन्न तरह के और विभिन्न आकार के कई जहाज बनाए जा चुके हैं। इस समय इस कारखाने में नये ढग के चार जहाज और पुराने ढग के छः जहाज प्रतिवर्ष तैयार किए जा सकते हैं। धीरे-धीरे इस कारखाने को और बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार बंगलौर में विमान-निर्माण के लिए भी एक कारखाना घोषा गया है, जिसमें कई नमूनों के हवाई जहाज तैयार किए जा रहे हैं। वराम्बूर

में रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना खोला गया है। 'वितरंजन लोकोमोटिव-यार्ड' एशिया में रेल के इंजिन बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है, जो सन् १९३१ में बनाया गया था। इस समय इस कारखाने में रेल के २०० इंजिन प्रतिवर्ष तैयार हो सकते हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का विकास बहुत तेजी से और बहुत-से दिशाओं में हुआ है। भारी मशीनें बनाने के कारखाने भी खोले जा रहे हैं। मशीनें अन्य छोटी मशीनों को बनाने में काम आती हैं। इंजीनियरिंग में काम आने वाले उपकरण अब अपने देश में ही तैयार होने लगे हैं। रासायनिक पदार्थों के निर्माण के लिए अनेक कारखाने खुले हैं। सिंदरी और गंगल में रासायनिक खाद तैयार करने के कारखाने इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भोपाल में बिजली के उपकरण बनाने का कारखाना खोला गया है।

कोयले की भांति मिट्टी का तेल भी प्राचुरिक युग में हर एक देश के लिए बहुत आवश्यक वस्तु बना हुआ है। अब तक पेट्रोल के लिए भारत विदेशों पर ही निर्भर था, किन्तु अब एक और ती देश में तेल की खोज खूब जोर-शोर से चल रही है और दूसरी ओर देश में मिट्टी के तेल को साफ करने के दो बड़े-बड़े कारखाने, एक ट्राम्बे में और एक विशाखापट्टनम् में, खोले जा चुके हैं। असम और काठियावाड़ में भी काफी तेल पाया गया है। तेल की खोज पंजाब, उत्तरप्रदेश और विहार के अनेक भागों में जारी है।

भाज का युग परमाणु-ऊर्जा का युग है। इस क्षेत्र में भी भारत पीछे नहीं है। ट्राम्बे में भारत की पहली परमाणु-भट्टी चालू की गई है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि यद्यपि बहुत समय तक भारत उद्योग के क्षेत्र में पिछड़ा रहा, परन्तु अब उसने बड़ी तेजी से प्रगति की है, और यहाँ है कि अब कुछ . . . में औद्योगिक दृष्टि से भारतनिर्भर बन आया।

## द्वितीय पंचवर्षीय योजना

जब भारत १५ अगस्त, १९४७ को स्वाधीन हुआ, तब हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, सभी क्षेत्रों में बड़ी शोचनीय दशा थी। किंतु देश के नेता भारत को संसार के अन्य उन्नत देशों के समकक्ष बनाने के लिए कटिबद्ध थे। इसलिए उन्होंने देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजनाएं तैयार कीं।

पंचवर्षीय योजनाओं की प्रेरणा हमें रूस के इतिहास से मिली। सन् १९१७ में जब रूस में नाति हुई, तब वहाँ की आर्थिक दशा भी भारत की अपेक्षा कुछ अच्छी नहीं थी। उस समय रूसी नेताओं ने जनता में उत्साह जगाने और देश की स्वतंत्रता को सुधारने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर काम किया था और उसमें उन्हें इतनी आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई थी कि थोड़े ही समय में रूस पश्चिम के शक्तिशाली देशों से टक्कर लेने योग्य हो गया। उसीसे प्रभावित होकर भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं।

भारत में एक योजना-आयोग की स्थापना की गई, जिसने पहली पंचवर्षीय योजना का आलेख्य १९५१ में पेश किया। यह योजना १९५१ से १९५६ तक के लिए थी। पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल कृषि पर दिया गया था जिससे देश खाद्य की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाए। इसके लिए नदी-घाटी योजनाओं की शुरुआत की गई थी। भाखड़ा नंगल बांध, दामोदर घाटी योजना, कोसी विद्युत योजना, हीराकुद बांध तथा दक्षिण की और अनेक नदियों पर बांध इस योजना के अन्तर्गत बनाए गए थे। एक और तो इन बांधों से भूमि की सिंचाई के लिए नहरें निकाली गईं, और दूसरी ओर पनबिजली तैयार की जाने लगी। पहली योजना पर लगभग २३५६ करोड़ रुपये व्यय हुआ और इस योजना में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई।

पहली पंचवर्षीय योजना की सफलता से उत्साहित होकर दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई, जो १९५६ से १९६१ तक के लिए थी। इस योजना में पहली योजना की अपेक्षा कहीं अधिक ऊँचे लक्ष्य रखे गए थे। इसमें ७२०० करोड़ रुपये

व्यय होने का आकलन किया गया। पहली योजना में अधिक बल कृषि पर दिया गया था, किन्तु इसमें अधिक बल भारी उद्योगों और परिवहन पर दिया गया। इस योजना का एक बड़ा उद्देश्य बेकार लोगों को काम देना है और साथ ही राष्ट्र के रहन-सहन व जीवनस्तर को ऊंचा उठाना है। इस योजना में यह भी उद्देश्य रखा गया है कि जहाँ एक ओर राष्ट्रीय आय बढ़े, वहाँ साथ ही उसका वितरण भी इन प्रकार से हो कि समाज में से आर्थिक विषमता समाप्त होकर समानता स्थापित हो। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्तदाताही पद्धति को भी धरनाया जा सकता था, किन्तु भारत में इन्हें प्रजासत्त-प्रणाली द्वारा ही पूरा किया जाना है। अमेरिका में औद्योगिक विकास वैयक्तिक उद्यम द्वारा हुआ है, दूसरी ओर रूस और चीन में राष्ट्रीयकरण द्वारा औद्योगिक विकास हुआ है; भारत में वैयक्तिक उद्यम और राष्ट्रीयकरण दोनों का उपयोग किया जाएगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ७२०० करोड़ रुपये की जो राशि व्यय होने का आकलन था, उसे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, इन दो भागों में बांट दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र वह है, जिसमें उद्योग-धन्धे सरकार की ओर से खोले जाएँगे और निजी क्षेत्र में उत्पादन और निर्माण का कार्य गैरसरकारी निजी संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में ४८०० करोड़ रुपये व्यय किया जाना था, जिसका वितरण निम्न प्रकार से किया गया था :

कृषि और समाज-विकास-केन्द्र	१६८ करोड़ रुपये
सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण	४८६ " "
विजली और बाढ़-नियंत्रण	४२७ " "
उद्योग और सैनिक-सहाय्य	८६० " "
परिवहन और संचार-साधन	३३८५ करोड़ रुपये
समाज-सेवाएं	६४५ " "
विविध	६६ " "
	४८०० " "

इस वितरण से स्पष्ट है कि उद्योगों पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है।

बेजली के उत्पादन पर व्यय होने वाली राशि को भी उद्योगों पर ही व्यय हुआ सम्भना चाहिए। इस प्रकार लगभग १३०० करोड़ रुपये की राशि उद्योगों के लिए ली गई है। उद्योगों की वृद्धि का परिवहन से घनिष्ठ सम्बन्ध है। परिवहन के विकास के बिना उद्योगों का पनपना कठिन है, इसलिए परिवहन और संचार-साधनों पर भी १३८५ करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। यद्यपि पहली योजना में वृषि को सबसे अधिक महत्त्व दिया गया था, किंतु इस योजना में भी इसकी अपेक्षा नहीं की गई है। सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण को मिलाकर वृषि पर भी लगभग १००० करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी।

केवल अन्न-वस्त्र इत्यादि की भौतिक सुख-सुविधाओं की ओर ही ध्यान नहीं दिया गया, अपितु समाज-सेवा नाम से जो ६४५ करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है, वह लोगों की मानसिक उन्नति के लिए है। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन के कार्यक्रम आ जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि इस योजना में देश की सर्वांगीण उन्नति का ध्यान रखा गया है।

इस योजना में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :

	१९५६ तक पूर्ण लक्ष्य	१९६१ तक के लिए निर्धारित लक्ष्य
घनाज	६५० लाख टन	७५० लाख टन
सिंचाई	१६० लाख एकड़ और अधिक	२१० लाख एकड़ और अधिक
बिजली	३४ लाख किलोवाट	६६ लाख किलोवाट
सड़कें	१२,६०० मील	१३,८०० मील
जलयान	६ लाख टन	६ लाख टन
अस्पताल	१०,०००	१२,६००
समाज-विकास-केन्द्र	११२२	४६२०
पाठशाळाएँ	२६३,०००	३५०,०००
इस्पात	१३ लाख टन	४३ लाख टन
कोयला	३८० लाख टन	६०० लाख टन
सीमेंट	४३ लाख टन	१३० लाख टन



इसके स्पष्ट है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य काफी ऊँचे निर्धारित किए गए थे। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन और धन की आवश्यकता होगी। मार्शजनिक क्षेत्र में किए जाने वाले ४८०० करोड़ रुपये की व्यवस्था निम्न लिखित ढंग से की गई थी :

समाए गए करों से व्यय	८०० करोड़ रुपये
मार्शजनिक ऋण	१२०० " "
रेलवे और प्रीविडेंट फंड और अन्य मंडों	
से जमा किया हुआ रुपया	४०० " "
बाह्य देशों से प्राप्त होने वाला रुपया	८०० " "
घाटे की वित्त-व्यवस्था द्वारा	१२०० " "
बाकी कमी, जिसे अन्य उपायों द्वारा अपने देश में	
से ही पूरा किया जाएगा	४०० " "
	<hr/>
	४८०० " "

इस योजना को पूरा करने में कुछ कठिनाइयाँ भी आ सही हुई थीं। पहली बात तो यह कि विदेशों से मिलने वाली सहायता बहुत कुछ खटाई में पड़ गई थी परन्तु अब अमेरिका, ब्रिटेन और रूस से सहायता प्राप्त हो रही है। धाया है। इस कारण इस योजना की पूर्ति में बाधा नहीं पड़ेगी। दूसरी कठिनाई यह उत्पन्न हुई कि १९५७ में अंग्रेजों ने मिस्र पर आक्रमण किया, जिससे वे स्वेज नहर पर कब्जा कर सकें; परन्तु स्वेज पर उनका कब्जा न हुआ और स्वेज में यातायात कमीनों के लिए रुक गया। इससे विदेशी सामान की कीमतें बढ़ गई और योजना का व्यय बढ़ गया और सामान आने में विलम्ब भी हुआ। तीसरे, देश में महंगाई बढ़ती जाने के कारण योजना पर होने वाला खर्च अधिक हो गया और जो धन शुरू में ७२०० करोड़ रुपये आँका गया था, अंत में ६००० करोड़ के लगभग पहुँच जाएगा।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के लगभग दो वर्ष पूरे हो चुके हैं और तीन वर्षों के हैं। इस बीच में लोहे के तीन बड़े-बड़े कारखाने दुर्गापुर, भिलाई और करवेगा में

न चुके हैं। इनमें इस्पात का बड़ी मात्रा में उत्पादन होगा। इसके अतिरिक्त 'वितरण लोकोमोटिव बसें' का विस्तार किया गया है। पेराम्बूर में रेलगाड़ी के इंजिन बनाने का कारखाना बनाया गया है। बंगलौर में विमान-निर्माण के लिए एक कारखाना बनाया गया है, जिसमें विमान बनते हैं। सीमेन्ट का उत्पादन बढ़कर प्रतिवर्ष ६० लाख टन तक पहुंच गया है, और देश में सीमेन्ट की तंगी नहीं रही है। सारी उद्योगों के अतिरिक्त मध्यम ढंग के और छोटे कारखाने बनाए गए हैं, जिनमें बिजली का समान, रेडियो, सिलाई की मशीनें, डीजल इंजिन, साइकिलें इत्यादि तैयार होती हैं। मोटरों, कपड़ा बुनने की मशीनें और चीनी के कारखानों की मशीनें भी अब अपने ही देश में बनने लगी हैं। रासायनिक खाद बनाने के लिए सिदरी और नंगल में दो कारखाने सोते गए हैं। विशाखापट्टनम् में जहाज बनाने के कारखाने का विस्तार किया गया है।

इस प्रकार इस योजना पर काम बड़ी तेजी और उत्साह के साथ चल रहा है। अनेक बार यह भ्रमोचना की गई है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य अनुचित रूप से ऊंचे रथे गए हैं और इसके कारण वर्तमान जनता पर भावश्यकता से अधिक बोझ डाल दिया गया है। इस योजना के व्यय को पूरा करने के लिए अनेक नये-नये कर लगाए गए हैं और घाटे की अर्थ-व्यवस्था के कारण वस्तुओं के दाम निरन्तर बढ़ते चले जा रहे हैं। अनेक बार यह भी मुझाव दिया गया कि पुनर्बिचार करके इन योजना के लक्ष्यों को कुछ घटाया जाना चाहिए। परन्तु सरकार इस सम्बन्ध में निश्चय कर चुकी है कि इन लक्ष्यों में कोई कमी नहीं की जाएगी और जो भी कठिनाइयां आएंगी, उनको पार करके इन लक्ष्यों को पूरा किया ही जाएगा।

वस्तुतः इस योजना की सफलता पर सारे देश का अविष्य निर्भर है। न केवल इस योजना की पूर्ति से देश की समृद्धि अधिक बढ़ जाएगी, अपितु उद्योगों और श्रमिकों के विस्तार के फलस्वरूप लगभग १६ लाख आदिमियों को नये काम भी मिल जाएंगे। इस प्रकार बेकारी कम होगी, लोगों की आर्थिक दशा सुधरेगी और रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठेगा। शिक्षा के प्रसार और चिकित्सा की सुविधाएं अधिक होने के कारण जनता का मानसिक और पारोरिक विकास असाध्य होगा। इसके

विपरीत यदि किसी कारण से योजना सफल न हो पाई, तो जनता का उत्त टूट जाएगा और एक निराशा की भावना छा जाएगी। इसलिए हर एक देश का यह कर्तव्य है कि वह इस योजना की पूर्ति के लिए जो कुछ कर सके उसमें कोई कसर न उठा रहे।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. भारत-पाकिस्तान संबंध
२. भारत की विदेश-नीति
३. स्वाधीनता के बाद भारत की प्रगति
४. भारत की उन्नति गांधी पर निर्भर है
५. भारत का औद्योगीकरण
६. राष्ट्रीय विस्तार-सेवा योजनाएं
७. नवीन भारत
८. सैनिक शिक्षा

## विवेचनात्मक निबन्ध

(१) राजनीति, अर्थशास्त्र (२) शिक्षा, समाज (३) साहित्यिक

विवेचनात्मक निबन्ध किसी भी समस्या या सिद्धान्त को लेकर लिखे जा सकते हैं। जिस किसी भी विषय पर ऐसा निबन्ध लिखा जाना हो, उसका स्पष्टीकरण निबन्ध में किया जाना चाहिए। फिर उसके गुण-दोषों का विवेचन करके कोई सुसंगत निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद उसके पक्ष और विपक्ष में दी जाने वाली युक्तियों का उल्लेख करना चाहिए और साथ ही यह भी बताना चाहिए कि उनमें कौन-सी युक्तियाँ सारवान हैं और कौन-सी निस्सार हैं। विवेचनात्मक निबन्धों का अन्त किसी संतोषजनक निष्कर्ष के साथ होना चाहिए।

उदाहरण के लिए 'प्रजातन्त्र' पर निबन्ध को लीजिए। पहले यह बताना चाहिए कि प्रजातंत्र क्या होता है? प्रजातंत्र शासन-प्रणाली कैसे काम करती है? उसकी क्या विशेषताएँ होती हैं? प्रजातंत्र के क्या लाभ हैं? प्रजातंत्र में हानियाँ कौन-कौन-सी हैं? शासन-प्रणालियों में प्रजातंत्र का क्या स्थान है? और अन्त में, प्रजातंत्र शासन-प्रणाली का भविष्य क्या है? इस प्रकार विषय से सम्बद्ध सभी बिन्दुओं पर निबन्ध में विचार हो जाना चाहिए।

वैसे किसी भी एक विषय में सब बिन्दुओं पर विस्तार से विचार करके पूरी पुस्तक भी लिखी जा सकती है, परन्तु निबन्ध में विस्तार अभीष्ट नहीं होता। यथाशक्ति सब बातें संक्षेप में ही लिखी जानी चाहिए। भूमिका और उपसंहार को यथासंभव रोचक और परिमार्जित बनाने का यत्न करना चाहिए।

## प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली

उन्नीसवीं शताब्दी में लगभग सारे संसार में राजाओं का राज्य कायम था। किन्तु बीसवीं शताब्दी में वे राजा एक-एक करके समाप्त होते गए और उनके स्थान पर प्रजातंत्र शासन-पद्धतियां स्थापित होती गईं। फ्रांस, जर्मनी, रूस, स्पेन आदि देशों में राजतन्त्र समाप्त होकर प्रजातन्त्र कायम हुआ। आजकल प्रजातंत्र का दुगुण है और बात-बात में प्रजातन्त्र की दुहाई दी जाती है। इस समय संसार के सभी बड़े-बड़े देशों में प्रजातंत्र शासन-पद्धति ही चल रही है।

प्रजातंत्र का अर्थ है—प्रजा का शासन। प्रजातंत्र की सबसे अच्छी व्याख्या अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मानी जाती है, जिसमें उन्होंने कहा था, 'प्रजातंत्र का अर्थ है, जनता द्वारा जनता के हित के लिए जनता की सरकार की स्थापना।' इससे स्पष्ट है कि प्रजातन्त्र में शासन की बागडोर प्रजा के हाथ में होती है और वह शासन प्रजा के हित के लिए ही किया जा रहा होता है।

परन्तु प्रजातन्त्र में सारी जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करती, अपितु प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। इतना अवश्य है कि इन प्रतिनिधियों को जनता की इच्छा के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है, क्योंकि यदि वे ऐसा न करें, तो मागामी चुनावों में जनता उनको हटाकर उनकी जगह नये प्रतिनिधि चुन सकती है। इससे स्पष्ट है कि प्रजातन्त्र में केवल वही प्रतिनिधि शासन करते रह सकते हैं, जिन्हें जनता का विश्वास प्राप्त हो।

प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली के बहुत-से लाभ बतलाए जाते हैं। कहा जाता है कि प्रजातन्त्र शासन में व्यक्ति को राज्य की अपेक्षा अधिक प्रधानता दी जाती है। यह माना जाता है कि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को अपने विकास के लिए पूरा अवसर देना है। इसलिए राज्य केवल साधन है और साध्य व्यक्ति है। इसके लिए प्रजा-  
में व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता दी जाती है। वह अपने बोट

द्वारा चाहे जिसे धरना प्रतिनिधि चुन सकता है। वह स्वतन्त्रतापूर्वक अपने विचार मापन या लेखों के रूप में प्रकट कर सकता है। किन्तु अभिव्यक्ति की यह स्वतन्त्रता केवल उसी सीमा तक होती है, जहां तक कि वह दूसरों की स्वतन्त्रता में बाधक न बने।

प्रजातन्त्र शासन-व्यवस्था में लोगों की अभिव्यक्ति की स्वाधीनता देने का एक प्रयोजन है। विछले इतिहास को देखकर यह पता चलता है कि ज्ञानिया तभी हुई जबकि जनता को बहुत-से अत्याचारों और कष्टों का सामना करना पड़ा। किन्तु प्रजा को अपने कष्ट प्रकट करने तक का भी मौका नहीं दिया गया। बहुत समय तक तो लोग दबकर कष्ट सहते रहे और जब असह्य हो उठा, तो उन्होंने त्राति कर दी। प्रजातन्त्र में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता रहने के कारण रक्तपातपूर्ण ज्ञानियों का खतरा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जनता न केवल अपने दुःख और कष्ट को बतला सकती है, अपितु अगर वह चाहे तो अपने वोट द्वारा सरकार को बदल भी सकती है।

प्रजातन्त्र शासन-व्यवस्था की सफलता के लिए कुछ बातें बहुत आवश्यक हैं। पहली बात तो यह है कि प्रजातन्त्र शासन-व्यवस्था तभी सफल हो सकती है जबकि किसी देश की जनता सुशिक्षित हो और अपने अधिकारों के प्रति, और साथ ही अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक हो। जहां जनता अशिक्षित हो और ऐसे देकर लोगों के वोट खरीदे जा सकते हो, वहां प्रजातन्त्र शासन केवल एक पाखंड बनकर रह जाता है। दूसरी बात यह है कि देश में एक से अधिक सुसंगठित राजनीतिक दल होने चाहिए। जब एक दल पदारूढ़ हो, उस समय विरोधी दल भी इतना समर्थ होना चाहिए कि वह सत्ताहृद दल के दोषों के विरुद्ध सफलतापूर्वक आवाज उठा सके। तीसरी बात यह है कि देश में अनेक समाचारपत्र होने चाहिए और उन्हें यथामुम्बव पूरी स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए, जिससे वे जनमत को उचित दिशा में ले जा सकें।

प्रजातन्त्र शासन को इसलिए सर्वोत्तम शासन-प्रणाली समझा जाता है, क्योंकि इसमें प्रजा के ऊपर शासन करने की आवश्यकता कम से कम पड़ती है। सरकार बनता पर मनमाना अत्याचार नहीं कर सकती। अगर बरे, तो राजनीतिक दल और समाचारपत्र अत्याचार-साक्षात्कार करने उभरते विरुद्ध आवाज उठाते

हैं और सरकार को विवश करते हैं कि वह गलती को सुधारे। जनता अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मश्रा सचेत रहनी है।

प्रजातन्त्र-शासन को 'कानून का शासन' कहा जाता है। कानून की दृष्टि में सब व्यक्ति समान होते हैं और एक जैसा अपराध करने पर मनीर-गरीब, शिक्षित-अशिक्षित सब लोगों को एक जैसाही दंड भुगतना पड़ता है। धर्म, लिंग भेदवापद इत्यादि के कारण किसीके साथ कोई भेद-भाव नहीं किया जा सकता।

आजकल लगभग सभी देशों में प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली इस रूप में चल रही है कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। ये प्रतिनिधि प्रायः किसी न किसी दल के समर्थन से चुनाव लड़ते हैं। चुनावों में जिस दल का बहुमत होता है, उसका नेता अपना मंत्रिमंडल बनाता है। मंत्रिमंडल देश की संसद के सम्मुख उत्तरदायी होता है और मंत्रिमंडल तभी तक पदारूढ़ रहता है, जब तक संसद में उसका बहुमत हो। जब किसी दल का संसद में बहुमत नहीं रहता, तो उसके मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे देना पड़ता है। इसीलिए प्रत्येक दल यह यत्न करता है कि वह जनता को सन्तुष्ट रखे। इस प्रकार जनता की इच्छा का शासन के हर मामले में पूरा ध्यान रखा जाता है। संक्षेप में प्रजातन्त्र व्यक्ति को राज्य से बड़ा मानता है और व्यक्ति के विकास के लिए जो कुछ भी सम्भव हो, वह सब कुछ करने को तैयार रहता है।

इन अनेक गुणों के साथ-साथ प्रजातन्त्र में कुछेक दोष भी हैं। प्रसिद्ध विचारक प्लेटो ने प्रजातन्त्र शासन को 'मूर्खों का शासन' कहा है। उसका कहना है कि दुनिया में मूर्ख अधिक होते हैं और बुद्धिमान कम। बहुमत सदा मूर्खों का रहता है और इसीलिए बहुमत का शासन मूर्खों का शासन है।

प्लेटो की बात तो हुई विमुक्त तर्क की बात ; किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि जहाँ की जनता सुशिक्षित और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न हो, वहाँ प्रजातन्त्र केवल टूलडबाज लोगों का खेल बनकर रह जाता है। चुनाव जीतने के लिए तरह-तरह के हथकंडों का प्रयोग किया जाता है और भले लोग चुनावों से दूर ही रहना पसन्द करते हैं। चुनाव में अधिकतर लोग किसी न किसी राजनीतिक दल का सहारा लेकर खड़े होते हैं और मतदाता उम्मीदवार की मर्यादा या कुराई पर ध्यान न देकर राजनीतिक दल को वोट देते हैं। यह कहना अनावश्यक है कि इस

प्रकार धुने गए प्रतिनिधि जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं कहे जा सकते ।

जब कोई दल चुनाव जीत जाता है, तो उसका सारा प्रयत्न यह होता है कि जिन लोगों ने चुनाव जीतने में उसकी सहायता की है, उनको ऊँचे-ऊँचे पद दिए जाएं या उनके लाभ के लिए अन्य कार्य किए जाएं । इससे भाषाभाषी और समाज का जन्म होता है ।

यदि इतने सब उत्पात-उपद्रवों के बाद भी किसी एक दल का बहुमत हो जाए, सब भी खैर है; क्योंकि उस दल में वह दल एक स्थायी सरकार बना सकता है । परन्तु जब किसी एक दल को पूरा बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो उसे दूसरे लोगों से गठबन्धन करना पड़ता है । गठबन्धन के लिए दूसरे दलों को तरह-तरह की मुविधाएं दी जाती हैं और वहाँ जल्दी-जल्दी सरकारें बदलती रहती हैं ।

विरोधी दल होने का जहाँ यह लाभ है कि वह सरकार की गलतियों को जगह में लाकर उसे सही रास्ते पर ला सकता है, वहाँ व्यवहार में देखा यह जाता है कि विरोधी दल सरकार के अच्छे-बुरे हर काम का विरोध करते हैं, जिससे जनता में हर बात पर दो सम्मतियां बन जाती हैं । इससे देश को नुकसान पहुंचता है ।

प्रजातन्त्र शासन का सबसे बड़ा और भयंकर दोष यह है कि इसमें कोई भी कार्य शीघ्र नहीं हो पाता । संसदों में देर तक बहस चलती रहती है । इसलिए जब कभी युद्ध या किसी अन्य संकट के कारण पब्लिशिंग कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ती है, सब प्रजातन्त्र शासन बहुत मुस्त और कमजोर सिद्ध होता है । इसके अतिरिक्त प्रजातन्त्र शासन महंगा बहुत पड़ता है । चुनावों पर बेहद रुपया व्यय किया जाता है और बाद में संसद के सदस्य किसी न किसी प्रकार उस धन-राशि को वापस पाने का प्रयत्न करते हैं । संसद के सदस्यों के वेतन आदि पर बहुत बड़ी राशि व्यय होती है । इस सब धन-राशि का सदुपयोग प्रासानी से रचनात्मक कार्यों के लिए किया जा सकता है ।

परन्तु इन सब दोषों के होते हुए भी आजकल इस बारे में प्रायः सभी लोग एकमत हैं कि अब तक ज्ञात शासन की सभी प्रणालियों में प्रजातन्त्र शासन-पद्धति सबसे अच्छी है । यदि इसमें कुछ दोष हैं, तो अन्य शासन-प्रणालियों में भी कुछ दूसरे दोष हैं । जहाँ शासन का मूल एक व्यक्ति के हाथ में या दो-चार इने-गिने



व्यक्तियों के हाथ में होता है, वहाँ वे लोग भूल कर सकते हैं और उनकी दूरी का परिणाम सारे देश को भुगतना पड़ता है। प्रजातन्त्र शासन का यह दोष। इसमें कोई काम जल्दी नहीं हो पाता, इस दृष्टि से गुण भी कहा जा सकता है। इसमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता।

प्रजातन्त्र की नई धारणा में यह बात भी मान ली गई है कि सब लोगों को वोट का अधिकार दे देना ही काफी नहीं, अपितु लोगों को सामाजिक समानता और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करके इस योग्य बनाया जाना चाहिए कि वे वोट का अधिकार का समुचित प्रयोग भी कर सकें। जब ऐसी स्थिति प्रा जाएगी कि लोह-ऊँच-नीच या धनी और निर्धन के भेद-भाव को भूलकर अपनी स्वतन्त्र इच्छा से वोट दे सकें, तभी प्रजातन्त्र सफल हो सकेगा।

स्वाधीनता के बाद भारत ने स्वेच्छापूर्वक प्रजातन्त्र को अपनाया है। भारत शान्तिप्रिय देश है। प्रायः सभी प्रजातन्त्रीय देश शान्तिप्रिय होते हैं और एकतन्त्रात्मक देशों की प्रवृत्ति युद्ध की ओर रहती है। सत्तार के अनेक बड़े-बड़े युद्ध व्यक्तियों की महत्वाकांक्षामें को पूरा करने के लिए ही लड़े गए थे।

संक्षेप में, प्रजातन्त्र अन्य सब शासन-प्रणालियों की अपेक्षा श्रेष्ठ प्रणाली है। इसमें मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। प्रजातन्त्र में देश के निवासियों में परस्पर सहिष्णुता की भावना रहती है। समय की वर्तमान गति को देखते हुए प्रजातन्त्र का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल दीख पड़ता है।

### अन्य संभावित शीर्षक

१. प्रजातन्त्र—सर्वोत्तम शासन-पद्धति

## प्रजातन्त्र और तानाशाही

द्वितीय विश्व-युद्ध से पहले सभार के अनेक देशों में प्रजातन्त्र-शासन-पद्धति विद्यमान थी, किन्तु जर्मनी, इटली और स्पेन में तानाशाही अर्थात् अधिनायक-तन्त्र की स्थापना हो गई थी। उन दिनों प्रजातन्त्र और तानाशाही वाले देशों में भावस में मुकाबला था, इसलिए बार-बार लोगों के सामने यह प्रश्न उठता था कि प्रजातन्त्र शासन-पद्धति अच्छी है या तानाशाही शासन-पद्धति ?

प्रजातन्त्र में शासन की बागडोर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होती है, इसलिए राज्य के कार्य जनता की इच्छा के अनुसार ही होते हैं। यदि सरकार की कोई नीति जनता को पसन्द न हो, तो जनता उसका विरोध कर सकती है। प्रजातन्त्र में हर एक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता रहती है। इसका लाभ यह होता है कि एक ओर तो सरकार को यह पता चलता रहता है कि उसकी किस नीति से जनता सन्तुष्ट या असन्तुष्ट है; दूसरी ओर जनता का अग्रगण्य भी मन का शुद्ध निकल जाने के कारण कम हो जाता है। इसलिए प्रजातन्त्रीय देशों में प्रायः हिंसारमक क्रान्तियाँ नहीं होतीं।

प्रजातन्त्र में शासक और शासित का भेद हट जाता है। जनता यह समझती है कि सरकार उसकी अपनी बनाई हुई है, इसलिए लोग कानूनों का स्वेच्छा से पालन करते हैं। वे समझते हैं कि कानून उनके हित के लिए बनाए गए हैं। इस प्रकार शासन दण्ड के भय से नहीं, अपितु जनता के सहयोग से ही चल रहा होता है।

यदि सरकार की कोई नीति जनता की इच्छा के विरुद्ध हो, तो उस सरकार को बर्तन देना जनता के अपने हाथ में है। जैसे तो सदा ही सरकार पर जनता की धुरी हुई संसद (पार्लियामेंट) का नियन्त्रण रहता है, परन्तु यदि कभी जनता यह समझे कि संसद भी उसकी इच्छा के प्रतिकूल काम कर रही है, तो अगले चुनावों में वह सारी संसद को ही बदल दे सकती है। इस बात को सरकार और राजनीतिक दल भी शूद्ध समझते हैं; इसलिए वे जनता को प्रसन्न रखने का पूरा ध्यान करते हैं।

प्रजातन्त्र में किसी भी विषय पर निर्णय करना एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, बहुत-से लोगों के हाथ में होता है ; इसलिए हर समस्या के हर एक पक्ष पर अच्छी तरह विचार कर लिया जाता है और उसके बाद ही उसपर निर्णय होता है । इस प्रकार गलत निर्णय होने की सम्भावना बहुत कम हो जाती है । इसके विपरीत तानाशाही में निर्णय एक व्यक्ति के हाथ में होता है और गलती होने की सम्भावना बहुत अधिक होती है ।

प्रजातन्त्र के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह कही जाती है कि इसमें व्यक्ति के विकास की सबसे अधिक गुंजाइश होती है । यह समझा जाता है कि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है । तानाशाही में सब लोग प्रधिनायक से दबे रहते हैं और डरे रहते हैं । इसलिए उनके व्यक्तित्व का पूरा विकास नहीं हो पाता । परन्तु प्रजातन्त्र में सब व्यक्तियों को समान अधिकार होते हैं और हर एक व्यक्ति को ऊँचे से ऊँचे पद तक पहुँच पाने का भवसर रहता है ।

किन्तु इन अच्छाइयों के साथ-साथ प्रजातन्त्र में बहुत-से दोष भी हैं । प्रजातन्त्र में शासन की बागडोर हल्लड़बाज लोगों के हाथ में आ जाती है । जनता की इच्छा का सिद्धांत-रूप में तो आदर किया जाता है, परन्तु व्यवहार में नहीं । जिन देशों में शिक्षा बहुत नहीं है, वहाँ पर लोगों को सोम या भय दिखाकर उनसे वोट ले लिए जाते हैं और इस प्रकार अनेक बार जनता चाहते हुए भी सरकार को नहीं बदल पाती । प्रजातन्त्र में लोगों की कार्यक्षमता घट जाती है । सब काम धीरे-धीरे होते हैं । हर एक प्रश्न पर लम्बा विवाद होता, जिससे निर्णय होने में बहुत देर लगती है । प्रजातन्त्र में दंड का भय घट जाता है । सोम वेईशानी और रिश्वतखोरी की घोर भुके चलते हैं । राज्य के व्यय पर धरना उल्लू-सीधा करने की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ जाती है । युद्ध इत्यादि संकट की दशाओं में प्रजातन्त्र कमजोर सिद्ध होते हैं ।

इसके विपरीत तानाशाही-पद्धति में सब काम चटपट होते हैं और भरी भाँति हो पाते हैं । तानाशाही में एक व्यक्ति के आदेश से राज्य की नीति निर्धारित होती है ; इसलिए वहाँ निर्णय होने में कोई देर नहीं लगती । सोमों में दंड का भय रहता है ; इसलिए सब लोग अपने कर्तव्य का यथाशक्ति ईमानदारी से पालन करते हैं और पालन न करने की दशा में उन्हें दंड भुगतना पड़ता है ।

यदि अधिनायक अच्छा हो, तो वह सारे देश में एक नई जान फूंक सकता है। द्वितीय विश्व-युद्ध से पहले इटली और जर्मनी में मुसोलिनी और हिटलर ने जिन दोनों राष्ट्रों को संसार के सबसे उन्नत राष्ट्रों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। अधिनायकतन्त्र में, क्योंकि सारी सत्ता एक मादमी के हाथ में होती है, इसलिए उस एक मादमी के अच्छा और ईमानदार होने से सारा देश अच्छा और ईमानदार बन सकता है। परन्तु इसमें यह भय भी है कि यदि वह एक अधिनायक अच्छा न हो, तो सारा शासन बिगड़ जा सकता है और देश पतन की ओर झूटा जा सकता है। भारतीय इतिहास में मुगल-साम्राज्य के अन्तिम दिनों में ही कुछ हुआ था।

अधिनायकतन्त्र में मनुष्य को उन्नति करने के अवसर रहते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि अधिनायक वही व्यक्ति बन पाता है, जो अपने गुणों और विषयता के द्वारा शेष व्यक्तियों को अपने अधीन रहने के लिए तैयार कर लेता है। परन्तु अधिनायकतन्त्र में पक्षपात होने की संभावना रहती है। जो व्यक्ति अधिनायक की दृष्टि में अच्छा हो, उसकी पक्षेति अत्यन्त होती जाती है; और जिसे (सा ही भाग्य न मिले, वह उपेक्षित रह जाता है। परन्तु इस प्रकार का पक्षपात जातन्त्र में भी कम नहीं होता।

वस्तुतः सामान्य जनता में धीर-पूजा की भावना होती है। यदि कोई एक अनेक गुणसम्पन्न अधिनायक देश का शासन करने लगता है, तो लोग उसका आदर करते हैं और उससे प्रेरणा पाकर देश के लिए बहुत कुछ बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं। प्रजातन्त्र में धीर-पूजा का यह तत्त्व विद्यमान नहीं होता। परन्तु अधिनायकतन्त्र की यही दुर्बलता भी है। अधिनायकतन्त्रीय देश अधिनायक के हट जाने पर पतन की ओर बढ़ चलते हैं; ५-  
क्योंकि वही नेतृत्व के लिए

प्रजातन्त्र में एक

... की ओर  
... ध्य होने के  
... पक्ष और विपक्ष  
है। राष्ट्र की धर्मिता

बंटी-बंटी-सी रहती हैं। अधिनायकतंत्र में अनेक पक्ष सामने न होने के कारण सब लोगों की शक्तियाँ एक ही दिशा में केन्द्रित रहती हैं।

यह ठीक है कि अधिनायकतंत्र में व्यक्ति को उतनी स्वतन्त्रता नहीं रहती जितनी प्रजातंत्र में रहती है, परन्तु प्रजातंत्र की स्वतंत्रता का उपयोग न वेईमानी करने, मुनाफाखोरी करने इत्यादि के लिए भी करते हैं। प्रतिपक्ष स्वतन्त्रता किसी भी प्रणाली में नहीं दी जा सकती। नियन्त्रित स्वतंत्रता तब शाही प्रणाली में भी रहती है।

तानाशाही प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें निर्णय एक व्यक्ति के हाथ में रहता है। वह व्यक्ति धावेस या भावुकता के क्षणों में गलत निर्णय कर सकता है और उस गलती का फल सारे राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। हिन के नेतृत्व में जर्मनी ने जितने बड़े काम में जितनी अधिक उपलब्धि की थी, उनमें तुलना धायद सारे सत्तार के इतिहास में कहीं न हो। परन्तु एक आदमी के निर्णय की एक-दो गलतियों ने ही जर्मनी को फिर विनाश के मुल में धरेल रिया। प्रजातंत्रीय देशों में ऐसी गलतियाँ कम होती हैं। धायद इसीलिए प्रजातंत्रीय देश धार्ति प्रेमो होने हैं और अधिनायकतंत्रीय देशों का मुकाब मुझ की ओर धार्धिक रहता है।

चाहे जो हो, किन्तु इस समय सारे सत्तार में प्रजातंत्र का बोलबाला है। नवी बड़े-बड़े देशों में प्रजातंत्र स्थापित हो चुका है। किन्तु मझे की बात यह है कि इस एक देश धापने की प्रजातंत्रवादी देश कहता है और दूसरे को अधिनायकतंत्रीय धपने के होने हुए भी गभी देश धाने-धापको प्रजातंत्रीय देश कहने में गौरव धनुभव करने हैं। हाम के गिछने कुछ बगों में अनेक देशों में अधिनायकतंत्रीय प्रवृत्तियों ने फिर गिर उभारा है; परन्तु वे देश भी प्रजातंत्र को स्थापने की धोषणा करने टिचकिचाने हैं। हमगे स्पष्ट है कि गिज्ञान की दृष्टि से प्रजातंत्र को सर्वोत्तम धामन-प्रणाली समझा जाना है; यह बात दूसरी है कि उग गिज्ञान की पूरी तरह व्यवहार में सब जगह नहीं जाया जा सकता।

अध्य संभाषित शीर्षक

और प्रजातंत्र

प्रजातंत्रीय प्रणाली के गुण-दोष

## समाजवाद और गांधीवाद

मनुष्य ने उद्योग-उद्यमों प्रगति की है, त्यों-त्यों वह अनेक नई-नई उलझनों में भी पंथता गया है। एक से हजार साल पहले, जब अधिकांशतः भोग कृषि द्वारा ही जीवन-निर्वाह करते थे, आर्थिक और सामाजिक समस्याएँ बहुत कम थीं। किन्तु पहले सामंतवाद ने और फिर पूँजीवाद ने मानव-जाति को उन्नति की ओर बढ़ने में सहायता दी। यदि ये दो प्रेरक शक्तियाँ न होतीं, तो सामद आज भी मनुष्य सतनी ही सरलता और सादगी से रहते होते, अतः वे मुहम्मद तुगलक के समय में रहते थे, और परमाणु-शक्ति और स्पुतिक का आविष्कार कभी न हुआ होता। परन्तु सामंतवाद और पूँजीवाद ने समाज में कुछ ऐसी आर्थिक विषमताएँ भी उत्पन्न कर दीं, जो अपने-आपमें बड़ी समस्याएँ बन गईं और जिन्हें हटाने के लिए कार्ल मार्क्स और गांधी जैसे लोगों को उपाय सोचने पड़े।

समाजवाद और गांधीवाद दोनों ही आर्थिक विषमताओं को दूर करने के उपाय हैं। समाजवाद का मूल कार्ल मार्क्स के लेखों में है। कार्ल मार्क्स की विचार-धारा पूँजीवाद की प्रतिनिध्या के रूप में थी। पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के उपकरणों पर लोगों का व्यक्तिगत अधिकार होता है और उत्पादन से होने वाले लाभ पर भी उन्हींका अधिकार होता है। उत्पादन के उपकरण चार हैं : (१) भूमि, (२) धन, (३) पूँजी और (४) नवागमककर्ता। समाजवाद का बयान है कि भूमि प्रकृतिदत्त वस्तु है। इसपर किसी भी एक व्यक्ति का अधिकार क्यों होना चाहिए? इसी प्रकार धन का मूल्य भी ठीक ढंग से घाँटा जाना चाहिए; अर्थात् कोई भी दो व्यक्ति यदि दिन-भर धन करते हैं, तो उस धन का मूल्य समान समाना जाना चाहिए। फिर भी पूँजीवाद में इस धन का मूल्य लोगों को सम-सम दिया जाता है। एक आदमी दिन-भर जी-तोड़ मेहनत करता है, उसका पारिश्रमिक उसे दो या तीन रुपये मिलता है। दूसरी ओर एक प्रबन्धक अपनी मेज पर बैठा हुआ बेचन बनना है और उसे उसका पारिश्रमिक भी रुपये दिया जाता है। वह धनर पूँजी और नवागमककर्ता, इन दो उपकरणों के उत्पन्न रूप हैं।

वर्तमान युग में सारे उत्पादन में पूंजी बहुत बढ़ा उपकरण है। मनुष्य हाथ धायद कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकता। यदि पूंजी थोड़ी हो, तो वह उत्पादन कर सकता है; किंतु यदि उसके पास बहुत बड़ी पूंजी हो, तो वह बं-कल-कारखाने लगाकर बहुत अधिक उत्पादन कर सकता है। इसी प्रकार रम्भकर्ता का भाग भी पूंजी द्वारा होने वाले लाभ से नियंत्रित रहता है। यदि अधिक होगा, तो वह सारा नवारम्भकर्ता का होगा; यदि लाभ नहीं होगा तो घाटा होगा, तो वह भी नवारम्भकर्ता को ही सहना होगा।

यह है पूंजीवादी व्यवस्था, जिसमें बड़ी पूंजी की सहायता से बड़े-बड़े पूंजी प्रधाधुंध लाभ कमाते हैं और दूसरी ओर मजदूर केवल जीवन-निर्वाह कर योग्य न्यूनतम वेतन पाते हैं। एक ओर तो पूंजीपति अधिकाधिक धनी होते हैं और दूसरी ओर मजदूर अधिकाधिक गरीब होते जाते हैं। समाज के इन दो वर्गों के बीच विषमता की गहरी खाई उत्पन्न होती जाती है। समाजवाद पूंजीवाद के इस दोष को हटाने के लिए ही सामने आया है।

पूंजीवाद का यह दावा था कि अधिक क्षेत्र में सब लोगों को पूर्ण स्वतंत्र होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति से चाहे जैसा ठेका या लनमैः कर सकता है; और राज्य का कर्तव्य है कि इस प्रकार हुए पारस्परिक समझौते का पालन कराए। परोक्ष रूप से इसका अर्थ यह हो जाता है कि पूंजीपति मजदूर के साथ चाहे जैसा समझौता कर सकता है और उसका मनमाना शोषण कर सकता है किंतु समाजवाद इस दावे को स्वीकार नहीं करता। उसका कथन है कि सब मनुष्य समान हैं। सब मनुष्यों को समान रूप से जीवन की सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। पूंजीवाद में पूंजीपति मुनाफा इसलिए कमा पाता है, क्योंकि उत्पादन के उपकरणों पर उसका अधिकार होता है। इसलिए उत्पादन के उपकरणों पर किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, अपितु उनपर सारे समाज का अधिकार होना चाहिए। सब लोगों को जीविका के लिए धर्म करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को कार्य देना और उस कार्य के बदले पारिश्रमिक देना राज्य का कार्य है।

समाजवादी व्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन मुनाफा कमाने के लिए नहीं

जाता, अपितु उपभोग के लिए किया जाता है। इसलिए पूँजीवादी व्यवस्था दोष 'श्रम उत्पादन' इसमें नहीं भा पाता। 'श्रम उत्पादन' का अर्थ यह है मुनाफे के लालच में पूँजीवादी लोग अधिकधिक उत्पादन करते जाते हैं और उद्योगिता में भाकर कई बार उन्हें अपनी वस्तुओं का दाम बहुत गिरा देना पड़ता है और इसलिए वे फिर मजदूरों के वेतन में कमी करते जाते हैं। समाजवाद कोई व्यक्ति निठला या परोपजीवी नहीं होता। इसलिए शोषित और शोषक समाजवाद में नहीं रह पाते।

समाजवाद के अन्तर्गत साम्यवाद, राष्ट्रीय साम्यवाद, सहकारितावाद और मूहिकतावाद इत्यादि सब आ जाते हैं। इसलिए अकेला समाजवाद किसी स्पष्ट अर्थ का शोक नहीं है। एक ओर रूस का साम्यवाद है, जिसमें सारी सम्पत्ति, भूमि और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। श्रमिक वर्ग की तानाशाही हटा दी गयी है। यही व्यवस्था चीन में भी है और इसके अन्तर्गत दोनों ही देशों ने आश्चर्यजनक उन्नति की है।

इससे भिन्न प्रकार का राष्ट्रीय समाजवाद युद्ध-पूर्व के जर्मनी में था; जहाँ पूर्ण उत्पादन की गतिविधियों को राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से नियंत्रित कर दिया गया था। सभी प्रकार के समाजवाद में व्यक्तिगत स्वाधीनता बहुत कुछ खो जाती है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वाधीनता के रहते शोषण का कुचक्र समाप्त नहीं हो सकता। पूँजीवाद के पाव इतनी मजबूती से जमे हुए हैं कि उसको परास्त करने के लिए समाजवाद हिंसात्मक क्रान्तियों का भी समर्थन करता है।

पूँजीवादी लोग समाजवाद के विपक्ष में प्रायः यह युक्ति देते हैं कि समाजवाद में व्यक्ति को अधिक श्रम करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रहता। जब कमें परिश्रम करके भी जीवन की सुविधाएँ दूसरों के समान मिल सकती हैं, तो लोग स्वभावतः कम परिश्रम करना ही अधिक पसन्द करते हैं। किन्तु वास्तविक अनुभव इसके प्रतिकूल है। जब लोग यह अनुभव करते हैं कि उनके श्रम का फल घूम-फिरकर उन्हींको या सारे समाज को मिलेगा, तो वे खुशी से परिश्रम करते हैं। सभी लोग कामचोर नहीं होते। समाजवाद में बेकारी नहीं होती और मजदूरों की दशा बहुत सुधर जाती है।



## पंचशील

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में संसार ने दो महायुद्ध देखे। इनमें जन और धन का जैसा विनाश हुआ, वैसा इससे पहले संसार में कभी था। और यदि वह विनाश न हुआ होता, तो सारी दुनिया के निवासियों की अपेक्षा कहीं अधिक सुखी और समृद्ध होते।

युद्ध के पक्ष में भी मुक्तियाँ देने वालों की कमी नहीं है। युद्ध से मनुष्य हीरत्व आगता है; कष्ट सहने की क्षमता बढ़ती है; सबल भी निर्बल मरुट हो जाते हैं; और इस तरह विकासवाद के कथनानुसार बँकी और बढ़ता है। परन्तु इस समय विज्ञान ने ऐसे भयानक अस्त्र-शस्त्र मनुष्य के हाथ में दे दिए हैं कि युद्ध द्वारा उन्नति करने की मुक्तियाँ बँहोने लगी हैं। विपत्ती गैलों का प्रयोग पहले महायुद्ध में किया गया दूसरे महायुद्ध में नहीं किया गया। दूसरे महायुद्ध में विमानों द्वारा शत्रु पर अघातचित्त बम-बर्षा की गई। पनडुब्बियों से हज़ारों जहाज़ डूबे। उड़नबम भी बजाए गए और युद्ध का अन्त परमाणु बमों से हुआ, जो रिकामे हीरोशिमा और नागासाकी पर एक-एक परमाणु बम गिराकर। को बिलकुल बरबाद कर दिया।

और विज्ञान की प्रगति उसके बाद भी रधी नहीं है। परमाणु बम हाइड्रोजन बम बन चुके हैं। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पशुपत बलिष्ठ सारी पृथ्वी की परिधिमा लगा सकने वाले राकेट तैयार किए जा चुके हैं। इनके द्वारा परमाणु बमों और हाइड्रोजन बमों को चाहे जिस स्थान पर भी भेजा जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह सतत निश्चय-सा ही प्रतीत होता है कि कहीं तीव्रता विनाश-मुक्त छिड़ गया, तो सारी मानव-सभ्यता और मानव-जाति ही मरुट हो जाएगी। परमाणु युद्ध में हार का अर्थ क्षय ही बनता है, क्योंकि जीवने का नाम भी उगना ही मरुट हो जाएगा, बिना किसी अर्थ के। ऐसी स्थिति में सभ्यता को विनाश के अन्त में विनाश के अन्त में ही

की एक ही किरण दिखाई पड़ती है और वह है—पंचशील ।

पंचशील पांच सिद्धान्तों का नाम है । ये पांच सिद्धांत वे हैं जिनके द्वारा यह भाषा की जाती है कि यदि संसार के सब राष्ट्र इनका पालन करें तो संसार में राजनीतिक तनाव समाप्त हो जाएगा और शान्ति बनी रह सकेगी । इन पांच सिद्धांतों को भारत और चीन के प्रधानमन्त्रियों ने पहले-पहल घोषित किया था । सन् १९५४ में तिब्बत के सम्बन्ध में इन दोनों देशों में जो सन्धि हुई थी, उसकी प्रस्तावना में इन पांच सिद्धांतों का उल्लेख था । वे सिद्धांत ये हैं : (१) अनाक्रमण, (२) अततिक्रमण, (३) अहस्तसौप, (४) पारस्परिक सहायता और सहयोग और (५) शान्तिपूर्वक सहप्रस्तित्व ।

सूत्र रूप में दिए गए इन सिद्धान्तों का थोड़ा-सा स्पष्टीकरण कर देना उचित होगा । पहले सिद्धान्त अनाक्रमण का अर्थ है कि कोई भी देश किसी भी दूसरे देश पर आक्रमण न करे । सब सड़ाइयों का मूल आक्रमण ही है । शक्तिशाली देश अपने पड़ोसी दुर्बल राष्ट्रों पर इसलिए आक्रमण कर देते हैं, जिससे उन्हें जीतकर अपने राज्य का विस्तार कर सकें और उन राष्ट्रों का शोषण कर सकें । अब तक हुए सभी युद्धों में यही भावना काम करती रही है । यदि सब देश अनाक्रमण के सिद्धांत को मान लें, तो संसार से युद्धों का संकट सदा के लिए बहुत कुछ समाप्त हो जा सकता है । किन्तु अनाक्रमण का पालन सच्चे मन से होना चाहिए । यदि बल ऊपर से दिखावे के लिए अनाक्रमण के सिद्धांत को मान लिया जाए, तो ऐसे कोई लाभ न होगा । द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रारम्भिक दिनों में रूस और जर्मनी ने परस्पर अनाक्रमण-संधि की थी । परन्तु क्योंकि वह सधि सच्चे मन से नहीं की गई थी, इसीलिए यह बहुत जल्दी भंग हो गई और जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया ।

दूसरा सिद्धान्त है—अततिक्रमण । इसका अर्थ है, अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं का अतिक्रमण न करना ; उनकी सीमाओं को ज्यों का त्यों बने रहने देना । यह सिद्धान्त भी बहुत कुछ अनाक्रमण से ही मिलता-जुलता है । अन्तर इतना है कि कई बार शक्तिशाली देश अपने पड़ोसी देशों पर सुल्लभ-सुल्ला तो आक्रमण नहीं करते, किन्तु ध. . . . . चरते जाना चाहते हैं और

इस प्रकार उन दोनों देशों में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, जो किसी क्षण युद्ध का रूप धारण कर सकती है। इसलिए युद्ध के संकट को टालने के लिए जहाँ आक्रमण को रोके जाने की आवश्यकता है, वहाँ यह भी आवश्यक है सीमाओं के अतिक्रमण अर्थात् उत्सर्जन को भी रोका जाए।

अनाक्रमण और अनतिक्रमण दोनों सिद्धान्तों को मान लेने के बाद भी और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें युद्ध अनिवार्य-सा ही हो उठे। स्थिति है बड़े राष्ट्रों द्वारा छोटे राष्ट्रों के अन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप की। इसके युग में इस बात को सभी बड़े राष्ट्रों ने समझ लिया है कि खुले तौर पर किसी भी देश पर आक्रमण करना बहुत खतरनाक है। फिर भी ये राष्ट्र परोक्ष तरीके से दूसरे राष्ट्रों पर दबाव डालने और उनके अन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने नहीं चूकते। पश्चिमी एशिया के देश ईरान, ईराक, मिस्र इत्यादि बहुत वर्षों तक विदेशी शक्तियों की कूटनीति का भखाड़ा बने रहे और किसी सीमा तक आगे भी बने हुए हैं। भारत और पाकिस्तान में भी विदेशी शक्तियाँ उल्टे-सीधे हस्तक्षेप अपना प्रभाव डालने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं। संसार इस समय पूँजीवादी और साम्यवादी, इन दो गुटों में बटा हुआ है। जब किसी एक क्षेत्र में एक गुट अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करने लगता है, तो उसके मुकाबले के लिए दूसरा गुट भी स्वयं सचेत हो उठता है और उससे अन्तरराष्ट्रीय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार छोटे राष्ट्रों के अन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप उन राष्ट्रों के लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही सारे विश्व की शांति के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है।

यदि ऊपर लिखे तीनों सिद्धान्तों को मान लिया जाए, तो इसका अर्थ बहुत कुछ यह होगा कि संसार के सब देश एक-दूसरे से अलग-थलग होकर बँट जाएँ और केवल अपने साम की ओर ही दृष्टि रखें; दूसरे देशों के हित-हित की विता बिना धुन छोड़ दें। ऐसा करना संसार की वर्तमान उन्नत दशा में न तो सम्भव है और न हितकर। इससे संसार के उन्नत देश तो क्षय उतनी अनुविधा अनुभव न करें, किन्तु पिछड़े हुए देशों की उन्नति का मार्ग अवश्य बन्द हो जाएगा। इसलिए पश्चिमीय के चौथे सिद्धान्त में यह बात बड़ी गई है कि संसार के उन्नत और अनुन्नत

सभी राष्ट्रों को एक-दूसरे की सहायता करनी चाहिए और सबके हित के लिए एक-दूसरे से सहयोग करना चाहिए । हम अपने पड़ोसी पर आक्रमण न करें और उसे कष्ट न दें, केवल इतना निषेधात्मक नियम ही काफी नहीं है, अपितु इतना विधेयात्मक अथ और जोड़ दिया गया है कि हम अपने पड़ोसी की सहायता करें और सामान्य हित के लिए उसके साथ सहयोग करें । यह सभी सम्भव हो सकता है, जबकि सब राष्ट्र एक-दूसरे के धर्म, संस्कृति, रीति-रिवाज और रहन-सहन के तरीकों के प्रति आदर का भाव रखें ।

सबसे अन्तिम सिद्धान्त है—शान्तिपूर्वक सहप्रस्तित्व । इस समय ससार में दो बड़ी-बड़ी परस्पर विरोधी विचारधाराएं और जीवन-प्रणालियां विद्यमान हैं । एक प्रणाली है पूंजीवादी व्यवस्था की । यह काफी प्राचीन प्रणाली है । इसमें यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून-सम्मत उपायों द्वारा चाहे जितनी सम्पत्ति एकत्र करने का अधिकार है । सब लोगों को अपनी रुचि के अनुसार काम करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए । इस प्रकार प्रतियोगिता से लोगों में भागे बढ़ने, काम करने और धन संचय करने का उत्साह उत्पन्न होता है । अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों में यही प्रणाली प्रचलित है । इसके विरोध में साम्यवादी व्यवस्था है, जिसका यह कथन है कि राज्य के सब नागरिक समान हैं । देश की सारी सम्पत्ति पर उन सबका समान अधिकार है । इसलिए उत्पादन के सब साधनों पर राज्य का अधिकार होना चाहिए । सब नागरिकों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी राज्य पर है और उसके बदले राज्य को अधिकार है कि वह अपने नागरिकों से, जो उचित समझे, काम ले । रूस और चीन इत्यादि देशों में यह साम्यवादी व्यवस्था विद्यमान है । ये पूंजीवादी और साम्यवादी गुट एक-दूसरे को बहुत सन्देह और भय की दृष्टि से देखते हैं और दोनों का विश्वास है कि जब भी दूसरे का वश चलेगा, वह हमें अवश्य ही नष्ट कर डालेगा । द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद से इसी भय और सन्देह के वातावरण के कारण ससार में निरंतर तनाव बना हुआ है । जब तक यह तनाव कायम है, तब तक किसी भी समय युद्ध छिड़ जाने की आशंका है । इस तनाव को समाप्त करने का सरल उपाय यह है कि दोनों गुट मिद्धान्त में इस बात को स्वीकार कर लें कि ये दोनों विरोधी व्यवस्थाएं एकसाथ

संसार में विद्यमान रह सकती हैं। यदि इस बात को स्वीकार कर लिया जा-  
फिर संघर्ष का कोई कारण ही शेष नहीं रहता।

ये हैं पंचशील के पांच सिद्धान्त, जिनकी घोषणा पहले-पहल भारत और  
के प्रधानमंत्रियों ने सन् १९५४ में की थी। उसके बाद बांग्ला में हुए अफ्री-एशिया  
देशों के प्रथम सम्मेलन में इन सिद्धान्तों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।  
उसके बाद कम के प्रधानमंत्री, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति तथा अन्य कई देश  
प्रधानमंत्रियों ने इन सिद्धान्तों का समर्थन किया। किन्तु संसार के कई बड़े  
ऐसे भी हैं, जिन्होंने इन सिद्धान्तों की केवल उपेक्षा ही की है। उन्होंने सिद्ध  
रूप में भी इन्हें स्वीकार नहीं किया है।

परन्तु इस समय संसार के सामने दो ही विकल्प हैं—एक परमाणु युद्ध  
द्वारा मानव-नाश और मनुष्य-जानि का सर्वनाश, और दूसरा पंचशील।  
संसार को पहला विकल्प स्वीकार्य नहीं है, तो दूसरा विकल्प ही अपनाया जा-  
व्योक्ति इसके विनाश और कोई रास्ता है ही नहीं। हमें यह विरवाग कर  
चाहिए कि मनुष्य अभी इतना अविवेकी और अंधा नहीं हुआ है कि वह या  
सुखंता द्वारा न केवल अपनी सारी संपत्ति और समृद्धि का, धनियु सत्ता।  
विनाश कर डाले। इसलिए वास्तव ही या कल्प विचारक से पंचशील के सिद्धान्त सं-  
के सब देशों द्वारा स्वीकार किए जाएँ और वे मानव-जानि के मुनहूने प्रविष्ट।  
आधारगिना बन सकेंगे।

अथ नभाविन शीर्षक

१. भारत की विदेश-नीति
२. विदेशनान्ति में भारत का योग

## भूदान-यज्ञ

बीसवीं शताब्दी में पश्चिम के देशों ने संसार को अनेक वैज्ञानिक आविष्कार दान किए हैं। रेडियो, रेडार, टेलीविजन और परमाणु बम इनमें से प्रमुख हैं। रन्तु इनकी तुलना में भारतवर्ष ने संसार को दो अद्भुत वस्तुएं प्रदान की हैं, जिनका महत्त्व इन वैज्ञानिक आविष्कारों से किसी प्रकार कम नहीं भाका जा सकता; और ये वस्तुएं हैं—एक तो महात्मा गांधी का सत्याग्रह और दूसरा विनोबा साहेब का भूदान-आंदोलन। जैसे गांधीजी का सत्याग्रह राजनीतिक क्षेत्र में एक नया और सफल प्रयोग था, उसी प्रकार भूदान-यज्ञ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नया और क्रांतिकारी प्रयोग है। सत्याग्रह का प्रयोग देश को विदेशी शक्तों से छुड़ाने के लिए किया गया था और भूदान का प्रयोग शोषितों और शोषितों को शोषकों के पंजों से छुड़ाने के लिए किया जा रहा है।

भूदान क्या है, यह इस शब्द से ही स्पष्ट है। इसका अर्थ है—भूमि का दान। जिन लोगों के पास आवश्यकता से अधिक भूमि है, वे स्वेच्छा से अपनी भूमि का कुछ भाग उन लोगों को दे दें, जिनके पास भूमि बिलकुल नहीं है। अभी कुछ वर्ष पहले तक भारतवर्ष में इन दोनों प्रकार के लोगों की संख्या काफी थी। एक ओर तो बड़े और छोटे जमींदार थे, जिनके पास इतनी अधिक भूमि थी कि वे उस सारी पर स्वयं किसी प्रकार खेती नहीं कर सकते थे; और दूसरी ओर ऐसे भूमिहीन श्रमिक थे, जिनके पास अपनी कहने के लिए अगुल-भर जमीन भी नहीं थी। ये भूमिहीन श्रमिक दूसरे किसानों और जमींदारों की जमीन पर मजदूरी करके जीवन बिताते थे। यह मजदूरी बहुत थोड़ी होती थी और सदा नहीं मिलती थी। इसलिए इनका जीवन बहुत ही गरीबी में बीतता था। एक ओर बहुत कम मेहनत से या बिलकुल बिना मेहनत के बहुत पैसा पाने वाले भूस्वामी थे और दूसरी ओर जो तोड़कर मेहनत करने के बाद भी भूखे रहने वाले ये मजदूर !

इस प्रकार की आर्थिक विषमता समाज के स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है; और अनेक देशों के इतिहास में घातक सिद्ध हो भी चुकी है। फ्रांस और

रूस की प्रान्तियां इसी प्रकार की आर्थिक विपमता का परिणाम थीं। शीघ्र विसम्ब से भारत में भी यही स्थिति उत्पन्न हो जाती ; वल्कि कहना चाहिए ऐसंगाना के प्रदेश में किसी सीमा तक यह उपस्थित हो भी गई थी। किसान बलपूर्वक जमींदारों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। मनेक स्व पर उपद्रव हुए, जिनको दवाने के लिए पुलिस को काफी बल-प्रयोग करना पड़ा।

हमारे देश में सबसे प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस ने अपना लक्ष्य 'समाज समाज को स्थापना' घोषित किया है और प्रायः सभी राज्यों में जमींदारी-प्रथा समाप्त करके भूमि का अधिकार उन किसानों को सौंप दिया गया है, जो उस पिछले कुछ वर्षों से खेती करते चले आ रहे थे। इसी प्रकार भूमि की समस्या हल करने के लिए और भी कई उपाय किए गए हैं। किन्तु इनसे भूमिहीन मजदूरों की समस्या का कोई हल नहीं हो पाया है। इन भूमिहीन मजदूरों की संख्या बढ़ अधिक है और जब तक इनकी आर्थिक दशा न सुधरे, तब तक समाज में पूरी शांति स्थापित हुई नहीं समझी जा सकती।

मनुष्य की एक मूलभूत प्रवृत्ति यह है कि वह वस्तुओं पर अपना स्वामित्व जमाना चाहता है। जिन वस्तुओं पर उसका स्वामित्व होता है, उनकी वह बड़े सावधानी से देख-रेख और रक्षा करता है ; उनको सुधारने और सवारने के लिए प्रयत्नशील रहता है। भूमि के बारे में भी यही बात है। यदि किसी एक किसान को कुछ भूमि दे दी जाए, जिसे वह अपनी कह सके और जिसके सम्बन्ध में उसे बड़ा विश्वास हो कि वह उससे छिनी नहीं आएगी, तो वह बंजर जमीन को भी अपने पसीने से सींच-सींचकर उपजाऊ और हरी-भरी बना सकता है। जब तक किसान को भूमि का स्वामित्व न सौंपा जाएगा, तब तक वह उसपर पूरे मन से परिश्रम नहीं कर सकता। इस तरह जहां एक ओर बहुत-से श्रमिकों का धर्म उपयोग में नहीं आता, वहां दूसरी ओर भूमि पर उतनी उत्प्रेरता से खेती नहीं हो रही होती, जितनी होनी चाहिए।

ऐसी स्थिति में भूमि का समान वितरण करने के तीन ही उपाय थे। एक तो यह कि किसान जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा कर लेते। इस बात को कोई भी सम्भवस्थित सरकार सहन नहीं कर सकती थी; क्योंकि बलपूर्वक भूमि पर कब्जा

कर पाना इतना सरल न होता। मयानक उपद्रव होते और काफी कुछ रक्तपात होता। दूसरा उपाय यह था कि सरकार कानून बनाकर जबरदस्ती भूस्वामियों से कुछ भूमि छीन लेती और उसे भूमिहीन मजदूरों में बांट देती। यह उपाय शासनी से किया जा सकता था; परन्तु इनसे उन लोगों के मन में कटुता भर जाती, जिनको भूमि इस प्रकार छीनी जाती। तीसरा और अन्तिम उपाय यह था कि भूस्वामियों को समझाया जाए और प्रेम से मनाकर उनसे कालतू भूमि दान में ली जाए और वह भूमिहीन धर्मियों में बांट दी जाए—यही भूदान है।

सन् १९५१ की बात है। तेलंगाना प्रदेश में किसानों और जमींदारों में जमीन के लिए लड़ाइयाँ हो रही थीं। विनोबा भावे शान्ति-स्थापना के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। पंचमपल्ली नामक गाँव में विनोबाजी ने अपने प्रवचन में लोगों को समझाते हुए अम का महत्त्व बतलाया और शान्तिपूर्वक परिश्रम करके जीविका कमाने का सुझाव दिया। उस समय वहाँ के कुछ हरिजन मजदूरों ने उठकर कहा, 'हम अम करने को तैयार हैं, किन्तु हमारे पास जोतने के लिए चम्पा-भर भी जमीन नहीं है। हम मेहनत भी करें तो क्या?' विनोबाजी ने उपस्थित लोगों से अपील की और कहा कि क्या यहाँ कोई ऐसा उदार महानुभाव है, जो इन लोगों के लिए कुछ भूमि दे सके? उस समय एक व्यक्ति ने उठकर भूमिहीन लोगों में बांटने के लिए आचार्य विनोबा को सौ एकड़ भूमि देने की घोषणा की। उसी दिन विनोबा को यह विश्वास हो गया कि कानून और जबरदस्ती से ही नहीं, बल्कि प्रेम से भी लोगो से भूमि ली जा सकती है।

उसके बाद विनोबाजी ने यह निश्चय किया कि वे सारे देश में पैदल भूमि-भूमकर भूमिहीन लोगों के लिए तीस लाख एकड़ भूमि एकत्र करेंगे और जब तक उनका यह लक्ष्य पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक वे अपने आश्रम में नहीं लौटेंगे। इसके बाद उन्होंने देश की पदयात्रा शुरू कर दी। वे गाँव-गाँव जाते और लोगों से भूमि मांगते। वे लोगों से कहते, 'अगर आपके पाँच पुत्र हैं, तो अपना छठा पुत्र मुझे मान लीजिए और मेरे दिष्टे की भूमि मुझे दे दीजिए। मैं उसे भूमिहीन लोगों में बाँटूँगा।' उनके कहने के डग, उनके दिल की सच्चाई और उनके प्रेम से प्रभावित होकर लोग उदारतापूर्वक अपनी भूमि दान में देने लगे। तीस लाख एकड़ भूमि





है। संसार के अन्य देशों में समाज की दूषित व्यवस्थाओं को बदलने के लिए ऐसी बयंकर और रक्तपातपूर्ण श्रांतियां हुई हैं कि एक बार तो उन देशों की नींव तक हल उठी है। यदि सामाजिक व्यवस्था का वैसा ही परिवर्तन बिना किसी प्रकार 'उपद्रव और रक्तपात के विनोबाजी अपने भूदान-घान्दोलन द्वारा करने में सफल हो सकें, तो अवश्य ही यह एक नई और आश्चर्यजनक बात होगी। जैसे सक्षण हो रहे हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि विनोबाजी इसमें अवश्य सफल होकर रहेंगे; और यदि यह घान्दोलन भारत में सफल हो गया, तो संसार के अन्य देश भी इसे गन्तव्यपूर्वक प्रपनाने को उद्यत हो जाएंगे।

#### अन्य सम्भावित शीर्षक

१. विनोबा भावे और उनका भूदान
२. भारत की भूमि-समस्या का हल

## संयुक्त राष्ट्रसंघ

मनुष्य अन्य पशुओं की भाँति स्वभाव से युद्ध-प्रेमी है। इसीलिए संसार का इतिहास देशों और जातियों के छोटे-बड़े घर्षण युद्धों से भरा हुआ है। जब भी कोई जानि कुछ अधिक शक्तिशाली हो जाती है, तो वह दूसरी जातियों पर अधिकार करने के लिए युद्ध देड़ देती है। युद्ध हारने वाले के लिए तो सर्वनाशी होना ही है, जीवने वाले के लिए भी कुछ कम बिनाशकारी नहीं होगा। यदि समूची मानव-जाति की दृष्टि से देखा जाए, तो युद्धों से मनुष्य को हानि ही होती रही है। पशु दो महायुद्धों में जितना बिनाश हुआ और उन बिनाश को करने के लिए जितना बल व्यय किया गया, यदि उनका उपयोग लोगों के हित के लिए किया जाता, तो संसार के सभी निवासी सब की शोखा बई नुनर मुन्नी और समुद्ध होने। यदि युद्ध बलिय से भी इसी प्रकार होते रहे, तो शायद कदा ही मनुष्य-जाति को दुःख और

दरिद्रता में जीवन बिताना पड़ेगा ।

ज्यों-ज्यों विज्ञान ने उन्नति की है, त्यों-त्यों युद्धों में होने वाले विनाश की भाँति अधिक और अधिक होती गई है । द्वितीय महायुद्ध में प्रथम महायुद्ध से कई गुना अधिक विनाश हुआ और यदि परमात्मा न करे, तीसरा महायुद्ध छिड़ गया, तब उसमें दूसरे महायुद्ध से भी कई गुना अधिक विनाश होगा; इतना अधिक कि जिसमें अभी कल्पना भी नहीं की जा सकती । इस अवस्थाने सभी देशों के विचारकों को कोई ऐसा उपाय सोचने के लिए विवश कर दिया, जिसके द्वारा अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं और विवादों का हल पारस्परिक वार्तालाप और समझौतों द्वारा किया जा सके; और जरा-जरा-सी बात पर ध्यान से तलवार निकालने की आवश्यकता न पड़े । संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना इसी विचारधारा का परिणाम है ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुई थी । संसार के ५१ से अधिक देश इस संघ के सदस्य बने और उन्होंने यह घोषणा की कि वे युद्ध का विरोध करते हैं और इसलिए अपने आपसी विवादों का हल युद्ध द्वारा न करके संयुक्त राष्ट्रसंघ में वार्तालाप और मध्यस्थता द्वारा करवाने को तैयार हैं । युद्ध से अस्त संसार के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ धारा की एक मुनहनी किरण थी ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना बिलकुल नई चीज नहीं थी । प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति के बाद भी इसी प्रकार की एक अन्तरराष्ट्रीय संस्था बनाई गई थी जिसका नाम राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) था । राष्ट्रसंघ के उद्देश्य भी लगभग वही थे, जो वर्तमान संयुक्त राष्ट्रसंघ के हैं । किन्तु राष्ट्रसंघ पहला प्रयोग था, इसलिए उसमें कुछ त्रुटियाँ रह गई थीं । वह एक दुर्बल संस्था थी, उसके सिद्धान्त अच्छे थे, परन्तु अपने निर्णयों को सब राष्ट्रों से मनवाने के लिए उसके पास कोई शक्ति नहीं थी । इसीलिए जब जापान ने मंचूरिया पर अधिकार कर लिया और इटली ने अबीसीनिया पर आक्रमण किया, तो राष्ट्रसंघ केवल प्रस्ताव पास करके रह गया और इन आक्रमणों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न कर सका । हमने अपना प्रभाव घटता गया और द्वितीय विश्व-युद्ध छिड़ने से पहले ही उसकी रिकार्ड न होने के बराबर रह गई ।

इन सब बातों को देखते हुए भीर पिछले अनुभव से लाभ उठाते हुए संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना अधिक दृढतर आधारों पर की गई। इसका बड़ा कारण यह भी था कि द्वितीय विश्व-युद्ध के अन्तिम दिनों में परमाणु बमों का जग हुआ और परमाणु बमों ने अपने भीषण संहार द्वारा यह स्पष्ट कर दिया यदि आणविक युद्ध हुआ, तो उसका रूप क्या होगा। इसीलिए उस आणविक युद्ध को रोकने के लिए अधिक प्रयास किया जाना स्वाभाविक था।

अभी द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त भी नहीं हुआ था कि मित्र कहे जाने वाले देशों 'अतलांतक घोषणापत्र' तैयार किया, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि मनुष्य-धर्म को धर्म और विचारों की स्वाधीनता रहेगी; प्रत्येक व्यक्ति को निर्भय जीवन ताने का अधिकार होगा और सब मनुष्यों को अभावों से मुक्ति दिलाने की चेष्टा की जाएगी। युद्ध की समाप्ति होने पर सानफ्रांसिस्को में एक विशाल सम्मेलन हुआ, उसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ की विधिपूर्वक स्थापना हुई। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले ५१ देश संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य बने और उन्होंने एक स्वर से युद्ध की निन्दा की। इस सम्मेलन में सब मनुष्यों की समानता का सिद्धान्त स्वीकार किया गया। सब मनुष्यों को विचारों की स्वतन्त्रता, संगठन की स्वतन्त्रता, धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार दिया गया और यह भी निश्चय किया गया कि सब राष्ट्र, चाहे वे छोटे हों या बड़े, अपने आन्तरिक मामलों में पूर्णतया स्वतन्त्र हैं और किसी दूसरे देश को उनके मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की इस प्रथम बैठक में सिद्धान्त रूप में यह बात भी मान ली गई कि प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली ही सबसे अच्छी शासन-प्रणाली है। इस बात को स्वीकार करने के लिए सबसे बड़ी युक्ति यह थी कि प्रजातन्त्र देश शान्तिप्रिय होते हैं, जबकि अधिनायकतन्त्रीय देशों का झुकाव अपनी सीमाएं बढ़ाने, दूसरे देशों पर कब्जा करने तथा अपना शौर्य प्रमाणित करने की ओर रहता है। द्वितीय विश्व-युद्ध से पहले जर्मनी और इटली में अधिनायकतन्त्रीय शासन-प्रणाली थी और इन्हीं दोनों देशों ने दूसरे विश्व-युद्ध का प्रारम्भ किया। ऐसा समझा जाता है कि यदि उस समय जर्मनी और इटली में प्रजातन्त्र शासन होता, तो युद्ध इतनी आसानी से न विड़ सकता।

संयुक्त राष्ट्रसंघ इस समय तक बहुत विज्ञान और सनात संस्था बन चुका है। संसार के सभी बड़े-बड़े देश, जिनमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान भी सम्मिलित हैं, इसके सदस्य हैं। सदस्य देशों की संख्या इस समय तक ६२ ऊपर हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्रसंघ का उद्देश्य संसार के देशों में सद्भाव सहिष्णुता और पारस्परिक सहयोग की भावना को बढ़ाना है। इन उद्देश्यों को पूरा करने में काफी सीमा तक इसे सफलता भी प्राप्त हुई है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के कई भंग हैं। इसकी सबसे बड़ी और सबसे अधिक प्रति कारगरम्यन्त सभा जनरल असेम्बली है। किसी भी विषय में जनरल असेम्बली का निर्णय अन्तिम समझा जाता है। सामान्यतया जनरल असेम्बली का अधिवेशन साल में एक बार होता है; परन्तु यदि आवश्यकता हो तो जनरल असेम्बली का विशेष अधिवेशन कभी भी बुलाया जा सकता है। जनरल असेम्बली में कोई भी निर्णय तभी स्वीकृत माना जाता है, जबकि उसके पक्ष में कम से कम दो-तिहाई मत हों।

सुरक्षा-परिषद संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक और महत्वपूर्ण भंग है। जनरल असेम्बली के बाद सुरक्षा-परिषद को ही सबसे अधिक अधिकार प्राप्त हैं। इसे जनरल असेम्बली की कार्यपालिका समिति कहना चाहिए। इसका काम है—संसार में शान्ति बनाए रखना। यदि कहीं भी भाङ्गमण हो तो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त पर सुरक्षा-परिषद उस भाङ्गमण का प्रतिरोध करती है। सुरक्षा-परिषद ११ सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष बारी-बारी से इन्हीं ११ सदस्यों से चुना जा रहा है। फिलिस्तीन, कारमीर, कोरिया और मिस्र में भाङ्गमण को रोक-थाम के लिए सुरक्षा-परिषद ने कार्रवाई की है।

जनरल असेम्बली और सुरक्षा-परिषद के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघ के भी भी अनेक महत्वपूर्ण भंग हैं, जिनका सम्बन्ध संसार के पिछड़े हुए देशों की सहायता करने से है। इनमें से अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे संसद कहा जाता है, अन्न एवं कृषि-संगठन, संयुक्त राष्ट्रीय, आर्थिक, सामाजिक, विज्ञान, विश्व-स्वास्थ्य-संगठन इत्यादि विशेष रूप से उल्लेख किए जा सकते हैं। इनके अलावा संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व-बैंक से बन

राशि भी उधार दिलवाता है। विज्ञानवेत्ता और कुशल शिल्पज्ञ (टेक्नीशियन) विद्युत् देगों में उद्योग-धन्धों को उन्नत करने के लिए भेजे जाते हैं। रोगों को हटाने और स्वास्थ्य की दशाओं को सुधारने के लिए भ्रोपधिधियों और चिकित्सा के दूसरे उपकरणों के रूप में बहुमूल्य सहायता दी जाती है। निरक्षरता को हटाने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र-संघ विशेष रूप से प्रयत्नशील है।

संयुक्त राष्ट्र-संघ लोग प्राण नेशन्स की प्रपेक्षा कहीं अधिक समर्थ और सदाय सँस्था है। यह बात तब मली भांति स्पष्ट हो गई, जब कोरिया में युद्ध छिडा। उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर अधिकार करने का यत्न किया, किन्तु संयुक्त राष्ट्र-संघ ने अनेक देशों की सम्मिलित सेना बनाकर उस प्राणमन का मुखावला किया और दक्षिणी कोरिया को फिर स्वतन्त्र करवा दिया। हमसे सद्गुण राष्ट्र-संघ का संसार में दबदबा छा गया है और सभी देशों ने यह समझ लिया है कि संयुक्त राष्ट्र-संघ के बल प्रस्ताव पास करके चुप रह जाने वाली सँस्था नहीं है किन्तु अपने निश्चयों को मनवाने का सामर्थ्य भी उसके पास है।

इस सम्बन्ध में तो दो मत हो ही नहीं सकते कि प्राणकल की सी वैज्ञानिक उन्नति के धुर में युद्ध को रोकने के लिए सब उपाय किए जाने चाहिए और सब विचारों का हल मार्गालाप और मध्यस्थता द्वारा होना चाहिए। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र-संघ का सिद्धान्त निस्सन्देह सराहनीय है। किन्तु यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसी सँस्था भी गुटबन्दी का सिद्धार हो जाए, तो उसकी मरलता बहुत संदिग्ध हो जाती है। इस समय संसार पूँजीवादी और साम्यवादी, इन दो गुटों में बँटा हुआ है। दोनों गुट एक-दूसरे के विरोधी हैं और एक-दूसरे पर सन्देह करते हैं। संयुक्त राष्ट्र-संघ में भी साम्यवादी और पूँजीवादी गुट में टक्कर रहती है। संयुक्त राष्ट्र-संघ में बहु-सँस्था अमेरिका के समर्थक देशों की है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र-संघ में प्रतिनिधि देशों के हिसाब से लिए जाते हैं, देशों की जन-सँस्था के हिसाब से नहीं। यदि यह गुट-बन्दी समाप्त न हुई तो संयुक्त राष्ट्र-संघ देर-सँवेर में खुद समाप्त हो जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र-संघ अभी तक निरप्यशता के पूर्ण आदर्श तक नहीं उठ सँथा है। अमेरिका जैसे प्रभावशाली देश वोटों के बल से अपनी मरल बात भी मनवा लेते हैं। तीन संयुक्त राष्ट्र-संघ का सदस्य है, किन्तु तीन वा प्रतिनिधि जनरल आंग-

काई शेरु की कुमोमिननांग सरकार का प्रतिनिधि होता है, जिसका शासन वं की मुख्य भूमि से ३०० मील दूर एक छोटे-से द्वीप ताइवान पर है। ३० वं भोगों पर शासन करने वाली साम्यवादी सरकार का प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में है ही नहीं। कई बार यह मांग उठाई गई कि चीन का प्रतिनिधित्व साम्यवादी सरकार को करना चाहिए, किन्तु अमेरिका के दबाव के कारण ऐसा संभव हो पाया नहीं रहा। यदि यही प्रवृत्ति चलती रही, तो यह संयुक्त राष्ट्र के लिए हितकारी नहीं हो सकती।

ऐसे छोटे-मोटे द्वीपों के होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र-संघ के लक्ष्य और उच्च और महान् हैं। और ये द्वीप ऐसे हैं, जिन्हें हटाया जा सकता है और जो व बीतने के साथ-साथ धायद खुद हट जायेंगे। वर्तमान समय में संसार को और अधिक जाति की विनाश में यदि कोई बचा सकता है, तो वह केवल संयुक्त राष्ट्र-संघ ही

## दाशमिक मुद्रा और भार-माप प्रणाली

सन् १८३५ से भारत में रुपया, आना, पाई वाली मुद्रा-प्रणाली चल रही थी। इसमें रुपया दो बराबर भागों में विभक्त होता चला जाता था। रुपये में दो अठन्नियां होती थीं; अठन्नी में दो चवन्नियां; चवन्नी में दो दुपन्नियां; दुपन्नी में दो इकन्नियां; इकन्नी में दो अघन्ने और अघन्ने में दो पैसे होते। एक पैसे के दो-दो पैसे होते थे और एक पैसे में ३ पाइयां होती थीं। इस प्रकार एक रुपये में ६४ पैसे या १६२ पाइयां होती थी। किसी समय जब व्यापार जटिल था, लोगों को यह मुद्रा-प्रणाली सरल प्रतीत हुई थी, क्योंकि इसमें एक निरन्तर दो भागों में बंटता चला जाता था और हिसाब-किताब के लिए अत्यन्त सरल पैसे के तीन भाग भी किए जा सकते थे।

परन्तु पिछले दस-पन्द्रह वर्षों से भारत में दाशमिक मुद्रा-प्रणाली चलाने

विचार चल रहा था। इस सम्बन्ध में प्रमुख शिक्षा-संस्थाओं, व्यापारिक संस्थाओं और योजना-आयोग से विचार-विमर्श करने के पश्चात् सितम्बर १९५५ में ससद् ने 'भारतीय मुद्रा-संशोधन अधिनियम १९५५' पास किया और उसके बाद देश में १ अप्रैल, १९५७ से दाशमिक मुद्रा-प्रणाली लागू कर दी गई। यह निश्चय किया गया कि तीन वर्ष तक नये और पुराने दोनों प्रकार के सिक्के प्रचलन में रहेंगे। धीरे-धीरे पुराने सिक्के समाप्त होते जाएंगे और उनका स्थान नये सिक्के ले लेंगे।

भारत की नई मुद्रा-प्रणाली के अनुसार एक रुपया सौ पैसों में बाटा गया है; अर्थात् एक रुपये में १०० पैसे होते हैं। इस प्रकार रुपये का मूल्य तो पहले जितना ही रहा है, परन्तु पैसे का मूल्य १/६४ रुपये से घटकर १/१०० रुपया रह गया है। इस मुद्रा-प्रणाली में पैसा प्रथम इकाई है और ऊपर दो पैसा, पांच पैसा, दस पैसा, पच्चीस पैसा और पचास पैसा भारतीय मुद्रा की अलग-अलग इकाइयाँ हैं; अर्थात् इन राशियों के सिक्के भारतीय मुद्रा में चल रहे हैं।

दाशमिक मुद्रा-प्रणाली को ससद् के अनेक देशों ने अपनाया हुआ है और इसका कारण यही है कि इस प्रणाली में हिसाब-किताब करना बहुत आसान होता है। क्योंकि इसमें सिक्का दस-दस के भागों में बटता जाता है, इसलिए दस से भाग देने के लिए केवल दशमलव चिह्न लगा देने से काम चल जाता है और दस से गुणा करने के लिए अन्त में एक शून्य बढा देना पर्याप्त होता है।

दाशमिक मुद्रा-प्रणाली संसार के १४० देशों में से १०५ देशों में चल रही है। पहले-पहल यह प्रणाली अमेरिका में प्रारम्भ हुई थी। उसके बाद फ्रांस ने इसे अपनाया। फिर तो जर्मनी, जर्मनी, जापान और रूस इत्यादि अनेक देशों ने इसे अपना लिया। परन्तु इंग्लैंड में यह प्रणाली अब तक भी नहीं अपनाई गई है। वहाँ के लोग अब भी पुरानी पौंड, शिलिंग, पेंस की मुद्रा-प्रणाली को अपनाए हुए हैं, जिसमें एक पौंड में २० शिलिंग और एक शिलिंग में १२ पेंस होते हैं।

ऊपर यह कहा गया है कि दाशमिक मुद्रा-प्रणाली से हिसाब-किताब करने में सुविधा रहती है। किन्तु यह सुविधा तभी रह सकती है, जबकि भार और माप के लिए भी दाशमिक-प्रणाली अपनाई जाए। भार और माप की इस दाशमिक-प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली कहा जाता है। इसमें भार और माप की इकाइयाँ भी



के सामने धन्य धनेक बड़ी-बड़ी समस्याएं पड़ी हुई हैं, तब उनको धीरे-धीरे देकर इस मामूली काम में शक्ति खपाना धीरे-धीरे जनता का ध्यान बंटाना नहीं था। परन्तु वास्तविकता यह है कि इस समय हम उन्नति धीरे-धीरे द्वार पर सहे हैं। देश में बड़ी-बड़ी योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं। धीरे-धीरे देश में तेजी से प्रगति हो रही है और बहुत शीघ्र ही विस्तार-विस्तार का स्वतः-आहित मशीनों द्वारा होने लगेगा। ऐसे समय यदि पहले ही दामाधिक प्रणयनी ली जाए, तो विस्तार-विस्तार की स्वतः-आहित मशीनों उगीकी रसकर बनाई जाएंगी। यदि इसमें विलम्ब किया गया, तो लोग पुरानी प्रविष्टि-विस्तार करने वाली मशीनों मगवा लेंगे या लेंवार करवा लेंगे और वे प्रणयनी में परिवर्तन करने से उन लोगों को मारी हानी उठानी पड़ेगी। परन्तु अब तो यह प्रणयनी सामु हो चुकी है। दामाधिक विस्तार से चल ही रहे हैं। १ अक्टूबर, १९५० से नये बाट चालू हो गए हैं। १९६० से दामाधिक माग भी चालू हो गए हैं। संकल्पकाल में कठिनाई होने पर भी बाट से दामाधिक-प्रणयनी बहुत सुविधाजनक वि

## सहकारिता-आन्दोलन

जिन श्री नेताओं ने 'सह-से शक्ति' की युक्ति का वाचन किया था, कारिणा की शक्ति को मन में धरकर अनुभव कर लिया होगा। सह-से शक्ति में शक्ति मानवीय सगठनों में ही विद्यमान है। मनुष्यों के सगठनों का ही एक रूप है। सहकारिता-आन्दोलन धन्य धन्य - विद्युत् धरकर विद्युत् हुआ है।

का अर्थ है—मन धरकर काम करना। जिन।

का अर्थ है—मन धरकर सह-से शक्ति की शक्ति को धन्य धन्य

सकते; किन्तु यदि वे आपस में मिल जाएं और अपने आपनों को एक जगह मिला लें, तो वे बहुत कुछ काम करने में समर्थ हो सकते हैं; और इस प्रकार पारस्परिक सहयोग द्वारा सभी को लाभ प्राप्त होता है। साथ मिलकर सगठन बना लेने से उन्हें ऐसी अनेक सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, जो उनके असंगठित दशा में भ्रम-भ्रमण रहते हुए प्राप्त न होती।

कल्पना कीजिए कि एक गांव में पचास किसान रहते हैं। उनमें से हर एक के पास दस-दस बीघा भूमि है। उस दस बीघा भूमि पर खेती करने के लिए न तो किसान ट्रैक्टर रख सकता है, न पहरेदार रख सकता है, न सिंचाई के लिए कुंआ खोदकर उसपर रहट या ट्यूबवैल लगा सकता है; क्योंकि उस दस बीघा जमीन से होने वाली उपज इतनी काफी नहीं है कि उसके लिए ये सब बखेड़े किए जा सकें। परन्तु यदि वे पचास किसान अपनी दस-दस बीघा भूमि को एक जगह मिला लें, तो उस पांच सौ बीघा भूमि की जुताई के लिए वे मिलकर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं और सिंचाई के लिए ट्यूबवैल लगवा सकते हैं। भ्रम-भ्रमण किसान को महाजन से रुपया उधार लेने में बहुत कठिनाई पड़ती है, क्योंकि भ्रम-भ्रमण किसान की साल कम होती है; किन्तु यदि वे आपस में मिलकर एक सहकारी समिति बना लें, तो सहकारी समिति को उधार भी आसानी से मिल सकता है, क्योंकि उस उधार की लौटाने की जिम्मेदारी एक नहीं, अपितु पचास व्यक्तियों पर है। इसी प्रकार तैयार फसल को बेचने की सुविधा भी सहकारी समिति को भ्रम-भ्रमण किसान की अपेक्षा अधिक है। समिति अच्छी तरह भाव-साध कर सकती है और जरूरत पड़ने पर फसल को कुछ देर रोककर भी रख सकती है, जो अकेले गरीब किसान के लिए सम्भव नहीं है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि सहकारी समिति बना लेने पर उसके सब सदस्यों को अधिक सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। उन्हें थम कम करना पड़ता है और लाभ अधिक होता है। वे एक-दूसरे का सहारा बन जाते हैं। इस लाभ का मूल कारण यह है कि सहकारी समिति में सब सदस्यों का उत्तरदायित्व संयुक्त होता है। समिति के लाभ और हानि दोनों के लिए सभी सदस्य जिम्मेदार होते हैं।

सहकारी समितियां अनेक प्रकार की होती हैं। एक और उत्पादकों की सह-

के सामने धन्य अनेक बड़ी-बड़ी समस्याएं पड़ी हुई हैं, तब उनकी धीरे ध्यान न देकर इस मामूली काम में शक्ति लगाना धीरे जनता का ध्यान बंटाना उचित नहीं था। परन्तु वास्तविकता यह है कि इस समय हम उन्नति और समृद्धि के द्वार पर खड़े हैं। देश में बड़ी-बड़ी योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं। औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है और बहुत सीध ही हिसाब-किताब का काम स्वतः-चालित मशीनों द्वारा होने लगेगा। ऐसे समय यदि पहले ही दाशमिक-प्रणाली अपना ली जाए, तो हिसाब-किताब की स्वतः-चालित मशीनों उसीको ध्यान में रखकर बनाई जाएंगे। यदि इसमें विलम्ब किया गया, तो लोग पुरानी प्रणाली का हिसाब-किताब करने वाली मशीनों मगवा लेंगे या तैयार करवा लेंगे और उस दश में प्रणाली में परिवर्तन करने से उन लोगों को भारी हानी उठानी पड़ेगी।

परन्तु अब तो यह प्रणाली लागू हो चुकी है। दाशमिक सिक्के ठो छः बरपे से चल ही रहे हैं। १ अक्टूबर, १९५८ से नये बाट चालू हो गए हैं। १ अक्टूबर १९६० से दाशमिक नाप भी चालू हो गए हैं। संक्रमणकाल में थोड़ी-बहुत कठिनाई होने पर भी बाद में दाशमिक-प्रणाली बहुत सुविधाजनक सिद्ध होगी।

## सहकारिता-आन्दोलन

जिस भी लेखक ने 'सङ्घे शक्तिः कलौ युगे' का वाक्य लिखा था उसने सह-कारिता की शक्ति को मन में अवश्य अनुभव कर लिया होगा। वस्तुतः पाश्च के युग में सारी शक्ति मानवीय संगठनों में ही विद्यमान है। सहकारी समितियां भी अनुष्ठी के संगठनों का ही एक रूप हैं। सहकारिता-आन्दोलन पल्ल साधनों वाले धर्मजीवियों के लिए परदान सिद्ध हुआ है।

सहकारिता का धर्म है—साथ मिलकर काम करना। जिन लोगों के पास ... हैं, वे अलग-अलग रहकर किसी काम की भली भांति नहीं कर

सकते; किन्तु यदि वे आपस में मिल जाएं और अपने साधनों को एक जगह मिला लें, तो वे बहुत कुछ काम करने में समर्थ हो सकते हैं; और इस प्रकार पारस्परिक सहयोग द्वारा सभी को लाभ प्राप्त होता है। साथ मिलकर संगठन बना लेने से उन्हें ऐसी अनेक सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, जो उनके असंगठित दशा में भ्रमण-भ्रमण रहते हुए प्राप्त न होतीं।

कल्पना कीजिए कि एक गांव में पचास किसान रहते हैं। उनमें से हर एक के पास दस-दस बीघा भूमि है। उस दस बीघा भूमि पर खेती करने के लिए न तो किसान ट्रैक्टर रख सकता है, न पहरेदार रख सकता है, न सिंचाई के लिए कुर्पा खोदकर उसपर रहट या ट्यूबवैल लगा सकता है; क्योंकि उस दस बीघा जमीन से होने वाली उपज इतनी काफी नहीं है कि उसके लिए ये सब बखेडे किए जा सकें। परन्तु यदि वे पचास किसान अपनी दस-दस बीघा भूमि को एक जगह मिला लें, तो उच पांच सौ बीघा भूमि की जुताई के लिए वे मिलकर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं और सिंचाई के लिए ट्यूबवैल लगा सकते हैं। भ्रमण-भ्रमण किसान को महाजन से रुपया उधार लेने में बहुत कठिनाई पड़ती है, क्योंकि भ्रमण-भ्रमण किसान की साख कम होती है; किन्तु यदि वे आपस में मिलकर एक सहकारी समिति बना लें, तो सहकारी समिति को उधार भी आसानी के मिल सकता है, क्योंकि उस उधार की लौटाने की जिम्मेदारी एक नहीं, अपितु पचास व्यक्तियों पर है। इसी प्रकार तैयार फसल को बेचने की सुविधा भी सहकारी समिति को भ्रमण-भ्रमण किसान की अपेक्षा अधिक है। समिति अच्छी तरह भाव-ताव कर सकती है और जरूरत पड़ने पर फसल को कुछ देर रोककर नी रख सकती है, जो अकेले गरीब किसान के लिए सम्भव नहीं है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि सहकारी समिति बना लेने पर उसके सब सदस्यों को अधिक सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। उन्हें थम कम करना पड़ता है और लाभ अधिक होता है। वे एक-दूसरे का सहाय बन जाते हैं। इस लाभ का मूल कारण यह है कि सहकारी समिति में सब सदस्यों का उत्तरदायित्व संयुक्त होता है। समिति के लाभ और हानि दोनों के लिए सभी सदस्य जिम्मेदार होते हैं।

सहकारी समितियां अनेक प्रकार की होती हैं। एक और उत्पादकों की सह-

देती है, जिसे स्वयं भीरे-धीरे किन्हीं से चुकाना पड़ सकता है। मर्यादा नहीं  
 विरोधी को स्वयं मर्यादा ही बंधों से प्राप्त होता है।

जात में पापों से स्वयं की मर्यादा बहुत बड़ी मर्यादा है। गांधी का मर्यादा  
 अपने मर्यादा पर स्वयं देता है कि मूल तो दूर, मूल का उधारना ही कजि हो  
 जाता है। मर्यादा समितिओं इम स्वयं की मर्यादा को भी हन कर सकती है।  
 गांधी के विरुद्ध तो बहुतो बनी समितिओं सबसे अधिक नामधारी मित्र हो सकती  
 है। गांधी का ही एक ही मर्यादा समिति होती चाहिए, जो गांधी को सही  
 मर्यादाओं को हन कर सके।

गांधी की दृष्टि से ऐसा प्रयत्न प्रयोग होता है कि भारत में मर्यादा-  
 शांति को बहुत सकलता मिली है, परन्तु अब हम देश की विनाशता की घोर  
 ध्यान देने हैं, तो यह सफलता नहीं के बराबर जान पड़ती है। अपने बड़े देश में,  
 जहाँ गांधी की संस्था ८५ साल है, तथा सात समितियाँ बहुत कम हैं। कारण  
 कि मर्यादा समितियों की बहुत बड़ी संख्या तो मर्यादा में है।

भारत में मर्यादा-शांति के पूरी तरह सफल न होने के कई कारण हैं।  
 सबसे बड़ा कारण है—सोपों की घनिष्टता। घनिष्टता होने के कारण सोप सह-  
 कारी समितियों के मापों को माली भाँति समझ नहीं पाते। किसीने उनको समझने  
 का यत्न भी नहीं किया। सरकारी दफ्तरों ने सहकारी समितियों घनीष जनता  
 के तिर पर लगभग बनपूर्वक ही पोष दीं। सहकारिता-शांति की प्रसक्तता का  
 दूसरा कारण यह था कि सोपों ने सहकारी समितियों से सहयोग नहीं किया।  
 जिन महाजनों के हितों को सहकारी समितियों से मुक्तान पहुंचता था, उन्होंने  
 इन्हें समाप्त करने के लिए भरसक चेष्टा की। सहकारी समितियाँ भी कुछ कम  
 क्याज नहीं सेती थीं और उनसे स्वयं सेने में घोर कई कठिनाइयों का सामना  
 करना पड़ता था, इसलिए सहकारी समितियों से स्वयं सेने का किसानों का  
 स्वयं ही समाप्त हो गया।

पहले कभी हमारे देश में ईमानदारी घोर नैतिकता का स्तर बहुत ऊंचा था।  
 किंतु दासता के दो सौ वर्षों में यह धीरे-धीरे नीचे गिरता गया। सहकारी समि-  
 तियों को सोप स्वयं सेते थे, वे फिर उसे सोटाने का नाम नहीं सेते थे। स्वयं

प्रायः उन्हीं लोगों को मिलता था, जो समिति के संचालकों के अपने भादमी होते थे। इसीलिए कूड़े न लौटाने वालों के विरुद्ध समिति कानूनी कार्रवाई भी नहीं करती थी और समिति डूब जाती थी। सरकारी सहकारिता-विभाग का नियंत्रण भी सहकारिता-आन्दोलन की प्रगति की राह में एक बड़ा रोड़ा बना रहा। सहकारी समितियों के संचालक सरकारी अफसरों को चुन करने का अधिक प्रयत्न करते थे और अपने सदस्यों के हित का ध्यान कम रखते थे। इन सब विघ्न-बाधाओं के होते हुए भारत में सहकारिता-आन्दोलन को जो सफलता मिली है, वह बहुत सराहनीय है।

इसमें कोई सन्देह ही गुंजाइश नहीं है कि भारत के लिए सहकारिता-आन्दोलन अत्यन्त लाभदायक है। इसको और अधिक बढ़ाने के लिए यथासम्भव सब नये प्रयत्न किए जाने चाहिए। परन्तु अब देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस ने और उसके साथ ही सरकार ने भी सहकारी-समितियों की स्थापना पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। समाजवादी समाज की स्थापना के लिए यह नीति निर्धारित की गई है कि सारे देश में सेवा-सहकारी समितियाँ स्थापित की जाएं। उनका ऐसा जाल देश में बिछा दिया जाए कि लोगों के हित मुख्यतया सहकारिता के आभार पर ही पूर्ण हो सकें। इससे स्पष्ट है कि निकट भविष्य में हमारे देश में सहकारिता-आन्दोलन में तेजी से प्रगति होगी।

#### अन्य सम्भावित शीर्षक

### १. भारत में सहकारिता-आन्दोलन की प्रगति

परन्तु सहशिक्षा के समर्थक इन युक्तियों को बहुत महत्व नहीं देते। उनका कथन है कि सहशिक्षा से बालक और बालिकाओं को निकट रहने का प्रबल मिलता है। वे एक-दूसरे से बहुत परिवर्तित हो जाते हैं; इसलिए उनमें बहुत ऐसे गुण विकसित हो जाते हैं, जो अलग रहते हुए न हो सकते। लड़कियों की उपस्थिति में अधिक भद्र और शिष्ट व्यवहार करना सीखते हैं। लड़कियाँ लड़कों की उपस्थिति में सौम्य, हसमुख और शान्त रहना सीख जाती हैं। अनुभव से देखा गया है कि सहशिक्षा वाले विद्यालयों के छात्र-छात्राएँ अधिक परिष्कृत रुचि के होते हैं।

दूसरी बात यह है कि जिन विद्यालयों में सहशिक्षा नहीं होती, उनके छात्र या उनकी छात्राएँ बहुत सकोपी और भेँपू होते हैं। लड़के लड़कियों से और लड़कियाँ लड़कों से बहुत बतराती हैं, और एक-दूसरे से दूर ही दूर रहने का यत्न करते हैं। इस तरह दोनों के ही व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं होता। जहाँ तक चरित्र के बिगड़ने का भय है, उसकी सम्भावना सहशिक्षा में कम

और सहशिक्षा के अभाव में अधिक होती है। जो बस्तु दूर हो, उसके प्रति आकर्षण अधिक होता है। इसलिए लड़कों से बिलकुल अलग रहने वाली लड़कियाँ या लड़कियों से बिलकुल अलग रहने वाले लड़कों में एक-दूसरे के पास पहुँचने और दूसरे को प्राप्त करने की कामना अधिक होती है। उस दशा में चरित्र-भेद का भय अधिक हो सकता है; किन्तु सहशिक्षा में लड़के-लड़कियाँ सारे समय एक-दूसरे के साथ रहते हैं; इसलिए उनमें वैसा आकर्षण जाय नहीं पाता, यद्यपि वे कम है कि सहशिक्षा तो नैतिक चरित्र को सुधारने में सहायक है।

एक और प्रश्न यह है कि यदि सहशिक्षा न हो, तो क्या हो? दूसरा विकल्प यही हो सकता है कि लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक्-पृथक् शिक्षा-मंशाला हों। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में तो इस प्रकार की व्यवस्था न पाना कठिन नहीं है, क्योंकि उनमें छात्र-छात्राओं की संख्या काफी होती है; यदि यह मान लिया जाए कि उच्च शिक्षा भी लड़कियों को मिलनी चाहिए, तो यह स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि उच्च शिक्षा पाने के लिए उच्च छात्राओं

या इतनी नहीं होगी कि उनके लिए पृथक् शिक्षणालय खोले जा सकें। हमारे देश में उच्च शिक्षा देने वाली संस्थाएं पहले ही कम हैं। वे लड़कों के लिए ही खोली हैं। यदि उनमें से भी कुछ केवल लड़कियों की शिक्षा के लिए सीमित कर जाएं, तो बहुत कठिनाई होगी। एक घोर तो लड़कियों के लिए नियत कर दी गई आधों में छात्राओं का अभाव होगा; दूसरी ओर शिक्षा-संस्थाओं के अभाव में तबसे छात्र शिक्षा से वंचित रह रहे होंगे। इसलिए लड़कियों को उच्च शिक्षा देने 'सहज उपाय यही है कि वे लड़कों के साथ ही शिक्षा प्राप्त करें।

फिर, यदि लड़कियों के लिए पृथक् शिक्षा-संस्थाएं खोली जाएं, तो यह भी आवश्यक है कि उनमें अध्यापन का कार्य भी स्त्रियां ही करें। यदि उन संस्थाओं में पुरुष-अध्यापक पढ़ाएं, तो यह प्रयोजन ही पूरा नहीं होगा, जिसके लिए वे शिक्षा-संस्थाएं पृथक् खोली गई थीं। किन्तु अभी तक हमारे देश में स्त्री-शिक्षकों की बहुत कमी है; इसलिए सहशिक्षा ही शिक्षा का एकमात्र उपाय रह जाता है।

सहशिक्षा के समर्थकों का यह भी कथन है कि सहशिक्षा वाले विद्यालयों और हाईस्कूलों में छात्र-छात्राओं में जो प्रेम हो जाता है, वह अनेक बार जीवन-यापी बन जाता है। ऐसे युगल विवाह करके जीवन-भर सुखी रहते हैं।

इतना तो स्पष्ट ही है कि युग का प्रवाह सहशिक्षा के पक्ष में है। स्त्रियों के छिपे हुए अधिकार उन्हें वापस मिल रहे हैं; बल्कि किसी सीमा तक पुरुषों के अधिकार भी छीनकर उनको दिए जा रहे हैं। भय से बीस वर्ष पहले जो स्त्रियां बिना गद्गद कर मम्बा धूषट निकाले घर से बाहर नहीं निकलती थी, वे आज कालेज में शिक्षा पाकर बाल कटवाकर घटखेलियां करती हुई साइकिलों पर जाती हुई देखी जा सकती हैं। सविधान में भी स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार दिए गए हैं और केवल निग-भेद के कारण किसीको उन्नति के किसी अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। सहशिक्षा को लोग पसन्द करें या न करें, अभी कुछ समय तक यह बढ़ेगी ही।

यहां तक व्यक्तिगत का प्रश्न है, सहशिक्षा के पक्ष और विपक्ष दोनों में ही व्यक्तिगत जोरदार है। फिर भी उनका महत्त्व व्यक्तिगतों जितना ही है, उससे अधिक



गाह्य, धातुबद्ध और ज्योतिष की गिदा भी विद्यमान थी। हिन्दु युग-काल में गिदा की कोई व्यवस्थित प्रणाली नहीं रही। जो थोड़ी-बहुत गिदा भी थी, वह बंगल घम-घमों के अध्ययन तक ही सीमित रही। उन समय धातुबद्ध की गिदा पुस्तकें दुर्लभ नहीं थी, इसलिए पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम होती थी। अधिकांश लोग अनिश्चित रहकर ही अपनी जीविका-उपाजन के कार्य में जुट जाते थे।

घमों का राज्य भारत में अपने के बाद भारतीय गिदा का एक नए प्रथम प्रारम्भ हुआ। घमों ने यहाँ के लोगों को गिदा देना शुरू किया। उन सामने एक स्पष्ट और निश्चित उद्देश्य था। वे यहाँ की बोली नहीं समझते थे, कि देना उनके अधिकार में था बुका था और उसपर उन्हें शासन करना था। इस लिए वह सावधान्य था कि वे कुछ लोगों को अपनी भाषा सिखा दें और उनके द्वारा देश के काम का कार्य चलाएँ। संक्षेप में, उन्होंने गिदा बतकें तैयार करने के लिए प्रारम्भ की थी। इन बतकों को घमों ने भाषा और दफ्तर में काम करने वाला गणित सीख लेना काफी था। इस प्रकार की गिदा प्राप्त कर लेने पर नौकरी प्राप्त होती है, क्योंकि इस प्रकार की गिदा प्राप्त कर लेने पर नौकरी प्राप्त होती है मिल जाती थी, जो बहुत बड़ा प्रलोभन था।

इस प्रकार की घमों गिदा देने में घमों ने शासकों का एक और भी उद्देश्य यह था कि वे भारतीय संस्कृति और परम्पराओं को अपने देश की संस्कृति में परम्पराओं की तुलना में नीचा दिखा सकते थे। उन्होंने इतिहास और नागरिक शास्त्र इस बंग से पढ़ाने शुरू किए, जिससे छात्रों पर यह प्रभाव पड़ता था कि घमों के आगमन से पूर्व भारत में कोई अच्छी बात थी ही नहीं; यहाँ के निवासी प्रथम और बवंर थे, और यह कि उनकी तुलना में इंग्लैंड का इतिहास बहुत अधिक उज्ज्वल है। इसका परिणाम यह होना स्वाभाविक ही था कि ऐसी गिदा-संस्थाओं से पढ़कर जो लोग स्नातक हो, वे अपने मापको घमों के शासकों की तुलना में हीन समझें और उनके विनीत सेवक बने रहने में गर्व अनुभव करें।

ज्यों-ज्यों देश में राजनीतिक चेतना बढ़नी शुरू हुई, त्यों-त्यों देश के नेताओं का ध्यान इन राष्ट्रविरोधी गिदा के दोषों की ओर गया। उन्होंने देखा कि गिदा के द्वारा विद्यापियों को केवल घमों लिखना और बोलना सिखाया जाता है

सब विषयों की पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा हो रखी गई थी और अंग्रेजी सीखने ही सीखने में विद्यार्थियों के इतने साल बीत जाते थे कि उसके माध्यम से तत्त्विक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर था ही नहीं पाता था। इतना अवश्य हो जाता था कि अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख जाने के बाद सिधित हो जाने का उपाय करने वाले में लोग अंग्रेजी ढंग की बेप-भूदा पहनना, अंग्रेजी रहन-सहन की पूरी-सी नकल करना और अंग्रेजी भाषा में अपने पूर्वजों को कोसना भली भाँति सीख जाते थे। शुरू में इस तरह की शिक्षा बहुत मुलम न होने पर भी बहुत दुर्लभ नहीं थी। किन्तु समय बीतने के साथ-साथ यह शिक्षा महंगी होती गई और इसे प्राप्त कर पाना केवल शहर में रहने वाले लोगों के लिए ही सम्भव रह गया। गाँव में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए केवल एक ही उपाय था कि यदि वे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो शहर में आकर रहें।

इन दोषों को देखते हुए अनेक सामाजिक और राजनीतिक नेताओं ने शिक्षा-प्रणाली में सुधार के प्रयत्न किए। महारत्ना मुन्शीराम ने, जिनका नाम बाद में स्वामी यद्वानन्द प्रसिद्ध हुआ, सन् १८६० के आसपास गुरुकुल बागड़ी की स्थापना की। इसमें उन्होंने दो बातों पर बल दिया। पहली बात यह कि विद्यार्थियों को शिक्षा अपने देश की भाषा अर्थात् हिन्दी के माध्यम से हो; सब विषय हिन्दी में पढ़ाए जाएँ और दूसरी बात यह कि विद्यार्थियों में अपने देश के इतिहास और संस्कृति के प्रति गौरव का भाव जगाया जाए। इसके लिए गुरुकुल में संस्कृत साहित्य का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया। आज इन सिद्धान्तों को सारे देश में स्वीकार कर लिया गया है।

जब तक पुराने ढंग की अंग्रेजी शिक्षा पाने से लोगों को नौकरिया मिलती रहीं, तब तक तो वह प्रणाली दूषित होते हुए भी छात्रों को अपनी ओर आकृष्ट करती रही। किन्तु शीघ्र ही ऐसा समय आ गया, जब पढ़े-लिखों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि उन्हें नौकरियाँ दे पाना सरकार के लिए कठिन हो गया। इससे सिधित वर्ग में बेकारी फैल पली। उस शिक्षा में जीविका-उपाय का एकमात्र उपाय नौकरी ही रह जाता था। नौकरी न मिलने की दशा में बी०ए० पास व्यक्ति की दशा परकटे पंखी की सी हो जाती थी। पढ़-लिखकर मेहनत-मजदूरी करना अथवा अन्य

भाकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह बात भी सिद्धांत-रूप में स्वीकार कर ली गई है कि प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषा या हिन्दी में होनी चाहिए और किसी भी विदेशी भाषा का बोझ छोटी खेपी से पहले विद्यार्थी पर न डाला जाए।

देश की सारी जनता को शिक्षित करने की समस्या एक बड़ी समस्या है इसका हल वस्तुतः तभी हो सकता है, जब अधिकतम योग्यता वाले व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र में आना पसन्द करें। वह तभी हो सकता है, जब शिक्षा-क्षेत्र में सम्पादन को धन्य क्षेत्रों के बराबर ही वेतन मिलने लगे। हमारी सरकार ने इस बात को भली भाँति अनुभव कर लिया है और वह शिक्षा-प्रणाली के सर्वांगीण सुधार के लिए कटिबद्ध है; क्योंकि प्रजातन्त्र का निर्वाह तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि उसके सभी नागरिक भली भाँति शिक्षित न हों।

## हमारी शिक्षा की समस्याएँ -

स्वाधीनता से पहले विदेशी सरकार शिक्षा की ओर बहुत कम ध्यान देनी थी यद्यपि यह सत्य है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली संघर्षों की ही बसाई हुई है और संघर्षों के कारण से छुटाने में बहुत बड़ा हाथ हम शिक्षा का भी है; फिर भी इसमें संदेह नहीं कि संघर्षों ने हम शिक्षा-प्रणाली को ठीक उन्ठे उन्ठे में बनाया था। उनका लक्ष्य यह था कि पश्चिमी शिक्षा देकर भारतीयता को परिष्करी रंग दे दिया जाए और राजनीतिक स्वाधीनता के परिष्करण के लिए तैयार किया भी जाय। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा परिष्करण की दृष्टि से भारतीयता और इतिहास को हीनतर निम्न करने के लिए प्रयत्न की भी।

यह शिक्षा के बन्ध विनाही शिक्षा थी। इसमें नारा और राष्ट्रिय के सम्बन्ध पर दिया जाता था। भूगोल, इतिहास, लैटिन आदि का अध्ययन बहुत कम था और जो कुछ था, वह भी संघर्षों के माध्यम से किया जाता था। पहले बापक

विषय अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करने में लग जाते थे और उसके बाद वह मूगोल, तैहास इत्यादि पढ़ने योग्य हो पाता था। इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद विकोपार्जन का उसके पास एक ही मार्ग रह जाता था—नौकरी; चाहे वह नौकरी दफ्तर में बाबूगीरी की हो, चाहे वह स्कूल में अध्यापन की।

शिक्षित लोगों की बेकारी की समस्या स्वाधीनता प्राप्त होने से पहले ही व के सामने आ खड़ी हुई थी। विश्वविद्यालयों के बी ए०, एम० ए० पास करने वाले स्नातक परकटे पंढियों की भांति होते थे, जो केवल नौकरी करने के लिए खीर होते थे। किन्तु नौकरियों की संख्या सीमित होने के कारण उन लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल पाती थीं। अनेक शिक्षाशास्त्रियों ने और राजनीतिक नेताओं ने इस बात को अनुभव किया था और शिक्षा का रूप बदलने पर जोर दिया था। व्यावसायिक शिक्षा और वेसिक शिक्षा इस समस्या को हल करने के लिए ही प्रारम्भ की गई थी।

किन्तु स्वाधीनता मिलने के बाद देश में प्रजातन्त्र स्थापित हुआ है और सरकार ने यह निश्चय किया है कि यथाशीघ्र देश के सभी लोगों को शिक्षित कर देना है। इसलिए शिक्षा का प्रचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। किन्तु शिक्षा का प्रचार बढ़ने के साथ-साथ अनेक नई-नई समस्याएँ उपस्थित हो रही हैं। सबसे बड़ी और पहली समस्या तो यह है कि आजकल जितनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा पाने के लिए तैयार होते हैं, उनके लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में स्थान नहीं होता। नये उत्साह से भरकर लोग विज्ञान, चिकित्सा, इन्जीनियरिंग आदि सीखने के लिए महाविद्यालयों की ओर दौड़ते हैं, किन्तु सब जगह से एक ही उत्तर मिलता है—स्थान नहीं है। यहाँ तक कि साहित्य की बी० ए०, एम० ए० कक्षाओं में भी प्रवेश मिलना कठिन हो गया है।

दूसरी समस्या अध्यापकों की है। अध्यापकों का स्थान समाज में जैसा उच्च और सम्मानपूर्ण होना चाहिए, वैसा अभी नहीं है। इसका कारण अध्यापकों के वेतन की कल्पना है। वर्तमान समाज-व्यवस्था में मनुष्य का मान उसके धन के कारण होता है। इसलिए गरीब अध्यापक समाज में प्रतिष्ठा तो पा ही नहीं सकता अनेक बार तो उसे अपने परिवार का निर्वाह करना भी कठिन होता है।

भाकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह बात भी मिद्वान्त-रूप में स्वीकार कर है कि प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषा या हिन्दी में होनी चाहिए और विदेशी भाषा का बोझ छोटी श्रेणी से पहले विद्यार्थी पर न डाला जाए।

देश की सारी जनता को शिक्षित करने की समस्या एक बड़ी कठिन समस्या है, जब अधिकतम योग्यता वाले व्यक्ति शोध में ग्रहण पसन्द करें। वह ठीकी हो सकता है, जब शिक्षा-क्षेत्र में धन की धन्य शक्तों के बराबर ही वेतन मिलने लगे। हमारी सरकार ने इसकी भली भाँति अनुभव कर लिया है और वह शिक्षा-प्रणाली के सर्वांगीण सुधारों के लिए कटिबद्ध है; क्योंकि प्रजातन्त्र का निर्वाह तब तक नहीं हो सकता, तक कि उसके सभी नागरिक भली भाँति शिक्षित न हों।

## हमारी शिक्षा की समस्याएँ -

स्वाधीनता से पहले विदेशी सरकार शिक्षा की ओर बहुत कम ध्यान देती थीं। यद्यपि यह सत्य है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली संघर्षों की ही वजह से संघर्षों के संकुल से छुड़ाने में बहुत बड़ा हाथ इस शिक्षा का संदेह नहीं कि संघर्षों ने इस शिक्षा-प्रणाली को ठीक उनका सध्य यह था कि पश्चिमी शिक्षा देकर रंग दिया जाए और राजनीतिक भ्रष्टाचार नता भी शोध दी जाए। उन्होंने सम्मता और इतिहास को

यह शिक्षा केवल पर दिया जाता था और जो कुछ

फिर धीरे-धीरे समय बदला। राष्ट्रीय नेताओं ने विदेशी शिक्षा के दोषों को लुभव किया और उसे बदलने की मांग की। शायद उनकी भावाज का कुछ भी प्रसर न होता; परन्तु एक बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि नौकरी मिलने की आशा ई जो लोग पढ़-लिखकर विश्वविद्यालयों से बी० ए० और एम० ए० की डिग्रियाँ लेते थे, अब उन्हें भी बेकार बैठे रहना पड़ता था। यत्न करने पर भी नौकरी नहीं मिलती थी। इन पढ़े-लिखे लोगों की दशा बड़ी दयनीय होती थी। पढ़े-लिखे होने के कारण वे मेहनत-मजदूरी का काम करना पसन्द नहीं करते थे; और कोई अन्य कला या व्यवसाय उन्हें आता नहीं था। उनके सामने दो ही विकल्प थे—या तो नौकरी पा लें या फिर परकटे पछी की तरह निकम्मे पड़े-पड़े भूखों मरें। इस समस्या के कारण भी पुरानी चली आ रही शिक्षा-प्रणाली को बदलने की ओर ध्यान दिया गया।

गांधी जी ने शिक्षा के इन दोषों की ओर बहुत पहले ध्यान दिया था और सन् १९२७ में उन्होंने वर्षा में एक शिक्षा-योजना प्रस्तुत की थी। इसे कभी-कभी 'वर्षा शिक्षा-योजना' भी कहा जाता है और कभी-कभी इसे 'बुनियादी तालीम' या 'नई तालीम' नाम भी दिया जाता है।

बैसिक शिक्षा में आधारभूत मान्यता यह है कि विद्यार्थी को शिक्षा किताबों के आधार पर न दी जाए; बल्कि वह जिन परिस्थितियों में रहता है, उन परिस्थितियों के माध्यम से ही उसे सब विषयों की शिक्षा दी जाए। उदाहरण के लिए प्राथमिक बैसिक शिक्षा में बच्चों को कातना, बुनना, बढ़ईगिरी और खेती इत्यादि के काम सिखाए जाते हैं। गणित, भूगोल, इतिहास, वनस्पति-विज्ञान इत्यादि सभी विषय इन उपयोगी व्यवसायों के सहारे ही सिखाए जाते हैं। परिणाम यह होता है कि बालक उस विषय का केवल किताबी ज्ञान प्राप्त नहीं करता, बल्कि उसे व्यवहार में लाना भी सीख जाता है। दूसरी बात यह है कि उसका शेष मन ही विकसित नहीं होता, बल्कि भांस और हाथ में भी कला और कौशल आ जाता है। शरीर का व्यायाम होता है, जिससे स्वास्थ्य प्रच्छा रहता है; और इसके बढ़कर बात यह है कि उसकी पढ़ाई उसे शारीरिक थक के प्रति नहीं निखानी। वह मेहनत करते हुए पढ़ता है और पढ़ते हुए मेहनत करता है।

परिश्रमी, ईमानदार और मूढबूढ वाले होंगे, गलती होगी। उम्र दशा में बेसिक शिक्षा से वे लाभ नहीं हों पाएंगे, जो कि सिद्धांत में बताए गए हैं।

प्रारम्भ में बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में लोगों में बहुत उत्साह था। सरकार ने भी बड़े पैमाने पर बेसिक विद्यालय खोलने की योजना बनाई थी और सब वर्ग-मान विद्यालयों को बेसिक विद्यालयों के रूप में परिवर्तित करने का निर्देश दिया था। किन्तु पिछले दिनों बेसिक शिक्षा के विरुद्ध कई कठोर आलोचनाएं हुई हैं और इस सम्बन्ध में उत्साह कुछ मन्द पड़ गया दीखता है। बड़े-बड़े धर्मगुरु, मन्त्री तथा अन्य सम्पन्न लोग अपने बच्चों को बेसिक विद्यालयों में भेजना पसन्द नहीं करते। इसलिए जनसाधारण में भी यह भावना फैल रही है कि बेसिक शिक्षा वस्तुतः उपयोगी शिक्षा नहीं है।

विशुद्ध सिद्धान्त की दृष्टि से बेसिक शिक्षा को गांधीवाद का एक अंग समझा जाना चाहिए। गांधीवाद जीवन के किसी एक क्षेत्र को नहीं, बल्कि सब क्षेत्रों को व्याप्त करके चलता है। अगर हमारे सारे समाज का निर्माण गांधीवाद के आधार पर होना हो, तो बेसिक शिक्षा किसी सीमा तक उपयोगी हो सकती है। गांधीका समाज में भारी उद्योगों के लिए स्थान नहीं है; परन्तु हमारी वर्तमान सरकार भारी उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है और वर्तमान विज्ञान-प्रधान युग में यह आवश्यक भी है। बेसिक शिक्षा का वर्तमान वैज्ञानिक और भारी उद्योगों का सम्बन्ध के साथ पूरा मेल नहीं बैठता। यदि आज के विद्यार्थियों को बड़े होकर अपना जीवन प्राधुनिक वैज्ञानिक कृषि और उद्योगों में व्यतीत करना हो, तो उनके लिए बेसिक शिक्षा कुछ भी सहायक नहीं हो सकती; अपितु उनको कितारी शिक्षा की ओर से विमुक्त करना शायद उनके लिए हानिकारक ही सिद्ध हो।

परन्तु बेसिक शिक्षा अभी परीक्षणार्थक दशा में है और जब यह परीक्षण एक बार शुरू कर दिया गया है, तो इसे कुछ दिन तो पनाया ही जाएगा और यदि छोड़ा गया, तो तभी छोड़ा जाएगा, जब हममें सफलता की कोई भी संभावना दीख नहीं पड़ेगी।

## अन्य सम्भावित शीर्षक

- 1. बुनियादी तालीम
- 2. बुनियादी शिक्षा
- 3. वर्षा शिक्षा-योजना

## छात्र और राजनीति

पिछले कुछ समय से हमारे देश में ऐसी परम्परा चल पड़ी है कि राजनीतिक लक्ष्य किसी भी आन्दोलन को छेड़ने के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों का उपयोग करते हैं। छात्र लोग अनुभव-शून्य और उरसाही नवयुवक होते हैं। किसी भी बात को गहराई तक समझे बिना वे कोई भी रोमांचकारी आन्दोलन उड़ा करने के लिए घट से तैयार हो जाते हैं। किन्तु इससे न केवल सामाजिक जीवन में अव्यवस्था फैलती है, बल्कि छात्रों का ध्यान भी अध्ययन की ओर से हट जाता है, जबकि छात्र-जीवन में उनका एकमात्र और सबसे बड़ा लक्ष्य केवल अध्ययन होना चाहिए।

छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं, इस सम्बन्ध में विचारक लोग दोनों प्रकार के मत रखते हैं। जो लोग छात्रों के राजनीति में भाग लेने के समर्थक हैं, उनका कथन है कि छात्र भी समाज के अंग हैं। कल बढ़े होकर वे नागरिक बनेंगे। उस समय भी उन्हें राजनीति में भाग लेना ही होगा। इसलिए अच्छा है कि उनकी राजनीति की शिक्षा छात्रावस्था में ही प्रारम्भ हो जाए। वे राजनीतिक पालों और हथकण्डों को धुरी से ही सीखने लेंगे।

इस सम्बन्ध में दूसरी युक्ति यह दी जाती है कि छात्रों में किसी भी महान् पारदर्श के लिए लड़ने और बलिदान करने की भावना प्रबल होती है। इसलिए यदि प्रत्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए इस उरसाह का उपयोग किया जा सके, तो



द्वय में दीय नहीं है।

परन्तु यस्तुतः ये दोनों युक्तियां बहुत ही दुर्बल पैरों पर खड़ी हैं। अब हम देश पर विदेशियों का शासन या, उस समय देश को स्वाधीन कराने के लिए के नेताओं ने छात्रों की सहायता सी। उन्होंने छात्रों को राजनीतिक आन्दोलन कूद पड़ने की प्रेरणा दी। छात्रों ने उनका आदेश मानकर जी खोखर स्वाधीन संग्राम में भाग लिया और उनकी वीरता और बलिदान की गाथाओं से भा का इतिहास उज्ज्वल है। परन्तु साथ ही यह एक बहुत गलत कदम था। स्वाधीनता की सड़ाई छात्रों के सहयोग के बिना ही लड़ ली जाती, तो न अधिक अच्छा होता। परन्तु उस भूल को इसलिए धम्य समझा जा सकता क्योंकि यह देश को स्वाधीन कराने के महान् उद्देश्य से की गई थी।

छात्रों के राजनीति में भाग लेने का बहुत बड़ा दुष्परिणाम यह भी हुआ वे छात्र अध्ययन के मार्ग से सदा के लिए हट गए। यदि यह न भी कहा जाए उनके जीवन बरबाद हो गए, तो भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि। उद्देश्य से उन्होंने शिक्षा लेनी शुरू की थी, वह पूरा नहीं हो पाया।

छात्रावस्था साधना का काल है। इस काल में छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान और स्वास्थ्य का प्रयत्न करना चाहिए। देश और समाज में क्या होना इसको और ध्यान न देकर उनका ध्यान इस बात की ओर होना चाहिए कि प्रकृति-भाषको छात्रीक और मानसिक दृष्टि से अधिक से अधिक समर्थ बन जिससे अविद्य से जो कुछ होने वाला है, उसमें वे सफलतापूर्वक भाग ले सकें। प्रकार दूध-पीठे बच्चे से यह आशा नहीं की जाती कि वह जलते हुए घर को ब मे कुछ सहायता करेगा, इसी प्रकार छात्रों से भी यह आशा नहीं की जाती। देश की सामान्य राजनीतिक समस्याओं की सुलभाने या उग्रभाने में कोई हेंगे। यदि देश पर विदेशी आक्रमण हो जाए और देश को स्वतन्त्रता और प्रति ही संबन्ध में पड़ता हो, तो छात्रों का विद्यालयों और महाविद्यालयों को छोड़ मुठ में कूद पड़ना उचित कहा जा सकता है। परन्तु उस क्षण में यह मानना कि प्राकृतिक आपत्ति के कारण उनका शिक्षाकाल जल्दी समाप्त हो गया है, शिक्षा कुछ समय के लिए स्थगित हो गई है। परन्तु देश के ही अन्दर किसी एक

की नीति के समर्थन या दूसरे दल की नीति के विरोध में विद्यालयों और महा-विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हुए छात्रों का किसी भी आन्दोलन में भाग लेना समाज के लिए तो हानिकारक है ही, शिक्षा के लिए और स्वयं छात्रों के लिए भी बहुत हानिकारक है ।

राजनीति का अध्ययन करना एक बात है और राजनीति में भाग लेना दूसरी बात । राजनीति का अध्ययन देश के सामने विद्यमान समस्याओं, राजनीतिक दलों की रचना और उनके विचारों को समझने में सहायक होता है; परन्तु राजनीति में भाग लेना इन बातों में बाधक होता है । छात्र का कार्य यह है कि छात्रावस्था में वह हर एक बात के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को निष्पक्ष भाव से देखे । अपने मन को पक्षपात के कारण किसी भी एक दल या नीति के पक्ष या विपक्ष में न झुकने दे । परन्तु जब व्यक्ति राजनीति में भाग लेने लगता है तो वह पक्षपात से भर उठता है । उसे अपने दल की नीति सही ही दिखाई पड़ती है और दूसरे दलों में दोष ही शोध दीखते हैं । मनुष्य के मन में यदि एक दल के प्रति निष्ठा की ऐसी भावना धानी ही हो, तो वह छात्रावस्था के बाद धानी चाहिए; नहीं तो वह ज्ञान को सही रूप में प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा ।

छात्र तो कम आयु के और नासमझ होते हैं; इसलिए वे राजनीतिक दलों के कार्यों के मुलाखत में सरलता से आ जाते हैं । एक ओर तो छात्रों को यह अनुभव करना चाहिए कि देश की आन्तरिक राजनीति से उनका कोई सरोकार नहीं है; और दूसरी ओर राजनीतिक दलों को भी यह अनुभव करना चाहिए कि अपने किसी भी आन्दोलन को सफल बनाने या किसी दूसरे का विरोध करने के लिए छात्रों का उपयोग करना अनुचित है । सब राजनीतिक दलों में इस प्रकार का आन्तरिक समझौता हो जाना चाहिए, जिससे सभी दल छात्रों को राजनीति के दूर रखने का प्रयत्न करें; ठाकिए छात्र अपनी सारी शक्ति केवल अध्ययन में लगाकर देश के अच्छे नागरिक बन सकें ।

लोग जाना नहीं करते और एक ही स्थान में पड़े रहते हैं, उनके दृष्टि संकुचित हो जाते हैं। उनकी विचारधारा बहुत संकीर्ण होती है। वे समझते हैं जो कुछ हम करते हैं, बस वही ठीक है, उससे भिन्न संसार में नहीं कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ होता है, तो वह गलत है। परन्तु पर्यटक के मन में ऐसी कटु नहीं रहती। वह नये-नये देशों को देखता है। उनके चलन-चलन रीति-रिवाजों देखता है और समझ लेता है कि समुद्र स्थान पर समुद्र बाल ठीक मानो जा है और किसी दूसरे स्थान पर दूसरी; इसलिए दोनों ही बातें ठीक हैं। ऐसा उदाहरण मनुष्य के जीवन को सुराही और सन्तुष्ट बनाता है।

जाना स्वास्थ्य-सुधार के लिए भी बहुत लाभदायक समझी जाती है। वही प्रकार के जलवायु में देर तक रहने से स्वास्थ्य शीघ्र ही बनता है। उस हल चिकित्सक लोग भी रोगियों को जलवायु-परिवर्तन की सलाह देते हैं। यदि व्यक्ति समय-समय पर यही जाना करता रहे, तो शायद उसके रोगी होने का प्रयाग ही न पाए।

जाना से मनुष्य व्यापारिक लाभ भी उठा सकता है। उसे यह पता बन जाता है कि कहां कौन-सी वस्तुएं पैदा होती हैं और सस्ती मिलती हैं और कहां उन वस्तुओं की मांग अधिक है और वे महंगी बिक सकती हैं। इन प्रकार बतली बगल से सरीसृप महंगी जगह बेचकर वह सफलता से लाभ वा सकता है।

किन्तु इन सबसे बढ़कर बड़ा लाभ यह होता है कि विभिन्न देशों के रीति रिवाज और रहन-सहन की तुलना करके व्यक्ति बुरादमों को छोड़ सकता है और अच्छाइयों को अपना सकता है। किसी भी व्यक्ति या जाति की अप्रति के लिए यही एक मूल मन्त्र है। दूसरे देशों या जातियों के लोगों के साथ रहकर हम अपने अपनी तुलना कर सकते हैं। यदि हम उनसे अच्छे हैं, तो हम उनसे बनना प्रयाग बना सकते हैं और यदि हम उनसे रिछे हुए हैं तो हमारे मन में प्रतिरोधना की भावना उत्पन्न होती है और हम अपने बढ़ने का प्रयाग करने हैं।

दूर-दूर तक जाने-जाने व्यक्ति का मन जगह जाइर होता है, लक्ष्य बन बन कि वह किसी भी प्रकार से बेहतर अपनी भावनाओं के बर्तन सुनाकर लोगों का चर्चों बनोर बन बन सकता है, किन्तु इतिहास भी कि दूर देशों की भाषा का

का ज्ञान इतना बढ़ जाता है और उसका व्यक्तित्व इतना निम्बर जाता है कि य स्वभावतः उसका सम्मान करते हैं और यह प्राशा करते हैं कि उसके सम्पर्क आकर वे उससे कुछ अच्छी और उपयोगी बातें सीख सकेंगे ।

इसलिए यात्रा को शिक्षा का एक आवश्यक अंग समझा जाना चाहिए । बिना प्रत्यक्ष सम्बन्धी यात्राओं के केवल किताबी शिक्षा पूरी शिक्षा नहीं समझी जा सकती । इस बात को शिक्षाशास्त्रियों ने अनुभव कर लिया है और आजकल छात्रों लिए समय-समय पर यात्रा करने की विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं । छात्रों की ओर से यात्राओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें होने वाले खर्च का कुछ भाग सरकार भी वहन करती है ।

## अस्पृश्यता-निवारण

यद्यपि परमात्मा ने सब मनुष्यों को समान बनाया, फिर भी मनुष्य ने जाति, धर्म और धन के आधार पर मनुष्य मनुष्य में बहुत अन्तर उत्पन्न कर दिया है और वहीं-वहीं तो स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोगों को मनुष्य ही नहीं समझते । उन्हें पशु से भी हीन समझते हैं । उनके साथ खाना-पीना, उठना-बैठना तो दूर, उन्हें छूने तक से हिचकते हैं । कुछ समय पूर्व भारत-वर्ष में भी छुआछूत की समस्या बड़े भयावह रूप में उपस्थित थी ।

बैते तो वर्ग, जातियों और उपजातियों के हिसाब से हिन्दू-समाज के अनेक उपविभाग हैं, परन्तु दो विभाग बड़े स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ते हैं—एक सवर्ण हिन्दू और दूसरे नीचे समझे जाने वाले अछूत लोग । सवर्ण हिन्दू अछूतों से छू जाने पर अपने-आपको अशुचि ठहारा समझते थे और स्नान इत्यादि करके फिर अपने को शुद्ध करते थे । भंगी, डोम, खमार आदि का स्पर्श तो दूर, उनकी भी बचते थे । दक्षिण भारत में तो यह रिवाज इतनी दूर तक बढ़

घट्टन घगर गड़क पर बत रहा हो, तो उमे प्राशत्र देते हुए बलता पड़ता था, जिनमे मोग समझ में कि वह घट्टन है और उसके हाथ से बच सकें। यदि कभी गमती मे वह किसी मदनं हिन्दू मे घू जाता था, तो उम बेचारे की जानत ही भा जानी थी।

हमारे देश मे इन घट्टन्य लोगों की सख्या छह करोड से भी अधिक है।। लोग हिन्दू-धर्म के सब रीति-रिवाजों को मानते हैं, और उन्हीं देवी-देवताओं को पूजा करते हैं, जिनकी सवर्ण हिन्दू करते हैं। फिर भी सवर्ण हिन्दुओं ने इनका जे-दूमर करने मे कोई बसर उठा नहीं रली। हिन्दुओं के मन्दिरों के द्वार घट्टनों के लिए बन्द थे। जिन कुओं से उच्च जाति के हिन्दू पानी भरते थे, उनसे घट्टनों को पानी लेने का अधिकार नहीं था। अपनी पवित्रता का दावा करने वाले सवर्ण हिन्दू ईसाइयों और मुसलमानों को उन कुओं से पानी भरने से नहीं रोक पाते थे और स्थिति यहां तक हास्यास्पद बन चुकी थी कि जो व्यक्ति घट्टत रहते हुए सवर्ण हिन्दुओं के कुएं से पानी नहीं भर सकता था, मुसलमान या ईसाई हो जाने पर उसीको उस कुएं से पानी भरने का अधिकार हो जाता था; या कहना चाहिए कि तब उसे रोकने की हिम्मत किसीको नहीं होती थी।

घट्टनों की इस दुर्दशा का श्रेय मुख्य रूप मे हिन्दुओं की वर्ण-व्यवस्था की है। किसी समय यह वर्ण-व्यवस्था धर्म के विभाजन की दृष्टि से बनाई गई थी और लोगों का वर्ण कर्म पर आधारित था, जन्म पर नहीं। आवश्यकता होने पर मनुष्य अपना वर्ण बदल भी सकता था। उसमें कठोरता या संकीर्णता नहीं थी। सब वर्ण प्रतिष्ठा की दृष्टि से समान न होते हुए भी व्यवहार की दृष्टि से बहुत ऊंचे नीचे नहीं थे। परन्तु पराधीनता के हजार वर्षों में हिन्दू-समाज क्रमशः हास क और बढ़ता गया और यह वर्ण-व्यवस्था ही इस समाज के पाष की बेड़ी बन गई। भ्रष्टाचारों ने घट्टनों की दशा सुधारने के लिए कोई प्रयत्न न किया।

वैसे देखा जाए तो अप्रिय, गन्दे और कठिन समझे जाने वाले सब कार्य घट्टनों को ही करने पड़ते थे। यदि वे उन कामों को करने से इन्कार कर देते, तो समाज का जीना कठिन हो जाता। परन्तु शोषित और घपमानित दशा मे रहने के बावजूद उनमें समाज के भ्रष्टाचारों के विरुद्ध सिर उठाने का साहस ही नहीं रह गया था।

नके साथ बहुत ही अमानुषिक बर्ताव किया जाता था और वे बिना किसी विरोध : उसे सह लेते थे । इसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दू-समाज का एक बड़ा अंग ईसाई-जिदियों तक पंगु और निर्जीव रहा और वह समाज पर बोक बना रहा ।

इसका काफी कुछ दुष्परिणाम सारे देश को भुगतना पड़ा । सुहार, बड़ई, तब, तेली, मोची आदि लोगों के पेशे नीच समझे जाते थे । सबके हिन्दू इन पेशों ी करते नहीं थे और अछूत लोगों का समाज में कोई भादर नहीं था । वस्तुतः जा जाए, तो ये पेशे ही सारे शिल्प और उद्योग की जान हैं । इन पेशों का तिर-चार करते रहने के कारण देश औद्योगिक भवनति के गड्डे में गिरता गया और क समय ऐसा भी आ गया, जबकि भारत औद्योगिक दृष्टि से सत्तार का सबसे अधिक पिछड़ा हुआ देश बन गया ।

अछूतों की इस प्रकार उपेक्षा करने और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करने का एक और बुरा परिणाम हुआ । मुसलमान और ईसाई, दोनों ही धर्म धारण के लिए मने थे । दोनों इस देश में अपना प्रचार करना चाहते थे । उच्च वर्ण के हिन्दुओं को अपनी ओर आकृष्ट कर पाना सरल काम नहीं था, परन्तु अछूत लोग इन धर्मों की ओर बहुत सरलता से आकृष्ट होने लगे । वे देखते थे कि हिन्दू-जाति का अंग बने रहते उन्हें जो समानता और सुविधाएँ प्राप्त नहीं थीं, मुसलमान या ईसाई बनते ही वे उन्हें प्राप्त हो जाती थी । अछूत हिन्दू रहते तो वर्णों हिन्दू उनकी पग-पग पर दुत्कारते थे, पर मुसलमान या ईसाई हो जाने के बाद वे उनकी ओर झल उठाकर भी नहीं देख सकते थे । इसलिए अछूत लोग धराधर मुसलमान और ईसाई बनने लगे । हिन्दुओं की सख्या तेजी से घटने लगी । जाति के लिए धारमपात का इससे अच्छा और बया उपाय हो सकता था !

इस समस्या की गम्भीरता को सबसे पहले श्याम दयानन्द ने पहचाना । उन्होंने देखा कि यदि यही रफ्तार जारी रही, तो कुछ ही दिनों में सभी अछूत मुसलमान या ईसाई बन जाएंगे । इसलिए धार्यसमाज ने दो धान्दोलन शुरू किए । पहला धान्दोलन अछूतोंद्वारा का था, जिसका अर्थ यह था कि अछूत समझे जाने वाले लोगों के साथ समानता का बर्ताव किया जाए । उनके साथ दूने से या उनके साथ बैठकर भोजन करने से कोई परहेज न किया जाए । इन प्रकार यदि अछूतों

को हिन्दू-समाज में भी समानता का अधिकार मिल जाए, तो उन्हें किसी दूसरे वर्ग में दीक्षित होने की आवश्यकता न रहेगी। भायंसमाज का दूसरा भान्दोलन शुद्धि-भान्दोलन था। इसका धर्म यह था कि जो लोग किसी कारणवश मुसलमान बन गए थे, वे यदि फिर चाहें तो उन्हें शुद्ध करके फिर हिन्दू बनाया जा सकता था। शुद्धि-भान्दोलन केवल तभी सफल हो सकता था, जब मुसलमान या ईसाई बने हुए भद्रों को यह विश्वास हो जाए कि फिर हिन्दू बन जाने पर उनके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा।

भारत इस देश में सदा ही 'लड़ाओ घोर राज्य करो' की नीति बरतते रहे। पहले उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों को घायल में लड़ाया। जब गांधीजी ने १९२१ में अपना पहला सत्याग्रह किया, तो उससे पहले लोग काफी बिगड़ते थे। उनके लिए अलग अधिकारों की व्यवस्था की। तब से गांधीजी ने भी भद्रों द्वारा भद्रों को हिन्दुओं से अलग करने का प्रयत्न किया था, उसके विरुद्ध गांधीजी ने २१ दिन का अनशन किया। इस अनशन से एक तो संघर्ष सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा और यह स्वीकार करना पड़ा कि भद्र भी हिन्दु ही हैं, हिन्दुओं से अलग कुछ नहीं हैं; और दूसरी ओर सारी हिन्दू जनता को ध्यान भी इन समस्या की विषयता की ओर विच गया।

गांधीजी ने भद्रों के लिए एक नया शब्द रखा—'हरिजन'। हरिजन सरकार का मान जुड़ा हुआ था, वह इन शब्द से जाना रहा।

सन् १९३५ में भारत में संघर्षों ने एक नया सविधान लागू किया। इस अनुसार १९३७ में चुनाव हुए। इन सविधान के अनुसार जनता के एक बड़े वर्ग को वोट का अधिकार दे दिया गया था। इस अधिकार के कारण हरिजनों को एक-एक बटु अनवरत पड़ गया। समाजियों से शोषित और पीड़ित लोगों ने यह अनुभव किया कि उनके हाथ में भी कुछ ताकत है, बिनाके कारण उन्हें बर्ताने वाला प्रतिष्ठित आदमी भी वोट की मिथा मांगने के लिए उनके

र आता है। वे धीरे-धीरे अपनी शक्ति को पहचानने लगे।

उन्हीं दिनों डाक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हरिजनों का संगठन प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने यह मांग की कि उन्हें सर्वत्र हिन्दुओं के साथ पूरी समानता का प्रविकार दिया जाए। यह अधिकार न मिलने की दशा में उन्होंने मुसलमानों या ईसाइयों के साथ मिल जाने की धमकी दी। अंग्रेज सरकार तो उन्हें धन्य होने के लिए हर तरह का बढ़ावा देने के लिए तैयार थी ही, इसलिए सर्वत्र हिन्दुओं को हरिजनों की मांगों के आगे झुकना पड़ा। १९३७ के चुनावों में प्यारह में से सात प्रांतों में कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस ने यह निश्चय किया कि कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों में कम से कम एक हरिजन मंत्री अवश्य रखा जाए। हरिजनों के उत्थान के लिए और भी अनेक रूपों में प्रयत्न किया गया।

उन्नति के लिए सब ओर से प्रोत्साहन मिलने के बाद भी शताब्दियों से मन में जमी हुई अछूतों की आत्महीनता की भावना आसानी से दूर नहीं हो सकती थी। यह ठीक है कि कुछ थोड़े-से गिने-चुने हरिजन अपने अधिकारों के प्रति आग्रह हो उठे थे, किन्तु अधिकांश हरिजन अशिक्षित थे और वे अपनी दशा सुधारने या सामाजिक अधिकार लेने के लिए बिल्कुल ही उत्सुक नहीं थे। हरिजन विद्याधियों को विद्यालयों में पढ़ने की सुविधा दी गई। उन्हें छात्रवृत्तियाँ भी दी गईं। फिर भी हरिजन लोग अपने बालकों को पढ़ने के लिए न भेजते थे। अपनी उन्नति के मार्ग में वे स्वयं ही बाधक बन रहे थे।

अछूतोंदार का दम भरने वाले सब नेता भी पूरी तरह ईमानदार नहीं थे। मंच पर खड़े होकर बहादुरी समय तो वे ऊँचे-ऊँचे भावदर्श बघारते थे, किन्तु निजी व्यवहार में वे संकीर्ण छुमाछूत का भेद-भाव करते थे। शताब्दियों की जमी हुई मैल इतनी जल्दी धुलकर साफ नहीं हो सकती थी।

१९४७ में भारत स्वाधीन हो गया। हमारे नये संविधान में सब नागरिकों की समानता की घोषणा की गई। जाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेद-भाव निषिद्ध ठहराया गया। अब तो छुमाछूत को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। मजे की बात यह थी कि खुद असर्वत्र समझे जाने वाले नाई लोग अछूतों की हानि करने में बहुत भेद-भाव दिखाते थे। अब ऐसा करना कानून



द्वारा निषिद्ध कर दिया गया है। सब हिन्दू-देवमन्दिर हरिजनों के लिए भी खोल दिए गए हैं और वहाँ रोक-टोक लगाने वाले व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है।

इतना ही नहीं, दस साल तक की अवधि के लिए हरिजनों को, जो अनुचित जातियों में धा जाते हैं, उन्नति के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं, जिन्हें वे भी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से सर्वत्र हिन्दुओं के समान बन सकें।

इसमें सन्देह नहीं कि असह्यता हमारे समाज का कलंक थी। अब वह कलंक धीरे-धीरे पृष्ठता जा रहा है और शीघ्र ही हमारा प्रजातन्त्रीय समाज स्वतन्त्र, समानता और बंधुत्व के उच्च भावनों का प्रतीक बन जाएगा।

अन्य सम्भावित शीर्षक

१. छुमाछूत
२. छछूतोडार
३. भारत में छछूतों की समस्या

## मद्य-निषेध

मद्य, मदिरा, सुरा, भासव आदि नाम शराब के ही पर्यायवाची हैं। मद्य म सुरा का पान मानन्द के लिए किया जाता है। मद्य अथवा मदिरा पत्थर 'मि' धातु से बना है, जिसका अर्थ है—हृषित होना। मदिरा पीकर भासवी अपने दुःख और विन्ताओं को कुछ समय के लिए भूल जाता है और एक कृत्रिम उत्तेज के कारण विचित्र मानन्द का अनुभव करता है। दुःखों को भुला देने और मान देने की यह शक्ति ही मदिरा का आकर्षण है।

मद्यपान लगभग सभी देशों में प्रचलित है। लोग किसी भी मानन्द के प्राप्ति पर मदिरा पीते हैं और बहुत-से देशों में तो मदिरा दैनिक जीवन का अंग है। यूरोप के ठंडे देशों में मदिरा पानी की अपेक्षा भी अधिक सुगम है।

भारत और अफ्रीका जैसे देशों में भी इसका प्रचार कम नहीं है। काल की दृष्टि से भी देखा जाए, तो मदिरा बहुत पुराने समय से उपयोग में आती रही है। वेदों में वर्णित सोम मदिरा जैसी ही कोई वस्तु थी, जिसका प्रभाव मदिरा की भांति प्राणदायक होता था। महाभारत-काल में तो मद्य और सुरा का प्रयोग खुलकर होता था। यहां तक कि यादव लोग सुरा पीकर आपस में ही लड़ मरे थे।

मदिरा पीने से मानन्द का अनुभव होता है, इसमें सन्देह नहीं; किन्तु मदिरा पीकर व्यक्ति अपने आपको भूल जाता है, अनाप-शनाप बकता है और अनेक प्रसन्न्य आचरण करता है। जब मदिरा का नशा अपनी सोमा पर पहुंच जाए, तो व्यक्ति माली में गिरकर पड़े रहने में भी स्वर्ग का-सा सुख अनुभव करता है। जिन लोगों ने मदिरा नहीं पी हुई, वे अवश्य ही उसके इस स्वर्गसुख को देखकर प्रसन्न होंगे और यही यत्न करेंगे कि उनके देखते-देखते कोई ऐसा स्वर्ग-सुख न ले। यही कारण है कि विरकाल से मदिरा-पान को दोष माना जाता है और इसकी निन्दा की जाती है।

मदिरा को निश्चित रूप से हानिकारक या दूषित वस्तु करार देना उचित नहीं है। अत्यधिक उरसाह या सुधार के आवेश में ही लोग मदिरा को इतना दूषित बताते हैं। मदिरा का सेवन औषध के रूप में किया जाए और उसकी मात्रा नियमित रखी जाए, तो वह शरीर के लिए और मन के लिए बहुत उपयोगी है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध नेता विंस्टन चर्चिल ने मदिरा के सम्बन्ध में कहा है कि 'मदिरा से मैंने कितना कुछ पाया है, उतना मदिरा मुझसे नहीं पा सकी।' उनका अभिप्राय यह था कि मदिरा से उन्हें लाभ अधिक हुआ है और हानि कम। नियत मात्रा में ली गई मदिरा शारीरिक और मानसिक शक्तियों को जगाती है और नई स्फूर्ति प्रदान करती है। आयुर्वेद में अनेक आसव रोगों की चिकित्सा के लिए वैद्यार किए जाते हैं। सभी आसव मदिरा होते हैं।

परन्तु मदिरा की यह एक विशेषता है कि इसको पीने के बाद मनुष्य का अपने ऊपर संयम कम और कम होता जाता है। ऐसे लोग बहुत कम हैं, जो औषध के रूप में नियत मात्रा में मदिरा का सेवन करते हों। अधिकांश लोग सामसिक मानन्द के लिए ही अन्व्याधुन्य शराब पीते हैं। अधिक मात्रा में पी गई मदिरा बहुत पर-

बहुत बुरा प्रभाव डालती है। मदिरा पीने से धीरे-धीरे मनुष्य का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो जाता है।

मनुस्मृति में लिखा है कि 'अ्यसन मृत्यु से भी अधिक बुरा होता है; योनि अ्यसनी निरन्तर पतन की ओर बढ़ता चला जाता है।' शराब तो पहली सीढ़ी है। शराब मुपत नहीं मिलती; काफी महंगी होती है। उसे पीने के लिए पैसा चाहिए। शराबी को उचित-अनुचित सभी उपायों से पैसा कमाने का यत्न करना पड़ता है। शराबी लोग पैसा कमाने के लिए जुगारी बन जाते हैं। जुगा पैसा कमाने का नहीं, अपितु पैसा गंवाने का सबसे अच्छा उपाय है। शराबी कर्ज लेते हैं; विपु उसको चुकाने की नीबट कभी नहीं पाती। इस प्रकार एक के बाद एक अनेक दुःख-आर्यों में वे फँसते जाते हैं और शायद अन्त में शारीरिक और मानसिक व्यापारिता बतनी बढ़ जाती है कि उनसे केवल मृत्यु ही उन्हें मुक्ति दिलाती है।

यदि कोई धार्मिक यदि जान-बूझकर धार्मिकविनाश पर उतारू हो, या धर्म पर से धाग लगाकर तमाशा देगना चाहे, तो उसमें किसीको कोई धार्मिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु जब उसका यह तमाशा अन्त्य लोगों के लिए भी अत्यन्त दायक बन जाए, तब उसमें दूसरों का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। शरीर मजदूर घटने दुःख, मरणा और शरीर को भुलाने के लिए शराब पीने है। शरीर धीरे शराब के इतने घासी हो जाते हैं कि अन्त में शरीर कमाई शराब पर ही खर्च करने हैं और अन्त में शरीर के भोजन और शरीर तक की अन्त की ओर ध्यान नहीं देने। शरीर शरीर को भुलाने के लिए उन्होंने शराब पी शुरू की थी, वह शराब की शुरुआत ही निरन्तर बढ़ती चली जाती है। ऐसी ही शरीर में समाज और सरकार का वर्तमान हो जाता है कि कोई ऐसा प्रयोग किया जा जिससे उनके निरन्तर बढ़ती शरीर शरीर को बरत ल उठाना पड़े।

बहुत बार लोग शराब पीकर मजदूरों पर अथवा मार्क्सवादी शक्तियों के आते हैं; शराब के मने में लड़ाई-झगड़ा करने हैं और कई बार एक-दूसरे हत्या तक कर डालते हैं। यह भी समाज १५ लाख बढ़ते हैं दिन-दिन मजदूरों को बेगन मिलना था, उस दिन के लूच शराब पीने से और अन्त में शरीर धीरे-धीरे शराब पीने से शरीर शरीर को बरत ल उठाना पड़े।

धनी और शिक्षित लोग अपने बारे में खुद सोच-समझ सकते हैं और यदि वे जल निर्णय भी कर लें, तो भी उनमें इतना सामर्थ्य होता है कि नुकसान या फायदे को सह सकें। परन्तु गरीबों की स्थिति इससे उल्टी होती है। इसलिए उनकी चिन्ता समाज को करनी पड़ती है। मद्यपान और उससे होने वाली बुराइयों की ओर १९२० में कांग्रेस ने लोगों का ध्यान खींचा और सत्याग्रह के सिलसिले में शराब की दूकानों पर भी धरना दिया गया। जब १९३७ में कांग्रेसी मन्त्रिमंडल बने, तब उन्होंने मद्य-निषेध को अपनी नीति का अंग बना लिया। परीक्षण के तौर पर कुछ क्षेत्रों में मद्य-निषेध लागू किया गया, किन्तु १९३६ में द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया। कांग्रेसी मन्त्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिए और मद्य-निषेध समाप्त हो गया।

किन्तु कांग्रेस ने मद्यपान के दोषों को भली भाँति अनुभव कर लिया था और वह, चाहे जैसे भी हो, मद्यपान को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध थी। १९४७ में देश के स्वाधीन होने के बाद लगभग सभी राज्यों में पूर्णतया या आंशिक रूप से मद्य-निषेध कानून लागू कर दिए गए हैं। इस दिशा में बम्बई राज्य अन्य सब राज्यों से भागे है।

सरकार की दृष्टि से मद्य-निषेध बिल्कुल घाटे का सौदा है। शराब के ठेकों से सरकार को हर साल करोड़ों रुपये की भाय होती है। परन्तु ऐसे उपायों से भाय प्राप्त करना, जिससे देशवासियों को हानि पहुंचती हो, अनुचित है। इसीलिए सरकार हानि सहकर भी मद्य-निषेध को लागू करने के लिए कटिबद्ध है। इन दिनों सरकार को बड़ी-बड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए धन की बड़ी आवश्यकता है। परन्तु उसके लिए सरकार ने धन्य बहुत-से कर बढ़ा दिए हैं और मद्य-निषेध को जारी रखने का ही निश्चय किया है।

सिद्धान्त की दृष्टि से कानून द्वारा मद्य-निषेध करना अनुचित है। यह मनुष्य की स्वतन्त्रता का अग्रहण है। यदि मद्यपान से मनुष्य को हानि होती है, तो भी उसे कानून द्वारा नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार हानि तो सिगरेट पीने और सिनेमा देखने से भी होती है। शायद कल कोई बहुत ही सदाचारी प्रशासक व्याज को भी हानिकारक करार देकर निषिद्ध घोषित कर दे; किन्तु उसके उपयोग को कानून द्वारा रोकना मूर्खता ही बन्ही जाएगी। इसलिए मद्यपान

विरोध में लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए; उपदेशों और प्रचार द्वारा लोगों को मद्यपान की हानियाँ समझाई जानी चाहिए, किन्तु इसमें कानून का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

सिद्धान्त की दृष्टि से मद्य-निषेध अनुचित होते हुए भी व्यवहार की दृष्टि से उचित है। भारत जैसे गरीब और प्रतिक्षित देश में लोगों को मद्यपान की हानियाँ समझाकर उन्हें मद्यपान से विरत कर पाना लगभग असम्भव है। एक बार शराब का चस्का लग जाने पर बिना दंड-भय के लोग शराब को छोड़ने नहीं और जब तक शराब को छोड़ने नहीं, तब तक वे अपने परिवार को और अपने समाज को नरक बनाए रखेंगे। यदि कुछ शंस में व्यक्तिगत स्वाधीनता का अपहरण करते भी लोगों को सुखी बनाया जा सके, तो बनाया जाना चाहिए। प्रतिक्षित और प्रतिक्षेपी व्यक्ति को पूरी स्वाधीनता देना उसे विनाश के मार्ग पर चला देता है।

जहाँ यह ठीक है कि मद्यपान को कानून द्वारा निषिद्ध कर देना समाज के हित में है, वहाँ यह भी ठीक है कि केवल कानून बनाकर मद्यपान को पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता। जब तक देश की अधिकांश जनता का समर्थन प्राप्त न हो, तब तक मुद्दे-छिपे शराब पी जाती रहेगी और उससे होने वाली हानियाँ होती ही रहेंगी। किसी समय अमेरिका में भी कानून द्वारा मद्य-निषेध करने का प्रयत्न किया गया था, किन्तु यह प्रयत्न असफल रहा; क्योंकि पहले सुखदसुखद जितनी शराब पी जाती थी, उतने भी अधिक बाद में दुबका-घोरी पी जाने लगी वहाँ सरकार को मद्य-निषेध का कानून रद्द करना पड़ा। भारत में भी वही स्थितियाँ कुछ भिन्न नहीं हैं। इसलिए यदि मद्य-निषेध की सफलता अभीष्ट है तो कानून बनाने के प्रतिरिक्त मद्यपान की बुराइयों के सम्बन्ध में जोरदार प्रचार किया जाना चाहिए और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देनी चाहिए कि लोग स्वयं ही मद्यपान करना छोड़ दें।

वस्तुतः मद्यपान एक ऐसी समस्या है, जिसके सम्बन्ध में सरकार और जनता दोनों को ही शान्ति और विवेक से काम लेना चाहिए। जहाँ यह ठीक है कि मद्यपान एक बुराई है और उसे हटाया जाना चाहिए, वहाँ यह भी ठीक है कि एक ऐसी बुराई है कि जो धीरे-धीरे ही हटेगी। इसलिए सरकार को धीरे-धीरे

राम सेना चाहिए। दूसरी ओर जनता को यह अनुभव करना चाहिए कि मद्य-निषेध उसकी भलाई के लिए किया जा रहा है, उसपर भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं। इसलिए थोड़ी-बहुत अनुविधा सहकर भी मद्य-निषेध को क्रियान्वित करने में सहायता देनी चाहिए।

इससे स्पष्ट है कि मद्य-निषेध का उल्लंघन करने वाले लोगों को कड़ी और नम्बी सजाएं न देकर छोटी सजाएं दी जानी चाहिए, जिसका उद्देश्य केवल अपराधी को सावधान और सचेत करना भर हो। हां, जो लोग अपने आर्थिक लाभ के लिए दुकान-चोरी दूसरों को शराब पिलाने का प्रयास करें, उन्हें कड़ी सजाएं दी जानी चाहिए, जिससे कि अन्य लोग बँसा करते हों। कानून और न्याय दोनों मिलकर ही मद्य-निषेध को सफल बना सकते हैं।

#### अन्य सम्भावित शीर्षक

१. क्या कानून द्वारा मद्य-निषेध उचित है ?

## परिवार-आयोजन

इन समय सारे संसार की जनसंख्या लगभग दो घरब है। किन्तु घनेक देशों में जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, उसको देखते हुए अर्थशास्त्रियों ने अनुमान किया है कि अगले पचास साल में संसार की आबादी चार घरब से भी अधिक हो जाएगी। किसी समय आल्पस ने यह सिद्धांत संसार के सामने रखा था कि प्राकृतिक विपत्तियों के अभाव में किसी भी देश में जनसंख्या पचोस साल में दुगुनी हो जाती है। संसार में इस समय भी साठ पचासों की स्थिति बहुत भली नहीं है। अफ्रीका, भारत और चीन जैसे देशों में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों समय पर वेष्ट भोजन नहीं मिल पाता। यदि संसार की आबादी दुगुनी हो गई, तो साठ पचासों की बनी ओर भी अधिक कष्टदायक हो जाएगी।

जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ती है, उतनी तेजी से साध पदार्थों का उत्पादन नहीं बढ़ पाता। साथ ही यह भी निश्चित है कि पृथ्वी पर केवल उतने ही लोग जीवित रह सकते हैं, जितनों के लिए साध पदार्थ होंगे। यदि जनसंख्या अधिक बढ़ जाएगी और साध पदार्थ कम होंगे, तो फलतः लोग भूकाल और बीमारी के शिकार होकर मर जाएंगे। इस प्रकार प्रकृति अपने कठोर नियमों द्वारा जनसंख्या को सीमित रखती है। भूकाल और महामारियों से इतिहास के पन्ने मरे पड़े हैं।

पहले महामारियों और सहाइयों के कारण लोगों की जन्म और मृत्यु व लगभग बराबर ही रहती थी। वर्ष में जितने लोग पैदा होते थे, लगभग उतने मर भी जाते थे। किन्तु १६२० के बाद से चिकित्सा-क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई है कि मृत्यु-दर बहुत कम हो गई है। पहले चेचक, हैजा और प्लेग जैसी महामारियों से गांव के गांव साफ हो जाते थे। मलेरिया भी हर वर्ष लाखों प्राणियों की मौत के घाट उतार देता था। किन्तु टीके इत्यादि की सुविधा के कारण महामारियों का फैलना तो लगभग बन्द ही हो गया। जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिस कारण कई भूकाल पड़े। १६४३ में बंगाल में भयानक भूकाल पड़ा, जिसमें तो सास से भी अधिक व्यक्ति मौत के मुंह में चले गए।

यह स्थिति बहुत चिन्ताजनक है और इसका कोई न कोई उपाय बनाना चाहिए। भारत में लोगों के रहन-सहन का स्तर संसार के उन्नत देशों की प्रतीक्षा पहले ही बहुत नीचा है। इसपर यदि जनसंख्या और बढ़ती जाए, तो इनका स्तर ऊंचा उठना तो दूर बल्कि और नीचा गिरता जाएगा। स्वतन्त्र देशों में सभी लोगों के लिए धन, वस्त्र, मकान, शिक्षा और चिकित्सा का प्रबंध करना आवश्यक है। इसलिए यदि हमें देश की दशा सुधारनी है, तो जनसंख्या को रोकने का कोई न कोई ठोस उपाय करना होगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश गरीबी का जन्म-दर के साथ संबंध है। अधिकांश गरीबी जितनी अधिक होगी, जन्म-दर उतनी ही होगी। अधिकांश गरीब लोग बच्चों के पालन-पोषण को बड़ा बोझ मानते हैं; क्योंकि उन्हें तो बच्चों का केवल पेट भरना होता है; पढ़ाई-लिखाई के रहन-सहन के कोई व्यय अपने ऊपर नहीं लेते। यूरोप के उन्नत और श

श्रीं में जन्म-दर भारत और चीन की अपेक्षा बहुत कम है, बल्कि वहाँ के कुछ देशों में तो जनसंख्या घटती पर है।

भारत में धर्म जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भंग है। यहाँ के सब कार्य चिरकाल से धर्म की दृष्टि में रखकर ही होते रहे हैं। हिन्दू-धर्म के अनुसार मनुष्य सब तक मोक्ष नहीं पा सकता, जब तक उसके सन्तान न हो। इसलिए सन्तान-उत्पादन भारत में एक आवश्यक कार्य समझा जाता है। यद्वा विवाह मनुष्य के लिए न केवल आवश्यक है, अपितु वह बहुत छोटी समस्या में ही हो जाता है। बाल-विवाह के कारण बच्चे भी अधिक उत्पन्न होते हैं। माता-पिता भाग्यवादी होने के कारण यह सोचते हैं कि हर बच्चा अपना भाग्य साथ लेकर आया। इसलिए वे उनके अविष्य की विन्ना छोड़कर सन्तान उत्पन्न करते जाते हैं।

इस समय देश की दशा को सुधारने के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाना आवश्यक है। प्राथिक उन्नति के लिए जो योजनाएँ बनाई जा रही हैं, वे कोई भी काम तब तक नहीं देखती, जब तक आबादी की रोक-थाम न की जाए। सन्तति-निरोध होना चाहिए, इस विषय में अब विचारकों में दो मत नहीं हैं। मत-भिन्न केवल इस विषय में है कि सन्तति-निरोध किस प्रकार किया जाए। कुछ लोग तो ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम पर जोर देते हैं। गांधीजी और उनके अनुयायी भी मत के समर्थक थे। दूसरी ओर वैज्ञानिक और चिकित्सक हैं, जिनका कहना है कि ऐसी बड़ी समस्या को आत्मसंयम और ब्रह्मचर्य के भरोसे छोड़ देना ठीक नहीं है। अधिकांश लोग ऐसी साधना का जीवन नहीं बिता सकते; इसलिए कृत्रिम उपायों द्वारा सन्तति-निरोध किया जाना चाहिए।

कृत्रिम उपायों द्वारा सन्तति-निरोध करवाना यदि सरल होता, तो इसे काफी भीमा तक अपनाया जा सकता था। परन्तु यह इतना सरल नहीं है जितना कि पूर्वी दृष्टि में दिखाई पड़ता है। भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ कि अधिकांश जनता अशिक्षित है और गाँवों में रहती है, वैज्ञानिक उपायों का प्रचार करवाना आसान नहीं है। फिर कृत्रिम सन्तति-निरोध के लिए जो उपकरण सुझाए जाते हैं, वे इतने महंगे होते हैं कि गरीब के गरीब लोग उन्हें खरीदना पसन्द नहीं करते। कृत्रिम सन्तति-निरोध के विरोध में सबसे बड़ी बाधा नैतिक आधार पर



की जाती है। कहा जाता है कि यदि कृत्रिम उपायों द्वारा सन्तति-निरोध व उचित मान लिया जाए, तो इससे दुराचार बहुत फैल जाएगा। लोगों में नैतिक की भावना पहले ही कम होती जा रही है, तब ठो वह बिलकुल ही समाप्त हो जाएगी। इसके प्रतिरिक्त यह भी सत्य है कि सन्तति-निरोध के कृत्रिम और उप-कथित वैज्ञानिक उपायों से स्त्री और पुरुष के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए नैतिक और शारीरिक दोनों ही दृष्टियों से कृत्रिम उपाय उचित नहीं हो जा सकते।

गांधीजी और उनके अनुयायी लोगों का कहना यह है कि हमारी प्राचीन भारतीय जीवन-शैली में गृहस्थ धर्म का काल पचीस से लेकर पचास की आयु तक ही सीमित था। इस प्रकार मनुष्य केवल पचीस वर्ष गृहस्थ रहता था। उसके बाद वानप्रस्थी हो जाता था। उन दिनों लोगों का जीवन सादा और संयमपूर्ण था। यदि उसी प्रकार का जीवन लोग फिर बिना शुरू करें, तो बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या हल हो सकती है।

इस मत के सम्बन्ध में कठिनाई यह है कि यह वर्तमान काल को दसों की ध्यान में रखे बिना बनाया गया है। मात्रकल हमारा सामाजिक जीवन बड़ा पेचीदा हो गया है, उसमें प्राचीन काल जैसा सादा और सरल जीवन बिना काल सम्भव नहीं है। मात्रकल का खान-पान, साहित्य और गिनेमा इत्यादि मनोरंजन के साधन सभी ऐसे हैं, जो मनुष्यों को असंयत जीवन की ओर प्रेरित करते हैं। धर्म और नैतिकता की भावना तेजी से समाप्त हो रही है। यदि यह मान भी लिया जाए कि कुछ थोड़े-थोड़े गिने-बुने लोग इन घादलों के अनुसार त्याग और त्याग का जीवन बिता भी सकें, तो भी उनसे देश की समस्या हल नहीं हो पाएगी, और हमें हर क्षण में जनसंख्या को कम करना है।

ऐसी दशा में एक ही विकल्प सामने रह जाता है और वह यह कि इन दोनो उपायों का साथ-साथ प्रयोग किया जाए। जो लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के द्वारा सन्तति-निरोध कर सकते हैं, वे अपना प्रयत्न करें। जिन्हु जो लोग प्राचीन धर्मों इनमें सम्मिलित हैं, वे कृत्रिम वैज्ञानिक उपायों का प्रयोग करें। इन प्रयत्न में सरकार की ओर से भी मदद उठाए जा रहे हैं। जिन्हु वैज्ञानिक शक्ति है

समसंयम के सम्बन्ध में सरकार कुछ भी सहायता नहीं कर सकती। इसलिए सरकार की ओर से तो ऐसे ही केन्द्र खोले जा रहे हैं, जहाँ स्त्रियों और पुरुषों को त्रिम रूप से सन्तति-निरोध के उपाय समझाए जाते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ लिहित भी प्रकाशित किया गया है और उसे बिना मूल्य बांटा भी जा रहा है। कुछ स्थानों पर दवाइयाँ भी मुफ्त बांटी जा रही हैं।

किन्तु इस प्रकार का सारा प्रयास मुख्य रूप से अभी तक शहरों में ही था है और यह समस्या शहरों से भी कहीं अधिक उप्र गाँवों में है। जब तक गाँव के लोगों को इन उपायों की सिखाकर इनका पालन करने के लिए तैयार ही किया जा सकता, तब तक किसी भी बड़ी सफलता की आशा नहीं की जा सकती।

बई बार कुछ उत्साही लोग यह युक्ति भी प्रस्तुत करते देखे जाते हैं कि हमें देश की जनसंख्या को घटाने का प्रयत्न न करके उसे कार्य में लगाकर उससे लाभ उठाना चाहिए। परन्तु यह युक्ति इसलिए थोड़ी है, क्योंकि देश में जितनी जनसंख्या इस समय विद्यमान है, उसीका एक बड़ा भाग बेकार है और भूखों मर रहा है। इसलिए इस विषय में तो कोई दुविधा रहनी ही नहीं चाहिए कि यदि देश की जनसंख्या कम न भी की जा सके, तो भी उससे अधिक तो किसी भी देश में नहीं होने देनी चाहिए, जितनी कि इस समय है।

यह आश्चर्य की ही बात है कि इतनी सीधी-सी बात को लोग स्वयं नहीं समझ पाते। आजकल के महंगाई के दिनों में छोटे-से परिवार का भरण-पोषण करना ही काफी कठिन होता है, उसपर बच्चों की संख्या को बढ़ाते जाना तो बान-बूझकर कष्ट और भुखमरी को आमन्त्रित करना है। जैसे आर्थिक कठिनाइयों में पड़कर बहुत लोग इस कष्ट को हृदयगम करने लगे हैं, और जिन्हें अपने उत्तरदायित्व का कुछ भी ज्ञान है, वे इस विषय में सचेत रहने लगे हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में अभी प्रचार की बहुत आवश्यकता है। यदि किसी प्रकार सभी लोगों में इस प्रकार की उत्तरदायित्व की भावना जगाई जा सके, तो यह समस्या इन हो सकती है।



विज्ञान वरदान है या अभिशाप ?

तक भी पहुँचाती है। रेडियो केवल मनोरंजन और समाचार ही प्रदान नहीं करता अपितु सेनाओं में सम्वादबहन का एक प्रमुख साधन है। इसी प्रकार युद्ध-काल में सभी वैज्ञानिक आविष्कार सन्तु के विनाश के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इससे सन्तु का विनाश अधिक होता हो या अपने पक्ष का, किन्तु समूची मानव-जाति की दृष्टि में तो हानि होती ही है। एक युद्ध में जितना विनाश हो जाता है, वह भावी पञ्जाबी के परिश्रम से भी पूरा नहीं किया जा सकता।

पहले युद्ध केवल सेनाओं तक सीमित रहते थे। भौतिक लोगों पर अक्रमण करना युद्ध-नीति के विरुद्ध था। किन्तु भद्र वैज्ञानिक युद्ध इतने विस्तृत हो गए हैं कि नगरों पर और कारखानों पर बम-वर्षा करना मामूली बात हो गई है। यदि सैनिक जीवित बच भी जाएं, तो भी उनके मकान नष्ट हो चुके होते हैं। अन्न, वस्त्र तथा जीवन की अन्य सामग्रियां बरबाद हो जाती हैं। पहले ब्राह्मण सैनिक प्रायः मर जाते थे। किन्तु अब नई चिकित्सा द्वारा उन्हें जीवित रखा जाता है और वे सारा जीवन अपाहिज के रूप में बिताते हैं।

परमाणु बम के प्रयोग से पहले भी युद्ध की भयंकरता रोमांचकारी थी। किन्तु परमाणु बम के संहार को देखते हुए तो वह बच्चों का खेल जान पड़ती है। परमाणु बम की चोट से न केवल लालों ब्राह्मण कुछ ही घंटों में मर गए, अपितु जो लोग ब्राह्मण होकर जीवित बच गए, उन्हें नरक-वास से भी अधिक कष्ट सहना पड़ा। रेडियो-सक्रियता के कारण उनके शरीर में ऐसी व्याधियां हो गईं जिनके कारण वे दुल-पुलकर मरे। यदि भविष्य में परमाणु-युद्ध हुआ, तो इस प्रकार का कष्ट कितना अधिक होगा, यह पाना कठिन है।

यह ठीक है कि विज्ञान ने मनुष्य को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उन सुविधाओं से मनुष्य के सुख में ही वृद्धि हुई है। विजली के आविष्कार से पहले कारखानों में केवल दिन में काम होता था और मजदूर रात को सुख की नींद सो सकते थे; किन्तु अब कारखानों में दिन-रात काम होता है और हजारों मजदूरों को रात में जागकर काम करना पड़ता है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी, देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य के श्रम की बचत हो रही है परन्तु वस्तुतः मनुष्य को जीवित रहने के लिए अब पहले की अपेक्षा अधिक

लेता है और दोप समय को अध्ययन, मनोरंजन या किसी भी कार्य में लगा सकता है।

विज्ञान ने हमारे जीवन में इतना परिवर्तन कर दिया है कि अगर रोबेर्ट पूर्व का कोई व्यक्ति आज आकर हमें देखे, तो यही समझे कि हम स्वर्ग में हैं। नये से नये ढंग के नाइलोन के वस्त्र, बढ़िया मोटरकारें, रेडियो और शीजन, वायु-अनुकूलन के यंत्र, रेफ्रिजरेटर, सिनेमा, बिजली की बदन इत्यादि वस्तुओं की कल्पना कबि रोग स्वर्ग के लिए भी नहीं कर पाए थे। प्रतिरिक्त घिकरसा के अद्भुत साधन विज्ञान ने जुटा दिए हैं। रोगों की रक्षा की अच्छी से अच्छी विधियां निकल आई हैं। एक्स-रे द्वारा शरीर के अंगों की चित्र लिया जा सकता है और दल्पतन्त्र ने तो इतनी उन्नति कर ली है बीमार आदमी के हृदय को निकालकर उसकी जगह किसी बन्दर जैसे अन्य का हृदय लगाया जा सकता है और उसे लम्बा जीवन दिया जा सकता है। कहने में प्रतिशयोक्ति न होगी कि अब विज्ञान मरे हुए आदमी को भी जिंदा करता है। इसलिए विज्ञान को वरदान न कहा जाए तो क्या कहा जाए?

परन्तु विज्ञान का एक दूसरा भी पहलू है। जहाँ इसने मनुष्य के हाथ में अधिक शक्ति दी है, वहाँ उस शक्ति के प्रयोग पर कोई रोक-थाम नहीं बना इसलिए उस शक्ति का जितना उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिए किया गया उससे अधिक विनाशरामक कार्यों के लिए पहले युद्ध होने थे। उनमें अन्त-युद्ध आसानी से हो जाती थी और विनाश बहुत कम होता था। किन्तु विज्ञान उन्नति के साथ-साथ युद्धों की भयंकरता बहुत बढ़ गई है और वन की मनुष्य में इतना भयंकर विनाश हुआ है कि उसको हृदयंगम कर पाना भी कठिन और अब परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के आविष्कार के बाद तो पितृ की मात्रा कितनी होगी, यह कह पाना भी सम्भव नहीं है।

विज्ञान की उन्नति अंततः युद्ध के कारण भी हुई है। युद्ध में विनाश के लिए भयंकर विस्फोटकों, बिमानों और राकेटों का आविष्कार किया गया है। ऐसे प्रतिरिक्त युद्ध में आस-सभी वैज्ञानिक आविष्कारों ने पूरा साथ दिया है। रेलें और मोटरों के बगल मनुष्य की गैर ही नहीं करानी, अग्नि के शक्तियों को रोक

तक भी पहुंचाती हैं। रेडियो केवल मनोरंजन और समाचार ही प्रदान नहीं करता अपितु सेनाओं में सम्वादवहन का एक प्रमुख साधन है। इसी प्रकार युद्ध-काल में सभी वैज्ञानिक आविष्कार सन्धु के विनाश के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इससे सन्धु का विनाश अधिक होता हो या अपने पक्ष का, किन्तु समूची मानव-जाति की दृष्टि में तो हानि होती ही है। एक युद्ध में जितना विनाश हो जाता है, वह घापी शताब्दी के परिश्रम से भी पूरा नहीं किया जा सकता।

पहले युद्ध केवल सेनाओं तक सीमित रहते थे। सैनिक लोगों पर भ्रमण करना युद्ध-नीति के विरुद्ध था। किन्तु सत्र वैज्ञानिक युद्ध इतने विस्तृत हो गए हैं कि नगरों पर और कारखानों पर बम-बर्षा करना मामूली बात हो गई है। यदि सैनिक जीवित बच भी जाएं, तो भी उनके मकान नष्ट हो चुके होते हैं। घन, वस्त्र तथा जीवन की अन्य सामग्रियां बरबाद हो जाती हैं। पहले श्राहत सैनिक प्रायः मर जाते थे। किन्तु अब नई चिकित्सा द्वारा उन्हें जीवित रखा जाता है और वे सारा जीवन अपाहिज के रूप में बिताते हैं।

परमाणु बम के प्रयोग से पहले भी युद्ध की भयकरता रोमांचकारी थी। किन्तु परमाणु बम के संहार को देखने हुए तो वह बच्चों का खेल जान पड़ती है। परमाणु बम की चोट ने न केवल लाखों श्रादमी कुछ ही घंटों में मर गए, अपितु जो लोग श्राहत होकर जीवित बच गए, उन्हें नरक-वास से भी अधिक कष्ट सहना पड़ा। रेडियो-सत्रियता के कारण उनके शरीर में ऐसी ध्याधियां हो गईं जिनके कारण वे घूल-घुलकर मरे। यदि भविष्य में परमाणु-युद्ध हुआ, तो इस प्रकार का कष्ट जितना अधिक होगा, कह पाना कठिन है।

यह ठीक है कि विज्ञान ने मनुष्य को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उन सुविधाओं से मनुष्य के सुख में ही वृद्धि हुई है। बिजली के आविष्कार से पहले कारखानों में केवल दिन में काम होता था और मजदूर रात को सुख की नींद सो सकते थे; किन्तु अब कारखानों में दिन-रात काम होता है और हवारों मजदूरों को रात में जागकर काम करना पड़ता है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी, देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य के श्रम की बचत हो रही है परन्तु वस्तुतः मनुष्य को जीवित रहने के लिए अब पहले की अपेक्षा अधिक -

जगत् में धर्म और विज्ञान दोनों का महत्त्व सदा रहा है और धार्मिक भी क्षान्त बना रहेगा। यह बात दूसरी है कि किसी काम-विशेष की परिस्थितियों के द्वारा कभी एक का प्रभाव घट जाए और कभी दूसरे का।

हमें पहले धर्म के स्वरूप को समझना चाहिए। धर्म मानव-मन की एक उच्च भावना है। इसके द्वारा मनुष्य में सहानुभूति, सेवा, परोपकार आदि की भावनाएं जागरित होती हैं। धर्म के लिए सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह जैसे अन्धे गुणों का अभ्यास और काम, श्रेय, लोभ, मोह जैसे दुर्गुणों का त्याग आवश्यक माना गया है। धार्मिक मनुष्य को नैतिक सुखों की ओर आकृष्ट न होकर कष्ट-सहन का अभ्यास करना चाहिए, अन्धे कर्म करने चाहिए सत्य पर दृढ़ रहना चाहिए, चाहे उसके लिए कितना ही कष्ट सहन क्यों न करना पड़े। धार्मिक मनुष्य की दृष्टि में जीवन का अन्त इसी संसार में नहीं हो जाता, प्रति मर जाने के बाद भी आत्मा रहती है और वह दूसरे जन्म लेकर अन्धे कर्मों के कारण सुख और बुरे कर्मों के कारण दुःख पाती है। जो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, वे परलोक, स्वर्ग और नरक को मानते हैं। इसलिए वे सोचते हैं कि इस संसार के छोड़कर ही जीवन में सुख-भोग करने की अपेक्षा परलोक के लम्बे जीवन के करना चाहिए। लगभग सभी धर्मों में ईश्वर की सत्ता भी स्वीकार की गई। जो भले लोगों को सहायक और दुष्टों को दंड देने वाला है। धार्मिक मनुष्य ईश्वर पर विश्वास रखकर ठीक रास्ते पर चलते जाना चाहिए। उसकी सा विघ्न-बाधाएं दूर हो जाएंगी और उसे सफलता अवश्य मिलेगी।

ये सब शिक्षाएं और आदेश बहुत अन्धे हैं। इनसे संसार का बहुत लाभ हुआ और हजारों-लाखों जीवन इनके फलस्वरूप सुधर गए हैं। कितने ही बुरे महात्माओं ने अपना जीवन धर्म के कार्यों में उत्सर्ग कर दिया और दीन-दुष्टि के दुःखों को दूर करना ही अपना सपना बना लिया। उनके निर्मल और परि जीवन से और भी कितने ही पण्डित लोगों को प्रकाश दिखाई दिया। कितने ही दुष्ट और हिंस मनुष्य उनके पवित्र प्रभाव में आकर सुधर गए। ऐसे त्यागी, सत्य सन्त लोगों के प्रति लोगों की घटा होनी स्वाभाविक थी। बड़े-बड़े पनाथीसी सेवा के लिए मठ और मन्दिर बनवाए। उनकी सुख-सुविधा के लिए सा

शियां जुटाई और मन्त्र-महात्माओं के कार्यों को मुचाह रूप से चलाने के लिए जो-जो भी सहायता आवश्यक थी, वह सब उनके भक्तों ने प्रदान की। इसीलिए धर्म का प्रभाव मंसार के कोने-कोने में छा गया। बड़े-बड़े तीर्थों और नगरों का तो रहना ही था, छोटे-छोटे गांवों तक में धर्म-मन्दिर बन गए।

किन्तु कालान्तर में धर्म का रूप विकृत होने लगा। चरम उत्कर्ष तक पहुंचने के बाद पतन प्रारम्भ हुआ। सच्चे महात्माओं की सेवा के लिए जो मठ और मंदिर बनाए गए थे, उनमें मुक्त और मुविषाओं के लोग से होगी, पाखंडी लोग आ भरे। त्याग और सेवा की भावनाएं समाप्त हो गईं। मठों की सम्पत्ति का उपयोग मठों के महान्त बनने विलास के लिए करने लगे। अपनी दुर्बलताओं को छिपाने के लिए उन्होंने तरह-तरह के पार्लंड और घाइम्बर रचे। जनता को प्रकाश का मार्ग दिखाने की बजाय उन्होंने उसे प्रज्ञान के अंधकार में डुबाए रखना अधिक भला समझा। इस प्रकार किसी समय जो धर्म उच्च भावनाओं से प्रेरित और समाज की उन्नति का माधन था, वह रूप बिगड़ जाने पर समाज के पतन का कारण बन गया। ईश्वर के बजाय मूठ-प्रेतों की पूजा होने लगी। दुःखकार्य करके स्वर्ग पाने का प्रयत्न करने के बजाय पुरोहित और मटापीठ धन लेकर लोगों को स्वर्ग में मुविषाएं दिखाने का बचन देने लगे। बड़े से बड़े पाप का प्रायश्चित्त धन देने से होने लगा।

यह थी अन्धविश्वास और अन्धधटा की चरम सीमा। जिस प्रकार धर्म की न प्रति स्थिर न रह सकी, उसी प्रकार धर्म की अवनति के ये क्षण भी मनुष्य को देर तक भुला रखने में असमर्थ हुए। उस समय विज्ञान ने सिर उठाना शुरू किया। विज्ञान की मूल प्रवृत्ति तर्क और शतप्रश दान के बाद ही विचार करने की थी। ना तो कोई बात तर्क द्वारा समझ आ जाए या भावों से देखी जा सके, उसीपर विचार किया जा सकता है। केवल किसी धर्मपुस्तक में लिखे होने या किसी धर्म-गुरु द्वारा बही गई होने के कारण विज्ञान किसी बात को सत्य स्वीकार नहीं कर सकता। विज्ञान का तर्क धर्म द्वारा प्रचारित धटा का ठीक विरोधी पड़ता था, इसीलिए धर्म और विज्ञान में विरोध उठ खड़ा हुआ। धर्म की छाड़ में जो हजारों लोग परना उल्लू सीधा कर रहे थे, उनके दिलों को विज्ञान से बांध पकड़नी थी, इसलिए उन्होंने अज्ञानियों के रास्ते में रोड़े खटवाना और उन्हें तरह-तरह से बन्द



की बढ़ता जा। किन्तु दोनों के सहयोग से मानव-जाति निरन्तर पुन, बढ़ और शांति की ओर बढ़ती चली जा सकती है।

## देशभक्ति

जिस देश में हमने जन्म लिया और जहाँ पलकर हम बड़े हुए हैं, उसके ही प्रेम या अनुराग होना बिलकुल स्वाभाविक है। जिस प्रकार मनुष्य को अपने परिवार से, माता, पिता, भाई, बहन, स्त्री, पुत्र धारि से प्रेम होता है, वही वहाँ साध रहने-रहने अपने पड़ोसियों से भी प्रेम हो जाता है और यही प्रेम का जब जब और अधिक उगार और विकसित हो जाता है, तो मनुष्य अपने सभी देशवासियों को धाना भाई या मित्र समझ लेता है और उनसे प्रेम करता है। 'जहाँ जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' का यही अर्थ है कि जो ओर जन्मभूमि अपने से भी अधिक मूल देने वाली है।

देशभक्ति मन की एक उच्च भावना है। यह हमें देश के प्रति अपना सर्वोत्तम करिदान करने के लिए प्रेरित करती है। देश की विदेशी आक्रमण से रक्षा करने के लिए अपना देश की रक्षा को सुधारने के लिए देशभक्त साध करने को प्रेरित करती है। अपने देशभक्त की दृष्टि में देश की सेवा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य होता है।

जब वह समझ लेता उचित होगा कि देश क्या है? किसी भी को मनुष्य को एक देश कह सकते हैं; किन्तु देश के मनुष्य, देश की भावना और देश के मन ही देश का सब कुछ नहीं है; उन मनुष्यों के प्रति ही प्रेम होना ही देशभक्ति नहीं है, किन्तु उन देश के निवासी देश का ही सब कुछ नहीं है। देशभक्ति के बिना केवल निवासी देश नहीं कहना सकते। उचित प्रकार निवासी के बिना ही कोई मनुष्य देश नहीं कहना सकता, किन्तु अपने देशभक्त की दृष्टि

में। देशभक्त के लिए तो भूभाग और उसके निवासी दोनों मिलकर ही देश हैं।

हमारी उन्नति या अवनति, हमारी समृद्धि या दुर्दशा, हमारे देश की दशाओं पर ही निर्भर है। जो लोग उन्नत देशों में जन्म लेते हैं, वे अधिक अच्छी शिक्षा पाते हैं, अधिक सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। इसके विपरीत पिछड़े हुए अल्पभ्य देशों के निवासी उन्नति की दौड़ में पीछे रहते हैं और जीवन का अधिकांश भाग कष्ट में बिताते हैं। इस संबंध में हमें दास-व्यापार के दिनों को नहीं भूलना चाहिए, जबकि यूरोप के लोग अफ्रीका के हस्त्रियों को दासों के रूप में पकड़ ले जाते थे और उन्हें इस प्रकार बेच देते थे मानो वे पशु हों। इसका कारण यही था कि यूरोप के देश अस्त्र-शस्त्र और शिक्षा की दृष्टि से उन्नत थे और वे अफ्रीका के निवासियों पर विजय पा सकते थे। इस उदाहरण का प्रयोजन केवल इतना है कि यदि हमारा देश उन्नत न हो और स्वाधीन न हो, तो हमारी दशा भी दासों जैसी हो सकती है; और यदि हमारा देश उन्नत और समृद्ध हो, तो हम संसार में गौरव के साथ सिर ऊंचा करके सड़े हो सकते हैं।

इसलिए देश के प्रत्येक निवासी का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने देश की दशा को सुधारने के लिए जो कुछ कर सकता है, अवश्य करे। इस समय हमारे देश की जो भी स्थिति है, वह हमारे पूर्वजों के कार्यों का फल है। यदि कभी हमारा देश पराधीन हो गया था, तो उसका कारण यह था कि उससे पहले की पीढ़ी ने देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरी तरह नहीं निभाया। उसके बाद जब देश स्वाधीन हुआ, तो उसका अर्थ यह था कि उससे पहले की पीढ़ी ने देश को स्वाधीन बनाने के लिए परिश्रम किया, बलिदान किया और संपर्क किया। आज हमारे ही नहीं, अपितु किसी भी देश की जो दशा है, वह सब से पहले की पीढ़ियों के कार्यों का परिणाम है और अब हम जो कुछ करेंगे, उसका परिणाम हमारे अपने देश की पीढ़ियों के सम्मुख आएगा।

जब कोई देश पराधीन होता है, तब उसको पराधीनता के बंगल से छुड़ाने के लिए देशभक्ति की भावना को जगाना आवश्यक होता है। इसी प्रकार जब किसी पराधीन देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण कर देता है, तब उस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए भी देशभक्ति की भावना को जागरित करना आवश्यक हो

की जड़ता का। किन्तु दोनों के सहयोग से मानव-जाति निरन्तर सुख, सौं  
धीर शांति की धीरे बढ़ती षनी जा सकती है।

## देशभक्ति

जिस देश में हमने जन्म लिया और जहाँ पलकर हम बड़े हुए हैं, वही देश  
प्रेम या अनुराग होना बिलकुल स्वाभाविक है। जिस प्रकार मनुष्य को  
परिवार से, माता, पिता, भाई, बहन, स्त्री, पुत्र आदि से प्रेम होता है, वही प्रेम  
साथ रहते-रहते अपने पड़ोसियों से भी प्रेम हो जाता है और यही प्रेम का र  
जब और अधिक उदार और विकसित हो जाता है, तो मनुष्य अपने सभी  
वासियों को अपना भाई या मित्र समझ लेता है और उनसे प्रेम करता है। 'ज  
जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' का यही अर्थ है कि माँ और जन्मभूमि स  
से भी अधिक सुख देने वाली हैं।

देशभक्ति मन की एक उच्च भावना है। यह हमें देश के प्रति अपना स  
बलिदान करने के लिए प्रेरित करती है। देश की विदेशी आक्रमण से रक्षा क  
के लिए अथवा देश की दशा को सुधारने के लिए देशमन्त्र त्याग करते क  
नहीं हिचकिचाता। सच्चे देशमन्त्र की दृष्टि में देश की सेवा करना ही सबसे क  
वर्तव्य होता है।

पहले यह समझ लेना उचित होगा कि देश क्या है? किसी भी बड़े मू  
को हम देश कह सकते हैं; किन्तु वहाँ के पहाड़, वहाँ की नदियाँ और वहाँ  
मन ही देश का सब कुछ नहीं हैं; उन वस्तुओं के प्रति तीव्र प्रेम होना ही देशम  
नहीं है, अपितु उस देश के निवासी देश का और भी महत्त्वपूर्ण अर्थ है।  
भूभाग के बिना केवल निवासी देश नहीं कहला सकते, उन्हीं प्रकार विश्व  
के बिना भी कोई भूभाग देश नहीं कहलाएगा, विशेष रूप से देशमन्त्र की दृ

में। देशभक्त के लिए तो भूभाग और उसके निवासी दोनों मिलकर ही देश हैं।

हमारी उन्नति या भवनति, हमारी समृद्धि या दुर्दशा, हमारे देश की दशाओं पर ही निर्भर है। जो लोग उन्नत देशों में जन्म लेते हैं, वे अधिक अच्छी शिक्षा पाते हैं, अधिक सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। इसके विपरीत पिछड़े हुए प्रसम्य देशों के निवासी उन्नति की दौड़ में पीछे रहते हैं और जीवन का अधिक-काय भाग कष्ट में बिताते हैं। इस संवत्स में हमें दास-व्यापार के दिनों को नहीं भूलना चाहिए, जबकि यूरोप के लोग अफ्रीका के हस्त्रियों की दासों के रूप में पकड़ ले जाते थे और उन्हें इस प्रकार बेच देते थे मानो वे पशु हों। इसका कारण यही था कि यूरोप के देश सस्त्र-बल और शिक्षा की दृष्टि से उन्नत थे और वे अफ्रीका के निवासियों पर विजय पा सकते थे। इस उदाहरण का प्रयोजन केवल यही है कि यदि हमारा देश उन्नत न हो और स्वाधीन न हो, तो हमारी दशा भी दासों जैसी हो सकती है; और यदि हमारा देश उन्नत और समृद्ध हो, तो हम संसार में गौरव के साथ सिर ऊँचा करके सड़े हो सकते हैं।

इसलिए देश के प्रत्येक निवासी का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने देश की दशा को सुधारने के लिए जो कुछ कर सकता है, भवदय करे। इस समय हमारे देश की जो भी स्थिति है, वह हमारे पूर्वजों के कार्यों का फल है। यदि जो हमारा देश पराधीन हो गया था, तो उसका कारण यह था कि उससे पहले वे पीढ़ी ने देश के प्रति धन्यता कर्तव्य पूरी तरह नहीं निभाया। उसके बाद जब यह स्वाधीन हुआ, तो उसका धर्म यह था कि उससे पहले की पीढ़ी ने देश को स्वाधीन कराने के लिए परिश्रम किया, बलिदान किया और संघर्ष किया। धन्यता हमारे ही नहीं, अपितु किसी भी देश की जो दशा है, वह धन्य से पहले की पीढ़ियों के कार्यों का परिणाम है और धन्य हम जो कुछ करेंगे, उसका परिणाम माने माने अपनी पीढ़ियों के सम्मुख मान्या।

जब कोई देश पराधीन होता है, तब उसकी पराधीनता के शूल से छुड़ाने के लिए देशभक्ति की भावना को जगाना आवश्यक होता है। हमी प्रकार जब किसी स्वाधीन देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण कर देता है, तब उस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए भी देशभक्ति की भावना को जागरित करना आवश्यक हो

## नागरिकता

किसी भी देश में प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली तभी सफल हो सकती है, जब व देश के सब निवासियों में नागरिकता की भावना मजबूत भाँति विद्यमान हो। नागरिकता का अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों और अधिकारों का मजबूत ज्ञान हो। कर्तव्यों का पालन कराने के लिए उसे किसी दंड के भय की आवश्यकता न हो और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वह संघर्ष करने की भी दृष्टि हो। तानाशाही शासन में नागरिकता के विकास की योजना नहीं होती।

अत्यन्त प्राचीन काल में, जब मनुष्य समाज में नहीं रहता था, तो वह काँजसा स्वच्छन्द जीवन बिता सकता था। किन्तु जब से उसने समाज में रहना शुरू किया है, तब से उसे समाज के अनेक नियमों को मानकर ही चलना पड़ा है; क्योंकि यदि उन नियमों को न माना जाए, तो समाज का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। समाज में रहने के कारण मनुष्य को अनेक साम होते हैं। इसलिए वह समाज से बाहर रहना नहीं चाहता। समाज द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है और समाज द्वारा प्राप्त होने वाले साम मनुष्य के अधिकार हैं।

इस प्रकार प्रत्येक नागरिक के कुछ कर्तव्य और कुछ अधिकार होते हैं। नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि वह अपने देश की सुरक्षा व दार्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। इसका अर्थ यह है कि यदि देश पर कोई विदेशी आक्रमण हो या देश में कोई आन्तरिक उपद्रव या उत्पात हो, तो उस समय वह बिना बुझा में पड़े सरकार की सहायता करे; क्योंकि सरकार ही विदेशी आक्रमण का सामना और आन्तरिक उपद्रव का दमन कर सकती है। प्रजातन्त्र में सरकार बनना ही अपनी पुनी हुई होती है, इसलिए हर प्रकार से उस सरकार के हाथ मजबूत करने का प्रयत्न करना चाहिए।

सरकार का काम बन से चलता है। यह बन सरकार को विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों द्वारा प्राप्त होता है इसलिए हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सरकार

रा लगाए गए कर्षों को ईमानदारी से धीर प्रसन्नता के साथ चुकाए। कर देने में ईदमानी करना सरकार को धीर देश को नुकसान पहुंचाना है।

स्वच्छता जीवन का एक आवश्यक भंग है। मनुष्य को अपने शरीर, वस्त्र और घर को तो साफ रखना ही चाहिए, क्योंकि यह उसके अपने स्वास्थ्य और मानन्द के लिए आवश्यक है, परन्तु सामाजिक स्वच्छता के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी गली, अपने मुहल्ले और अपने शहर को साफ रखने का भी प्रयत्न करे। यदि सब लोग सफाई का ध्यान रखें, तो गली, मुहल्ले और शहर बड़ी सामान्य से साफ रह सकते हैं। परन्तु बहुत-से लोग अपना घर साफ करके कूड़ा पड़ोसी के घर के सामने फेंक देते हैं। यह नागरिकता के नियमों के प्रतिकूल है। नूटा ऐसी जगह फेंका जाना चाहिए, जहाँ से उसे उठाकर से जाने का नगरपालिका की ओर से प्रवन्ध हो।

समाज में अनेक वर्गों और सम्प्रदायों के लोग रहते हैं। उन सबकी प्रथाएँ और रीति-रिवाज पृथक् होते हैं। उनकी रुचियाँ भिन्न होती हैं। इसलिए यह उम्भव है कि उनमें अनेक बार वैमनस्य उत्पन्न हो जाए। परन्तु अच्छे नागरिक को इन सब मामलों में उदार और सहिष्णु होना चाहिए, जिससे जनता में शान्ति और प्रेम बना रहे।

विपत्ति के समय अपने पड़ोसी की सहायता करना भी नागरिक का कर्तव्य है। जब सब नागरिकों में यह भावना विद्यमान रहती है कि उन्हें एक-दूसरे की सहायता करनी है, तब समाज विपत्तियों का सामना आसानी से कर सकता है।

संसार में ऐसा कोई देश या समाज नहीं है, जहाँ भले लोगों के साथ-साथ दुष्ट और समाज-विरोधी लोग भी न रहते हों। इन समाज-विरोधी तत्त्वों का दमन करना पुलिस और सरकार का काम है। परन्तु अकेली पुलिस तब तक अपना काम सफलतापूर्वक नहीं कर सकती, जब तक उसे नागरिकों का पूरा सहयोग प्राप्त न हो। इसलिए समाज-विरोधी तत्त्वों का दमन करने में पुलिस को सहायता देना हर एक नागरिक का कर्तव्य है।

इन कर्तव्यों का पालन करने के बदले नागरिक को जो अधिकार प्राप्त हैं, वे भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। इन अधिकारों को उसे अवश्य प्राप्त करना चाहिए और

समाचार-पत्र कई प्रकार के होते हैं। कुछ समाचार-पत्र प्रतिदिन होते। कुछ सप्ताह में दो बार और कुछ सप्ताह में केवल एक बार। कुछ पत्र प्रातः प्रकाशित होते हैं और कुछ सायंकाण। किन्तु इन सबका उद्देश्य जनता। विभिन्न प्रकार के समाचार पहुंचाना ही होता है।

समाचार-पत्रों में अनेक प्रकार की खबरें होती हैं। आजकल सबसे अधिक प्रमुखता राजनीतिक समाचारों को दी जाती है। जहां, किस देश में क्या राजनीतिक उपलब्धि-पुण्य हो रही है, इसमें प्रायः सभी लोगों की रुचि होती है। इन बाद बड़े-बड़े नेताओं के वक्तव्य तथा डाके, करन और चोरी इत्यादि की खबरें तेज घटनाएं होती हैं। इस प्रकार की घटनाओं को भी लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापार के समाचार भी होते हैं। लोगों के समाचार के प्रायः एक अंश ही पृष्ठ होता है। बहुत-से लोग सिनेमा के पृष्ठ को भी चाव से पढ़ते हैं। इस सबके अतिरिक्त समाचार-पत्रों में विभिन्न प्रकार के विपणन प्रकाशित होते हैं, जिनमें बहुत-से लोगों की रुचि होती है।

समाचार-पत्रों से अनेक लाभ हैं। कुछ नये पैसे का समाचार-पत्र खरीद हम सारे संसार के समाचार जान सकते हैं। यदि कोई घटना हमारे अनुकूल प्रतिकूल हो, तो हम पहले से ही सावधान होकर उसके लाभ उठा सकते हैं या उससे होनी वाली हानि से अपना बचाव कर सकते हैं। व्यापारी लोग बाजारों में विज्ञापन देकर अपने सामान को बिक्री बढ़ाते हैं। बेकार लोग रिस्पानों के विज्ञापन पढ़कर अपने लिए नौकरियां ढूंढते हैं और आजकल तो बड़े-बड़े विवाह भी समाचार-पत्रों के विज्ञापन द्वारा ही होते हैं।

समाचार-पत्रों में केवल समाचार ही नहीं होते, अपितु उनमें दो अन्य प्रसिद्धि भी होते हैं। एक प्रसिद्धि तो यह होती है जिसमें सम्पादक का अग्रलेख है। इस अग्रलेख में किसी भी महत्वपूर्ण विषय को लेकर उसके बारे में सम्पादक अपनी सम्मति प्रकट करता है। साधारणतया सम्पादक को आनकारी सलाह पाठक की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए वह हर एक प्रश्न पर अपनी कुछ मुक्त हुई सम्मति पाठक के सम्मुख रख पाता है। इस अग्रलेख को पढ़कर पाठक विचार बना सकता है। इस प्रकार समाचार-पत्र किसी भी विषय में जन

ये सम्मति को किसी खास दिशा में मोड़ने में सहायक होते हैं।

सम्पादकीय स्तम्भ के प्रतिरिक्त एक पाठकों का स्तम्भ होता है, जिसमें पाठकों के विचार प्रकट किए जाते हैं। इस प्रकार पाठक लोग भी समाचार-पत्रों के माध्यम से अपने विचार दूसरे पाठकों तक पहुंचा पाते हैं।

समाचार-पत्रों का विकास उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ। उसके पहले न तो समाचार-पत्र छाप पाने की सुविधाएं ही थीं और न समाचारों में जनता की जतनी रूचि ही थी, जितनी कि आजकल है। समाचार-पत्रों का विकास शिक्षा-प्रसार के साथ ही साथ बढ़ता है। जिन देशों में जनता अधिक शिक्षित है, वहां समाचार-पत्र बहुत बड़ी संख्या में छपते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका और रूस में ऐसे अनेक पत्र हैं, जिनकी प्रतिदिन लाखों प्रतियां छपती हैं। इस दृष्टि से अभी भारत बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां एक लाख छपने वाले पत्रों की संख्या भी चायद दो या तीन से अधिक नहीं होगी।

आजकल प्रजातन्त्र का युग है और प्रजातन्त्र में समाचार-पत्रों का महत्त्व बहुत अधिक समझा जाता है। इसे चौथी 'शक्ति' (आयदाद) कहा जाता है। इसका कारण यह है कि समाचार-पत्र जनमत को बना या बिगाड़ सकते हैं और इसीलिए चुनाव के भवसर पर किसी एक पक्ष को जिताने या हराने में उनका बड़ा हाथ रहता है। इसीलिए प्रजातन्त्रीय देशों में सभी बड़े-बड़े राजनीतिक दल अपने-अपने समाचार-पत्र प्रकाशित करते हैं; और जिस दल के समाचार-पत्र अधिक प्रभावशाली होते हैं, प्रजातन्त्र में प्रायः उसीके हाथ में शासनसत्ता रहती है।

समाचार-पत्र सरकार और जनता के बीच में एक माध्यमके रूप में भी कार्य करते हैं। सरकार जो कुछ निश्चय करती है, जिस प्रकार की नीति चलाना चाहती है, उसे वह समाचार-पत्रों द्वारा जनता तक पहुंचा देती है। इसी प्रकार जब किसी विवाद को लेकर जनता में असन्तोष उठ खड़ा होता है, तब समाचार-पत्र जनता की भावाब्ध को सरकार तक भी पहुंचाते हैं। यदि सरकार जनता की रूखाओं की अवहेलना करे, तो आगामी चुनावों में जनता सरकार को बदल सकती है।



समाचार-पत्र कई प्रकार के होते हैं। कुछ समाचार-पत्र प्रतिदिन आते हैं, कुछ सप्ताह में दो बार और कुछ सप्ताह में केवल एक बार। कुछ पत्र अत्यन्त प्रकाशित होते हैं और कुछ मार्गदर्शक। किन्तु इन सबका उद्देश्य अन्तः ही विभिन्न प्रकार के समाचार पहुंचाना ही होता है।

समाचार-पत्रों में अनेक प्रकार की खबरें होती हैं। आर्थिक खबरे अत्यन्त प्रमुखता राजनीतिक समाचारों को दी जाती हैं। वहां, जिस देश में क्या राजनीतिक उपलब्धियां हो रही हैं, इसमें प्रायः सभी लोगों की रूचि होती है। इनके बाद बड़े-बड़े नेताओं के वक्तव्य तथा हाके, करण और चोरी इत्यादि की खबरें-खबरें आती हैं। इन प्रकार की घटनाओं को भी लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। इनके अतिरिक्त व्यापार के समाचार भी होते हैं। शेयरों के समाचार के लिए प्रायः एक समय ही पृष्ठ होता है। बटुन-में सोम दिनेमा के पृष्ठ को भी बड़े चाव से पढ़ते हैं। इन सबके अतिरिक्त समाचार-पत्रों में विभिन्न प्रकार के विज्ञापन प्रकाशित होते हैं, जिनमें बटुन-में लोगों की रूचि होती है।

समाचार-पत्रों से अनेक लाभ हैं। कुछ नये पैसे का समाचार-पत्र खरीदकर हम सारे संसार के समाचार जान सकते हैं। यदि कोई घटना हमारे अनुकूल या प्रतिरूप हो, तो हम पहले से ही सावधान होकर उसके लाभ उठा सकते हैं या उसके होने वाली हानि से अपना बचाव कर सकते हैं। व्यापारी लोग व्यवहारों में विज्ञापन देकर अपने सामान की बिक्री बढ़ाने हैं। वेकार तोप रिक्त स्थानों के विज्ञापन पढ़कर अपने लिए नौकरियां ढूंढते हैं और आर्थिक तो बटुन-से विवाह भी समाचार-पत्रों के विज्ञापन द्वारा ही होते हैं।

समाचार-पत्रों में केवल समाचार ही नहीं होते, अपितु उनमें दो अन्य प्रमुख स्तम्भ भी होते हैं। एक स्तम्भ तो वह होता है जिसमें सम्पादक का अद्वैत होता है। इस अद्वैत में किसी भी महत्वपूर्ण विषय को लेकर उसके बारे में सम्पादक अपनी सम्मति प्रकट करता है। साधारणतया सम्पादक की जानकारी साधारण पाठक की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए वह हर एक प्रश्न पर अपनी कुछ मुल्यो हुई सम्मति पाठक के सम्मुख रख पाता है। इस अद्वैत को पढ़कर पाठक भी अपने विचार बना सकता है। इस प्रकार समाचार-पत्र किसी भी विषय में अन्तः

की सम्मति को किसी खास दिशा में मोड़ने में सहायक होते हैं।

सम्पादकीय स्तम्भ के अतिरिक्त एक पाठकों का स्तम्भ होता है, जिसमें पाठकों के विचार प्रकट किए जाते हैं। इस प्रकार पाठक लोग भी समाचार-पत्रों के माध्यम से अपने विचार दूसरे पाठकों तक पहुंचा पाते हैं।

समाचार-पत्रों का विकास उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ। उसके पहले न तो समाचार-पत्र छाप पाने की सुविधाएं ही थीं और न समाचारों में जनता की उतनी रुचि ही थी, जितनी कि आजकल है। समाचार-पत्रों का विकास शिक्षा-प्रसार के साथ ही साथ बढ़ता है। जिन देशों में जनता अधिक शिक्षित है, वहां समाचार-पत्र बहुत बड़ी संख्या में छपते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका और रूस में ऐसे अनेक पत्र हैं, जिनकी प्रतिदिन लाखों प्रतियां छपती हैं। इस दृष्टि से अभी भारत बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां एक लाख छपने वाले पत्रों की संख्या भी सायद दो या तीन से अधिक नहीं होगी।

आजकल प्रजातन्त्र का युग है और प्रजातन्त्र में समाचार-पत्रों का महत्त्व बहुत अधिक समझा जाता है। इसे चौथी 'शक्ति' (जामदाद) कहा जाता है। इसका कारण यह है कि समाचार-पत्र जनमत को बना या बिगाड़ सकते हैं और इसीलिए चुनाव के अवसर पर किसी एक पक्ष को जिताने या हराने में उनका बड़ा हाथ रहता है। इसीलिए प्रजातन्त्रीय देशों में सभी बड़े-बड़े राजनीतिक दल अपने-अपने समाचार-पत्र प्रकाशित करते हैं; और जिस दल के समाचार-पत्र अधिक प्रभावशाली होते हैं, प्रजातन्त्र में प्रायः उसीके हाथ में शासनसत्ता रहती है।

समाचार-पत्र सरकार और जनता के बीच में एक माध्यम के रूप में भी कार्य करते हैं। सरकार जो कुछ निश्चय करती है, जिस प्रकार की नीति चलाना चाहती है, उसे वह समाचार-पत्रों द्वारा जनता तक पहुंचा देती है। इसी प्रकार जब किसी विवाद को लेकर जनता में असन्तोष उठ खड़ा होता है, तब समाचार-पत्र जनता की भावाब्ज को सरकार तक भी पहुंचाते हैं। यदि सरकार जनता की इच्छाओं की अवहेलना करे, तो आगामी चुनावों में जनता सरकार को बदल सकती है।

क्यों न हो जाएं, जिनकी प्रतिदिन एक करोड़ प्रतिमां छपती हों ! वह समा-  
 चाहे कितनी ही दूर क्यों न हो, किन्तु यह निश्चित है कि हमारे देश में समा-  
 चार-पत्रों का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है ।

अन्य संभावित शीर्षक

## १. समाचार-पत्रों के लाभ

३६

## सिनेमा

सिनेमा आज के युग का सबसे अधिक लोकप्रिय और सबसे सस्ता मनोरंजन है । धनी और गरीब, सभी लोग इससे अपना मन बहलाते हैं । देश का चाप-  
 ही कोई ऐसा शहर होगा, जिसमें एक या एक से अधिक सिनेमा न हों ।

रेल, तार, टेलीफोन, रेडियो आदि आविष्कार भारत में इतनी जल्दी लोक-  
 प्रिय नहीं हुए, जितनी जल्दी सिनेमा । भारत में पहली फिल्म 'हरिश्चन्द्र' सन्  
 १९१३ में बनी थी । उस समय मूक फिल्में ही बनती थीं । बोलती फिल्मों का  
 आविष्कार लगभग पंद्रह वर्ष बाद हुआ और सबसे पहली बोलती फिल्म 'मालम-  
 मारा' १९३१ में इम्पीरियल फिल्म कम्पनी ने बम्बई में बनाई । किन्तु आज तो  
 न केवल बोलती फिल्मों, अपितु तीन डाइमेंशन वाली फिल्मों, सिनेमा-स्कोप  
 आदि की रंगीन फिल्मों के कारण सिनेमा में दुर्घट का चित्र नहीं, अपितु वह सारा  
 दृश्य ही जीता-जागता-सा प्रस्तुत कर दिया जाता है ।

सिनेमा का इतिहास कोई दस-बीस साल का इतिहास नहीं है । इसका  
 प्रारम्भ हमें हजारों साल पहले नाटकों के रूप में दिखाई पड़ता है । नाटक संसार  
 के सभी देशों में पसंद किए जाते थे । लोग मनोरंजन के लिए नाटक देखते थे ।

और रोम में नाटक कई-कई दिन तक सारी रात-रात-भर हुआ करते थे ।  
 नाटकों द्वारा होने वाला मनोरंजन जनसाधारण के लिए इतना सुन्दर  
 आनन्द का सिनेमा ।

उन दिनों नाटक करने वाले लोगों की अपनी-अपनी मंडलियां हुआ करती थीं। एक मंडली एक समय में एक ही जगह नाटक प्रदर्शित कर सकती थी और एक प्रेक्षागार में सीमित संख्या में ही प्रेक्षक समा सकते थे। किन्तु अब सिनेमा की सहायता से एक ही नाटक सैकड़ों शहरों में प्रतिदिन दिन में कई बार प्रदर्शित किया जा सकता है।

नाटक में रगमंच की असुविधाओं के कारण और भी कई कठिनाइयां थीं। बहुत थोड़े-से दृश्य ही प्रदर्शित किए जा सकते थे; किन्तु सिनेमा में ऐसी कोई रोक नहीं है। सिनेमा के पर्दे पर पहाड़, नदियां, टकराती हुई रेलें, जलते हुए शहर और डूबते हुए जहाज भी सरलता से प्रदर्शित किए जा सकते हैं और इसके द्वारा प्रेक्षकों के नाम को नाटक की अपेक्षा कहीं अधिक उत्तेजित और आनन्दित किया जा सकता है। सिनेमा नाटक की अपेक्षा वास्तविकता के अधिक निकट है।

नाटकों के युग में सब नाटक-मंडलियों के सब अभिनेता अच्छे नहीं होते थे। किन्तु सिनेमा में फिल्म बनाते समय काफी धनराशि व्यय करके अच्छे से अच्छे अभिनेता और संगीतकार प्राप्त किए जा सकते हैं और उनकी कला का आनन्द सारे देश या कहना चाहिए सारे संसार को जनता ले सकती है। वस्तुतः सिनेमा ने नाटकों को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है।

नाटकों और सिनेमा में काफी समानता होने पर भी दोनों में अन्तर भी बहुत है। नाटकों का क्षेत्र सिनेमा की अपेक्षा बहुत सीमित था। वे केवल मनोरंजन के लिए या कुछ उपदेश या नीति की शिक्षा देने के लिए खेले जाते थे; किन्तु आज-कल सिनेमा की फिल्में जहां एक ओर मनोरंजन के लिए तैयार की जाती हैं, वहां दूसरी ओर ज्ञानवर्धन के लिए भी उनका निर्माण किया जाता है। अनेक फिल्मों में विभिन्न प्रदेशों के भौगोलिक दृश्यों और सामाजिक जीवन के चित्र होते हैं, जिससे उन फिल्मों को देखकर हम बिना उन देशों में गए भी उनके सम्बन्ध में जानकारी पा सकते हैं। अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं की फिल्में तैयार की जाती हैं; जैसे इंग्लैंड की रानी के राज्याभिषेक का समारोह या नेहरू की स्व-यात्रा या गांधीजी की प्रार्थना-सभाएं। इन फिल्मों द्वारा जो लोग घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे, वे भी उन घटनाओं को अपनी भांखों के सामने होता हुआ देख सकते हैं।

जो घर भी बहुत कम ही गया है, बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा।

समाज-सुधार के क्षेत्र में सिनेमा ने काफी उपयोगी कार्य किया है और इन क्षेत्र में आगे भी बहुत गुंजाइश है। बेमेल विचारों को रोचने, दृष्ट-श्रया को मनात करने, लुपाप्त को हटाने में इनके फिल्मों ने सहायता की। इस प्रकार की और भी नई-नई समस्याएं समाज के सामने आनी रहेंगी। उनके समाधान के लिए फिल्म-निर्माता उपयोगी सहायता दे सकते हैं।

कुछ फिल्में आधुनी ढंग की भी बनाई जाती हैं, जिनमें मार-थाड़, माहन के दुर्यों और मूम-बूम का प्रदर्शन रहता है। नई तीन आइनेशन वाली प्रकृति ने इन फिल्मों की रोमांचकता और भी अधिक बढ़ गई है। एक विचित्र धानु के मुक्क इन फिल्मों को बड़े बाव से देखने हैं। यदि ये फिल्में युवकों को अपराध की दिशा में प्रेरित न करे, तो इनमें कोई दोष नहीं है। अपराध की प्रेरणा को इस प्रकार रोका जा सकता है कि ऐसी सब फिल्मों में अन्त में पुतिष और न्याय की विजय और अपराधियों की पराजय प्रदर्शित की जाए।

फिल्म-निर्माण की दृष्टि से संसार में भारत का स्थान दूसरे नम्बर पर है। सबसे अधिक फिल्में अमेरिका में तैयार होती हैं और दूसरे नम्बर पर भारत में। परन्तु कला और शिल्प की दृष्टि से भारतीय फिल्मों का स्तर अन्य अनेक देशों से घटिया है। न केवल विदेशी फिल्मों की फोटोग्राफी अच्छी होती है, अपितु उनकी कथा, उनका अभिनय और उनका निदेशन भी उत्कृष्ट होता है।

भारत में इसकी बड़ी संख्या में फिल्में तैयार होने के बाद विदेशी फिल्मों का देश में बड़े पैमाने पर आघात उचित नहीं समझा जा सकता। विदेशी फिल्मों में नग्नता और घुम्बन-मालिगन के दृश्य बहुत होते हैं। विदेशों की नैतिकता के स्तर से उनमें कोई दोष न हो, किन्तु भारतीय जीवन की दृष्टि से ये फिल्में अस्वीकार्य कही जा सकती हैं। यह बात सब और भी स्पष्ट हो जाती है, जब हम इन तथ्य पर दृष्टि डालते हैं कि अंग्रेजी फिल्में देखने वालों में ऐसे लोग गिने-चुने ही होते हैं, जो फिल्मों की अंग्रेजी को समझकर उसका आनन्द ले सकें। अधिकांश दर्शक केवल नाम श्रुंगार को देखने के लिए ही उन्हें देखते हैं।

विदेशों से आने वाली बहुत-सी फिल्में अंग्रेजी को अपराध करने की प्रेरणा

ती हैं। भारत में ऐसी फिल्मों का प्रदर्शन कानून द्वारा निषिद्ध है। उस कानून का प्रयोग कठोरतापूर्वक किया जाना चाहिए।

अभी तक सिनेमा ने भारत में सेवा कम और व्यसेवा अधिक की है। स्वाधीनता मिलने के बाद भी फिल्म-निर्माताओं की प्रवृत्ति में कोई सराहनीय परिवर्तन नहीं दोख पड़ा। किन्तु धारा करनी चाहिए कि अब वे लोग देश के प्रति अपने दायित्व को पहचानेंगे और अपनी शक्ति और साधनों का प्रयोग देश के सर्वांगीण कल्याण के लिए ही करेंगे। सिनेमा को देश के नवनिर्माण में अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग लेना है।

अन्य संभावित शीर्षक

१. चित्रपट
२. चित्रपट के लाभ और हानियां

## रेडियो

बोसनी वातावरण में एक से एक बढ़कर वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं। इस एनाली के बिलकुल प्रारम्भ में ही अर्थात् १९०१ में रेडियो का आविष्कार हुआ, जो उस समय महान, आश्चर्यजनक आविष्कार समझा गया। भले ही आज रेडियो लोगों के लिए इतना अधिक परिचित हो गया है कि लोगों को उसमें कोई नवीनता या अमरकार प्रतीत नहीं होता, किन्तु यदि धरा-सा ध्यान से देखा जाए और रेडियो के विविध उपयोगों पर दृष्टिपात किया जाए, तो ऐसा अनुभव होने लगता है कि रेडियो वायु से किसी प्रकार कम नहीं है।

पहले सम्वाद तार द्वारा भेजे जाते थे। तार से से बिजली गुजरती थी। बिजली की शक्ति १८६,००० मील प्रति सेकंड है। बिजली के इस वेग के कारण ही तार द्वारा सम्वाद हजारों मील दूर कुछ सेकंडों में ही पहुंच जाते थे। परन्तु

हजारों मील दूर तक तार लगाना और उसको ठीक अवस्था में बनाए रखना बड़ा कठिनाई का काम नहीं था। प्रांथी-सूफान के कारण धक्का शरारती लोगों के उपद्रवों के कारण तार टूट जाते थे या कट जाते थे और उस दशा में तार द्वारा सम्वाद भेज पाना सम्भव नहीं होता था। विज्ञानवेत्ताओं के मन में यह बात आई कि कोई ऐसा उपाय भी होना चाहिए, जिसके द्वारा तार के बिना भी विद्युत् की तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सके। इस सम्बन्ध में बंगाल के डा० जगदीशचन्द्र बसु और इटली के मार्कोनी ने अनेक परीक्षण किए। जगदीशचन्द्र बसु ने १८५६ में बंगाल के गवर्नर की उपस्थिति में रेडियो-तरंगों द्वारा एक पटाखा छोड़कर और घण्टी बजाकर दिखाई। इन दोनों परीक्षणों में बिजली की तरंगों बिना तार के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी गई थीं। परन्तु रेडियो के बाकायदा आविष्कार का श्रेय मार्कोनी को दिया जाता है। १९०१ में उसने इंग्लैंड से न्यूजीलैंड तक रेडियो द्वारा समाचार भेजकर अपने आविष्कार की शक्ति सारे ससार में जमा दी।

रेडियो के आविष्कार से कई नई सुविधाएं भी मिल गईं। पहले समुद्री जहाजों और विमानों के पास सम्वाद नहीं भेजे जा पाते थे। समुद्री जहाजों को यदि कोई सन्देश बन्दरगाह पर भेजना होता था, तो वे समुद्र में बिछे हुए तारों का उपयोग करते थे। ये तार समुद्र की तली में बिछे हुए थे। बीच-बीच में जहां-तहां पानी में सब और से बन्द डोल तैरा दिए जाते थे, जिनका सम्बन्ध नीचे के तारों से होता था। जहाज इन डोलों के पास पहुंचकर केबिल द्वारा बन्दरगाह तक सम्वाद भेज देते थे। परन्तु यदि जहाज एकाएक डूबने लगे या तनपर किसी जन्तु-जहाज का आक्रमण हो जाए और वह केबिल की साइन के पास तक न पहुंच पाए, तो वह सम्वाद नहीं भेज सकता था। परन्तु रेडियो के आविष्कार के बाद सब जहाजों और सब विमानों में रेडियो-यन्त्र लगा दिए गए हैं, जिससे वे स्थान के साथ घटना सम्पर्क निरन्तर बनाए रहते हैं। न केवल स्थल के साथ, बल्कि समुद्र में चलते हुए अन्य जहाजों के साथ भी सम्पर्क बनाए रहते हैं। इससे अब संकट-काल में विमानों और जहाजों को सहायता भेजी जा सकती है।

यद्यपि शुरू में रेडियो का आविष्कार सम्वाद-श्रेयण के लिए ही हुआ था,

परन्तु धीरे-धीरे इसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जाने लगा। लगभग सभी देशों में रेडियो-प्रसारण-केन्द्र बन गए हैं, और उन केन्द्रों से मधुर संगीत, रोचक नाटक इत्यादि के कार्यक्रम और समाचार प्रसारित किए जाते हैं। रेडियो द्वारा मनमाना प्रचार भी किया जा सकता है। रोचक कार्यक्रम इसलिए प्रसारित किए जाते हैं कि उनके श्रोत में लोग रेडियो घपने घर में रखें और समय-समय परकारी प्रचार की बातें सुन भी सकें।

मुद्र-काल में रेडियो का महत्व और भी अधिक बढ़ गया था। न केवल प्रचार की दृष्टि से मित्रराष्ट्र और धुरी-राष्ट्र एक-दूसरे को भीषा दिखाने का प्रयत्न करते थे, अपितु समाजों में परस्पर सम्वाद भेजने के लिए भी रेडियो का उपयोग किया जाता था। रात्र के सुप्तचर घपने छोटे-छोटे प्रसारक यन्त्रों से महत्वपूर्ण समाचार घपने देशों को भेज देते थे। पत्रदुश्चियों, जहाजों और बम-वर्षक विमानों को घपने सुन्पासकों से आदेश रेडियो पर ही मिल जाने थे और जो कुछ जानकारी वे सुन्पासक को भेजना चाहते थे, वह भी रेडियो द्वारा भेजी जाती थी।

मुद्र की समाप्ति के दिनों में जर्मनी ने रेडियो द्वारा नियमित उडनबम तैयार किए थे। ये उडनबम बी-१ और बी-२ नाम के राकेट थे, जिनकी गति ३०० या ४०० मील तक थी। ये रेडियो द्वारा नियमित रहने से और रेडियो द्वारा ही इनकी दिशा भी मोड़ी जा सकती थी। द्वितीय विश्व-मुद्र समाप्त हो जाने के बाद इन राकेटों में बहुत अधिक सुधार हुआ है और रूस और अमेरिका ने रेडियो द्वारा नियमित ऐसे प्रक्षेपणार्थ तैयार किए हैं, जो हजारों मील दूर जाकर घपने ठीक स्थान पर चोट कर सकते हैं। रूस और अमेरिका ने जो भूमि के चारों ओर घपने बाँध लक्ष्मी उपग्रह छोड़े हैं, उनमें भी रेडियो-नियंत्रण का बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। जिन राकेटों द्वारा ये उपग्रह भे जाए गए थे, उनकी दिशा का नियंत्रण रेडियो-तरंगों द्वारा किया जाता था।

रेडियो ईश्वर की तरंगों के कारण घपना कार्य करता है। ईश्वर एक सूक्ष्म कणार्थ है, जो सारे विश्व-ब्रह्मांड में भरा हुआ है। जिन्यु जगत् में घरी हुई हवा की कण्डि वह हमें दिखाई नहीं पड़ता और न हम उसे अनुभव कर पाते हैं। बिजली द्वारा ईश्वर में तरंगें उठती जा सकती हैं। जब ऐसी तरंगें उठती जाती हैं, तो वे



सारे संसार में फैल जाती हैं और संसार के किसी भी भाग में रेडियो-ध्वनि-वाह यन्त्र द्वारा उन तरंगों को ग्रहण किया जा सकता है। रेडियो-ध्वनि-प्रसारक क बिजली द्वारा ईथर में तरंगों उत्पन्न करते हैं और संसार के किसी भी भाग में रां हुए रेडियो-ध्वनि-ग्राहक यन्त्र उन तरंगों को ग्रहण कर सकते हैं। इन्हींलिए ह दिल्ली में बंटे हुए मास्को, सन्दन और न्यूयार्क के रेडियो स्टेशनों के शानंनम सु सकते हैं।

रेडियो को इन तरंगों का एक महत्वपूर्ण उपयोग रडार के रूप में किया जाता है। रडार यन्त्र का आविष्कार द्वितीय महायुद्ध के दिनों में हुआ था। रडार यन्त्र की सहायता से हम भाँखों से न दीख पड़ने वाली संकड़ों मोल दूर की वस्तु का भी पता लगा सकते हैं, उनकी दूरी और दिशा जान सकते हैं। युद्ध में रडार का उपयोग समु के विमानों की दिशा और दूरी जानने के लिए किया जाता था। रडार यन्त्र रेडियो-तरंगों द्वारा ही कार्य करता है।

रेडियो ने हमारे दैनिक जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन कर दिया है। पहले साधारण नागरिक के पास मनोरंजन का एकमात्र साधन सिनेमा ही था ; किन्तु अब रेडियो द्वारा एक और नया साधन प्राप्त हो गया है, जो सिनेमा से भी शरता है। रेडियो द्वारा हम घर बैठे धाराम से अध्ये से अध्ये संगीतकारों का संगीत, कवि-सम्मेलन, नाटक इत्यादि सुन सकते हैं।

रेडियो ने बस मनोरंजन का साधन नहीं, भविष्य ज्ञानवर्धन का भी बड़ा साधन है। समाज में घटने वाली सब महत्वपूर्ण घटनाओं के समाचार रेडियो पर निय दिन में कई बार सुनाए जाते हैं। रेडियो ने समाचार-पत्रों को बहुत कुछ अल्प-शक्ति-सा कर दिया है, क्योंकि रेडियो पर समाचार सुन लेने के बाद समाचार-पत्र पढ़ने की इच्छा केवल उन्हीं लोगों को रहती है, जो हर एक घटना को पूरी विस्तार के साथ पढ़ना चाहते हैं।

इनका ही नहीं, लगभग सभी क्षेत्रों की दक्षि और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनके काम की बानें रेडियो पर बनाई जाती हैं। व्यापारियों के लिए बाजार मात्र, किसानों के लिए मौसम के हाल, विद्यार्थियों के लिए बरने कान-बन्ने, और बच्चों के लिए अलग-अलग कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इनके अतिरिक्त

महत्त्वपूर्ण विषयों पर योग्य विद्वानों की वार्ताएं प्रसारित की जाती हैं, जिनसे सभी लोग लाभ उठा सकते हैं। जिन लोगों को पुस्तक पढ़ना भार मालूम होता है, उनके लिए रेडियो ज्ञानवर्धन का बहुत ही सुगम उपाय है।

भारत में १९२७ में रेडियो स्टेशन बनाया गया था। भारत में रेडियो विभाग सरकार के अपने हाथ में है और ध्वनिगत तौर पर लोगों को ध्वनि-प्रसारण की सुविधा या अधिकार नहीं है। इस समय देश में दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ, नागपुर इत्यादि २५ ध्वनि-प्रसारण-केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन सबका नियंत्रण दिल्ली के आकाशवाणी कार्यालय से होता है।

रेडियो का अभी हमारे देश में उतना प्रचार नहीं हुआ, जितना कि होना चाहिए, या हो सकता है। इसका कारण यह है कि रेडियो-यंत्र मंहंगे हैं और साइ-सेम शुल्क भी अधिक है। ज्यों-ज्यों देश की समृद्धि बढ़ेगी, त्यों-त्यों लोग अधिकाधिक संख्या में रेडियो खरीदेंगे। आजकल सरकार गावों में भी रेडियो-यन्त्र रखवाने की व्यवस्था करवा रही है। यदि प्रत्येक गाव में एक भी रेडियो हो, तो उससे सब ग्रामवासी ताजे समाचार सुन सकते हैं और अन्य ज्ञान की बातें जान सकते हैं।

अभी तक रेडियो पर केवल आवाज सुनाई पड़ती थी, किन्तु बोलने वाले व्यक्तियों की आकृति दिखाई नहीं पड़ती थी। किन्तु अब टेलीवीजन के रूप में रेडियो में एक और प्रगति की है। टेलीवीजन में न केवल आवाज सुनाई पड़ती है, अपितु बोलने वालों या अभिनय करने वालों का चित्र भी दिखाई पड़ता है। टेलीवीजन का प्रयोग भारत में शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाला है। टेलीवीजन से लोग घर बैठे सिनेमा का आनन्द ले सकेंगे तथा ज्ञानवर्धन के लिए भी अनेक शिक्षात्मक कार्यक्रम टेलीवीजन पर प्रसारित किए जा सकेंगे।

दासता के दो सौ वर्षों में हमारी संस्कृति बहुत कुछ धुंधली और लुप्त-सी हो गई थी। लोगों को भद्र-वस्त्र जुटाना ही कठिन था, कला और संस्कृति की ओर किनका ध्यान जाता? किन्तु स्वाधीनता के बाद देश की समृद्धि बढ़ने के साथ-साथ लोगों में कला की रुचि बढ़ रही है। इस रुचि को सवारने-सुधारने में रंग-मंचों और चित्रपटों के साथ-साथ रेडियो भी बहुत महत्त्वपूर्ण भाग ले रहा है। शिक्षण के माध्यम की दृष्टि से और एक नई संस्कृति के विकास की दृष्टि से नवीन भारत

के निर्माण में रेडियो का महत्वपूर्ण योग रहेगा।

## परमाणु-शक्ति

जिस प्रकार अत्यन्त प्राचीन काल में मनुष्य ने पत्थर के औजारों का भी फिर लोहे का आविष्कार किया था और उनके कारण उन कालों को 'पाषाण युग' और 'लोह युग' नाम दिया गया, उसी प्रकार नवीनतम आविष्कारों के कारण आज के युग को 'परमाणु युग' का नाम दिया जा सकता है। पिछली कई छत शतकों से मानव-जाति के सम्मुख ऊर्जा प्राप्त करने की समस्या थी। अब तक ऊर्जा मुख्य रूप से पत्थर के कोयले से, लकड़ी के ईंधन से, मिट्टी के तेल से और जल-प्रपातों से बिजली उत्पन्न करके प्रदान की जा रही थी। किन्तु विज्ञानवेत्ताओं के सम्मुख यह समस्या मूढ़ बाए लड़ी थी कि एक न एक दिन ऊर्जा के ये स्रोत समाप्त हो जाएंगे; उस समय मनुष्य को अपने कल-कारखानों के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? किन्तु परमाणु-युग ने इस समस्या का हल कर दिया है।

अब से लगभग पचास वर्ष पूर्व महान विज्ञानवेत्ता आइन्स्टीन ने यह बात लोगों के सामने रखी थी कि पदार्थ की ऊर्जा में और ऊर्जा की पदार्थ में बदला जा सकता है। उसने यह भी बतला दिया था कि यदि हम किसी प्रकार पदार्थ की बहुत थोड़ी-सी मात्रा को भी ऊर्जा के रूप में बदल सकें, तो उससे ऊर्जा की बहुत बड़ी मात्रा उत्पन्न हो जाएगी।

यह तो जब हम लकड़ी को जलाकर गर्मी उत्पन्न करते हैं, तब भी पदार्थ का कुछ अंश ऊर्जा के रूप में बदलता है। परन्तु आइन्स्टीन ने बताया कि इसमें पदार्थ के परमाणु ज्यों के त्यों रहते हैं; उनकी रचना में कोई अन्तर नहीं पड़ता। किन्तु यदि किसी प्रकार इन परमाणुओं को भी तोड़-फोड़कर ऊर्जा के रूप में बदला जा सके, तो उससे इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसकी कल्पना करना भी सरल नहीं है।

वर्षों तक इस सम्बन्ध में परीक्षण होते रहे। दूसरे विश्वयुद्ध के समय जर्मन विज्ञानवेत्ता परमाणु बम बनाने में जुटे हुए थे, किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। जर्मनी पहले ही हार गया और उन्हीं जर्मन विज्ञानवेत्ताओं की सहायता से अमेरिका ने परमाणु बम का निर्माण किया। १९४५ के अगस्त मास में ६ तारीख को जापान के हीरोशिमा नगर पर पहला परमाणु बम गिराया गया। इस एक ही बम से तीन लाख की आबादी का यह विशाल नगर पूरी तरह नष्ट-भ्रष्ट हो गया। तीन दिन बाद एक और परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया और इसका भी हीरोशिमा वाला ही हाल हुआ।

परमाणु बम का विस्फोट उससे पहले के अन्य विस्फोटों की तुलना में कई हजार गुना अधिक है। पहले टी० एन० टी० की सबसे बड़ा विस्फोटक समझा जाता था और भयानक बमों में इसीका प्रयोग किया जाता था। एक मौस यूरै-नियम वाले परमाणु बम से जितना भयानक विस्फोट होता है, उतना विस्फोट करने के लिए अट्ठाईस हजार टन टी० एन० टी० की आवश्यकता होगी। जब पहले-पहल परमाणु बम का परीक्षण किया गया था, तो उसका पमाका सैकड़ों मील दूर तक सुनाई दिया था और उसकी घमक इतनी तेज थी कि देखने वाले कुछ लोग अन्धे हो गए थे। विस्फोट से इतनी अधिक गर्मी उत्पन्न हुई थी कि मीलों दूर तक मिट्टी ऐसी लाल हो उठी, मानो लुहार की भट्टी में तपाई गई हो।

परमाणु बम का रहस्य यह है कि इसमें भारी तत्वों के परमाणुओं को इस प्रकार फाड़ा जाता है कि वे ऊर्जा के रूप में बदल जाएं। परमाणु के तीन अंग होते हैं। एक तो केन्द्र का भाग, जिसमें कुछ प्रोटोन होते हैं; दूसरा बाहरी खोल, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटोनों के चारों ओर तेजी से चक्कर लगाते रहते हैं। किसी भी परमाणु में बाहर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ठीक उतनी होती है, जितनी केन्द्र में अर्थात् नाभिक में प्रोटोनों की होती है। प्रोटोनों में धन विद्युत् होती है और इलेक्ट्रॉनों में ऋण विद्युत् होती है, जिसके कारण वे एक-दूसरे को अपनी ओर खींचे रहते हैं। एक तीसरे प्रकार के कण न्यूट्रॉन कहलाते हैं। ये प्रोटोनों के साथ परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं। इनमें धन या ऋण विद्युत् नहीं होती; इस दृष्टि से ये उदासीन होते हैं।

सन्धे समय तक परीक्षण करने के बाद विज्ञानवेत्ताओं ने यह पता चल कि यूरेनियम २३५ के परमाणु को अन्य किसी भी परमाणु की अपेक्षा सरलता से तोड़ा जा सकता है। इसके लिए उन्होंने इस परमाणु के नाभियूट्रोन द्वार खोद की। उससे यूरेनियम का परमाणु फटा। उसके फटने पर से कुछ नये यूट्रोन भी छिटककर बाहर निकले। ये यूट्रोन यूरेनियम के परमाणुओं से टकराए, जिससे वे परमाणु भी फट गए और उनमें से कि यूट्रोन निकले। इस प्रकार परमाणुओं के फटने और नये यूट्रोनों के निकल यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि एक सैकड़ में ही करोड़ों-दरबों पर फट पड़ते हैं, और उनसे आश्चर्यजनक अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है।

कुछ दिन तक सारी दुनिया पर परमाणु बम का आतंक छाया रहा। समय तक परमाणु बम का रहस्य केवल अमेरिका को ही ज्ञात था। परन्तु शीघ्र ही रूस ने भी वह रहस्य जान लिया और रूस में भी परमाणु बम लिए गए। दोनों में इस सम्बन्ध में नई खोज की होड़-सी लग गई। बहुत शीघ्र हाइड्रोजन बम भी तैयार कर लिया गया, जिसका विस्फोट परमाणु बम अपेक्षा सौ गुना अधिक भयंकर था। परमाणु बम से तो भारी परमाणु को फंकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है, किन्तु हाइड्रोजन बम में छोटे परमाणुओं को धा में जोड़कर एक बड़ा परमाणु बनाया जाता है और उस प्रक्रिया में और अधिक ऊर्जा मुक्त हो जाती है।

बमों के रूप में परमाणु अस्त्रों का प्रयोग बहुत भयंकर और अमानुषिक। न केवल बम के विस्फोट से हजारों-लाखों निरिह और निरतराश लोग मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं, अपितु पशु-पक्षी तक भी अकारण क्षति का शिकार होते हैं। फिर भी परमाणु बम के विचार होकर जो व्यक्ति मुरात मर जाने के सपने घूट जाते हैं; क्योंकि जो लोग केवल घायल होकर जीवित बच जाते। उनका जीवन बड़ा कष्टमय होता है। जिन लोगों पर अणु-बम से कोई प्रभाव नहीं भी हुआ होगा, वे भी रेडियो-राशिय बमों के स्वर्ण के कारण अमानुषिक रूप से घायल हो जाते हैं। किसी भी परमाणु बम के विस्फोट के बाद उसकी रेडियो

...मनार में बँस जाती है और इन विषय में सभी विज्ञानवेत्ता एक

त है कि यह रेडियो-सक्रियता प्राणी-मात्र के लिए अत्यधिक हानिकारक वस्तु । इसीलिए संसार के प्रायः सभी विचारकों और विज्ञानवेत्ताओं ने यह मांग की है कि परमाणु अस्त्रों के परीक्षणों पर रोक लगाई जाए । कहीं ऐसा न हो कि न परीक्षणों ही परीक्षणों में पृथ्वी पर इतनी रेडियो-सक्रियता बढ़ जाए कि सबसे मनुष्य-जाति का मूलोच्छेद ही हो जाए ।

इस समय संसार में परमाणु ऊर्जा चार देशों के पास है—रूस, अमेरिका, स्टैन और फ्रांस । परमाणु दस्त्र जितने अधिक राष्ट्रों के पास होते जाएंगे उतना ही यह खतरा बढ़ जाएगा कि कोई अविवेकी राष्ट्र युद्ध प्रारम्भ कर दे, जिसमें परमाणु दस्त्रों का प्रयोग किया जाए । इस विषय में लगभग सभी एकमत हैं कि यदि परमाणु दस्त्रों द्वारा कोई युद्ध लड़ा गया, तो उसमें जीतने वाले और हारने वाले दोनों ही समान रूप से नष्ट हो जाएंगे ; और अधिक सम्भावना यही है कि न केवल मानव-सभ्यता, अपितु मानव-जाति ही नष्ट हो जाएगी । इसलिए 'जीवादी और साम्यवादी गुटों में आपस में ऐसा कोई समझौता कर लेने का प्रयास बहुत दिनों से चल रहा है, जिससे इस प्रकार के आत्मविनाशकारी युद्ध का खतरा स्थायी रूप से दल जाए । किन्तु अभी इस दिशा में कुछ सफलता प्राप्त नहीं हुई है ।

यह ठीक है कि परमाणु-शक्ति का उपयोग विनाशकारी कार्यों के लिए ही किया गया है, किन्तु अपने-आपमें यह शक्ति विनाशकारी ही हो, ऐसी कोई बात नहीं है । अपितु इसके ठीक विपरीत यदि इस शक्ति का उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिए किया जा सके तो यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हो सकती है । परमाणु-शक्ति द्वारा बहुत कम व्यय से पानी के जहाज और पनडुब्बियां चलाई जा सकती हैं । ऐसे बिजली के कारखाने तैयार किए गए हैं, जिनमें परमाणु के विस्फोट से बहुत बड़ी मात्रा में सस्ती बिजली उत्पन्न की जा रही है । इसके अतिरिक्त परमाणु के विस्फोट से नये-नये आइसोटोप तैयार किए गए हैं, जिनका उपयोग रोगों की चिकित्सा के लिए, छेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उद्योगों और व्यवसायों की पुरानी प्रणालियों में सुधार करने के लिए किया जा रहा है । अभी तक हाइड्रोजन बम को पूरी तरह वश में करके उसे रचनात्मक कार्यों के लिए उप-

योगी नहीं बनाया जा सका। किन्तु जल्दी या देर से जब भी ऐसा किया जा सके तब मनुष्य-जाति को ईष्यन की समस्या सदा के लिए हल हो जाएगी, क्योंकि। माणु बम में काम आने वाली यूरेनियम धातु का भंडार फिर भी बहुत कुछ सीमित है; किन्तु हाइड्रोजन का भंडार तो मोटे तौर पर असीम ही कहा जा सकता

इस प्रकार परमाणु के रूप में एक महान शक्तिवाली दैत्य हमारे सामने। यदि हम इसे किसी प्रकार अपने बश में करके मानव-जाति की सेवा में लगा लें तो वह हमारे लिए सुख के सारे साज सजाने की तैयार है; किन्तु यदि नहीं मन करके आपसी अविश्वास और सन्देह के कारण हम उसे विनाश के लिए प्रोत्साहित कर दें, तो उसे सारी मनुष्य-सम्पत्ता का विनाश करते चापद एक महीना भी लगेगा। अब यह संसार के प्रमुख राष्ट्रों के विवेक पर निर्भर है कि वे निर्माण के विनाश में से कौन-से मार्ग को चुनते हैं।

अब से कुछ वर्ष पूर्व तक रूस और अमेरिका में पारस्परिक तनाव बहुत उ था। किन्तु अब दोनों ही देशों ने एक-दूसरे की शक्ति को अनुभव कर लिया है और यह समझ लिया है कि ऐसा उपाय किसी भी पक्ष के पास नहीं, जिसके द्वारा दुश्मन को तो नष्ट कर दिया जाए, किन्तु स्वयं विनाश से बचा जा सके। इसलिए अब दोनों ही ओर से समझौते का कुछ सच्चा प्रयत्न होता हीस पड़ता है और यह मान्य बंधती है कि दोनों ही गुट सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेंगे और परमाणु शक्ति का उपयोग मानव-जाति के सुख और कल्याण के लिए ही किया जाएगा।

अन्य संभावित शीर्षक

१. परमाणु युग
२. परमाणु पर मनुष्य की विजय

## स्पुतनिक

विज्ञान के हर नये आविष्कार ने, जब वह पहले-पहल हुआ, तो दुनिया में तहलका मचा दिया। किन्तु कुछ समय बाद जब उससे बड़ा दूसरा आविष्कार हुआ तो पहला आविष्कार बिलकुल मामूली और फीका जान पड़ने लगा। प्रारम्भ में जब पहली रेलगाड़ी ११ मील प्रतिघंटे की चाल से चली थी, तो लोगों ने दाँतों तले अंगुली दबा ली थी। उसके बाद मोटरें चलीं, पनडुब्बियाँ बनीं, पर जब विमान घने, तो दुनिया में फिर तहलका मचा और विमान के आविष्कार को मनुष्य की वायु पर विजय कहा गया। इसी प्रकार बिजली का आविष्कार भी कुछ समय तक अमत्कार समझा जाता था। जब वैज्ञानिकों को परमाणु का विस्फोट करने और उससे ऊर्जा प्राप्त करने में सफलता मिली, तो उससे फिर एक नये युग का सूत्रपात हुआ समझा गया। परन्तु स्पुतनिक की सफलता ने परमाणु शक्ति के आविष्कार को भी फीका कर दिखाया है।

स्पुतनिक इसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है—सहयात्री, अर्थात् साथ चलने वाला। जैसे चन्द्रमा हमारी पृथ्वी की परिभ्रमा करता है, उसी प्रकार पृथ्वी की परिभ्रमा करने के लिए रुसियों ने जो पहला कृत्रिम उपग्रह आकाश में छोड़ा था, उसको उन्होंने स्पुतनिक नाम दिया, क्योंकि वह चन्द्रमा का सह-यात्री बना। रुसियों का यह पहला उपग्रह ४ अक्टूबर, १९५७ को छोड़ा गया था, जिसके कारण सारा संसार चकित हो उठा।

विज्ञानवेत्ता बहुत समय से इस सम्बन्ध में सोच कर रहे थे कि चन्द्रमा तथा दूसरे ग्रहों तक यात्रा करने का क्या उपाय ढूँढ़ा जा सकता है। पहले तो केवल कल्पना शक्ति से ही कहानियों में दूसरे ग्रहों की यात्राओं के काल्पनिक विवरण लिखा करते थे; किन्तु धीरे-धीरे विज्ञानवेत्ताओं ने इस दिशा में सोचना प्रारम्भ किया और उन्हें लगा कि ऐसी यात्रा कोई असम्भव वस्तु नहीं है। किन्तु इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की थी। पृथ्वी अपने घास-पास के सब पिण्डों को अपनी ओर खींचती है और इसीलिए सब वस्तुएं भूमि की



घोर विषकर संसार गिर पड़ती है। विमानवेत्ताओं ने हियाब स  
किंगी परार्थ को प्रति सैरिड ७ मीम की गति से फेंका जा सां  
७००-८०० मीम दूर तक बनता बना जाए, तो वह पृथ्वी के मुका  
बिचय पा सकेगा और बायग पृथ्वी पर नहीं गिरेगा।

इस सम्बन्ध में राकेटों के परीक्षण बहुत पहले से प्रारम्भ हो चुके  
बिस्वयुद्ध में जर्मनी ने बी-१ और बी-२ प्रकार के जिन राकेटों का उ  
पा, उन्हींको युद्ध के बाद रूसी विमानवेत्ताओं ने घोर विकसित किया  
में ४ अक्टूबर, १९५७ को वे पड़ना स्पुतनिक छोड़ने में सफल हुए।  
को घान १८,००० मीम प्रतिघंटा की और इसने लगभग ६०० मीम दू  
एक १८४ पौंड भार वाले छोटे-से उपग्रह को आकाश में एक ऐसे गोल  
घकेस दिया कि वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इस उपग्रह में  
ट्रांसमीटर रहे हुए थे, जो तरह-तरह की जानकारी अपने-आप पृथ्वी पर  
दे। उदाहरण के लिए वहाँ का तापमान, हवा का दबाव, पृथ्वी की चु  
दाकित का प्रभाव इत्यादि बातें उपग्रह में रहे हुए यन्त्रों द्वारा जानी जाती  
और रेडियो-ट्रांसमीटर द्वारा उनकी सूचना अपने-आप पृथ्वी पर भेज दी  
थी। इस ट्रांसमीटर के संकेत संसार के सभी देशों में सुने जा सकते थे।  
दिन तक यह उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। यह पृथ्वी  
परिक्रमा ९५ मिनट में पूरी कर लेता था। अन्त में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण श  
से सिचता हुआ यह सपन वायुमण्डल में धा गया और जिस प्रकार उल्का  
जलती हुई नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार यह भी जलकर नष्ट हो गया।

प्रथम स्पुतनिक की सफलता का आश्चर्य अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि  
३ नवम्बर, १९५७ के दिन रूस ने दूसरा उपग्रह छोड़ा, जिसका वजन आधा टन  
अर्थात् लगभग १४ मन था। इस भारी उपग्रह के छोड़ने पर संसार के प्रमुख वैज्ञा  
निक और भी अधिक शक्ति हो गए। इस उपग्रह में साइका जाति का एक  
कुत्ता भी बिठाकर भेजा गया था, जिससे यह जानकारी प्राप्त हो सके कि इसी  
ज्योम में इतनी तीव्र गति से यात्रा करने से जीवित प्राणियों पर क्या  
है। दूसरे रूसी उपग्रह से रूसी वैज्ञानिकों को इन्फ्रारेड-रेडियेशन

पहत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है ।

रूस और अमेरिका में अपनी-अपनी शक्ति बढ़ाने की होड़ लगी है । राकेटों का महत्व इसलिए और भी अधिक है, क्योंकि इनका प्रयोग युद्ध-काल में शत्रु को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है । रूस के प्रधानमन्त्री निकिता ख्रुश्चेव भी कई बार यह घोषणा कर चुके हैं कि आगामी युद्ध विशुद्ध रूप में राकेटों का युद्ध होगा और रूस के पास ऐसे राकेट विद्यमान हैं, जो संसार के किसी भी भाग तक आसानी से पहुंच सकते हैं । राकेट के क्षेत्र में अमेरिका की प्रगति रूस की अपेक्षा कुछ कम थी, इसलिए रूस के दो उपग्रह छूट चुकने के बाद अमेरिकियों ने विशेष प्रयत्न किया और उन्होंने भी कुछ छोटे-छोटे उपग्रह, जिनका वजन तीस सेठ पा, आकाश में छोड़े । १५ मई, १९५८ को रूस ने तीसरा उपग्रह डेड टन वजन का छोड़ा । उसके बाद अमेरिका एक और बड़ा उपग्रह छोड़ चुका है, जिसका वजन चार टन था । अमेरिका के इस चार टन वाले उपग्रह से रूस का दबदबा कुछ घटता प्रतीत होता था, चायद इसीलिए २ जनवरी, १९५९ को रूसियों ने एक राकेट छोड़ा, जिसके सम्बन्ध में यह कहा गया था कि यह चन्द्रमा तक पहुंचेगा । परन्तु वह राकेट चन्द्रमा से ३००० मील दूर होकर सूर्य की ओर चलता चला गया और वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला एक छोटा-सा ग्रह बन गया । पहले जो स्पुतनिक छोड़े गए थे, वे केवल पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह ही थे, किन्तु इस राकेट द्वारा रूसियों ने सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला एक ग्रह भी तैयार कर दिया । अब रूस का एक राकेट चन्द्रमा पर पहुंच चुका है ।

अभी तो स्पुतनिक युग का प्रारम्भ ही है और ज्यों-ज्यों समय बीतेगा, त्यों-त्यों इस सम्बन्ध में नई-नई खोजें होगी और अब से भी अन्धे और बड़े राकेट आकाश में छोड़े जा सकेंगे । चन्द्रमा तक पहुंचना अब पुरी तरह सम्भव समझा जाता है और विज्ञानवेत्ताओं की आशा है कि अगले १० साल के अन्दर-अन्दर मनुष्य चन्द्रमा पर पहुंच जाएगा । परन्तु सृष्टि तो चन्द्रमा पर समाप्त नहीं हो जाती । चन्द्रमा के बाद मंगल ग्रह पर पहुंचने का प्रयत्न किया जाएगा और मंगल के बाद अन्य दूसरे ग्रहों पर । प्रकृति ने मनुष्य को पृथ्वी पर ही कैद किया हुआ

था। अब उस जेल की दीवारों को तोड़कर मनुष्य दूसरे ग्रहों के भी दर्शन कर सकेगा और अपने ज्ञान को और भी अधिक बढ़ा सकेगा।

व्योम की यात्रा करने वाले इन राकेटों का निर्माण सर्वात्मा ही थी है। इसके लिए आवश्यकतम सूर्यमत्ता और दूरदर्शिता की भी आवश्यकता होती है। यदि राकेट को छोड़ते हुए उसकी दिशा में बाल जितना भी प्रयत्न किया गया, तो वह राकेट लाखों मील यात्रा कर चुकने के बाद अपने लक्ष्य से हटा मील दूर जा पड़ेगा और लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। पहले राकेटों में वि ईंधन का प्रयोग किया जाता था, वह बहुत बोझिल होता था और उसके डा इतने बड़े राकेटों की भारतास में भेज पाना सम्भव नहीं था। परन्तु अब र हल्के ईंधन का आविष्कार किया गया है, जिसके कारण इतने भारी राकेट व्योम में छोड़े जा सकते हैं। यह भी सम्भव है कि भविष्य में राकेटों को चल के लिए परमाणु-शक्ति का उपयोग किया जाए, क्योंकि परमाणु-शक्ति इस सा मनुष्य के हाथ में सबसे बड़ी शक्ति है।

अमेरिका ने इस प्रकार के अनेक राकेट छोड़ने के प्रयत्न किए और उ अनेक बार सफलता मिली। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि खराबी घटा घानी या त्रुटि के कारण राकेट अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ हो जाता। जब तक केवल भूमि के चारों ओर घूमने वाले उपग्रहों का प्रयत्न था, तब। शायद उतनी अधिक सूर्यमत्ता की आवश्यकता नहीं थी, जितनी कि अग्रमा मंगल जैसे ग्रहों तक राकेट भेजने के लिए होगी। हम सब जानते हैं कि पृ प्रति मिनट १२०० मील के वेग से व्योम में चल रही है। इसी प्रकार पृ और मंगल इत्यादि ग्रह-उपग्रह भी तीव्र वेग से व्योम में घूम रहे हैं। इस प्र चलते हुए एक पिंड से लाखों मील दूर दूसरे पिंड पर राकेट भेज पाना का) भी नहीं अधिक आवश्यक है। परन्तु विज्ञानवेत्ताओं ने गणित से सब समस्या को हल कर लिया है और जिस प्रकार वे प्रयत्न में जुटे हैं, उससे स्पष्ट है उन्हें सफलता अवश्य ही मिलेगी और मनुष्य दूसरे ग्रहों तक यात्रा करने में स होगा। स्पुतनिक युग की खरम उन्नति के दिनों में मनुष्य एक ग्रह से दूसरे तक उसी प्रकार आया-आया करेगा, जैसे आजकल विमान द्वारा एक महागिः

रे महाद्वीप में जाते हैं ।

अन्य संभावित शीर्षक

- कृत्रिम भू-उपग्रह
- व्योम-यात्रा की संभावनाएं
- राकेट युग

अभ्यास के लिए विषय

- प्रौढ़ शिक्षा
- भारतीय संस्कृति
- सैनिक शिक्षा
- अफ्रो-एशियाई सम्मेलन
- निःशस्त्रीकरण
- धर्महीन समाज की स्थापना
- पंचायत राज्य

साहित्यिक

## कला और जीवन

मन को आनन्द देने वाली रचनाएं कला कही जाती हैं । संगीत, सुन्दर चित्र या काव्य इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं । प्राचीन संस्कृत भाषायों ने बहुत सोच-विचार के बाद काव्य की परिभाषा करते हुए यह कहा कि 'रसात्मकं वाक्यं काव्यम्' अर्थात् उनके मत में काव्य के लिए केवल एक शर्त है कि वह आनन्द-दायक होना चाहिए ।

कलाकार अपनी कलाकृतियों का सुजन साहित्य-शास्त्रियों या कलापारक्षियों

द्वारा निर्धारित नियमों का ध्यान रखकर नहीं करते, अपितु प्रतिभाशाली कलाकार तो अपनी स्फुरणा के अनुसार कलाकृतियां रच डालते हैं और बाद में कलापारखी उनका विवेचन और वर्गीकरण करते रहते हैं। जो रचनाएं सहृदय लोगों को आह्लादित नहीं कर सकीं, उनको तो कला की कोर्ट में ही नहीं रखा गया; परन्तु कला समझी जाने वाली रचनाओं के भी दो बहुत स्पष्ट दोष पढ़ने वाले भेद थे। कुछ रचनाएं आनन्ददायक होने के साथ-साथ जीवन को उन्नत करने की प्रेरणा देने वाली थीं। वे व्यक्ति और समाज को दोषों को त्यागने और दुर्गति को धपनाने के लिए प्रेरित करती थीं। इसके विपरीत दूसरी ओर कुछ रचनाएं ऐसी थीं, जो आनन्ददायक तो खूब थीं, किन्तु मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाली थीं। कहा जा सकता है कि वे कलाकृतियां सुन्दर तो थीं, किन्तु निब नहीं थीं। इन दोनों प्रकार की रचनाओं में कलासौन्दर्य असंदिग्ध रूप से विद्यमान था। इसलिए यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि क्या रसात्मकता अर्थात् आनन्ददायक होना कला की सन्धी और पूरी कसौटी है? या कला को आनन्ददायक होने के साथ-साथ कल्याणकारी और मंगलमय भी होना चाहिए?

लगता है, ऐसा प्रश्न हमारे प्राचीन साहित्य-शास्त्रियों के सम्मुख भी उत्पन्न हुआ था। परन्तु उन्होंने तो काव्य का प्रयोजन बताते हुए लिखा: 'काव्यं यज्ञसे, अर्थकृते, व्यवहारविदे, शिवेतररातये, सद्यः परनिवृत्तये, बान्तासम्मिमतसोपदेशमुजे,' अर्थात् काव्य का उद्देश्य है मत्त की प्राप्ति, धन का उत्पन्न, मोक्ष-व्यवहार की शिक्षा, अमंगल का निवारण, मोक्ष की प्राप्ति और परलोक की मार्ग मधुर रीति से उपदेश देना। जहाँ अमंगल का निवारण और प्रेम तथा मपूरण के साथ उपदेश देना भी काव्य का प्रयोजन हो, वहाँ यह विवाद साफ उठ ही नहीं सकता कि केवल आनन्ददायकता कला की कसौटी रखी जाए या उसका मंगलमय होना भी आवश्यक माना जाए। क्योंकि उपदेश को भले ही इन प्रयोजनों में सबसे अंतिम स्थान दिया गया हो, परन्तु उसे स्थान दिया अवश्य गया है।

परन्तु यूरोप में यह विवाद खूब चला। यूरोप में दो प्रकार के साहित्य उत्पन्न हुए। एक विचार के लोगों का कहना था कि कला केवल कला के लिए है। उसका उद्देश्य समाज-मुषार करना नहीं है। यदि कोई कलाकृति कला की दृष्टि से उत्कृष्ट

है, तो वह अच्छी कला है, भले ही उसका व्यक्ति भीर समाज पर कितना ही दूषक प्रभाव क्यों न पड़ता हो। वाल्टर पेटर, ब्रेडले, भास्कर वाइल्ड और स्पिनगार्न आदि इसी विचारधारा के पृष्ठपोषक हैं। परन्तु इसके विरोध में रस्किन, साल्स्टाय, मैथ्यू आर्नल्ड और आई० ए० रिचर्ड्स आदि का कथन था कि केवल सौंदर्य को कला की कसौटी नहीं माना जा सकता। यदि कोई कलाकृति जीवन को उन्नत न करके उसे पतन की ओर ले जाती है, समाज को विकास की ओर न बढ़ाकर उसे प्रवृत्ति की ओर ले चलती है, तो कितनी ही सौंदर्य और आनंद से भरी होने पर भी वह उत्कृष्ट कला नहीं कही जा सकती। वैसे तो सब कलाकृतियों को जीवन के पुष्पार में सहायक होना चाहिए; परन्तु यदि वह जीवन को सुधारे न भी, तो कम से कम पतन की ओर तो न ले जाए।

यह विषाद घेर तक इसलिए चलता रह सका, क्योंकि दोनों ही पक्षों में बड़े-बड़े पुरन्दर कलाकार थे। उनके सिद्धान्त उनकी अपनी रचनाओं में प्रतिफलित होते थे। भास्कर वाइल्ड की रचनाएं 'कला को केवल कला के लिए' मानकर चली हैं। उनमें समाज-सुधार या मनुष्य में उदात्त भावनाओं को जगाने का प्रयास नहीं है; किन्तु साल्स्टाय जैसे लेखक और भादर्शवादी थे और उनकी प्रत्येक रचना किसी न किसी महान् सत्य को लेकर चली है।

'कला को कला के लिए' मानने वाले विचारकों का कथन था कि शिक्षा या उपदेश के लिए पृथक् ग्रंथ लिखे जा सकते हैं और लिखे गए हैं। शिक्षा या उपदेश के लिए उपमास पढ़ना व्यर्थ है। जिसे पेट में दर्द है, उसे डाक्टर के पास जाकर दवाई खानी चाहिए। उसका यह आग्रह करना कि चाट या पकीड़ों में ही पेट-दर्द की दवाई भी मिली रहनी चाहिए और वह दवाई न खाकर चाट और पकीड़ियां ही खाएगा, व्यर्थ का दुराग्रह है। इसी प्रकार कला का स्थान चाट का सा स्थान है, जो स्वाद और आनन्द के लिए होती है। उसका स्थान दवाई का नहीं है, जो रोग-घमन के लिए दी जाती है। समाज-सुधार का क्षेत्र कला से विलकुल अलग और दूर है। बल्कि स्पिनगार्न तो एककदम और आगे बढ़ गया। उसने कहा कि कला में सदाचार और समाज-सुधार को ढूँढ़ना तो ऐसा है, जैसे गणित में सदाचार को ढूँढ़ना। अगर कोई कहे कि त्रिभुज दुराचारपूर्ण है और चतुर्भुज सदाचारपूर्ण, तो



कला की भी परख करनी चाहिए। यदि कोई कलाकृति समाज और जीवन को थोड़ा बहुत गिरावट की ओर भी ले जाती है, तो भी हमें उसे क्षम्य समझना चाहिए। और सौंदर्य की दृष्टि से उस कलाकृति को दायोचित सम्मान देना चाहिए।

किन्तु 'कला कला के लिए' का समर्थन केवल इसी सीमा तक किया जा सकता है, हमसे आगे नहीं। प्रातिशवाची की मुक्ति अपने-आपमें सौंदर्य और उपयोगिता के बीच की सीमा को निर्धारित कर देती है। यह ठीक है कि केवल भ्रान्त के लिए प्रातिशवाची छोड़ी जाती है; किन्तु मूल से मूल व्यक्ति भी प्रातिशवाची देखने के लिए अपने घर में आग नहीं लगा देता और न ही अपना सर्वस्व प्रातिशवाची देखने के लिए नष्ट कर देता है। यह भी ठीक है कि केवल सुन्दर और सुगन्धित फूल ही पसन्द किए जाते हैं और शौकीन लोग जहाँ-तहाँ उनके पीछे भी लगा रखते हैं; परन्तु यदि लोग अपनी सारी शक्ति केवल चम्पा, चमेली और बेले के फूलों की खेती में लगा दें, तो उनका जीना ही मुश्किल हो जाएगा।

यह कहना कि कला का समाज-सुधार से कोई सम्बन्ध नहीं है, कला के महत्त्व को घटाना है और वास्तविकता से घातें मूढ़ना है। कला में मानव-हृदय को प्रभावित करने की अलौकिक शक्ति है। थोछ कलाकृतियाँ अपनी टाप पाउक के हृदय पर बहुत गहरी छोड़ जाती है। यदि कला की इस अलौकिक शक्ति का उपयोग मानव-जीवन को उन्नत बनाने के लिए किया जाए, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती और यदि इस शक्ति को असयत रूप में लुना छोड़ दिया जाए, जिससे वह समाज की हानि भी कर सके, तो समाज का भविष्य अन्धकारमय हो जाएगा।

जीवन में भ्रान्त के महत्त्व से इन्कार नहीं किया जा सकता; परन्तु भ्रान्त निरक्षर ही जीवन का सर्वस्व नहीं है; कल्याण भी भ्रान्त से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। अब समस्या यह रह जाती है कि भ्रान्त और कल्याण में से प्रेय और श्रेय में से किसे चुना जाए? जो भ्रान्त कल्याण की बलि देकर मिले वह भ्रान्त नहीं, बलिकु कष्ट है। जो व्यक्ति जानने-बुझते केवल भ्रान्त के लिए विपत्ती मिटाई जाने को तैयार हो जाए, उससे बढ़कर मूर्ख दूड़ पाना बडिन है।

संसे तो इस विवाद का समन्वय करने के लिए बडी सरलता से यह कहा जा





वाले आत्मत्यागी पुरुष हैं, तो दूसरी ओर अकारण दूसरे पर अत्याचार करने वाले ओर दूसरो को कष्ट देने वाले दुष्ट लोग भी विद्यमान हैं। किन्तु सत्य सत्य ही है; उससे इन्कार नहीं किया जा सकता। सत्य चाहे प्रिय हो या अप्रिय, उसकी ओर से आँखें मूंदने से कल्याण नहीं हो सकता।

किन्तु सारा मानव-जीवन सत्य पर ही आधारित नहीं है। हमारे जीवन में सत्य का अितना महत्त्व है, उससे कम कल्पना या स्वप्नों का नहीं है। अभावग्रस्त मानव चिरकाल से स्वप्नों और कल्पनाओं से मन को बहुलाता आया है और किसी अतीत युग की मनोरम कल्पनाएँ ही परवर्ती काल में सत्य बन उठी हैं। इसलिए सत्य पर बहुत अधिक बल देना और कल्पना-लोक की उपेक्षा कर देना भी परम कल्याण का मार्ग नहीं हो सकता। यह टीका है कि इस वास्तविक संसार में अनेक बार अधर्म की विजय होती है, किन्तु हम अपने कल्पना-अगत्य में ऐसा संसार देखना चाहते हैं, जहाँ अधर्म की विजय कभी नहीं होती, अपितु अधर्म सदा पराजित ही होता है।

जहाँ एक जगत् का प्रश्न है, यह समस्या बहुत गौण है; परन्तु साहित्य में आकर यह प्रश्न गभीर बन जाता है। साहित्य जीवन का प्रतिबिम्ब है तो क्या साहित्य में जीवन का ज्यों का त्यों नान, कुत्सित और भीमत्स चित्रण कर दिया जाना चाहिए? अधवा कलाकार को अपनी कल्पना द्वारा विश्व की कुरूपताओं को ढाँपकर एक सुन्दर और पवित्र संसार की रचना करनी चाहिए? यही दो विचारधाराएँ यथार्थवादी और आदर्शवादी विचारधाराएँ बहुलाती हैं।

प्राचीन भारतीय परम्परा में साहित्य का उद्देश्य आदर्शप्रधान रखा गया है। काव्य के प्रयोजन गिनाते हुए लोक-कल्याण भी उसका एक लक्ष्य गिनाया गया है। इसीलिए हमारे सारे प्राचीन साहित्य में निरपवाद रूप से अन्त में सत्य, न्याय, धर्म आदि सद्गुणों की विजय और पाप की पराजय दिखाई गई है। इस सम्बन्ध में साहित्य-शास्त्र में बड़े स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं कि काव्य का मायब सद्गुण-संपन्न होना चाहिए और अन्त में उसे इष्ट फल की प्राप्ति होनी ही चाहिए। भारतीय साहित्य-शास्त्र के नियमों में दुःखान्त काव्य के लिए स्थान ही नहीं है।

आदर्शवादी साहित्य अत्यन्त मनोरम बन पड़ा है। यह मनुष्य की स्वामाविक

भावनाओं के अनुकूल है। दुष्ट से दुष्ट मनुष्य भी काव्य में सत्यता की ही विवेक देसना चाहता है। भक्त पक्ष के साथ उसकी सहानुभूति नहीं हो पाती। इस लिए पुराने कवियों ने सच्चरित्र राजाओं और सुन्दर नायिकाओं को लेकर काव्य और नाटकों की रचना की है। इन नायकों और नायिकाओं के सामने अनेक विघ्न आयाएँ आती हैं, किन्तु वे उनकी परवाह न करके अपने सत्य की ओर बढ़ते हैं और अन्त में वे निश्चित रूप से सफल होते हैं। पाठकों के मन पर एक गहरा छाप इस बात को बँठ जाती है कि अच्छाई की सदा विजय होती है; इसलिए हमें भी अच्छा बनने का यत्न करना चाहिए।

भादशांवादी साहित्यकारों का यह मत है कि मनुष्य में अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत बलवती है। जो वस्तु उसके सम्मुख सुन्दर या सफल रूप में प्रस्तुत की जाती है, उसका वह अनुकरण करने लगता है। यदि वह धर्मात्मा और सच्चरित्र पुरुषों को कष्ट पाकर अन्त में सफल होते देखे, तो वह भी धर्मात्मा और सच्चरित्र बनने का प्रयास करता है। इसके विपरीत यदि वह डाकुओं और चोरों को सफल होकर सुखी जीवन बिताते देखे, तो वह भी वैसा ही जीवन बिताने के लिए कटिबद्ध हो जाता है। यह बात अनुभव से पुष्ट है। समाज-सुधारकों को शिकायत है कि भाजकल फिल्मों को देख-देखकर युवकों और किशोरों में अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसलिए कलाकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए वह जीवन के उन्ही पहलुओं का चित्रण करे, जिनसे समाज का कल्याण होने की सम्भावना हो। सत्यता को सुन्दर रूप में प्रस्तुत किया जाए और असाध्य को अपनी कल्पना द्वारा ऐसे रूप में रखा जाए कि उसके प्रति पाठकों के मन में आकर्षण न हो, अपितु विरक्ति हो। सत्य का ज्यों का त्यों वर्णन कर देना कोई कला नहीं है, अपितु उसे अपनी प्रतिभा से सजा-सवारकर प्रस्तुत करना ही सच्ची कला है।

भादशांवाद के समर्थकों की यह बात एकाएक सुनने में बड़ी मधुर और प्रभावोत्पादक जान पड़ती है। किन्तु यथाशंवादियों का कथन है कि यदि हमें सचमुच लोक-कल्याण और समाज-सुधार अभीष्ट है, तो हमें समाज के उन दोषों का स्पष्ट रूप में चित्रण करना चाहिए, जिन्हें हम समाज से हटाना चाहते हैं।

दोषों को हटाने के लिए पहला कदम यह है कि उन दोषों को देखा जाए, समझा जाए और जोरदार शब्दों में दूसरों को बताया जाए, जिससे लोग उन्हें हटाने के लिए इतिवृद्ध हो सकें। जिस समय समाज कुरीतियों और पापाचारों से भरा हुआ हो, उस समय उन दोषों के ऊपर पर्दा डालकर भादशवादी कल्पनाओं में जनता को मुलाए रखना समाज की सेवा नहीं, कुसेवा करना है। जिस समय समाज का व्यवहार नैतिकता की दृष्टि से हीनतम स्तर पर पहुंच चुका हो, उस समय उच्चतम भादशों की दुहाई देते रहना पाखंड नहीं तो क्या है? और पाखंड से कभी समाज का कल्याण नहीं हो सकता।

हमारे समाज के पतन का काफी बड़ा श्रेय हमारे भादशवादी प्राचीन साहित्यकारों को है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से भादशवाद का मुनहला जाल बुनकर उसमें जनता को भटकाए रखा और कुत्सित यथार्थ तक लोगों की दृष्टि पहुंचने ही नहीं दी। बाद में जब से समाज-सुधार का भ्रान्दोलन छिड़ा, तब से भादशवादी रचनाओं का स्थान बहुत कुछ यथार्थ रचनाओं ने ले लिया है।

सभी देशों में क्रान्तियों के इतिहास देखने से यह निष्कर्ष निकलता है कि यथार्थवादी साहित्य की रचना क्रान्ति की भूमिका होती है। जब कोई देश या समाज लम्बे समय से कुरीतियों और कुप्रथाओं से ग्रस्त रहता है और उसके फलस्वरूप होने वाले अन्याय और अत्याचार असह्य हो उठते हैं, तब कुछ प्रतिभाशाली यथार्थवादी साहित्यकार अपनी भोजस्वी लेखनी से उन दोषों की ओर संकेत करते हैं। धीरे-धीरे उन बुराइयों के विरुद्ध लोकमत तैयार होता है और अन्त में लोग उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए प्राण तक बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं। फ्रांस और रूस की क्रान्तियों में ठीक ऐसा ही हुआ। इससे स्पष्ट है कि समाज-सुधार के लिए यथार्थवाद भादशवाद की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा अस्त्र है।

किन्तु आजकल यथार्थवाद के नाम पर बहुत-सा ऐसा साहित्य लिखा जा रहा है, जो यत्नपूर्वक जीवन के केवल कुत्सित पक्ष का ही चित्रण करता है। उन रचनाओं को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सारा सत्कार एक भयानक नरक है और इसमें अच्छाई का कोई चिह्न ही शेष नहीं है। यदि यथार्थ चित्रण ही अभीष्ट हो तो संसार में जैसा कुछ सत् और असत् का मिश्रित रूप दिखाई पड़ता है,







रह जाती है। फिर भी अनुभूति की तीव्रता के कारण उस प्रस्पष्ट भाषा में से भी गाव बड़े ज्वलन्त रूप में प्रकट होकर दिखाई पड़ते हैं।

रहस्यवादी रचनाओं में कवि व साधक के मन की तीन दशाएं होती हैं। पहली दशा तो वह, जिसमें उसे अदृश्य महान सत्ता के सम्बन्ध में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यह चकित होकर यह सोचने लगता है कि इस समस्त विश्व-ब्रह्मांड का नियमन करने वाली सत्ता कौन-सी है? दूसरी दशा परमात्मा के ज्ञान की दशा है। इसमें कवि या साधक परमात्मा के स्वरूप को देख लेता है और उसको पाने के लिए या उससे मिलकर एकाकार होने के लिए प्राकुल हो उठता है। और तीसरी दशा आत्मा और परमात्मा के मिलन की दशा है। सम्बन्धी साधना के द्वारा विघ्न-बाधाओं को पार करते हुए आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। इस मिलन का आनन्द वर्णन करके नहीं बताया जा सकता।

यह है प्राचीन हिन्दी कवियों का रहस्यवाद। कबीर, जायसी और मीरा की रचनाओं में यह उपलब्ध होता है। कबीर का रहस्यवाद ज्ञान-प्रधान है। उसमें भावुकता कम और बुद्धि का भंश अधिक है। जायसी का रहस्यवाद प्रेम-प्रधान है। उनमें अनुभूति की तीव्रता कहीं अधिक है। प्रेम की पीर का जैसा मर्मस्पर्शी रूप जायसी के पद्यावत में मिलता है, वैसा साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। इसकी और भी बड़ी विशेषता यह है कि यह प्रेम लौकिक पृष्ठभूमि से उठकर धार्म्यात्मिक स्तर तक पहुंच जाता है। जायसी का रहस्यवाद हृदय को प्रभावित करता है और कबीर का बुद्धि को। मीरा के रहस्यवाद की स्थिति कुछ भिन्न है। मीरा मुख्यतः सगुण भक्त हैं। उनका प्रेम भी लौकिक प्रेम है। किन्तु उन्होंने कुछ रचनाएं निर्गुण और निराकार ब्रह्म को लेकर भी लिखी हैं। उन्हींमें रहस्यवाद प्रकट हुआ है। मीरा के सारे पद गभीर विरह-व्यथा से भरे हैं। जहां वे निराकार ब्रह्मपरक हो गए हैं, वहां उनमें रहस्यवाद का पुट धा गया है। मीरा की रचनाएं भी गहरी और वास्तविक अनुभूति से प्रेरित हैं, इसलिए उनमें भी रस की मात्रा कम नहीं है।

परन्तु हिन्दी में आधुनिक काल में जो रहस्यवाद आया, वह कबीर और जायसी की परम्परा से न आकर अंग्रेजी और बंगला से आया और वहां की नकल के रूप में आया। जब रवि दाबू को 'गीतांजलि' पर नोबल पुरस्कार देने की





इन रचनाओं के मूल्य के सम्बन्ध में गम्भीर सन्देह उत्पन्न हो जाता है।

हिन्दी के अधिकांश रहस्यवादी और छायावादी कवि भ्रतृप्त वास्तव्यों के शिकार रहे हैं। भ्रतृप्त की दशा कविता लिखने के लिए प्रोत्साहन दे सकती है, किंतु उसको आत्मा और परमात्मा का आवरण पहनाकर उसमें किसी गूढ़ार्थ की ध्वंजना दिखाने का प्रयास करना निरा फलप्रतीत होता है।

भावायं रामचन्द्र शुक्ल ने भी ऐसे रहस्यवादी कवियों को लताड़ा है, जो रहस्यवाद को पूरी तरह न समझकर केवल क्लिष्ट और अस्पष्ट भाषा में किसी गई रचनाओं को श्रेष्ठ रहस्यवादी रचना के नाम से प्रचारित कर रहे थे। यदि दुर्बल और कठिन विषय का वर्णन करते हुए सूक्ष्म अर्थ की अभिव्यक्ति करते हुए भाषा कठिन हो जाए तो वह सह्य हो सकती है। परन्तु यदि बिना किसी भाव के ही क्लिष्ट और जटिल भाषा लिखकर पाठकों पर रोब जमाने का प्रयास किया जाए, तो वह दुस्साहस दम्प नहीं होना चाहिए।

किसी समय हिन्दी में रहस्यवाद का बोलबाला था; परन्तु अब नये-नये कवियों के साहित्य-क्षेत्र में आने और नई शैलियों और नये विषयों पर सुबोध और सरस कविता लिखी जाने के बाद रहस्यवादी रचनाएं प्रभाव-शारिकाओं की भाँति आकाश से मोक्त हो चुकी हैं।

## प्रगतिवाद

५. प्रगतिवाद के अंतर्गत हिन्दी साहित्य में एक विशेष प्रकार की रचनाएं पायी हैं। ये रचनाएं साम्यवाद के समर्पण में लिखी गई रचनाएं हैं। प्रगतिवाद का प्रगति से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी विचारधारा को नई, प्रगतिशील और अच्छी कहना चाहता है। इसीलिए प्रगतिवादी लेखक अपने-आपको प्रगतिशील लेखक कहते हैं।



भी किया। ब्राजकुल के युग में कबीरदास को अधिक महत्त्व महात्मा गांधी के कारण ही प्राप्त हुआ है।

कबीरदास के जन्म और बंस के संबंध में अनेक मत हैं। किंतु चाहे उनमें से त्रिसे सत्य माना जाए, सामाजिक दृष्टि से उनका जन्म निम्न समझे जाने वाले वर्ग में ही हुआ था। चाहे वे विधवा ब्राह्मणी की भ्रंश सन्तान रहे हों और चाहे नीरू नामक जुलाहे के बंध पुत्र रहे हों, तत्कालीन समाज की दृष्टि में उनका स्थान हीन ही था। उनके लिए उन्नति कर पाने का अवसर नहीं के बराबर था। फिर भी अपनी प्रबल विद्रोहात्मक प्रवृत्ति के कारण कबीर न केवल स्वयं आश्चर्यजनक उन्नति कर पाए, अपितु उन्होंने समाज की कुरीतियों पर भीषण चोट की और वे समाज के ढाँचे को भी काफी हद तक बदल पाने में सफल हुए।

कबीर को नियमानुसार विद्यालय की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। अक्षरज्ञान उन्हें नहीं था; परन्तु साधु-सन्तों और विद्वानों की संगति में बैठकर सुना उन्होंने काफी था और इतनी प्रतिभा भी उनमें थी कि बहुत-सी सुनी हुई बातों में कुछ अपनी बात जोड़कर नई बात बना सकें। इसलिए शीघ्र ही उनकी बातों को सुनने वाले लोगों की भी कमी न रही।

कबीरदास स्वभाव से ही अभिमानी और विद्रोही थे। समाज में दलित और लाञ्छित रहकर जीवन बिताते जाना उन्हें सह्य नहीं था। किन्तु हिन्दू और मुसल-मान दोनों ही समाजों में कबीर को भागे बढ़ने का मार्ग नहीं था। इसलिए कबीर-दास ने इन दोनों को ही धत्ता बताकर अपना एक नया पथ चलाने का प्रयत्न किया। कबीरदास अनपढ़ थे। अनपढ़ होने से अनेक हानियाँ हैं, किन्तु एक बड़ा लाभ यह भी है कि अनपढ़ जनता अनपढ़ आदमी से जितनी प्रभावित होती है, उतनी पढ़े-लिखे से नहीं। अनपढ़ नेता अनपढ़ जनता को बहुत कुछ अपना और निकट का प्रतीत होता है। इसलिए अशिक्षित जनता शीघ्र ही कबीरदास को और आकृष्ट होने लगी।

उन दिनों निगुरे सन्तों की पूछ कम होती थी और कबीरदास किसी भी दृष्टि से कच्चे गुरु नहीं रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रामानन्द को लगभग खबर-दस्ती ही अपना गुरु बना लिया। कहा जाता है कि रामानन्द कबीर को अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे। कोई और उपाय न देखकर कबीर प्रातःकाल अंधेरे



घोर वे हिन्दू घोर मुसलमान दोनों को उसी सम्प्रदाय में लाकर एक करना चाहते थे। दोनों में परस्पर सद्भावना बढ़ाने की घोर उनका विशेष प्रयत्न न था। उनके मन में न हिन्दुत्व के प्रति आदर था, न इस्लाम के प्रति। उन्होंने यथा-सम्भव सभी जगह दोनों ही धर्मों की सिस्ली उड़ाई है।

कबीरदास की जो सिद्धान्त जहां भी अच्छा दीसा, वहीं से उन्होंने उसे लेकर अपना लिया। इस्लाम से उन्होंने एकेश्वरवाद लिया; वेदान्त से उन्होंने जीव और ब्रह्म की एकता तथा मायावाद लिया; सूफियों से प्रेम-प्रधान साधना और वैष्णवों से जीव-दया और भक्ति ली; और इस तरह बहुत-से सिद्धान्तों का अच्छा खासा भानमती का पिटारा इकट्ठा कर लिया। इसीको उनके प्रशंसकों ने 'समन्वय' कहा है। परन्तु इसे सही धर्मों में समन्वय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस प्रकार धलंग-धलंग से इकट्ठे किए हुए सिद्धान्तों की कबीर सब जगह पूरी संगति नहीं दिखा सके।

कबीरदास की वाणी अनेक स्थानों पर बड़ी मर्मस्पर्शी बन पड़ी है। अनेक जगह उन्होंने अपने विरोधियों पर बड़े घुटीले प्रहार किए हैं और गूढ़सिद्धान्तों की भी सरस भाषा में समझने में उन्हें सफलता मिली है। क्योंकि कबीर की सारी रचना मुक्तक है, इसलिए उसने एकरूपता का अभाव है। उसमें अच्छी-दुरी सब प्रकार की रचना उपलब्ध हो जाती है। उनकी बहुत-सी साधियां बिलकुल सामान्य कोटि की भी हैं, जबकि अनेक भाव की दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। कबीर में उच्च कोटि की प्रतिभा थी, इससे उनके विरोधी भी इन्कार नहीं कर सकते। पर साथ ही यह बात भी सत्य है कि कबीर में प्रदर्शन की भावना बहुत अधिक है। वे श्रोताओं को, चाहे जैसे भी हो, आतंजित रखना चाहते हैं। जहां वेदान्त के दार्शनिक सिद्धांतों से काम चलता है, वहां उनका प्रयोग कर देते हैं, और जहां सिद्धों और हठयोगियों के अतृप्त नाद, कमल, पत्र, इला, पिपता, सुपुम्ना आदि पारिभाषिक शब्दों से रोब जमता दिखाई पड़ता है, वहां उनका भी प्रयोग करने से नहीं चूखते। इसी प्रयोजन से उन्होंने असट्साधियां भी लिखी हैं। इन उलट-साधियों का अज्ञान श्रोता कुछ भी धर्म नहीं निहाल सकता। जो कुछ गुरु महाराज बता दें, वही इनका धर्म है।



वन् १४५७ में और स्वर्गवास संवत् १५५१ में हुआ।

साहित्य और समाज दोनों पर ही कबीर का गहरा प्रभाव पड़ा। समाज में नित वर्ग को उन्होंने ऊँचा उठने की प्रेरणा दी। किन्तु शिक्षित और उच्च वर्ग कबीर। अप्रभावित रहा। साहित्य में रहस्यवादी काव्यधारा जो इस युग में आकर पनपी, उसका मूल भी हमें कबीर में बड़े स्पष्ट और विकसित रूप में दिखाई पड़ता है। अष्टम युग में इस महान आन्दोलन के महत्त्व को पूरी तरह नहीं समझा गया, किन्तु नवम युग में उनकी महानता तब स्पष्ट हो गई, जब इस युग के दो महान भारतीयों—वेदकवि रवीन्द्रनाथ और महात्मा गांधी—ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया।

ग्रन्थ सम्भावित शीर्षक

१. निर्गुणमार्गी भक्ति के प्रतिनिधि कवि

## जायसी और उनका पद्यावत

प्रेममार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मुहम्मद जायसी का स्थान हिंदी साहित्य में मूर और तुलसी के बराबर ही समझना चाहिए। यदि इस बात को कुछ महत्त्व दिया जा सके कि तुलसीदास ने आगे चलकर जिस भाषा और जिस शैली में अपना रामचरितमानस लिखा, जो हिन्दी साहित्य का सर्वोत्तम काव्य समझा जाता है, उसी भाषा और शैली में उनसे काफी पहले मलिक मुहम्मद जायसी अपने पद्यावत की रचना कर चुके थे, तो इससे जायसी का महत्त्व कुछ और अधिक बढ़ जाता है।

मूरदास और तुलसीदास के साथ जायसी की तुलना कर पाना संभवतः सरल नहीं है। क्योंकि विषुद्ध काव्य के अतिरिक्त और भी कई बातें हैं, जिनके कारण मूर और तुलसी जायसी की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हुए हैं। इन दोनों की रचनाओं का हिन्दू-धर्म से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। परन्तु जायसी की रचना विषुद्ध



काव्य की दृष्टि से भी बहुत लोकप्रिय हुई है। पद्मावत में एक मधुर प्रेम-रस ही, साथ ही भाष्यात्मक प्रेम को लेकर जो रहस्यवादी मार्मिक संकेत दिए हैं, वे हिंदी साहित्य में अनोखे हैं और उनके कारण पद्मावत का महत्व बहुत बढ़ गया है। यह रचना अपने क्षेत्र में अनुपम है।

जायसी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जायस के रहने वाले थे। इनका जन्म संवत् १५५७ में और मृत्यु संवत् १६०० में हुई मानी जाती है। उन दिनों अठ्ठार-वाह और सूफियों के प्रेममार्ग का प्रचार बहुत जोर-शोर से हो रहा था और जायसी पर भी इन दोनों का गहरा प्रभाव पड़ा था। जायसी अर्धे साधक थे और इनके निष्णों में अनेक प्रभावशाली लोग भी थे।

मुख्य रूप से जायसी का यश उनकी रचना पद्मावत के कारण है। जैसे उन्होंने 'भस्तरावट' और 'भाखरी कलाम' नाम की दो छोटी-छोटी रचनाएं भी लिखी हैं। भस्तरावट में वर्णमाला के अक्षरों के क्रम से पद रचे गए हैं। जैसे पहला पद 'ब' से शुरू होता है, अगला 'भा' से, उससे अगला 'इ' से; इसी प्रकार आगे भी। भाखरी कलाम में कवि ने आत्मपरिचय दिया है। पैगम्बर मुहम्मद और गुफा-स्तुति की है और सृष्टि के अंत में होने वाली प्रलय का दुःख प्रकट किया है।

पद्मावत में एक प्रतिष्ठ हिन्दू प्रेम-कथा कविता में वर्णित की गई है। इतने सिंहल की राजकुमारी पद्मिनी और बितौरु के राजा रतनसेन के प्रेम और विवाह का वर्णन है। काव्य के उत्तरार्ध में अलाउद्दीन पद्मिनी को पाने के लिए बितौरु पर आक्रमण करता है। किंतु पद्मिनी सती हो जाती है और अलाउद्दीन को सत्ता प्राप्त नहीं होती। अब तक ऐसा माना जाता रहा है कि पद्मावत की कथा पूर्वाध्वं काल्पनिक है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। परन्तु कर्नल टाड जैसे इतिहासकारों को देखते हुए अब यही विश्वास करने को मन होता है कि पद्मावत की सारी कथा काल्पनिक है और उसका इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं है।

परन्तु इस कथा का महत्व इस दृष्टि से अत्यन्त है कि हिन्दुओं और मुसलमानों के संबंधों के उस काल में जायसी जैसे एक कट्टर मुसलमान ने अपने महाकाव्य के लिए एक हिन्दू प्रेम-कथा को चुना। महाकाव्य का नायक एक हिन्दू राजा को बनाया और मुसलमान सुल्तान अलाउद्दीन को सतनायक का अभिनय कराया।

न केवल उन्होंने हिन्दू राजा को अच्छा चित्रित किया, अपितु हिन्दुओं के रीति-रिवाज और हिन्दुओं के भादशों को भी उन्होंने अच्छे रूप में प्रस्तुत किया है। इसके उनके हृदय की उदारता का परिचय मिलता है। वैसे अपने-आपमें जायसी परके मुसलमान थे। पद्मावत के आरम्भ में उन्होंने विधिवत् पैगम्बर की स्तुति की है।

जायसी का पद्मावत प्रेम-कथा होने के साथ-साथ भक्त्योक्ति-काव्य भी है। भक्त्योक्ति का अर्थ यह है कि जो वस्तु उसमें मुख्य रूप से वर्णन की जा रही है, उसके भक्तिरिक्त उसका कुछ और छिपा हुआ अर्थ भी है। भौतिक दृष्टि से पद्मावत रतनसेन, पद्मावती और मलाउदीन की कहानी है; परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से यह आत्मा और परमात्मा के मिलन और इस मिलन के बीच में पड़ने वाली बाधाओं की कहानी है। इतना सुन्दर भक्त्योक्ति-काव्य हिन्दी में और कोई नहीं है। भौतिक और आध्यात्मिक, दोनों प्रकार के प्रेम का वर्णन सारे काव्य में साथ-साथ चलता है और इसके कारण प्रेम की तीव्रता की अनुभूति कुछ लोकोत्तर-सी हो उठती है। यहां इतना कह देना चाहिये जायसी के साथ न्याय करना ही होगा कि प्रेम के इन दोनों रूपों का यथोचित ध्यान वे सारे काव्य में नहीं रख पाए हैं और अनेक जगह एक प्रकार के प्रेम का वर्णन करते हुए दूसरे प्रकार के प्रेम को लगभग भूल ही जाते हैं। परन्तु जितना वह कर पाए हैं, वह भी थोड़ी सफलता नहीं है।

भारतीय प्राचीन साहित्य में स्त्री और पुरुष का प्रेम इस रूप में चित्रित किया जाता था कि जैसे स्त्री पुरुष को पाने के लिए ध्याकुल हो। किन्तु पद्मावत में रतनसेन को आत्मा के रूप में चित्रित किया गया है और पद्मावती को परमात्मा के रूप में। शूफियों की विचारधारा में आत्मा और परमात्मा का ऐसा ही सम्बन्ध स्वीकार किया गया है। क्योंकि इन लोगों की धारणा यह थी कि आत्मा में परमात्मा को पाने के लिए बैसी ही तीव्र लालसा जागरित होनी चाहिए, जैसी पुरुष में अपनी प्रियतमा को पाने के लिए होती है।

सौन्दर्य के निरूपण में जायसी ने अद्भुत कौशल दिखाया है। उनकी पद्मावती का सौन्दर्य अनुपम है। अनेक कलंकारों और व्यंजनाओं के सहारे उन्होंने उसे निषारा है। इसके साथ ही उसमें उन्होंने एक और नया गुण जोड़कर उसे 'पारस

मूर और गुलामी की गुलामी में जावपी के काम की मद्दतिवेगा है कि मूर और गुलामी की कविता का मान्य अर्था एक सीमा देन और उनके भी एक सीमा बनने से बचने से मानते हैं, वही गुलामी की कविता मर देनों और कानों के लोको के विना समान रूप से मान्यकर रहेगी। उनका अर्थदुसर होने पर वे मानना नहीं पाएँगे को समान कर सकेंगी। साहित्य-मान्य की भाषा में बस जा सकता है कि उनमें साधारण-मान्य की समाना अधिक है।

अथ सम्पादित शीर्षक

१ प्रेमसागि मरि के प्रतिनिधि कवि

## गीतकार सूरदास

बंते सो हिन्दी के कामोपान में बितने हो रंग-विरये और सुगन्धित फूल किं है, किन्तु जैसा गोरम मूरदास की रचनाओं का है, वैसा और किसी भी कवि की रचनाओं का नहीं है। इसीलिए किसी सहृदय मानोचकने 'मूर मूर, गुलामी वजो' कहकर मूरदास को हिन्दी काव्य के आकाश का सूर्य कहा है। मूरदास का सम्मान उचित हो है, क्योंकि मूरदास की टक्कर के दो ही कवि हिन्दी साहित्य हुए हैं : एक गुलामीदास और दूसरे आयसी। किन्तु इन दोनों कविशिरोमणि के काव्ययोजन बिसकुल अलग-अलग हैं। इसलिए इनकी परस्पर तुलना ठीक तरह से हो ही नहीं सकती। अपने क्षेत्र में मूरदास सर्वोच्च है। वहाँ उनसे किसी कोई बराबरी नहीं।

सूरदास की लगभग सारी की सारी रचनाएं वास्तव्य और शृंगार रस को लेकर लिखी गई हैं। उनका मूरसागर श्रीमद्भागवत के दशमस्कंध के आधार पर लिखा गया है। उसमें श्रीवृष्ण के वीरव से लेकर बाल्य, किशोरावस्था और जीवन की ऐसी सजीव भाँकियाँ प्रस्तुत की गई हैं कि बस पढ़ते ही बनती हैं। जीवन के प्रथम

में उनके गोपियों के साथ प्रेम का वर्णन है। इस प्रेम के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों को सूरदास ने बड़े कौशल के साथ निखारा है।

सूरदास भ्रम थे। उनके कारण ही भ्रमों को 'सूरदास' कहने की प्रथा चल पड़ी है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि नेत्रहीन होते हुए सूरदास ने ऐसा मर्म-स्पर्शी काव्य किस प्रकार लिख डाला। उन्होंने कृष्ण की बाल-लीला के जो चित्र खींचे हैं, उन्हें पढ़कर यह विश्वास करना सम्भव नहीं रहता कि वे जन्मान्ध रहे होंगे। ऐसी भी जनश्रुति है कि सूरदास की आँखें पहले ठीक थीं, परन्तु बाद में किसी मुन्दरी के प्रेम में फँसकर निराश होकर उन्होंने अपनी आँखें स्वयं फोड़ ली थीं। किन्तु यह जनश्रुति भी कपोलकल्पित ही जान पड़ती है। क्योंकि अपनी रचना में सूरदास अपनी नेत्रहीनता पर खिन्न दिखाई पड़ते हैं। इसके लिए वे भगवान की उपासना करते हैं। यदि उन्होंने अपने नेत्र स्वयं फोड़े होते, तो इस उपासना का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अनुमान यही होता है कि प्रारम्भ में उनकी दृष्टि ठीक थी और बाद में जाकर किन्हीं कारणों से वह नष्ट हो गई।

दृष्टि खोकर सूरदास ने अन्तर्दृष्टि पा ली। जिन दूरियों को उन्होंने कभी देखा था, उन्हें स्मृति से और मधुर बनाकर उन्होंने काव्य में उतारना प्रारम्भ कर दिया। इसीलिए उनकी कविता में भाकर ये दृश्य सत्य की अपेक्षा भी अधिक सुन्दर और सुकुमार हो उठे हैं।

सूरदास को काव्य-रचना की प्रेरणा पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक श्री बल्लभाचार्य से मिली थी। बल्लभाचार्य दास्य भाव की भक्ति को पसन्द नहीं करते थे। उन्होंने कृष्ण के प्रति सख्य भाव की भक्ति का प्रचार किया था। उनके ही आदेश से सूरदास ने श्रीमद्भागवत की कथा को गेय पदों में प्रस्तुत किया। उनके ये पद श्रीनाथजी के मन्दिर में गाने के लिए रचे गए थे।

सूरदास ने जिन गेय पदों की रचना की है, वे इतने परिमार्जित हैं कि यह मानने का मन नहीं होता कि वे सूरदास की पूर्णतया भौतिक उद्भावनाएं हैं। इस भाषा में सबसे पहली काव्य-रचना सूरदास की मिलती है और यही इतनी परिपक्व है कि उनके बाद के सब कवियों की रचनाएं उनकी जूठन जान पड़ती हैं। इससे यह अनुमान होता है कि सूरदास से पहले भी इस प्रकार के गेय पद

विवेचनात्मक (साहित्यिक) नि-  
 गोकुल के समस्त चराचर जैसे यमुना, मधुवन और गों, सभी विरह-व्यथा वं  
 व्याकुल हो उठते हैं। सूरदास का वियोग-वर्णन हिन्दी साहित्य में अनुपम समझ  
 जाता है।

सूरदास के काव्य की विशेषताओं को गिनते हुए यह प्रवच्य बहना होगा कि  
 सूरदास की भाषा अत्यन्त सुबोध और परिमाजित है। भावों की अभिव्यक्ति सख  
 और चुटीली है। उनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग प्रभूत है। परन्तु अधिकांश  
 अलंकार अभिव्यक्तियों को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए प्रयुक्त हुए हैं और रचन  
 के सहज प्रवाह में घा गए मालूम होते हैं। कहीं-कहीं सूरदास ने अलंकारों से अति-  
 वाह भी किया है। ऐसी जगह उनके पद काव्य न रहकर पहेलियां बन गए हैं।  
 परन्तु ऐसे पद थोड़े ही हैं।

सूरदास के काव्य का हिन्दू-समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। नियुंनवासी ।  
 सन्तों के ज्ञान और साधना के उपदेशों से धरवाई हुई जनता को उन्होंने सयुष  
 भक्ति का सरस क्षेत्र दिखाया, जिससे भक्ति लोगों के लिए साधना की वस्तु न  
 रहकर भानन्द की वस्तु बन गई। इससे इस्लाम के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने  
 में भी काफी सहायता मिली।

यह खेद की ही बात समझनी चाहिए कि इतने बड़े कवि के जीवन-चरित के  
 अन्वय में बहुत कम सामग्री उपलब्ध है। इनका जन्म संवत् १२४० के आसपास  
 दिल्ली से लगभग २० मील दूर सीही नामक ग्राम में हुआ था। यह बल्लभा  
 के शिष्य थे और विठ्ठलनाथजी ने कृष्ण-भक्ति शाखा के कवियों की जित्त अष्टा  
 की स्थापना की थी, उसमें यह सर्वश्रेष्ठ थे। कितने ही वर्षों तक सूरदास बल्लभ  
 धाम द्वारा बनवाए हुए श्रीनाथजी के मन्दिर में कीर्तन करते रहे। संवत् १६२  
 में इनकी मृत्यु पारसोती नामक ग्राम में हुई।

सूरदास ने सूरसागर की रचना करके रस का जो महान सागर तैयार किया  
 है, उसमें सहृदय लोग बिरकाल तक स्नान करके भानन्द पाते रहेंगे। काव्य-प्रेमियों  
 में सूरदास का जितना आदर है, उससे भी कुछ अधिक ही उनका आदर संगीत-  
 शास्त्रियों में है और उनके रागों के लिए सगभग सारे ही देश में सूरदास के रने  
 हुए पद गाए जाते हैं। इस अद्भुत कवि और संगीतकार की कीर्ति हिन्दी-जगत् में

चिरकाल तक अक्षुण्ण बनी रहेगी ।

अन्य सम्भावित शोषक

१. कृष्णभक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि
२. हिन्दी में वात्सल्य और शृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि

## महाकवि तुलसीदास

तुलसीदास का नाम हिन्दी के कवियों में सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसका यह कारण तो है ही कि तुलसीदास हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, साथ ही यह भी है कि उन्होंने अपने काव्य में जिन आदर्शों की स्थापना की है, उनके कारण यह हिन्दू जाति के धर्मगुरु भी बन गए हैं। यद्यपि काव्य-सौन्दर्य की दृष्टि से सूरदास और मलिक मुहम्मद जायसी उनकी टक्कर के ही हैं, किन्तु धार्मिक आदर्शों का बीसा सुदृढ़ आधार न होने के कारण वे जनता के हृदय पर उतनी गहरी छाप नहीं बिठा पाए हैं, जितनी तुलसीदास।

तुलसीदास को हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ कवि मानने का एक सबसे मोटा और बड़ा कारण यह है कि तुलसीदास ने अपने समय में प्रचलित सभी शैलियों में काव्य-रचना की। उस समय भवषी और वज्र दो ही साहित्यिक भाषाएं थीं। उन्होंने दोनों में ही सफलतापूर्वक कविता लिखी। उन्होंने 'रामचरितमानस' प्रबन्धनाम्य लिखा और 'विनयपत्रिका' मुक्तक काव्य। विविध प्रकार के छन्दों का उन्होंने कविता में प्रयोग किया। इस प्रकार उनका काव्य का बाह्य पक्ष अर्थात् कला-पक्ष अपने प्रतिद्वन्द्वियों की अपेक्षा वहीं अधिक पुष्ट है।

इसी प्रकार उनके काव्य का अंतरंग पक्ष भी जायसी और सूरदास की अपेक्षा वहीं विस्तृत और गम्भीर है। सूरदास ने जीवन के बहुत सीमित क्षण को ही अपने काव्य का विषय बनाया है। शृंगार और वात्सल्य की सीमाओं से बाहर वह नहीं







परन्तु गुणगीताग ने जीवन के विविध पक्षों को, लगभग मानव-जीवन का जो ही धानी रहना का विषय बनाया है। उन्होंने अपने प्रबन्ध काय को प्रसंगों की कहनायी की है और उनका बहुत ही मार्मिक वर्णन किया इन दोनों भागों ने बहुर है—गुणगी की धारणा-शक्ति। मूरदान-मान के मोहरकर का का वर्णन किया है। उनके द्वारा ऐसे अनेक काम हैं, जो सामाजिक दृष्टि में निम्नीय बड़े जा सकते हैं। परन्तु उनको के का में भगवान के लोकराक रूप का वर्णन किया है। उनके राम मनुज धरिनु हाय भगवान है, जो मानव-जीवन के धेष्ठ धारणों की म्यान्ता के मनुज का में प्रकटित हुए हैं। उनके राम सगुनों की रसा करने वाले, सगुनिष्ठ धीर दुष्टों को डंक देने वाले हैं। उनकी कल्पना से दीन-दुस्त्रियों, गौरी धीर धीरुओं को सांरना मियतो है, कुछ महारा मियता है।

गुणगी द्वारा प्रस्तुत रामभक्ति उस काल के हिन्दुओं के लिए बहुत धमि धाराप्र धीर उत्साहदायक सिद्ध हुई। विवेका मुमलमानों के मय से अस्त प्र की कृष्णभक्ति में कुछ धानन्द धनन्य दिखाई पड़ा था, किन्तु विवातीय सत्क के मुकाबले के लिए शिख मुद्रा धाधार की धावश्यकता थी, वह उनको र भक्ति से ही प्राप्ता हुआ।

तुलसीदास का धपना जीवन बहुत कुछ कष्टों में ही व्यतीत हुआ। मनु-सग्न में उत्पन्न होने के कारण उनके माता-पिता ने जन्म होते ही उन्हें त्याग दि था। एक दासी ने, जिधका नाम मुनिया था, उनका पालन-पोषण किया। कि कुछ वर्ष बाद ही मुनिया भी भगवान को प्यारी हो गई। तुलसीदास दुबारा धन्य हो गए। काफी दिन तक इधर-उधर भटकते रहे। पेट भरने के लिए बहुत बार उ मिशा मांगनी पड़ी। धन्त में उनकी भेंट बाबा नरहरिदास से हुई। उन्होंने रूप करके तुलसीदास को अपने पास रखा और पड़ाया। यथासमय तुलसीदास क विवाह हो गया। परन्तु भाग्य को तुलसीदास का यह की अधिका के कारण एक प्रसंग ऐसा धा पड़ा कि गया। पत्नी ने तुलसीदास को कुछ शब्द ऐसे कह पर बहुत गहरी सपी और गए

